Website Link: mib.gov.in

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च, 2021 को 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के उद्घाटन हेतु अपने गुजरात दौरे के दौरान साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

विषय सूची

1. एक अवलोकन 7
2. प्रमुख झलकियां 11
3. मंत्रालय की नई पहल 25
4. सूचना क्षेत्र 29
5. प्रसारण क्षेत्र 57
6. फ़िल्म क्षेत्र 79
7. अंतरराष्ट्रीय सहयोग 105
8. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 109
9. सेवाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व 115
10. राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग 119
11. सतर्कता संबंधी मामले 121
12. नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण 123
13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले 127
14. महिला कल्याण 131
15. लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा 133
16. लेखा पैरा 141
17. कैट के फैसलों/आदेशों पर अमल 143
18. मीडिया इकाई–वार बजट 145
19. योजना परिव्यय 149
20. सांगठनिक चार्ट 153

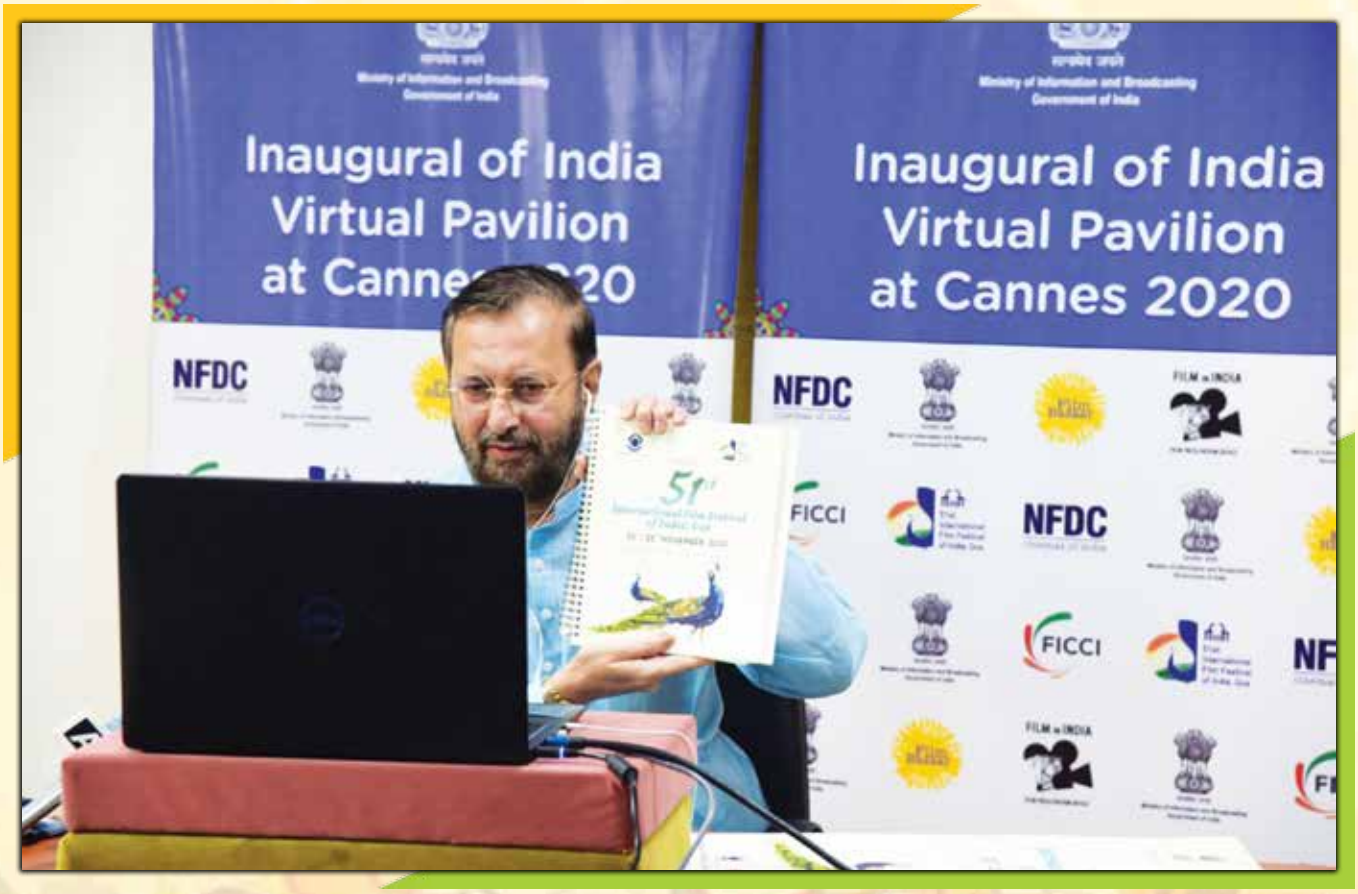

नई दिल्ली में 22 जून, 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर 'इफ्फी 2020' पुस्तिका का कांस फ़िल्म बाज़ार 2020 में भारत के वर्चुअल पैवेलियन में विमोचन करते हुए।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, 23 अगस्त, 2020 को नई दिल्ली में 'प्रिवेंटिव मेज़र्स फॉर मीडिया प्रोडक्शन टू कन्टेन द स्प्रेड ऑफ कोविड–19' पर एसओपी जारी करते हुए।

1 एक अवलोकन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जनसंचार के मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रालय रेडियो, टेलीविजन, फ़िल्मों, प्रेस तथा प्रिंट प्रकाशनों, विज्ञापनों और संचार के पारंपरिक तरीकों– नृत्य तथा नाटक जैसे जनसंचार माध्यमों के जरिए जनसामान्य तक जानकारी के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका निभाता है।

मंत्रालय, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने और राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल तथा परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दों की ओर सरकार का ध्यानाकर्षित करता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निजी प्रसारण क्षेत्र, जन प्रसारण सेवा (प्रसार भारती), मल्टी–मीडिया प्रचार और भारत सरकार के कार्यक्रमों की नीतियों, फ़िल्म प्रसार एवं प्रमाणन तथा प्रिंट और डिजिटल मीडिया के विनियमन से जुड़े नीतिगत मामलों का केंद्र भी है।

मंत्रालय को कार्यात्मक रूप से तीन विभागों– सूचना, प्रसारण और फ़िल्म विभाग में विभाजित किया गया है। मंत्रालय अपनी 18 मीडिया इकाइयों/संबंधित तथा अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय का प्रमुख, सचिव होता है। सचिव की सहायता के लिए एक विशेष सचिव तथा वित्तीय सलाहकार (एसएस एंड एफए), एक अतिरिक्त सचिव, एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार होता है। इनके अलावा निदेशक/उप सचिव/वरिष्ठ पीपीएस/पीएसओ स्तर पर 18 अधिकारी, अवर सचिव/उप निदेशक/पीपीएस

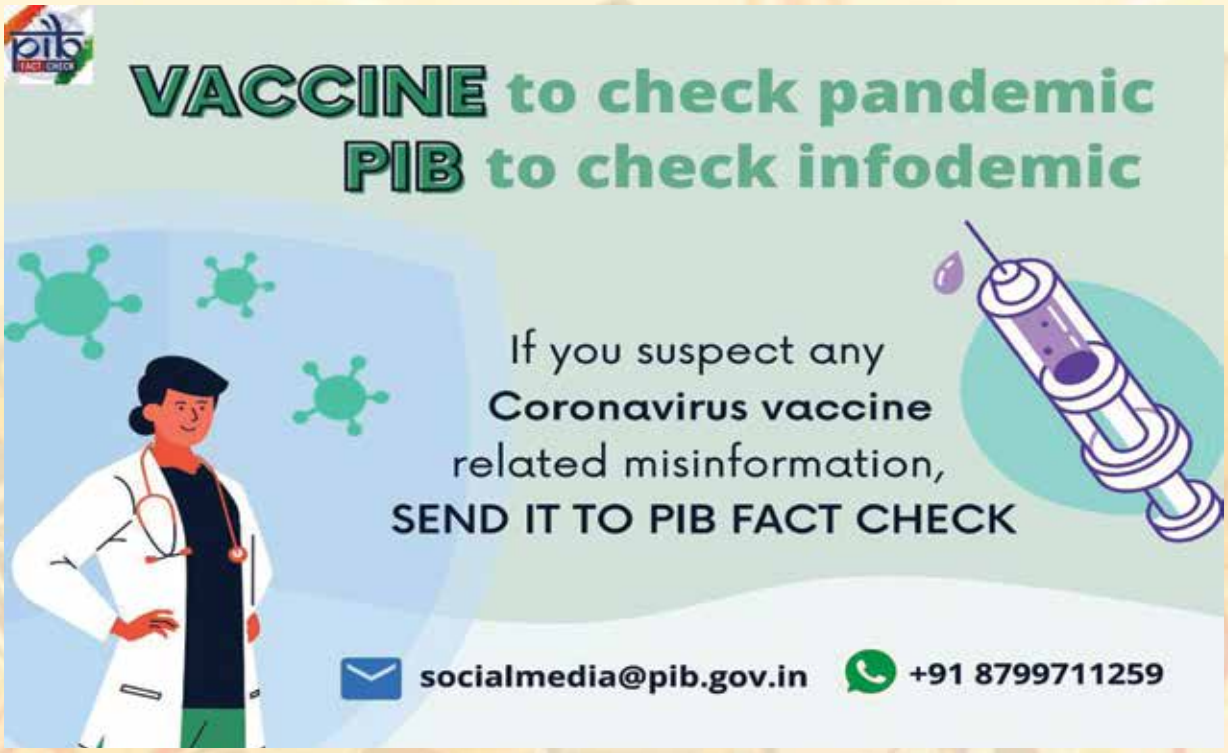

पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई मिथकों और गलत सूचनाओं का खण्डन तथ्यपरक एवं सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाकर करती है।

स्तर पर 36 अधिकारी, 55 सहायक निदेशक/अनुभाग अधिकारी/पीएस स्तर के अधिकारी और 196 अराजपत्रित अधिकारी/पदधारी होते हैं।

सूचना विभाग प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों तथा गतिविधियों की प्रस्तुति और व्याख्या, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सरकारी विज्ञापनों की दर तय करने के लिए नीतिनिर्देशों के निर्धारण और प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 को लागू करने एवं भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के कैडर प्रबंधन और मंत्रालय के सामान्य प्रशासन का प्रभारी है।

प्रसारण विभाग, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के अनुरूप आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यकलापों की देखरेख करता है। यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और समय–समय पर जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से निजी उपग्रह चैनलों की सामग्री और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को भी विनियमित करता है। यह डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को संबंधित कार्यों के लिए लाइसेंस देता है। निजी एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन को भी नियंत्रित करता है।

फ़िल्म विभाग सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन, विकास तथा संवर्धन गतिविधियों सहित फ़िल्म उद्योग से संबंधित मुद्दों; वृत्तचित्रों के निर्माण तथा वितरण, फ़िल्मों के संरक्षण; अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मोत्सवों के आयोजन और अच्छी फ़िल्म को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार प्रदान करने इत्यादि संबंधी कार्य करता है।

मंत्रालय के वित्त, बजट और लेखा से संबंधित मामले, एकीकृत वित्त विभाग द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। आर्थिक विभाग योजना, बजट, योजना समन्वय, ओ एंड एम गतिविधियों के अलावा समय–समय पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय को विभिन्न मुद्दों के बारे में सूचित करता है। आर्थिक सलाहकार के कार्यों में शामिल हैं– शासन पर सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (एसजीओएस–09), इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर–मंत्रालयी समूह के लिए नोडल अधिकारी और न्यू इंडिया कोड पोर्टल, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की वार्षिक बैठक संबंधी समन्वय, साइबर सुरक्षा कानून तथा सीपीजीआरएएम पोर्टल की निगरानी से संबंधित कार्य आदि।

वर्ष के दौरान, ऑनलाइन/डिजिटल मीडिया से जुड़े मामलों को देखने के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। यह निर्णय केंद्र सरकार के 9 नवंबर, 2020 की उस अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया जिसे मंत्रालय से जुड़े कारोबार के नियमों, 'अलोकेशन ऑफ बिज़नेस रूल्स, 1961' में संशोधन करके जोड़ा गया है।

डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया

22 (अ). ऑनलाइन सामग्री प्रस्तोताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई फ़िल्में एवं श्रव्य–दृश्य कार्यक्रम।

22 (ब). ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर उपलब्ध समाचार एवं समसामयिकी सामग्री।

मंत्रालय का संगठनात्मक स्वरूप

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
2. लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)
3. भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक (आरएनआई)
4. प्रकाशन विभाग
5. न्यू मीडिया विंग
6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)
7. फ़िल्म प्रभाग
8. केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 01 फरवरी, 2021 को पुणे में कोविड–19 टीकाकरण एवं आत्मनिर्भर भारत पर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया।

9. भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय (एनएफएआई)
10. फ़िल्म महोत्सव निदेशालय (डीएफएफ)

स्वायत्त संगठन

1. भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)
2. प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)
3. भारतीय बाल फ़िल्म सोसाइटी (सीएफएसआई)

शैक्षणिक संस्थान

1. भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी)
2. भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई)
3. सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता (एसआरएफटीआई)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)
2. राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी)

■ ■ ■

प्रसार भारती के सीईओ श्री शशि एस. वेम्पति की अध्यक्षता वाली समिति ने भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशानिर्देशों का पुनरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को 12 जनवरी, 2021 को सौंपी। इस अवसर पर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्री अमित खरे भी उपस्थित रहे।

2 प्रमुख झलकियां

नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19)

11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड–19 को महामारी घोषित कर दिया। इसके तत्काल बाद भारत सरकार महामारी से निपटने के लिए कई गतिविधियों को संचालित करने लगी। साथ ही महामारी के बाद भ्रामक सूचनाओं की बाढ़ आ गई। परंपरागत तरीकों के अलावा सोशल मीडिया पर भी ऐसी गलत सूचनाओं और अफवाहों का सिलसिला चल पड़ा। इस विकराल चुनौती को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी मीडिया प्रभाग एक साथ मिलकर कोविड वायरस पर तथ्यात्मक और सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

मंत्रालय ने महामारी शुरू होने के तत्काल बाद मार्च 2020 को कोविड–19 के मुद्दे पर **माननीय प्रधानमंत्री** की मीडिया कर्मियों से मुलाकात करवाई। इसके बाद सरकार ने 29 मार्च, 2020 को **(इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस)** सूचना संचार एवं नागरिक जागरूकता पर एक एम्पावर्ड समूह का गठन किया। मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2020 को कोविड–19 से संबंधित प्रामाणिक सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने और इसके प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए एक ट्विटर हैंडल @CovidNewsByMIB (#IndiaFightsCorona) शुरू किया।

देश के सभी नागरिकों तक पूरे लॉकडाउन के दौरान मंत्रालय ने सही और त्वरित सूचना पहुंचाने के लिए कई कदम एक साथ उठाए। मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय और कोरोना पर बनी कई समितियों के अधिकारियों की नियमित और लाइव प्रेस ब्रीफिंग की व्यवस्था की। कोविड–19 पर पत्र–सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने जनता को जागरूक करने के लिए कई अथक प्रयास किए और 1 अप्रैल, 2020 से 23 मार्च, 2021 तक विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभिन्न भाषाओं में 23,000 से ज्यादा प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं। पत्र सूचना कार्यालय ने अपनी मुख्य वेबसाइट को कोविड–19 से संबंधित बहुभाषी वेबपेज बनाया जिससे अलग–अलग राज्यों के लिए अलग–अलग भाषाओं में जानकारी दी गई।

2 अप्रैल, 2020 को कोविड–19 पर फर्जी ख़बरों को उजागर करने के लिए पीआईबी ने अलग से कोविड–19 **फैक्ट चेक यूनिट** का गठन किया। इस प्लेटफॉर्म द्वारा देशभर में फैल रही अफवाहों का तत्परता के साथ पर्दाफाश किया गया और **लोगों की जिज्ञासाओं का समय पर सटीक जवाब दिया गया**। कोविड को लेकर फैलाई जा रही झूठी ख़बरों का सरकारी स्रोतों के माध्यम से रहस्योद्घाटन किया गया। **स्वास्थ्य विशेषज्ञों और डॉक्टरों के साक्षात्कारों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया**। कोविड–19 पर लोगों में सकारात्मक भरोसा पैदा करने तथा अफवाहों और मिथों को खंडित करने के लिए **केंद्रीय मंत्रियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के 37 लेखों** को पीआईबी ने राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक में प्रकाशित कराया।

सही और सत्यापित सूचनाओं को इंफोग्राफिक एवं अन्य रचनात्मक शैलियों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। कोविड–19 से संबंधित सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पीआईबी की स्थानीय इकाइयों ने स्थानीय स्तर पर **परंपरागत तरीकों जैसे– नुक्कड़ नाटक, क्षेत्रीय कार्यशाला (फील्ड वर्कशॉप) और अन्य गतिविधियों के माध्यम से परिचर्चा एवं मोबाइल वैन अभियान द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा की**। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, माईजीओवी (MyGov) और पीआईबी ने मिलकर एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया जिसके माध्यम से **स्थानीय भाषाओं में इन इकाइयों ने तथ्यात्मक सूचनाओं को जन–जन तक पहुंचाया**। साथ ही नियमित रूप से विभिन्न हितधारकों को फीडबैक भी दिए।

लॉकडाउन के बाद कोविड–19 के विभिन्न आयामों को लेकर प्रमुख हितधारकों के बीच शैक्षिक जागरूकता का प्रसार करने के लिए कई वेबिनार आयोजित किए गए। पीआईबी ने कोविड–19 को लेकर विभिन्न विषयवस्तुओं पर आधारित **450 से ज्यादा वेबिनार** आयोजित किए। इसके अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों सहित, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो और पीआईबी के बीच संचार का एक विशेष मॉडल कायम हुआ जिसने एक टीम के रूप में काम किया।

7 अक्टूबर, 2020 को कोविड–19 पर जागरूकता को लेकर एक विशेष अभियान **'जब तक दवाई नहीं, तब तक**

ढिलाई नहीं' की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने #Unite2FightCorona के साथ 8 अक्टूबर, 2020 को की। इस **अत्यधिक प्रभावशाली जनआंदोलन का मुख्य संदेश था 'मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें'** और **'बार–बार हाथ धोएं'**। इस अभियान में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, विभागों, स्थानीय प्रशासनों आदि ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। पीआईबी और इसकी स्थानीय इकाई ने इस आंदोलन को जन–जन तक विस्तारित किया। **इस अभियान को महीनेभर के अंदर 10.86 अरब इंप्रेशन्स प्राप्त हुए।**

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्तूबर, 2020 को कोरोना के खिलाफ संघर्ष के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की।

इधर, लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो अपनी स्थानीय इकाई के साथ अप्रैल 2020 से अनेक माध्यमों के द्वारा बड़े पैमाने पर **जागरूकता अभियान** चला रहा है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :

1.	ट्वीट और रीट्वीट (इंप्रेशन्स के साथ)	10,91,968 (1,30,88,251)
2.	फेसबुक पोस्ट	5,38,120
3.	इंस्टाग्राम पोस्ट	1,25,586
4.	पोस्टर/संदेश/व्हाट्सऐप पर वीडियो सर्कुलेशन	14,49,885
5.	क्षेत्रीय लोकसंपर्क विभाग द्वारा टेलीफोन कॉल	2,80,504
6.	क्षेत्रीय लोकसंपर्क विभाग द्वारा भेजे गए एसएमएस	2,96,928
7.	वेबिनार	453

सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की सूचना जनता तक पहुंचाने में दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालय सबसे आगे थे। इन्होंने अपनी स्थानीय इकाई के साथ **'डॉक्टर्स स्पीक', 'कोविड वॉरियर्स ऑडियो प्रोमो', 'पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट', कोविड–19 पर विशेष बुलेटिन** सहित कई प्रोग्राम संचालित किए। इसके अलावा दैनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाया जिनमें प्रतिष्ठित स्वास्थ्य और मीडिया विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था। सरकार के हर निर्णय को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति अपनाई गई थी। **'मास्क अप इंडिया'** अभियान को जन–जन तक पहुंचाया गया। इन सबके कारण नागरिकों में व्यावहारिक परिवर्तन आया। **राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार, जागरूकता कार्यक्रम, कोविड से संबंधित सकारात्मक समाचार, वैज्ञानिकी समाचार, फैक्ट चेक, मिथ बस्टर, केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले, वंदे भारत मिशन पर समाचार और रोज़ाना की पल–पल की ख़बरें** दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्रों पर दिखाई गईं।

देशभर में लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए **दूरदर्शन और आकाशवाणी ने शैक्षिक सामग्रियों का प्रसारण किया**। सोशल मीडिया के विभिन्न चैनलों ने भी कोविड–19 इंफोग्राफिक, मशहूर हस्तियों के पोस्ट और डेली क्विज कंटेस्ट के माध्यम से लोगों को तथ्यों और मान्यताओं के बारे में जागरूक किया। कोविड–19 के बाद आने वाले व्यवहारगत परिवर्तन को लेकर लघु फ़िल्मों को सोशल मीडिया तथा डीडी चैनलों पर प्रसारित किया गया। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने के सरकार के फैसले से संबंधित अद्यतन समाचारों और सूचनाओं का लगातार प्रसारण किया।

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने 22 मई, 2020 को एक साथ देश के सभी **सामुदायिक रेडियो स्टेशनों**

को संबोधित करते हुए महामारी से लड़ रहे देशवासियों को प्रोत्साहित किया तथा उनसे उम्मीद नहीं छोड़ने की अपील की।

लॉकडाउन के शुरुआती चरण के लोगों पर पड़ रहे मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए दूरदर्शन ने अपने चैनलों पर **रामायण और महाभारत जैसे मशहूर धारावाहिकों का पुनर्प्रसारण** किया। जनता में इन धारावाहिकों के प्रति अभूतपूर्व प्रतिक्रिया रही। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 16 अप्रैल, 2020 तक रामायण की दर्शक संख्या 7.7 करोड़ पहुंच गई जो दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बन गया।

कार्यक्रम	समय (प्रतिदिन)	चैनल
रामायण	9 बजे पूर्वाह्न और 9 बजे रात्रि	डीडी नेशनल
व्योमकेश बख्शी	11 बजे पूर्वाह्न	डीडी नेशनल
सर्कस	03 बजे अपराह्न	डीडी नेशनल
श्रीमान–श्रीमती	4 बजे अपराह्न	डीडी नेशनल
बुनियाद	5 अपराह्न	डीडी नेशनल
देख भाई देख	6 अपराह्न	डीडी नेशनल
शक्तिमान	8 अपराह्न	डीडी नेशनल
चाणक्य	10 अपराह्न	डीडी नेशनल
अलिफ लैला	10.30 अपराह्न	डीडी भारती
महाभारत	12 पूर्वाह्न और 7 बजे रात्रि	डीडी भारती
श्रीमान श्रीमती	9 बजे रात्रि	डीडी भारती
उपनिषद गंगा	6 बजे शाम	डीडी भारती

मशहूर हिन्दी धारावाहिकों का दूरदर्शन पर पुनर्प्रसारण

प्रकाशन विभाग ने मई 2020 के *योजना* अंक में **कोविड–19** और **यूनिवर्सल हेल्थ** पर लेख प्रकाशित किए। *योजना* का नवंबर का अंक **कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था** को समर्पित रहा। इसमें अग्रणी लेख मुख्य आर्थिक सलाहकार का था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों और मशहूर हस्तियों के देश के प्रतिष्ठित **दैनिक पत्रों में विशेष लेख छापे गए**। इनमें कोविड–19 पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई थी।

कोविड–19 के कारण मनोरंजन जगत पर पड़े असर को लेकर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 2 जून, 2020 को फ़िल्म निर्माताओं के एसोसिएशन, सिनेमा प्रदर्शनी और फ़िल्म जगत के प्रतिनिधियों के साथ वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। माननीय मंत्री ने 23 अगस्त, 2020 को कोविड–19 महामारी के दौरान सभी मीडिया प्रोडक्शनों के लिए **सुरक्षात्मक उपायों के तहत दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जारी किया। बैंक टू द सेट्स** नामक 30 मिनट का एक कार्यक्रम चलाया गया जिसमें फ़िल्म और टेलीविज़न जगत के लोगों की सरकार के इस फैसले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाया गया। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 6 अक्टूबर, 2020 को फ़िल्म प्रदर्शनी के लिए भी एसओपी जारी किए। एसओपी में लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार ने 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉलों को 15 अक्टूबर, 2020 से खोलने की अनुमति दे दी।

06 अक्टूबर, 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर फ़िल्म प्रदर्शनी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उद्घाटन करते समय पत्रकारों को संबोधित करते हुए।

दुनिया बेशक पूरी तरह से रुक जाए, लेकिन रचनात्मकता कभी भी नहीं रुकती। इस बात को साबित करते हुए राष्ट्रीय बाल फ़िल्म समिति (एनएफडीसी) ने **जुलाई 2020 में लॉकडाउन फ़िल्म फेस्टिवल का आयोजन** किया। इसके तहत 20 लघु फ़िल्मों को www.cinemasofindia.com पर दिखाया गया। एनएफडीसी ने कोविड–19 से लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव पर आधारित लघु फ़िल्म का निर्माण किया। इसमें इन लोगों की अथक सेवा और त्याग को दिखाया गया था। लोगों से अपील की गई कि आगे आएं और इनकी सहायता करें। एनएफडीसी ने बच्चों के कल्याण और उनके मनोरंजन के लिए कई ऑनलाइन शो संचालित किए, विशेष तौर से अनाथालयों, रिमांड होम्स, शेल्टर होम्स और एनजीओ में रह रहे बच्चों के लिए शो का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सीएफएसआई ने भी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, वर्चुअल स्टूडियो और ऑनलाइन स्टेट एजुकेशन फैसिलिटी के लिए अपनी फ़िल्मों को दिखाया।

लॉकडाउन के दौरान कोविड–19 पर समाज में जागरूकता लाने के लिए **फ़िल्म प्रभाग ने 67 ऑडियो–विजुअल स्पॉट्स का निर्माण** किया। इनमें से नौ पीएसए फ़िल्मों और

एवी स्पॉट्स को फ़िल्म प्रभाग और मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किया गया। **सत्यजित रे फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने** भी कोविड–19 और समाज पर उसके प्रभाव पर **चार लघु फ़िल्में और सामाजिक जागरूकता संबंधित श्रव्य–दृश्य कार्यक्रम** बनाए।

वैक्सीन निर्माण एवं विकास की समीक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने **28 नवंबर, 2020 को अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा किया**। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 2021 को वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से डॉक्टरों, कर्मचारियों और कोविड टीकाकरण अभियान के तहत लाभार्थियों से बातचीत की। 16 जनवरी, 2021 को टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। मंत्रालय ने जन–जन तक इस अभियान की प्रक्रिया को आसानी से समझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीआईबी द्वारा इस संबंध में विभिन्न (क्षेत्रीय) भाषाओं में कई प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने **वेबिनार, आरोग्य भारत, कोरोना जागरूकता श्रृंखला** जैसे विशेष कार्यक्रम और केंद्रीय मंत्रियों, कोविड पर नेशनल टास्क फोर्स के चेयरमैन, एम्स के निदेशक, मुख्य महामारी विशेषज्ञ, आईसीएमआर के चेयरमैन जैसे प्रख्यात व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्थाएं कीं। कोविड पर प्रधानमंत्री के वक्तव्यों, साउंट बाइट्स, संबंधित सूचनाओं, इंटरव्यू, सवाल–जवाब, ऑडियो स्पॉट्स आदि को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में जन–जन तक पहुंचाया गया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

12 मई, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान उत्पन्न संकट के मद्देनजर आपदा को अवसर में बदलने के लिए **आत्मनिर्भर भारत अभियान** की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री ने 13 से 17 मई, 2020 के बीच कई प्रेस वार्ताएं कीं जिनमें अर्थव्यस्था को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए **आर्थिक पैकेज** की बारीकियों को देश के साथ साझा किया।

पीआईबी के स्थानीय और क्षेत्रीय कार्यालयों ने प्रोत्साहन पैकेज पर चर्चा के लिए वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर के साक्षात्कार की व्यवस्था की। लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) ने मई 2020 से जून 2020 तक आत्मनिर्भर भारत अभियान को सभी हितधारकों, किसानों, प्रवासियों, मध्यम एवं छोटे दुकानदारों आदि तक पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय प्रिंट मीडिया अभियान आरम्भ किया जिसमें सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही 'न्यू इंडिया समाचार' का द्वितीय अंक (अक्टूबर, 2020) **'वोकल फॉर लोकल'** थीम पर आधारित रहा। जिसमें नागरिकों को स्थानीय उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस समाचार को **13 भाषाओं में माईजीओवी (MyGov) के माध्यम से ई–संपर्क प्लेटफॉर्म के तहत 6.47 करोड़ पाठकों तक पहुंचाया** गया। दूरदर्शन समाचार पर भी **'वोकल फॉर लोकल'** थीम पर आधारित दैनिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

डीडी न्यूज़, आकाशवाणी का राष्ट्रीय समाचार प्रभाग और इनकी स्थानीय इकाइयों पर 23 मई, 2020 को माननीय वित्त मंत्री के विशेष साक्षात्कार को दिखाया गया। इसके अलावा खास कार्यक्रम **'आज़ाद भारत–आत्मनिर्भर भारत', 'एमएसएमई–चैंपियन पोर्टल', 'आत्मनिर्भर भारत–बदलते गांव', 'रोड टू इकोनॉमिक रिवाइवल', 'डिजिटल इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत', 'इनोवेट इंडिया चैलेंज'** और साप्ताहिक अभियान **'आत्मनिर्भर भारत फॉर एग्रीकल्चर'** का प्रसारण किया गया। वित्तीय जानकारों के साथ आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर खास विश्लेषणात्मक प्रोग्राम किए गए। असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियों वाली विशेष श्रृंखला के तहत **कार्यक्रम 74@74** में 74 कहानियों को रोज़ाना प्रस्तुत किया गया। इनमें **आत्मनिर्भर भारत, महिला उद्यमिता एवं सशक्तीकरण, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग** का प्रसारण किया गया।

कृषि सुधार एवं किसानों के मुद्दे

सरकारी दूरदर्शिता की दिशा में **'एक राष्ट्र–एक बाज़ार'** के तहत किसानों के हित में 14 सितंबर, 2020 को लोकसभा में कृषि कानून को पेश किया गया। किसानों को सशक्त बनाने और कृषि उत्पादों के मुक्त व्यापार की बाधाओं को खत्म करने के साथ ही निवेशकों के साथ सीधे जुड़ने के लिए संसद के दोनों सदनों में इस कानून को पारित किया गया।

14 नवंबर, 2020 को माननीय कृषि मंत्री ने **किसान एवं कृषि कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता** पर वक्तव्य जारी किया। इसके बाद 26 नवंबर को भी उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर बयान दिए। साथ ही माननीय गृह मंत्री ने 28 नवंबर, 2020 को किसानों की मांग को लेकर विचार–विमर्श

का भरोसा दिया। नवंबर के अपने **मन की बात** कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री ने कृषि सुधारों और संभावनाओं के नए आयाम को रेखांकित किया। माननीय राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह 2020 पर माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग जगत से अपील की कि वे कृषि सहित विभिन्न क्षेत्र में अपने निवेशों को बढ़ाएं। इसके साथ ही उन्होंने 25 दिसंबर, 2020 को **पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपये की राशि** जारी की।

केंद्र सरकार ने **किसानों से अपील** की कि वे गलत धारणाओं और अफवाहों के जाल में नहीं फंसे। मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों ने किसानों तक सही सूचना पहुंचाने के लिए व्यापक प्रयास किए। नए कृषि कानून को लेकर माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री, माननीय कृषि मंत्री और नीति आयोग के सीईओ सहित कई अन्य **विशेषज्ञों ने देश के प्रमुख अख़बारों में विशेष आलेख लिखे**।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने किसानों से संबंधित कई कार्यक्रमों का प्रसारण किया। इनमें **दो टूक, जानिए कृषि कानून के लाभ** और **किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध** जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इनमें कृषि कानूनों के कारण सकारात्मक प्रभाव को दर्शाया गया था। इसके अलावा किसानों के लिए **किसान पंचायत**, कृषि मंत्री से सवाल, **नए कृषि कानून को लेकर हरियाणा के किसानों पर ग्राउंड रिपोर्ट** भी शामिल है। पर्यावरण अध्यादेश और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को लेकर भी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। इसके अलावा पंजाबी में कृषि विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार और प्रगतिशील किसानों के अनुभवों का भी प्रसारण किया गया। मध्य प्रदेश में **माननीय प्रधानमंत्री के किसान महासम्मेलन का प्रसारण** 18 क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया था।

ऐतिहासिक सुधार को रेखांकित करते हुए लोकसंपर्क एवं संचार ब्यूरो ने कई भाषाओं में **'पुटिंग फार्मर्स फस्ट'** और **'न्यू इंडिया समाचार'** का ई–संस्करण छपवाया जिसमें नए कृषि कानून को लेकर सही सूचना थी। इन पुस्तिकाओं को ई–संपर्क प्लेटफॉर्म के माध्यम से 6.4 करोड़ पाठकों को ई–मेल द्वारा भेजा गया। बीओसी ने कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख समाचार–पत्रों में कई विज्ञापन भी दिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नए कृषि कानून से संबंधित **मिथकों और वास्तविकता** को विस्तार से प्रचारित किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई, 2020 को नई शिक्षा नीति की मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य देश के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में आमूल–चूल सुधारों के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है।

माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 5 सितंबर, 2020 को मुंबई में पार्ले तिलक विद्यालय एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में **नई शिक्षा नीति 2020 को 21वीं सदी का क्रांतिकारी सुधार** बताया। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भी नई शिक्षा नीति पर 21 सितंबर, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया जिसका विषय था **नई शिक्षा नीति 2020–भारत में पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षा के भविष्य की दिशा**। इस वेबिनार में पूरे देश से कई प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।

डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर **ओपेनिंग न्यू होराइज़न्स : नेशनल एजूकेशन पॉलिसी** जैसे कार्यक्रमों में माननीय शिक्षा मंत्री और श्री टी.वी. मोहनदास के विशेष साक्षात्कारों का प्रसारण हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को *न्यू इंडिया समाचार* के पहले अंक में प्रकाशित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय लोकसंपर्क विभागों और पीआईबी की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों ने पूरे देश में **कई वेबिनार आयोजित** किए।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती

महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उनके जीवन, दर्शन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को लेकर पीआईबी और बीओसी की स्थानीय इकाइयों ने **33 वेबिनारों** का आयोजन करवाया और एक माइक्रोसाइट **Gandhi@150** बनाई। मंत्रालय की स्थानीय मीडिया इकाइयों ने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कई गतिविधियों और प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। 2 अक्टूबर, 2020 को देशभर के विभिन्न **अख़बारों में महात्मा गांधी पर विज्ञापन दिए गए** और माननीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक पत्रों में आलेख लिखे।

गांधीजी की जयंती के मौके पर डीडी न्यूज़ ने **'महात्मा के पग'** और **'महात्मा से प्रेरित'** जैसे विशेष कार्यक्रम चलाए। इसके अलावा आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने **'लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महात्मा गांधी', 'बापू की बात और वैष्णव जन ते'** जैसे कार्यक्रमों का प्रसारण किया। राष्ट्रपिता की याद में सीएफएसआई तथा फ़िल्म प्रभाग ने 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक सप्ताह लंबा कार्यक्रम **गांधी फ़िल्मोत्सव** का आयोजन किया। **2,400 से ज्यादा बच्चों ने इसका लुत्फ उठाया और 5,189 ऑनलाइन दर्शकों ने इसे रिकॉर्ड किया**। इस दौरान बच्चों के लिए कई शहरों की स्वयंसेवी संस्थाओं में विशेष फ़िल्में दिखाई गईं। इसके अलावा गांधीजी पर आधारित फ़िल्मों को www.cinemasofindia.com पर निशुल्क दिखाया गया।

लोकसंपर्क एवं संचार ब्यूरो ने महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन पर आधारित एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी **'बापू के सपनों का भारत, आज हो रहा साकार'** का आयोजन किया। इसकी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जो सोशल मीडिया पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से खूब प्रचारित हुए। गांधीजी की याद में सूचना भवन में एक चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इसके अलावा प्रकाशन विभाग द्वारा गांधीजी की 150वीं जयंती से संबंधित लोकसंपर्क गतिविधियां और किताबों का प्रकाशन जारी है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

31 अक्टूबर, 2015 को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** अभियान की शुरुआत की थी। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की यह विशिष्ट पहल है। कोविड के कारण कई बाधाओं के बावजूद सभी मीडिया इकाइयों ने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान को **डिजिटल और सोशल मीडिया पर बढ़ावा** दिया।

एक भारत, श्रेष्ठ भारत शृंखला के तहत पर्यटन मंत्रालय ने **वर्चुअल भारत पर्व** का आयोजन किया जिसमें मंत्रालय की कई मीडिया इकाइयों की भागीदारी थी। क्षेत्रीय लोकसंपर्क विभागों और क्षेत्र लोकसंपर्क विभागों ने इस अभियान के जोश को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों पर कई वेबिनार आयोजित किए।

प्रसार भारती ने इस अभियान के प्रति अपने प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए एक **वर्चुअल स्टॉल** बनाया। डीडी न्यूज़ की 31 क्षेत्रीय सूचना इकाइयों द्वारा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पर केंद्रित विशेष तथा दैनिक कार्यक्रमों को एक **शृंखला में 54 से ज्यादा धारावाहिकों** में प्रसारित किया गया। इनमें भारत के खान–पान, रहन–सहन, कला एवं संस्कृति तथा भाषाओं पर आधारित विषयों को प्रमुखता दी गई थी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने भी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' पर आधारित कई कार्यक्रम प्रसारित किए।

पीआईबी ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत के लिए समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, खान–पान और स्मारकों पर आधारित **विशेष अभियानों, वेबिनारों और वार्तालापों का आयोजन** कई क्षेत्रीय भाषाओं में कराया। इसके अलावा 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' से संबंधित **325 प्रेस रिलीज, 200 तस्वीरों और कई आलेखों का प्रकाशन** समाचार–पत्रों के प्रिंट और डिजिटल प्रारूपों में किया गया।

प्रकाशन विभाग ने इस अभियान हेतु 15 भारतीय भाषाओं में बच्चों के लिए **15 प्रेरक शीर्षकों का अनुवाद** किया। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' को आगे बढ़ाने के क्रम में *योजना* का अगस्त अंक **भारत की सांस्कृतिक विविधता** को समर्पित रहा। **डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनीमेशन फ़िल्मों** के लिए आयोजित होने वाले **16वें मुंबई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल** में सांस्कृतिक और नृत्य प्रदर्शनों के माध्यम से **'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'** का शानदार प्रदर्शन किया गया।

71वां संविधान दिवस

26 नवंबर, 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को नागरिकों में संविधान के मूल्यों के प्रसार के लिए संविधान दिवस का आयोजन किया जाता है।

26 नवंबर, 2020 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने पीआईबी द्वारा संकलित 32 लेखों के एक ई–संग्रह का अनावरण किया। ये लेख प्रख्यात हस्तियों ने लिखे थे जिनमें संविधान में निर्धारित मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्त्तव्यों पर विश्लेषण किया गया था। *योजना पत्रिका* में **संविधान के अनुच्छेदों** का उल्लेख भी किया गया था।

इस मौके पर पीआईबी ने संविधान के विभिन्न आयामों को लेकर **भारत के संविधान में निहित नागरिकों के कर्त्तव्य तथा दायित्व और भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने में संविधान की भूमिका** विषय पर बड़ी संख्या में वेबिनार आयोजित किए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने इस

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर 26 नवंबर, 2020 को ई–संग्रह के लोकार्पण पर संबोधन करते हुए।

विषय पर एक आलेख लिखा था जिसे देश के प्रमुख अख़बारों में प्रकाशित किया गया। इन सबके अलावा सोशल मीडिया पर 1.34 अरब संदेशों के साथ उस दिन **#SamvidhanDiwas** छाया रहा।

माननीय राष्ट्रपति ने गुजरात के केवड़िया जिले का दौरा किया। इस मौके पर वहां **संविधान दिवस 2020** शीर्षक से दो दिवसीय **मल्टीमीडिया प्रदर्शनी** का बीओसी द्वारा आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन 27 नवंबर, 2020 को माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने किया। इस मौके पर मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों ने इस कार्यक्रम को विशेष कवरेज

गुजरात के केवड़िया में 25 नवंबर, 2020 को लोक सभा के माननीय स्पीकर श्री ओम बिड़ला ने बीओसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया।

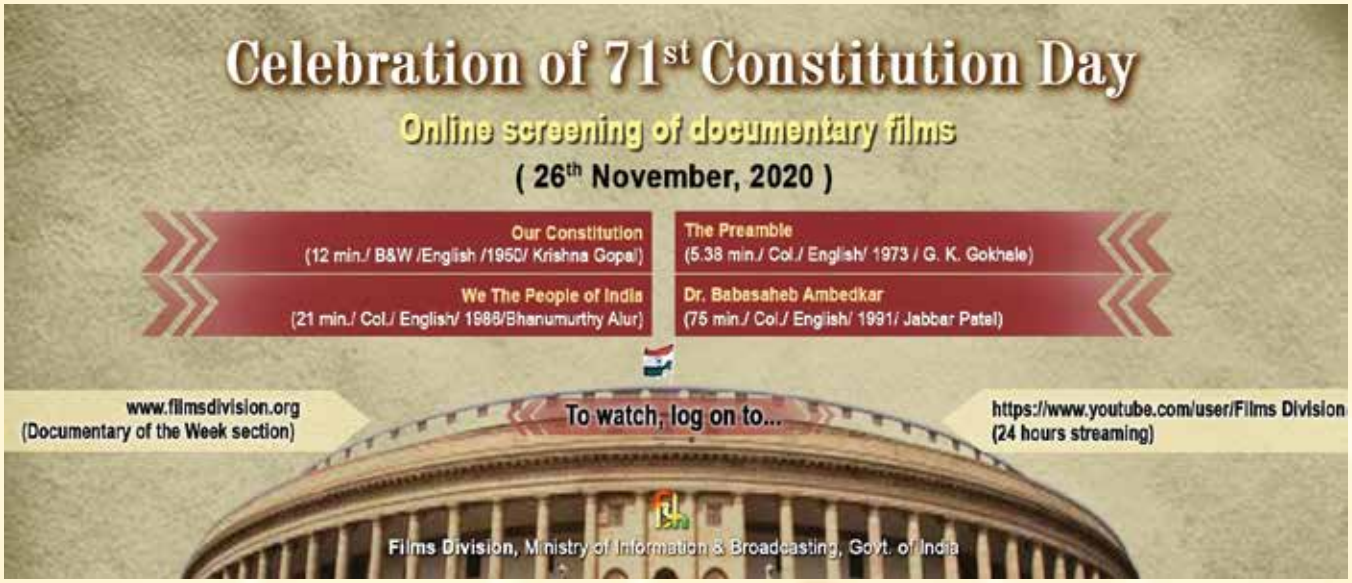

71वें संविधान दिवस के अवसर पर फ़िल्म प्रभाग द्वारा डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों की स्क्रीनिंग की गई।

दिया। फ़िल्म प्रभाग ने इस समारोह को यादगार बनाने के लिए अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर चार डॉक्यूमेंटरी फ़िल्मों की स्क्रीनिंग की।

इसी अभियान के तहत 14 अप्रैल, 2020 को भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रसार भारती ने अपने यूट्यूब चैनल पर (21 ऑडियो/वीडियो का संग्रह) **'भारत का संविधान–एक यात्रा'** नाम से एक प्लेलिस्ट को अपलोड किया। डीडी न्यूज़ पर विशेष कार्यक्रमों जैसे **'हमारा संविधान'** और **'संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका'** और एक फीचर फ़िल्म का दूरदर्शन पर प्रसारण किया गया। **'समता के पुरोधा– डॉ. भीमराव आंबेडकर'** और **'मैन बिहाइंड द ब्ल्यू सूट'** कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रसारित किए गए।

प्रकाशन विभाग ने डॉ. भीमराव आंबेडकर और भारत के संविधान से संबंधित एक विशेष अभियान को अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रचारित किया। इसी विषय पर प्रकाशन विभाग के ट्विटर अकाउंट पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। माननीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद का आलेख **'टाइम टू रिमेंबर फंडामेंटल कंस्टीट्यूशनल ड्यूटीज़'** ने कई राष्ट्रीय अख़बारों में जगह बनाई। राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम ने पंचायती राज मंत्रालय के लिए मौलिक कर्त्तव्यों/नागरिक कर्त्तव्यों पर आधारित एक गाना तैयार किया। इस गाने को न्याय विभाग के साथ शेयर किया गया।

राष्ट्रीय एकता दिवस

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर, 2020 को महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति और माननीय गृहमंत्री ने सरदार पटेल चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की। माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात के **'स्टैचू ऑफ यूनिटी' पर जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि** अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कई **विकास परियोजनाओं का उद्घाटन** किया। उन्होंने गुजरात के केवड़िया में **एकता की शपथ** ली और **एकता दिवस परेड** में भी हिस्सा लिया। माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू भवन में **सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2020** दिए। मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों द्वारा इन समारोहों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कवर किया गया।

लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो ने पूरे देश के कई अख़बारों में विज्ञापन और विवरणिका छपवाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों ने विशेष लेख छपवाए, वेबिनार, डॉक्यूमेंट्री, प्राइम टाइम शो, स्पेशल स्टोरी आदि का आयोजन एवं प्रकाशन करवाया।

जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख में विकास और सशक्तीकरण

5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू–कश्मीर राज्य को दो केंद्रीय राज्यों जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित

किया था। इस ऐतिहासिक निर्णय के परिणामस्वरूप दोनों संघशासित राज्यों में **विकास और कल्याणकारी गतिविधियों में तेज़ी** आई है। इस पुनर्गठन से दोनों राज्यों की जनता को केंद्र प्रायोजित सभी योजनाओं और कानूनों का लाभ मिलने लगा है। सरकार की विभिन्न गतिविधियां और प्रयासों को प्रचारित करने के लिए बीओसी ने एक समन्वित सोशल मीडिया अभियान की रूपरेखा और निर्माण किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों हेतु पोस्टरों, वेब बैनरों आदि को विभिन्न मीडिया इकाइयों के साथ शेयर कर एक समन्वित अभियान का संचालन किया।

डीडी न्यूज़ पर संघशासित प्रदेशों जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख से सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर ग्रांउड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एक विशेष दैनिक बुलेटिन **बदलाव की बयार** रोज़ाना प्रसारित किया गया जिसमें अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद इन प्रदेशों के विकास में आई तेज़ी को रेखांकित किया गया। इस बुलेटिन को प्रतिदिन सुबह दुबारा भी प्रसारित किया गया। परिचर्चा आधारित विशेष कार्यक्रम **कश्मीर का सच** भी प्रसारित किया गया। इन सबके अलावा डीडी न्यूज़ ने कई सकारात्मक ख़बरें की, जिन्हें सोशल मीडिया पर भी खूब प्रचारित किया गया। डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया पर पहले के जम्मू–कश्मीर राज्य और वर्तमान जम्मू–कश्मीर और लद्दाख पर आधारित एक कार्यक्रम श्रृंखला **जम्मू–कश्मीर और लद्दाख– तब और अब** प्रसारित की गई जिसमें दोनों राज्यों की जनता की आवाज़ को प्रमुखता दी गई।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने दोनों संघशासित राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट का प्रसारण किया जिसमें लोगों के सशक्तीकरण और विकास को रेखांकित किया गया। 30 जुलाई से 5 अगस्त, 2020 के बीच **जम्मू–कश्मीर और लद्दाख– तब और अब** कार्यक्रम श्रृंखला का प्रसारण किया गया। लद्दाख के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर.के. माथुर और जम्मू–कश्मीर के मुख्य सचिव श्री रोहित कंसल के विशेष साक्षात्कार भी प्रसारित किए गए।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अभियान (1 मार्च से 8 मार्च, 2020)

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए विश्व 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। यह दिन लैंगिक समानता में तेज़ी लाने के लिए आह्वान भी करता है। इसी क्रम में महिलाओं के प्रति सरकार की सामाजिक और विकासात्मक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर **सात अति महत्वपूर्ण विषयवस्तुओं** का चयन किया गया। इन विषयवस्तुओं में **महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, महिलाओं का सशक्तीकरण, कौशल विकास और आंत्रप्रेन्योरशिप, विशेष परिस्थितियां, शहरी महिलाएं और ग्रामीण तथा कृषि** को चिन्हित किया गया।

इन सातों विषयवस्तुओं पर आधारित अभियान को मंत्रालय की सभी मीडिया इकाइयों ने सोशल मीडिया पर जोर–शोर से चलाया। आकाशवाणी ने महिलाओं के लिए **विशेष वार्ता कार्यक्रमों** का आयोजन किया और **महिलाओं को केंद्र में रखकर उनके मुद्दों से संबंधित बुलेटिन का प्रसारण** किया। डीडी न्यूज़ ने महिलाओं के लिए सरकार की पहलों को केंद्र में रखकर बुलेटिन किया और उपर्युक्त विषयवस्तुओं के आधार पर सात डॉक्यूमेंटरी फ़िल्में भी दिखाईं। महिलाओं की **सफलता की कहानी** और सरकारी योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी से संबंधित विषय पर ग्राउंड रिपोर्ट का भी प्रसारण हुआ। आकाशवाणी और डीडी न्यूज़ ने केंद्रीय मंत्रियों और **उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं से विशेष इंटरव्यू** किए। इसके साथ ही 1 मार्च से 8 मार्च के बीच दूरदर्शन पर श्री संजीव कपूर का **विशेष कुकरी शो** का आयोजन किया गया।

निजी टीवी और एफएम चैनलों ने भी महिलाओं के लिए इस अभियान में बढ़–चढ़कर भागीदारी की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं और उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं पर कहानियां प्रसारित कीं। इनमें से कई चैनलों ने बीओसी द्वारा साझा किए गए महिला केंद्रित विज्ञापनों को दिखाया।

पीआईबी ने अपनी स्थानीय मीडिया इकाइयों के साथ मिलकर महिला केंद्रित मुद्दों पर गोलमेज का आयोजन किया। इस पर कई प्रेस रिलीज़ और आलेखों का प्रकाशन भी किया गया।

छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2020)

योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास वाली एक प्राचीन विधा है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, अलग–अलग रूपों में इसका अभ्यास हो रहा है और दिन–प्रतिदिन यह लोकप्रियता के शिखर पर भी पहुंच रहा है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का

उद्देश्य विश्व में योग के लाभ के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि योग सांस लेने की ऐसी तकनीक है जो कोविड–19 से लड़ने में हमारे शरीर के श्वसन तंत्र को मजबूत करती है। मीडिया इकाइयों द्वारा उनके संदेशों को व्यापक रूप से विस्तारित किया गया। माईजीओवी (MyGov) प्लेटफॉर्म पर **'माई लाइफ–माई योग प्रतियोगिता'** को प्रचारित किया गया। आम जनता में योग को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इसे प्रोत्साहित किया गया।

बीओसी के क्षेत्रीय लोकसंपर्क विभाग और क्षेत्र लोकसंपर्क विभाग द्वारा वर्चुअल योग सेशन्स का डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आयोजन किया गया और इस दौरान कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास और प्रदर्शन किया गया।

5 जून, 2020 से डीडी नेशनल पर रोज़ाना **प्रसिद्ध योग गुरुओं के योग पर प्रवचनों की एक श्रृंखला** शुरू की गई थी। 11 जून, 2020 से डीडी भारती पर रोज़ाना **कॉमन योग प्रोटोकॉल** का प्रसारण किया गया। आकाशवाणी समाचार पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें **योगा फॉर हेल्थ–योग एट होम** मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के निदेशक से साक्षात्कार भी शामिल थे। इसके अलावा आकाशवाणी और डीडी न्यूज़ ने संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

एनएफडीसी ने आयुष मंत्रालय के लिए योग पर **5 सेलीब्रेटी स्पॉट** का निर्माण किया। फ़िल्म प्रभाग द्वारा **10 डॉक्यूमेंटरी फ़िल्में** भी बनाई गईं जिन्हें **'सेलीब्रेटी स्पीक'** शीर्षक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 21 जून, 2020 को प्रचारित किया गया। एसआरएफटीआई ने भी कॉमन योग प्रोटोकॉल आधारित **योग पर 8 वीडियो** का निर्माण किया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (पीएमजीकेआरए)

माननीय प्रधानमंत्री ने कोविड–19 महामारी के मद्देनज़र गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए 20 जून, 2020 को **गरीब कल्याण रोज़गार अभियान** का शुभारंभ किया। इसका मकसद इन प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार और आजीविका के अवसरों को उपलब्ध कराना रहा। इस अभियान को मंत्रालय की सभी मीडिया इकाइयों, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचारित किया गया ताकि प्रभावित मजदूरों को योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस योजना को लेकर डीडी न्यूज़, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग तथा इसकी सभी स्थानीय इकाइयों ने विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए। लोगों में अधिक जागरूकता लाने के लिए 10 से अधिक परिचर्चाओं का आयोजन किया गया जिनमें रोज़गार सृजन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार योजना की भूमिका को रेखांकित किया गया। इस योजना के लाभार्थियों के अनुभवों को भी आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया।

सेवा सप्ताह

माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने के लिए देशभर में कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया गया था। सेवा सप्ताह की भावना के अनुरूप डीडी न्यूज़ ने एनडीए सरकार द्वारा की गई पहलों पर आधारित **सेवा परमोधर्मः** श्रृंखला के तहत विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके लिए देशभर से स्पेशल पैकेज, प्रोमो, ग्राउंड रिपोर्ट आदि का प्रसारण किया गया जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे कामों की जनता द्वारा सराहना की गई थी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने 17 से 24 सितंबर, 2020 के बीच सात विशिष्ट विषयों पर आधारित एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जिसमें एनडीए 2.0 सरकार द्वारा **जन–समर्थक, गरीब–समर्थक और किसान समर्थक उपायों** को रेखांकित किया गया था।

एनडीए 2.0 का एक साल

एनडीए 2.0 सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर **प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम एक पत्र** लिखा जिसमें सरकार द्वारा उठाए गए बड़े कदमों, उसकी उपलब्धियों और बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी गई थी। प्रधानमंत्री ने पत्र में आशा प्रकट की कि देश कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई में जीतेगा। मीडिया इकाइयों ने प्रधानमंत्री के पत्र को जन–जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक कवरेज दिया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के विभिन्न मुद्दों पर लेखों और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी तरजीह दी। डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी पर विशेष विश्लेषणात्मक कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया।

डीडी न्यूज़ ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के वक्तव्यों को दिखाया। आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में भी डीडी न्यूज़ ने विशेष कार्यक्रम चलाए। इसके अलावा डीडी न्यूज़ ने कई सकारात्मक न्यूज़ स्टोरी की जिसे

व्यापक रूप से सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया।

माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के मार्गदर्शन में बीओसी ने **मोदी सरकार 2.0 का 'एक साल–भारत आत्मनिर्भरता की ओर'** शीर्षक से एक पुस्तिका का प्रकाशन किया। इस पुस्तिका को सरकार की सभी प्रमुख वेबसाइटों पर अपलोड किया गया। इसके साथ **एनडीए 2.0 द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी को जन–जन तक पहुंचाने** के लिए लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) ने 50 दिन, 75 दिन और 100 दिन पूरे होने पर **ई–पुस्तिका** और प्रिंट पुस्तिका निकाली। बाद में सरकार के छह महीने पूरे होने पर भी इसी तरह की पुस्तिका का प्रकाशन किया गया।

अन्य प्रमुख पहलें

- कई दौर की **भारत–चीन सैन्य स्तरीय वार्ता** को दूरदर्शन और आकाशवाणी ने व्यापक कवरेज दिया। इस मुद्दे पर आधारित कई स्पेशल कार्यक्रमों और न्यूज़ बुलेटिन को प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने एलएसी से लगी पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत–चीन के बीच लगातार तनाव से संबंधित विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग, भारतीय सेना के वक्तव्यों, सीमा पर मंत्रियों एवं आर्मी स्टाफ के चीफ़ के दौरे का निरंतर प्रसारण किया। 3 जुलाई, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री ने लेह–लद्दाख में सेना को संबोधित किया था। दूरदर्शन, आकाशवाणी और इनकी स्थानीय इकाइयों ने प्रधानमंत्री के इस संबोधन का व्यापक कवरेज और सीधा प्रसारण किया। प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में भारतीय सेना के वीर जवानों के पराक्रम की प्रशंसा की और भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए लद्दाख के लोगों के योगदान को याद किया। इन मुद्दों पर **विशेष कार्यक्रमों** और लद्दाख के नागरिकों की प्रतिक्रिया को व्यापक कवरेज दिया गया।
- 19 नवंबर, 2020 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपतित्व काल के तीसरे साल पर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने **द रिपब्लिकन एथिक (वॉल्यूम–III) और लोकतंत्र के स्वर (खंड–III)** पुस्तक के ई–संस्करण का विमोचन किया। यह पुस्तक जुलाई 2019 से जुलाई 2020 के बीच राष्ट्रपति

नई दिल्ली में 19 नवंबर, 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के भाषणों के तीसरे संस्करण 'लोकतंत्र के स्वर' और 'द रिपब्लिक एथिक' का विमोचन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर की उपस्थिति में करते हुए।

द्वारा दिए गए 57 प्रमुख भाषणों और **कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई में देश के योगदान पर दिए गए भाषणों का संकलन** है। इस पुस्तक के प्रिंट संस्करण का अनावरण माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था।

- श्री गुरु नानक देव के 551वें प्रकाश पर्व के मौके पर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 30 नवंबर, 2020 को **'पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख्स'** पुस्तिका का विमोचन किया। बीओसी ने इस पुस्तिका को हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में छपवाया और वितरित किया।

- 16 जनवरी से 24 जनवरी, 2021 के बीच पणजी में भारत का अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (इफ्फी) के 51वें संस्करण का शुभारंभ हुआ। इस बार यह समारोह मिश्रित तरीके (यानी आभासी और प्रत्यक्ष) से मनाया गया। समारोह का उद्घाटन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा गोवा के मुख्यमंत्री ने किया। समारोह का आयोजन **फ़िल्म समारोह निदेशालय** ने किया था। उद्घाटन समारोह में फ़िल्म निर्माता प्रियदर्शन नायर और अभिनेता श्री किच्चा सुदीप की गरिमामय उपस्थिति रही जबकि फ़िल्मी हस्तियों ने वीडियो संदेशों के जरिए समारोह में शिरकत की। समापन

16 जनवरी, 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर गोवा में 51वें इफ्फी समारोह के शुभारंभ में एनएफडीसी फ़िल्म बाज़ार के 14वें संस्करण का अनावरण करते हुए। इस अवसर पर अभिनेता श्री किच्चा सुदीप एवं गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत भी उपस्थित रहे।

समारोह में वयोवृद्ध फ़िल्म अभिनेत्री सुश्री जीनत अमान और सांसद तथा अभिनेता श्री रवि किशन सम्मानित अतिथि थे।

- इस साल **इफ्फी में 60 देशों की 200 प्रशंसित फ़िल्मों** का प्रदर्शन हुआ जिनमें **बांग्लादेश को मुख्य फोकस देश का दर्जा** मिला। इस समारोह में 3,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों और फ़िल्म प्रेमियों ने प्रत्यक्ष भाग लिया जबकि हजारों प्रतिनिधि वर्चुअल तरीके से उपस्थित हुए। वयोवृद्ध अभिनेता और निर्देशक श्री **विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड** से सम्मानित किया गया जबकि इटली के सिनेमेटोग्राफर **श्री वितोरियो स्तोरारो को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड** दिया गया। इस अवसर पर **सत्यजित रे के जन्मशताब्दी समारोह** और **दादा साहब फाल्के की 150वीं जयंती** पर उन दोनों को विशेष श्रद्धांजलि दी गई। इंडियन पवेलियन वेबसाइट पर सत्यजित रे के कामों पर विशेष उत्सव का आयोजन किया गया था। **23 जनवरी, 2021 को पराक्रम दिवस के अवसर पर** श्री श्याम बेनेगल की फ़िल्म **'नेताजी सुभाष चंद्र बोसः द फॉरगॉटेन हीरो' की स्क्रीनिंग** की गई। फ़िल्म प्रभाग ने इसी दिन अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर दो डॉक्यूमेंटरी फ़िल्मों **'द फ्लेम बर्न्स ब्राइट'** और **'नेताजी'** की स्क्रीनिंग की।

■ ■ ■

फ़िल्म निर्माता श्री राजकुमार हिरानी ने कॉफी टेबल बुक 'बीइंग एफटीआईआई : परस्पेक्टिब्ज़ ऑन द फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का 24 मार्च, 2021 को मुंबई में विमोचन किया। इस अवसर पर एफटीआईआई के पूर्व छात्र और निर्माता–निर्देशक श्री बी.पी. सिंह, निर्देशक श्री श्रीराम राघवन, ध्वनि निर्माता श्री बिश्वदीप चटर्जी और एफटीआईआई निदेशक श्री भूपेंद्र कैंथोला भी उपस्थित रहे।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री बिमल जुल्का 2 जून, 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को 'रैशनलाइजेशन/मर्जर/क्लोजर ऑफ फ़िल्म यूनिट्स' एवं 'रिव्यू ऑफ ऑटोनॉमस बाडीज़' पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सौंपते हुए।

3 मंत्रालय की नई पहल

- केंद्र सरकार ने 9 नवंबर, 2020 को जारी एक अधिसूचना के द्वारा **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 'अलोकेशन ऑफ बिज़नेस रूल्स, 1961' में संशोधन के द्वारा ऑनलाइन/डिजिटल मीडिया के देखरेख** का अधिकार प्रदान कर दिया। डिजिटल मीडिया विशेषकर डिजिटल न्यूज़ और ओटीटी प्लेटफार्म के लिए निर्मित ऑनलाइन सामग्री के संबंध में संस्थागत तंत्र के न होने को लेकर बढ़ती चिंताओं, शिकायत निवारण तंत्र के अभाव और अन्य पारंपरिक मीडिया प्लेटफार्म के साथ काम करने का समान अवसर देने के लिए केंद्र सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचना के माध्यम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम, 2021 को अधिसूचित किया। इस नियम का तीसरा भाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल न्यूज़ और ओटीटी प्लेटफार्म हेतु ऑनलाइन सामग्री के प्रकाशकों को जारी किया जाएगा। यह नियम प्रकाशकों को इसके द्वारा लागू कोड ऑफ एथिक्स से सहमति, त्रि–स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र और उनके द्वारा सरकार को वांछित जानकारी प्रदान करने का प्रबंध करता है।

- केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 23 दिसंबर, 2020 को **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करने वाली चार मीडिया इकाइयों, फ़िल्म प्रभाग, फ़िल्म समारोह निदेशालय, राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय और बाल फ़िल्म सोसाइटी को राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी)** में मिलाकर पूरी आधारभूत संरचना, मानव बल और अन्य संसाधनों को युक्तिसंगत बनाते हुए इनके विलय की मंजूरी प्रदान की। इससे मीडिया की प्रत्येक इकाई की कार्यकुशलता और तालमेल सुनिश्चित होगा। ऐसा करने से विभिन्न तरह की गतिविधियों के दोहराव में कमी आएगी और सरकारी खजाने की सीधे बचत होगी।

- कोविड से संबंधित सूचनाओं को प्रसारित करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 1 अप्रैल, 2020 में एक समर्पित **ट्विटर हैंडल @COVIDNewsByMIB (#IndiaFightsCorona)** बनाया।

- माननीय उच्चतम न्यायालय के जनसामान्य को कोविड से जुड़ी सटीक एवं सही जानकारी प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश के उपरांत पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने 2 अप्रैल, 2020 एक **'कोविड–19 फैक्ट चेक यूनिट'** की शुरुआत की। यह इकाई उपलब्ध सूचनाओं को सरकारी स्रोतों से सत्यापित करके भ्रामक जानकारियों का खंडन करती है।

- जनवरी 2020 में लोक संपर्क और संचार ब्यूरो ने एक अभियान **'हर एक काम देश के नाम'** की शुरुआत की। यह सरकार की एक लोक कल्याणकारी पहल है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध करना है। इस अभियान को व्यापक रूप से निष्पादित करने के लिए देशभर के 715 जिलों में 16,000 प्रमुख स्थलों को कवर किया गया। इस अभियान की प्रमुख विषयवस्तुओं में अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवा, मध्यम वर्ग, निर्णायक फैसलों, डिजीटल इंडिया और उभरते भारत को शामिल किया गया था।

- डीडी न्यूज़ ने मई 2020 से देश के बड़े शहरों के तापमान और मौसम की स्थिति के आरेखीय प्रतिनिधित्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए **विशेष मौसम बुलेटिन** की शुरुआत की। इन शहरों में मुजफ्फराबाद, गिलगित और मीरपुर को भी शामिल किया गया है। डीडी किसान भी मौसम को **समर्पित व्यापक कार्यक्रमों** का दैनिक प्रसारण कर रहा है जिसमें **विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के लिए सलाह,** मौसमी फसलों की खेती के लिए क्या करें क्या न करें और कृषि विशेषज्ञों से बातचीत शामिल है।

- आरएनआई ने समाचार–पत्रों एवं अन्य प्रकाशकीय सामग्री के पंजीयन और शीर्षक सत्यापन को सुगम बनाने हेतु **'ऑटोमेशन सुविधा'** आरंभ की है। इससे अब कोई भी व्यक्ति/भावी प्रकाशक उपलब्ध शीर्षक डाटा बेस का उपयोग कर सकता है। यह परियोजना अगस्त 2020 में प्रारंभ हुई थी और अब तक इसने शीर्षक सत्यापन; 'प्रेस इन इंडिया' रिपोर्ट बनाना, जुर्माना भरने के चालान का निरीक्षण, भारतकोश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतन की रसीदें देना और वार्षिक स्टेटमेंट्स फाईल करने एवं उसकी सेक्योरिटी ऑडिट मोड्यूल्स पूरे कर लिए।

- राज्य को समर्पित **24 घंटे वाले चैनल दूरदर्शन असम** का उद्घाटन माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा 4 अगस्त, 2020 को नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

- भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारियों को प्रसारित करने के लिए पाक्षिक पत्रिका **'न्यू इंडिया समाचार पत्र'** की शुरुआत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा अगस्त 2020 में की गई। इस पाक्षिक पत्रिका का मुद्रण **13 भाषाओं** में किया जा रहा है। इस पाक्षिक पत्रिका को माईजीओवी (MyGov) के ई–संपर्क प्लेटफॉर्म के माध्यम से 6.47 करोड़ पाठकों तक भेजा जा रहा है।

- **दूरदर्शन के 11 क्षेत्रीय केंद्रों**–शिमला, हिसार, रायपुर, रांची, देहरादून, आइजॉल, शिलॉन्ग, कोहिमा, अगरतला, इंफाल और पणजी को **डीडी–फ्री डिश में रखा गया है**। इस प्रकार इन चैनलों को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए उपग्रह समर्थन प्रदान किया गया है।

- ऑल इंडिया रेडियो के सामाचार सेवा प्रभाग ने पहली बार साप्ताहिक समाचार पत्रिका **संस्कृत साप्ताहिकी** का विमोचन किया। इसके अलावा 92 भाषाओं/बोलियों में स्थानीय समाचार/प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही एआईआर ने 02 सितंबर, 2020 को रोजगार के अवसरों पर 10 मिनट के ***रोज़गार समाचार*** के प्रसारण और 03 सितंबर, 2020 को 30 मिनट के उत्तर–पूर्व डायरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

- बिहार में 10 सितंबर, 2020 को किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए तथा मछली पालन एवं मवेशी पालन जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने **ई–गोपाला ऐप** का शुभारंभ किया जिसका डीडी न्यूज़ ने सीधा प्रसारण किया।

- प्रसार भारती ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू–सूचना केंद्र, (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के साथ 04 नवंबर, 2020 को एक **समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन के तहत **51 डीटीएच शैक्षिक टीवी चैनल अब दूरदर्शन को ब्रॉन्डेड चैनलों के रूप में दर्शकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगे।**

- **भारत और बांग्लादेश के बीच 14 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।** इन प्रमुख समझौतों में 'बंगबंधु' शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर आधारित बायोपिक का सह–निर्माण भी शामिल है। इस बायोपिक को बंगबंधु के

17 दिसंबर, 2020 को हुए भारत–बांग्लादेश वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना।

जन्मशती वर्ष के अवसर पर बांग्लादेश में रेडियो बेतार तथा भारत में प्रसार भारती पर रिलीज किया जाएगा। इसी दिन भारत और बांग्लादेश के बीच एयरटाइम एक्सचेंज आदान–प्रदान कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया जाएगा।

- भारत और बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्रियों ने 17 दिसंबर, 2020 को **भारत–बांग्लादेश वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन** के दौरान **'बंग बंधु–बापू डिजिटल प्रदर्शनी'** का उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने बांग्लादेश को आश्वस्त किया कि जब भी भारत में वैक्सीन का उत्पादन होगा, इसे बांग्लादेश को उपलब्ध कराया जाएगा। **बांग्लादेश मुक्ति के 50 वर्ष** पूरे होने के उपलक्ष्य में डीडी न्यूज़ द्वारा विशेष कार्यक्रम **'स्वर्णिम विजय वर्ष'** का निर्माण किया गया। इसके साथ ही एनएसडी द्वारा **'विजय दिवस स्मरण'** कार्यक्रम दिसंबर 2020 में पेश किए गए। 16 जनवरी, 2021 से 24 जनवरी, 2021 के बीच गोवा में चलने वाले **भारत के 51वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव** में बांग्लादेश को इस बार **फोकस देश** के रूप में रखा गया था।

- माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर, 2020 को **भारत में डायरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) प्रसारण सेवा प्रदान करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिशा–निर्देशों का पुनरीक्षण किया।** डीटीएच सेवा के लिए लाइसेंस अब 20 वर्षों के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा इसका नवीनीकरण हर 10 साल में किया जाएगा। मंत्रालय ने इस संबंध में 30 दिसंबर, 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी।

- माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 8 जनवरी, 2021 को **भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप 2021** का विमोचन किया। भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर प्रधानमंत्री की 'डिजिटल इंडिया' की परिकल्पना की तर्ज़ पर लोक संपर्क और संचार ब्यूरो ने विकसित किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए पूरे विश्व में उपलब्ध है। यह ऐप फिलहाल हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में है लेकिन जल्द ही यह 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा और इसे दिव्यांगजनों के लिए भी सुलभ बनाया जाएगा।

- प्रकाशन विभाग ने अपनी पत्रिकाओं *(योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती)* की बिक्री एवं सूचीकरण के लिए नई शुरुआत की है। इसके तहत इन पत्रिकाओं को डीआरएम सुरक्षा के साथ डिजिटल प्रारूप में ऑनलाइन पोर्टल– अमेजन, किंडल, गूगल प्ले और गूगल बुक्स पर उपलब्ध कराया गया है। इस पहल के तहत प्रकाशन विभाग ने 14 ऐसी पत्रिकाओं को ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध कराया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, नई दिल्ली में 8 जनवरी, 2021 को भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर एवं डायरी ऐप का विमोचन करते हुए। साथ में सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्री अमित खरे भी उपस्थित रहे।

4 सूचना क्षेत्र

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों तथा उपलब्धियों की **सूचना के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर प्रसार के लिए** भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह **सरकार और मीडिया के बीच सेतु का काम** करता है। साथ ही सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया में प्रतिबिम्बित हो रही जनता की प्रतिक्रियाओं के बारे में सरकार को सूचित करता है। नई दिल्ली में अपने मुख्यालय सहित पीआईबी के **19 क्षेत्रीय कार्यालय** और एक सूचना केंद्र सहित **17 शाखा कार्यालय** हैं।

भारत की जनता को शिक्षित और सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ पीआईबी विभिन्न माध्यमों जैसे– प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस नोट्स, फीचर लेखों, पृष्ठभूमि, प्रेस ब्रीफिंग्स, साक्षात्कारों, संवाददाता सम्मेलनों, प्रेस दौरों और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का प्रसार करता है। सूचना अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के साथ–साथ 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की जाती है, जो देशभर के अख़बारों और मीडिया संगठनों तक पहुंचती है।

पीआईबी की सूचना के प्रसार से संबंधित गतिविधियां

- **मंत्रालय/विभाग वार सूचना का प्रसार** : पीआईबी के अधिकारी एक मंत्रालय/विभाग से संबद्ध होते हैं और मंत्रालय/विभाग की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया को देते हैं, सूचना का प्रसार करते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण देते हैं या गलतफहमियां दूर करते हैं। पीआईबी अधिकारी मीडिया के संपादकीयों, लेखों तथा टिप्पणियों में व्यक्त जन प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं और मंत्रालय विभाग को लोगों की प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते हैं तथा मीडिया तथा सूचना शिक्षा संचार कार्यनीति के बारे में सलाह देते हैं।
- **क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा सूचना के प्रसार संबंधी गतिविधियां** : पीआईबी के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय के अधिकारी मुख्यालय द्वारा जारी की जा रही सूचना का प्रसार करने के अलावा अपने–अपने क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालयों या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयोजित किसी भी महत्वपूर्ण आयोजन की कवरेज सुनिश्चित करते हैं। ये कार्यालय किसी क्षेत्र विशेष के लिए महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को भी प्रमुखता से प्रचारित करते हैं पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय एक क्षेत्र/राज्य में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के आधिकारिक दौरों की मीडिया कवरेज में सहायता प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना के प्रसार में एक अहम भूमिका निभाते हैं।

मीडिया उत्पाद/सेवा/माध्यम	31 मार्च, 2021 तक संख्या
प्रेस विज्ञप्तियां	31,349
फोटो/ग्राफ/इंफोग्राफिक्स	5,730
मीडिया निमंत्रण	334
संवाददाता सम्मेलन	191
राष्ट्रव्यापी मीडिया फीडबैक	दैनिक
विशिष्ट विषयों पर विश्लेषणात्मक मीडिया रिपोर्ट	दैनिक/साप्ताहिक
प्रेस प्रत्यायन कार्ड जारी	2,781
अख़बारों में लेख	570 लेख (लगभग) 6,900 अख़बारों में 28 फरवरी, 2021 तक प्रकाशित

प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए प्रचार और मीडिया समर्थन देने के लिए पीआईबी की एक समर्पित इकाई है। यह इकाई माननीय राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिवालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) का भी प्रचार देखती है।

सोशल मीडिया प्रकोष्ठ

भारत और वैश्विक स्तर पर निरंतर बढ़ती जा रही ऑनलाइन नागरिकों की संख्या, विशेष तौर पर 35 साल से कम आयु के युवाओं को साथ जोड़ने और उनसे सम्पर्क

बनाए रखने के लिए पीआईबी ने सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में पिछले पांच वर्षों में सोशल मीडिया को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। सोशल मीडिया पर पीआईबी की प्रभावशाली उपस्थिति का मीडिया में पत्रकारों और जनता द्वारा सकारात्मक रूप से संज्ञान लिया गया है। सरकार की आधिकारिक तस्वीरें, वीडियो और प्रेस विज्ञप्तियां विविध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर वास्तविक समय के आधार पर साझा की जाती हैं। इनके अलावा, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग फेसबुक, ट्विटर और पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर लाइव–ट्वीट और लाइव–स्ट्रीम किए जाते हैं। समाचार साझा करने के अलावा, पीआईबी द्वारा सुशासन के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैशटैग का उपयोग करके **सरकारी नीतियों और कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाने और नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया जागरूकता और सूचना प्रसार अभियान का संचालन** किया जाता है।

31 मार्च, 2021 तक के मैट्रिक्स का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है :

- **ट्विटर :** पीआईबी के अंग्रेजी **ट्विटर हैंडल @PIB_India** को फॉलो करने वालों की **संख्या 2.2 मिलियन** से ज्यादा है और इसमें हर महीने औसतन 36 हजार फॉलोअर्स की वृद्धि हो रही है। पीआईबी तेज़ी के साथ नई विषयवस्तु तथा प्रस्तुतीकरण के नए रूपों को अपना रहा है। नागरिकों तक पहुंचने और उन्हें साथ जोड़ने के लिए पीआईबी ट्विटर वीडियो, जिफ्स, सर्वेक्षणों, **ट्विटर मोमेंट्स** और **पेरिस्कोप लाइव** जैसे उपायों को अपना रहा है, जिसकी परिणति प्रतिमाह 34 मिलियन इम्प्रेशन्स में हो रही है। **@PIBHindi हैंडल के 226.8 हजार से ज्यादा फॉलोअर** हैं और इसमें हर महीने औसतन 6,000 फॉलोअर की वृद्धि हो जाती है। यह केंद्र सरकार के कुछ विशिष्ट हिंदी ट्विटर अकाउंट्स में से एक है।

- **फेसबुक :** वर्तमान वर्ष में **पीआईबी के फेसबुक पेज के प्रशंसक आधार में महत्वपूर्ण वृद्धि** हुई है। 31 मार्च, 2021 तक लाइक्स की संख्या लगभग 449 हजार थी। यह संवाद और संपर्क के सृजनात्मक तरीकों को अपनाने से हुआ है।

- **यूट्यूब :** **पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर 5,804 से अधिक वीडियो और 150 मिलियन व्यूज सहित 1.33 मिलियन सब्सक्राइबर** हैं। पीआईबी, नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलनों और अन्य आयोजनों के अतिरिक्त दिल्ली से बाहर होने वाले आयोजनों जैसे– प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों, विशेष सरकारी कार्यक्रमों आदि को भी अब चैनल पर लाइव दिखाया जाता है।

- **इंस्टाग्राम :** आकर्षक ऑफ–बीट आधिकारिक फोटो, लघु वीडियो, जिफ्स और इंस्टाग्राम स्टोरी पीआईबी इंस्टाग्राम पर प्रकाशित किए गए हैं। दिसम्बर, 2020 के आखिर तक **पीआईबी इंस्टाग्राम के 785 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स** हो चुके थे और यह वर्तमान में इस प्लेटफार्म पर सरकार के सबसे बड़े अकाउंट्स में से एक है।

इस साल की गई कुछ नई पहलें इस प्रकार हैं :

- **फेक न्यूज़ अलर्ट :** सरकार की योजनाओं और गतिविधियों से जुड़ी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के बारे में जनमानस को अलर्ट तथा गृह मंत्रालय के लिए विशेष फेक न्यूज़ रिपोर्ट। 31 मार्च, 2021 तक 370 फेक न्यूज़ का खंडन किया।

- **इन–हाउस निर्माण :** विभिन्न मंत्रालयों के विविध कार्यक्रमों के विशेष वीडियो, जिफ्स और इमेज।

- **मीम आधारित मतदाता जागरूकता अभियान:** मतदाताओं को मताधिकार के लिए प्रेरित करने के लिए बॉलीवुड के संवादों पर आधारित नवोन्मेषी, परिहासपूर्ण मीम्स।

- **आगामी कार्यक्रमों के प्रोमो पोस्ट करना :** पीआईबी के आगामी कार्यक्रमों के लिए विज्ञापन।

पीआईबी फैक्ट चेक इकाई

पीआईबी द्वारा फैक्ट चेक इकाई (दिसंबर 2019 में पायलट आधार पर स्थापित) का गठन विभिन्न मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से न्यूज़ मीडिया के विविध माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर तथ्यात्मक रूप से गलत/मनगढंत ख़बरों और सूचना के प्रचार एवं प्रसार पर नजर रखने और उन पर रोक लगाने के लिए किया गया था। पीआईबी फैक्ट चेक इकाई का उद्देश्य विविध मीडिया प्लेटफार्म्स पर प्रसारित हो रही किसी भी ख़बर के आधिकारिक/प्रामाणिक विवरण उपलब्ध कराते हुए जनसामान्य के बीच तथ्यात्मक रूप से सही सूचना उपलब्ध कराना है। यह इकाई स्वतः संज्ञान या अपने विभिन्न इनपुट माध्यमों के संदर्भ से फेक न्यूज़ को चिह्नित करती है। पीआईबी फैक्ट चेक ने दिसंबर, 2019 के बाद से लगभग 400 फेक न्यूज़ का भंडाफोड़ किया है।

- **ट्विटर** : **@PIBFactCheck** के एक लाख सत्तर हज़ार फॉलोअर हैं और इसमें हर महीने औसतन 13 हजार फॉलोअर्स की वृद्धि होती है। पीआईबी फैक्ट चेक नई विषय–वस्तु तथा प्रस्तुतीकरण के नए प्रारूपों जैसे– जिफ्स, सर्वेक्षणों, जागरूकता फैलाने वाले पोस्ट्स, मोमेंट मार्केटिंग और अभियान जैसे उपायों को अपना रहा है, जिसकी परिणति प्रतिमाह 3.6 मिलियन इम्प्रेशन्स में हो रही है।

- **फेसबुक** : फेसबुक पर **पीआईबी फैक्ट चैक के 34,223 लाइक्स हैं**।

- **इंस्टाग्राम** : पीआईबी फैक्ट चेक इंस्टाग्राम पर स्टोरीज को अपने प्लेटफार्म्स की पहुंच बढ़ाने के लिए क्रॉस–प्रमोशन के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है। दिसम्बर, 2020 के आखिर तक पीआईबी इंस्टाग्राम के **50 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स** हो चुके थे।

इस वर्ष की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

- **अभियान** : दीपावली के आस–पास हैशटैग **#BustFakeNews** न्यूज़ के साथ सप्ताहभर का अभियान चलाया गया। इस अभियान को व्यापक मीडिया कवरेज प्रदान की गई। विषयवस्तु के प्रारूप में इंफोग्राफिक्स और वीडियो शामिल थे।

- **सर्वेक्षण** : जागरूकता फैलाने के लिए फेक न्यूज़ के बारे में सर्वेक्षण कराए गए।

- **क्विज** : जब पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्विटर पर 3 महीने पूरे किए, तब फैक्ट चेक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक क्विज का आयोजन किया गया।

- **मोमेंट मार्केटिंग** : पहुंच को व्यापक बनाने के लिए यह सोशल मीडिया का अभिन्न अंग है, इसलिए फेक न्यूज़ के बारे में #Monoliths, #25yearsofDDLJ, मीम्स तैयार किए गए।

- **प्रोमोशनल पोस्ट्स** : लोगों को फैक्ट चेक के महत्व के बारे में निरंतर याद दिलाने की जरूरत है और ऐसा करने के लिए साप्ताहिक प्रोमोशनल पोस्ट साझा की गई।

चुनावों के दौरान सूचना का प्रसार

पीआईबी, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) तथा मीडिया कर्मियों के बीच सेतु का काम करता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद ईसीआई अधिकारियों द्वारा मीडिया ब्रीफिंग्स आयोजित की जाती हैं। वर्ष के दौरान दिल्ली और बिहार की विधान सभाओं, राज्य सभा सीटों आदि के लिए चुनाव कराए गए। विधान सभा चुनावों, उपचुनावों और राज्य सभा चुनावों से संबंधित विवरणों के प्रसार के लिए **बैकग्राउंडर (पृष्ठभूमि), फैक्टशीट, ट्विटर पोस्ट, ग्राफिक्स** जारी किए गए।

इसके अतिरिक्त, मीडियाकर्मियों के प्रश्नों के उत्तर वास्तविक समय में दिए गए, विशिष्ट साक्षात्कारों और लेखों का भी नियमित आधार पर समायोजन किया गया। राज्य विधान सभाओं के चुनावों के दौरान, मतदान और मतगणना प्रक्रिया की कवरेज में सहायता के लिए नई दिल्ली आधारित राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया के प्रतिनिधियों को पीआईबी ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत पत्र जारी किए। मतगणना के दिन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और ऐप से मिल रहे मतगणना के डेटा का अनुसरण कर रुझान/परिणाम भी वेबसाइट और ट्विटर के माध्यम से वास्तविक समय में साझा किए गए। इसके अलावा प्रेस ब्रीफिंग्स का भी आयोजन किया जाता है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के न्यूज़रूम्स के साथ प्राथमिकता के आधार पर त्वरित रूप से डेटा साझा करने के लिए समन्वय किया गया।

कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ चुनाव कराने और खर्च सीमा की पुनः जांच, पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि, प्रचार के लिए समय सीमा जैसे सुधारों के अनुभव को साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वेबिनारों में ईसीआई की भागीदारी के बारे में सूचना तथा प्रथम निर्वाचन आयुक्त की याद में आयोजित प्रथम

सुकुमार सेन व्याख्यान, ईसीआई को फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया (एफईएमबीओएसए) की अध्यक्षता मिलने का व्यापक रूप से प्रचार किया गया।

फीडबैक इकाई

यह इकाई सरकार को उसकी पहलों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में दैनिक क्षेत्रीय मीडिया डाइजेस्ट व प्रेस क्लिपिंग्स, विशेष कार्यक्रमों के बारे में मीडिया डाइजेस्ट व प्रेस क्लिपिंग्स और दैनिक अंतरराष्ट्रीय मीडिया डाइजेस्ट सहित विविध फीडबैक उत्पादों के द्वारा लोगों की धारणाओं से दैनिक आधार पर अवगत कराती है। क्षेत्रीय मीडिया डाइजेस्ट देशभर में 35 क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा 19 भाषाओं में 400 समाचार–पत्रों की जांच के माध्यम से तैयार किया जाता है। 1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2020 तक, प्रधानमंत्री कार्यालय और विभिन्न मंत्रालयों के मीडिया प्रबंधन के लिए प्रभारी अधिकारियों को लगभग **151 डाइजेस्ट** और **30 से अधिक विशेष डाइजेस्ट** तथा **लगभग 2,140 एसएमएस अलर्ट/ईमेल** भेजे गए।

प्रत्यायन प्रणाली

पीआईबी मीडियाकर्मियों को प्रत्यायन की सुविधा भी प्रदान करता है, ताकि सरकारी स्रोतों से सूचना पाने में सुगमता हो। पत्र सूचना कार्यालय के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में विदेशी मीडिया के सदस्यों सहित मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस मान्यता प्रदान की जाती है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले पत्रकारों के लिए 01.04.2020 से 15.12.2020 तक लगभग **133 नए मान्यता कार्ड** जारी किए गए।

पत्रकार कल्याण योजना

यह योजना पत्रकारों (और उनके परिवारों) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, जो गंभीर बीमारी या पत्रकार की मृत्यु के कारण गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं। **पत्रकार कल्याण योजना अविलंब आधार पर एक बार अनुग्रह सहायता भी प्रदान करती है**। कोविड–19 के कारण दिवंगत हुए पत्रकारों के परिवारों को एक विशेष अभियान के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की समिति ने 1.95 करोड़ रुपये के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया, जो बीते 10 माह के दौरान कोविड–19 के कारण दुर्भाग्यवश दिवंगत हुए पत्रकारों के 38 परिवारजनों में से प्रत्येक को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने के लिए था। इस उद्देश्य के लिए, परिवारों तक तेज़ी से स्वीकृत राशि की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोष रखा गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान समिति ने योजना के तहत 24 पत्रकारों के संबंध में कुल 1 करोड़ रुपये की धनराशि के संवितरण की अनुशंसा की। हालांकि, कोविड–19 के कारण बड़ी संख्या में हुई मृत्यु को देखते हुए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कोविड–19 के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के पहले चरण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने 15 फरवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में ऐसे 38 परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की अनुशंसा की, जिसमें 1.95 करोड़ रुपये का संवितरण शामिल रहा।

2020–21 के दौरान पहल

- पीआईबी ने फैक्ट चेक इकाई के अंतर्गत एक समर्पित कोविड **फैक्ट चेक प्रकोष्ठ** का गठन किया। ताकि कम समय में प्रश्नों का उत्तर देते हुए किसी प्रकार की गलत सूचना को फैलने से रोका जा सके।
- पीआईबी ने प्रेस विज्ञप्तियों, प्रधानमंत्री के भाषणों, विभिन्न विषयों पर आधारित पुस्तिकाओं, न्यू इंडिया समाचार जैसी सूचना सामग्री का हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की अपनी क्षमता में वृद्धि की है।
- पीआईबी ने विविध विषयों पर माईजीओवी इंफोग्राफिक्स के अनुवाद के माध्यम से माईजीओवी के साथ साझेदारी की है। इन इंफोग्राफिक्स का उपयोग पीआईबी और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण संदेशों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए किया जाता है।
- पीआईबी ने वर्ष के दौरान वेबिनारों को आयोजित करने की अपनी क्षमता बढ़ाई है, क्योंकि कोविड–19 के दौर में वेबिनार संचार का महत्वपूर्ण साधन बन कर उभरे हैं। 30 नवंबर, 2020 तक पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न विषयों पर एक हजार से ज्यादा वेबिनारों का आयोजन कर चुके थे।

2020–21 के दौरान पीआईबी द्वारा संचालित बड़ी गतिविधियां

- **जल जीवन मिशन** : जल जीवन मिशन (जेजेएम) सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 2024 तक देश के समस्त ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
- वर्ष के दौरान, पीआईबी ने इस मौन क्रांति और जीवन बदलने वाले इस अभियान के माध्यम से गांवों में हो रहे

क्रमिक बदलाव को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पर्याप्त कवरेज उपलब्ध करायी। हाल ही में सम्पन्न जेजेएम की मध्यावधि समीक्षा को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया में व्यापक पैमाने पर प्रचारित किया गया।

- इसके अलावा, पीआईबी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से मिल रही बदलाव की सफल गाथाएं साझा कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 29 सितंबर, 2020 के एक पत्र के जरिए सभी सरपंचों/ग्राम प्रधानों से 'जल जीवन मिशन' के प्रभावी कार्यान्वयन की बात की। प्रधानमंत्री ने 'मार्गदर्शिका' भी जारी की और 'जल जीवन मिशन' के लोगो का अनावरण किया। पूरे कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के पत्र को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया तथा 'मार्गदर्शिका' और लोगो को मीडिया के साथ साझा किया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने योग्य पानी के नल के कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2020 में मिशन मोड अभियान शुरू किया। पीआईबी ने इस अभियान को पर्याप्त प्रचार उपलब्ध कराया और वह सभी उपलब्ध सूचनाओं को प्रसारित कर रहा है, ताकि जनता को इस अभियान के महत्व से अवगत कराना सुनिश्चित हो सके।

- **फिट इंडिया मूवमेंट :** पीआईबी प्रेस विज्ञप्तियों और फोटोग्राफ के माध्यम से फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को हाइलाइट करता आया है। एनवाईकेएस तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के ट्विटर हैंडल्स द्वारा हुए सोशल मीडिया पोस्ट नियमित रूप से रीट्वीट किए जा रहे हैं। पीआईबी ने सितंबर, 2020 में फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ **माननीय प्रधानमंत्री के 'फिट इंडिया डायलॉग'** को राष्ट्रव्यापी कवरेज दिलाने की व्यवस्था की। इस वर्चुअल संवाद में प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने जीवन के अनुभवों और फिटनेस मंत्र को साझा किया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया तथा अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के 40 प्रमुख चैनलों ने इसे सीधे प्रसारित किया। कार्यक्रम को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार–पत्रों में रंगीन प्रस्तुति के साथ पहले पन्ने पर कवरेज मिली। ट्विटर पर हैशटैग #NewIndiaFitIndia पहले स्थान पर और कीवर्ड 'फिट इंडिया डायलॉग' छठे स्थान पर ट्रेंड हुआ।

- **राष्ट्रीय हथकरघा दिवस :** राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, 2020 को मनाया गया। इस अवसर पर हैंडलूम मार्क स्कीम के लिए **एक मोबाइल ऐप और बैकएंड वेबसाइट लॉन्च की गई**, माई हैंडलूम पोर्टल और वर्चुअल इंडियन टैक्सटाइल सोर्सिंग फेयर 2020 का उद्घाटन किया गया। हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा देश में विभिन्न क्षत्रों के गुणवत्तापूर्ण हथकरघा उत्पादों के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए हैशटैग **#Vocal4Handmade** के साथ दो हफ्तों का एक सोशल मीडिया अभियान चलाया गया। पीआईबी द्वारा इन कार्यक्रमों के बारे में सूचना का व्यापक रूप से प्रसार किया गया। इसके अलावा पीआईबी ने हस्तशिल्प और हथकरघा कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इस विषय के जाने–माने विशेषज्ञों से लेख लिखवाए, जिन्हें देशभर के प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया गया।

योजना निष्पादन 2020–2021

बजट के आंकड़े – 2020–2021

I	1.	बजट अनुमान 2020–2021 (श्रेणी–1 स्थापना खर्च)	–	9,961.00 लाख रुपये
	2.	संशोधित अनुमान 2020–2021 (श्रेणी–1 स्थापना खर्च)	–	7,972.00 लाख रुपये
II	1.	बजट अनुमान 2020–2021 (केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'डीसीआईडी')	–	542.00 लाख रुपये
	2.	संशोधित अनुमान 2020–2021 (केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'डीसीआईडी')	–	500.00 लाख रुपये

वास्तविक खर्च

III.	1.	श्रेणी–1 स्थापना खर्च	–	6,737.46 लाख रुपये (दिसंबर, 2020 तक)
	2.	केंद्रीय क्षेत्र की योजना (डीसीआईडी)	–	370.00 लाख रुपये (दिसंबर, 2020 तक)

स्वच्छता कार्य योजना

पीआईबी को स्वच्छता कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान 1.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।

पीआईबी मुख्यालय में राजभाषा हिंदी का उपयोग

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित) और राजभाषा नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के तहत वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों सहित राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और निर्देशों के पालन और क्रियान्वयन के लिए पीआईबी मुख्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी उपयोग की दिशा में हरसंभव प्रयास किए जाते हैं।

पीआईबी मुख्यालय में प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है, जो अपनी तिमाही बैठकों के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति पर नज़र रखती है। पीआईबी की वेबसाइट हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि पीआईबी मुख्यालय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) का सदस्य है और इसने समिति द्वारा आयोजित छमाही बैठकों में भाग लिया। कोविड–19 महामारी के कारण इस साल हिंदी पखवाड़ा का आयोजन नहीं हो सका।

सतर्कता अनुभाग

वर्ष 2020–21 के लिए पीआईबी के सतर्कता अनुभाग के संबंध में अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है :

(i) **कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन** : शून्य

(ii) **शिकायत निवारण तंत्र** : श्री एस.एन. चौधरी, निदेशक (मीडिया एवं संचार) पीआईबी को कर्मचारी/जन शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है और इस संबंध में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का निपटान तय समय के भीतर किया गया है।

(iii) **महिला कल्याण गतिविधियां** : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों और नियमों, जिन्हें नियम–3सी के तहत सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 में शामिल किया जा चुका है, के अनुसार पीआईबी मुख्यालय पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। हाल ही में पीआईबी मुख्यालय में आईसीसी का पुनर्गठन किया गया है।

सतर्कता प्रकोष्ठ

पीआईबी का सतर्कता ढांचा प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) की समग्र निगरानी में कार्य कर रहा है, जिन्हें सतर्कता अधिकारी एडीजी (सतर्कता) के स्तर पर), अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग मिलता है। सतर्कता मामलों के संबंध में प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख को भी सौंपे गए हैं। ब्यूरो के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी का एक पद होता है, जो ऐसे मामलों से निपटने में क्षेत्रीय प्रमुखों को सहायता देता है। क्षेत्रीय कार्यालयों को समय–समय पर मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान किए जाते हैं।

निवारक सतर्कता गतिविधियां

इस अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों/संदर्भों की संख्या : **03**

अन्य : **शून्य**

सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित मामले

पीआईबी मुख्यालय सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध जानकारी को स्वप्रेरणा से उद्घाटित करने और उसे अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपलोड कर जनसामान्य के बीच रखने से संबंधित आरटीआई अधिनियम की धारा–4 (बी)(1) और 4(2) के तहत अपने दायित्व पूरे कर चुका है। प्राप्त किए गए, खारिज, हस्तांतरित किए गए आवेदनों/अपीलों के आंकड़े दर्शाने वाली तिमाही रिपोर्ट को सीआईसी की वेबसाइट पर नियमित रूप से आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपलोड किया जाता है।

हिंदी तथा उर्दू इकाई की गतिविधियां

हिंदी तथा उर्दू इकाइयों की मुख्य गतिविधियों में दैनिक प्रेस राउंडअप तैयार करना होता है। जिसमें हिंदी/उर्दू दैनिकों के मुख्य समाचारों और सम्पादकीयों का अंग्रेजी में अनुवाद, प्रेस विज्ञप्तियों, फीचरों, संदर्भों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के भाषणों का हिंदी तथा उर्दू में अनुवाद करना, नियमावलियों और पुस्तिकाओं का अनुवाद

एवं पुनरीक्षण करना शामिल रहता है। हिंदी और उर्दू इकाई द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक **12,642 प्रेस विज्ञप्तियां और संदर्भ बैकग्राउंडर** हिंदी और उर्दू में जारी किए गए।

फोटो प्रभाग

पीआईबी के फोटो प्रभाग का दायित्व सरकार के विभिन्न आयोजनों के फोटो कवरेज के माध्यम से दृश्यात्मक सहयोग प्रदान करना है। 1959 में स्थापित प्रभाग के पास स्वतंत्रता–पूर्व के समय से लेकर आज तक का 10 लाख से अधिक निगेटिव्स/ट्रांसपेरेंसीज का समृद्ध भंडार डिजिटल प्रारूप में संरक्षित है। फोटो प्रभाग हर वर्ष लगभग 4500–5000 समाचारों और रूपकों की कवरेज करता है। ये तस्वीरें आम जनता को बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

कार्य

फोटो प्रभाग का मुख्य कार्य छायाचित्रों के माध्यम से देश की सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का प्रलेखन करना और चित्रों को प्रचार के लिए जारी करना तथा भविष्य हेतु संग्रहित करना है। इसके विशिष्ट कार्य इस प्रकार हैं :

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को **विजुअल (चित्र) प्रदान करना, ताकि उन्हें आगे मीडिया को प्रसारित किया जा सके**।
- **पीआईबी का प्रेस फोटो प्रचार** पूरी तरह फोटो प्रभाग द्वारा समर्थित है।
- **लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) के प्रदर्शनी प्रकोष्ठ** को बड़े आकार के प्रिंट्स तैयार करने और फोटो से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं में **फोटो प्रभाग से सहायता** मिलती है।
- माननीय राष्ट्रपति, माननीय उप राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालयों और अन्य **महत्वपूर्ण सार्वजनिक आयोजनों के लिए फोटो कवरेज प्रदान करना** और उनका दस्तावेजीकरण करना।
- देश में आने वाले राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के दौरों को व्यापक कवरेज उपलब्ध कराने के संदर्भ में **विदेश मंत्रालय के एक्सपी प्रभाग को सहायता प्रदान करना**।
- गैर–प्रचार संगठनों, निजी प्रकाशकों और आम जनता को मूल्य निर्धारण योजना के अनुसार भुगतान के आधार पर तस्वीरें प्रदान करना।

अन्य मीडिया इकाइयों से तालमेल

संबद्ध मीडिया इकाइयों की डिजिटल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फोटो प्रभाग बदलते समय के साथ विकसित होता गया है। पीआईबी और संबंधित हितधारकों को फोटो भेजने में देरी से बचने के लिए **प्रभाग का न्यूज़ फोटो नेटवर्क पूर्णतः डिजिटल मोड** पर काम कर रहा है। प्रभाग प्रदर्शनियों में इस्तेमाल के लिए बड़े आकार की डिजिटल इंकजेट तस्वीरों की बीओसी की जरूरत को पूरा करता है। साथ ही प्रकाशन विभाग को भी दृश्यात्मक सहयोग प्रदान करना है।

वार्षिक योजना 2020–21

फोटो प्रभाग ने "नेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी (एनसीपी) और स्पेशल ड्राइव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन" उप योजना को कार्यान्वित किया है। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक इंडैक्सिंग के लिए पुस्तकालय विज्ञान के पेशवरों की सेवाओं को आउटसोर्स करके डिजिटल फोटो लाइब्रेरी को सरल बनाना और आईटी पेशेवरों की सेवाओं से डिजिटल तस्वीरों को उच्च क्षमता वाले सर्वर पर अपलोड करने और संग्रहित करने के उद्देश्यों की पूर्ति करना है।

एनसीपी का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग वार्षिक रूप से **राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार आयोजित** करना है। देश के प्रतिष्ठित फोटोग्राफरों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत करने के अलावा प्रतिवर्ष छह–छह पुरस्कार नौसिखिया पेशेवर श्रेणी में दिए जाते हैं।

उत्पादन संबंधी आंकड़े

कवर किए गए असाइनमेंट, प्राप्त की गई तस्वीरें, अपलोड किए गए प्रिंट्स, तैयार किए गए एलबम्स इस प्रकार हैं :

कवर किए गए न्यूज़ और फीचर असाइनमेंट	**554**
पीआईबी की वेबसाइट पर भेजी गईं/अपलोड की गईं तस्वीरें	**1,845/1,484**
फोटो प्रभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गईं तस्वीरें	**1,484**
आंतरिक स्तर पर प्राप्त की गईं डिजिटल तस्वीरें	**51,929**
बनाए गए/आपूर्ति किए गए डिजिटल प्रिंट	**376**

लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)

लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) की स्थापना 2017 में पूर्ववर्ती विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) और गीत एवं ड्रामा प्रभाग (एस एंड डीडी) को एकीकृत करके की गई थी। **ब्यूरो का उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/स्वायत्त निकायों को 360 डिग्री संचार समाधान उपलब्ध कराना है**। यह मीडिया कार्यनीति पर सरकार के परामर्शी निकाय के रूप में काम करता है। 23 क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो (आरओबी) तथा 148 क्षेत्र लोकसंपर्क ब्यूरो के साथ बीओसी दोनों ग्रामीण और शहरी लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने में लगा हुआ है, ताकि विकासात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी प्राप्त हो सके। ब्यूरो ने यह विभिन्न संचार माध्यमों अर्थात् प्रिंट मीडिया, श्रव्य–दृश्य मीडिया, प्रदर्शनियों, आउटडोर अभियानों तथा न्यू मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित किया है।

जन–सशक्तीकरण के प्रमुख सुविधाप्रदाता के रूप में सरकार की ब्रांडिंग तथा उसे साकार करने के लिए विविध मीडिया माध्यमों के जरिए संदेशों को सही दिशा देना बीओसी का कार्य है। बीओसी का विज्ञापन एवं दृश्य संचार प्रभाग सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, पीएसयू तथा स्वायत्त निकायों की विभिन्न योजनाओं तथा नीतियों के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए ब्यूरो का नोडल डिविजन है।

बीओसी का **लोक संचार प्रभाग**, नाटक, नृत्य–नाटक, संयुक्त–कार्यक्रम, कठपुतली–खेल, बैले, ओपेरा, लोक और पारंपरिक गायन, पौराणिक गायन प्रस्तुति तथा अन्य स्थानीय लोक एवं पारंपरिक शैलियों जैसी प्रदर्शनकारी कलाओं की व्यापक श्रृंखला का उपयोग करके सजीव मीडिया के माध्यम से अंतर–वैयक्तिक संवाद करता है।

क्षेत्र लोकसंपर्क प्रभाग, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्यक्ष तथा अंतर–वैयक्तिक संचार कार्यक्रम संचालित करता है। इस प्रकार से आरओबी तथा एफओबी सूचना के जरिए लोगों को सशक्त करने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम बनाया जा सके। यह जमीनी सक्रियता और लोकसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन करता है। विभिन्न हितधारकों के सहयोग से विशेष लोकसंपर्क कार्यक्रम (एसओपी) आयोजित किए जाते हैं।

पूर्ववर्ती डीएवीपी, डीएफपी तथा एसएंडीडी का एकीकरण होने से विशेष लोकसंपर्क तथा लोक घटकों के साथ एकीकृत रूप में अधिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन एकीकृत संचार और लोकसंपर्क कार्यक्रमों (आईसीओपी) का उद्देश्य एक ऐसा प्रभावशाली असर छोड़ना है, जो व्यवहार परिवर्तन और विकासात्मक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित कर सके।

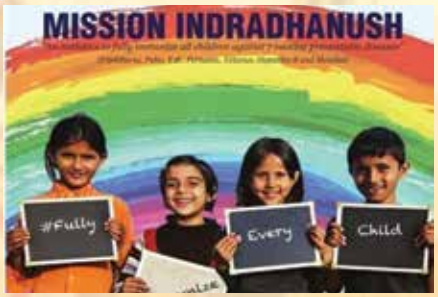

वर्ष की मुख्य गतिविधियां

- टेलीफोन कॉल और एसएमएस के साथ सोशल मीडिया पर **कोविड–19 जागरूकता अभियान**।
- विशेष जागरूकता अभियान : **'जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं'**।
- कोविड–19 महामारी के दौरान जनता की सहायता के लिए सरकार द्वारा **आरोग्य सेतु ऐप** के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान शुरू किया गया।
- प्रिंट मीडिया अभियान– **आत्मनिर्भर भारत अभियान**।
- **'पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट', 'डिमोनेटाइज़ेशनः ए मल्टी–डायमेंशनल सक्सेस'** (सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक विमुद्रीकरण के निर्णय की विभिन्न उपलब्धियों को गिनाते हुए), **'पीएम मोदी एंड हिज़ गवर्नमेंट्स स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख्स'** और **'इंडियाज़**

वीमेनः ओवरकमिंग चैलेंजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स' (सरकार की महिला केंद्रित कल्याणकारी पहलों और भारत की सफल महिलाओं पर आधारित) विषयों पर पुस्तिकाएं।

- नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन के लिए सामाजिक समावेशन पर सरकार की बड़ी पहलों पर **'ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाः 6 इयर्स ऑफ इनक्लूसिव गवर्नेंस'** शीर्षक पुस्तिका।
- **राज्य सभा और लोक सभा में** राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में **प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषणों,** वित्त मंत्री के राज्य सभा और लोक सभा में जवाब तथा लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2020 के मुख्य बिंदुओं पर पुस्तिकाएं।
- नए किसान विधायक के लाभों पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख समाचार–पत्रों में पूरे पृष्ठ का अखिल भारतीय प्रिंट विज्ञापन जारी किया।
- 74वां स्वतंत्रता दिवस– आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन।
- संविधान दिवस प्रदर्शनी।
- **25 दिसंबर, 2020 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदर्शनी**। इस प्रदर्शनी का विषय था 'विकास पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी'। **प्रदर्शनी का आयोजन अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और सूचना भवन, नई दिल्ली में किया गया था।**
- **केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विकासात्मक गतिविधियों पर सोशल मीडिया अभियान।**
- कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए **'कारगिल में साहस' विषय पर प्रिंट और आउटडोर मीडिया अभियान।**

महत्वपूर्ण गतिविधियां

गणतंत्र दिवस की झांकी : #VocalforLocal

बीओसी ने गणतंत्र दिवस परेड 2021 के अवसर पर राजपथ पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से #VocalforLocal की झांकी प्रस्तुत की। झांकी का विषय माननीय प्रधानमंत्री के 30 अगस्त, 2020 को **स्वदेश में निर्मित स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए** किए गए 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान पर आधारित था। इस झांकी में इस तथ्य को दर्शाया गया कि देश केवल स्थानीय स्तर पर खपत के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर निर्माण के बारे में भी वोकल है।

भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप

डिजिटल तकनीकी नवाचारों को अपनाने की दिशा में भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप, बीओसी ने वर्ष 2021 के लिए भारत सरकार का एक डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप विकसित किया। माननीय **प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप भारत सरकार का यह पहला डिजिटल कैलेंडर है।** यह ऐप, आधिकारिक छुट्टियों और विभिन्न महत्वपूर्ण तिथियों तक पहुंच के अलावा, सरकार की विभिन्न योजनाओं, आयोजनों और प्रकाशनों की नवीनतम जानकारी भी प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रूप से नोट लेने, मीटिंग का समय तय करने और अनुस्मारक लगाने की अनुमति देता है। वर्तमान में यह एप्लिकेशन हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, और आगामी अपडेट्स में इसे अन्य 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के "सुगम्य भारत" के लक्ष्य के अनुरूप आने वाले दिनों में यह एप्लीकेशन दिव्यांगजनों के लिए भी सुलभ बनाया जाएगा।

न्यू इंडिया समाचार

भारत सरकार की पहलों और योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए बीओसी द्वारा *न्यू इंडिया समाचार* नामक पाक्षिक आरंभ किया गया।

न्यू इंडिया समाचार **सरकार द्वारा आम जनता के लाभ के लिए उठाए गए विविध कदमों के बारे में सही जानकारी प्रदान करने का एक प्रयास है**। यह मंत्रिमंडल के फैसलों, *मन की बात* की प्रमुख बातों के बारे में पाठकों को शिक्षित और सूचित करता है और सामयिक मुद्दों के बारे में अपने अनूठे तरीके से जानकारी देता है।

इस **पाक्षिक पत्र का मुद्रण 13 भाषाओं में** किया जा रहा है और इसकी 4 लाख प्रतियां सभी ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, ब्लॉकों, संसद और राज्य विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सचिवों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और शैक्षिक संस्थानों को वितरित की जाती हैं। *न्यू इंडिया समाचार* के बैनर को सभी 13 भाषाओं में निर्मित ई–मैगजीन के साथ मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी सरकारी वेबसाइटों के मुख्यपृष्ठ पर होस्ट किया गया है। इसका पहला प्रायोगिक अंक जून 2020 में छपा था।

न्यू इंडिया समाचार का पहला और दूसरा अंक (15–31 अगस्त, 2020 और 1–15 सितंबर, 2020) अगस्त में मुद्रित

और वितरित किया गया था।

न्यू इंडिया समाचार के ई–संस्करणों को फ्लिप बुक के साथ–साथ पीडीएफ प्रारूप में ईमेल के माध्यम से 6.4 करोड़ से अधिक पाठकों को माइगॉव इंडिया के ई–संपर्क प्लेटफार्म का उपयोग करके भेजा जाता है।

जागृति रथ (मोबाइल वैन)

देशभर में कुछ आरओबी ने कोविड–19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए **कोविड जागृति रथ** (मोबाइल वैन)/ऑटो रिक्शा/ई–रिक्शा/ट्राई साइकिल के माध्यम से पहले से रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्लिप और संदेश के साथ सूचना प्रसारित की।

उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य आरओबी लखनऊ के कोविड जागृति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए।

संदेशों की विषय सामग्री इस प्रकार थी : **सामाजिक दूरी की आवश्यकता, लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन, आरोग्य सेतु ऐप का महत्व, होम क्वारंटीन** कब होना चाहिए, कोरोना–19 के लिए जांच कब कराएं, नियमित रूप से **हाथ धोना और सेनिटाइजेशन, मास्क पहनना** और मास्क बनाना, सरकार के निर्णयों और **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना** (पीएमजीकेवाई), **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** (पीएमजीकेएवाई) और **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान** (पीएमजीकेआरए) सहित पहलों, मिथकों का खंडन, फेक न्यूज़ अलर्ट तथा कोविड–19 से संबंधित मामलों पर विशेषज्ञ की राय।

आरओबी/एफओबी की अन्य गतिविधियां

ऑनलाइन प्रतियोगिताएं

आरओबी ने ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफार्मों के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें जिला प्रशासन, स्कूलों और कॉलेजों के साथ समन्वय करके योग वीडियो प्रतियोगिता, निबंध लेखन, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं शामिल थीं। आयोजनों की प्रस्तावना के तौर पर आरओबी के विभिन्न प्लेटफार्मों पर आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

आरओबी/एफओबी द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं/दिवसों/सप्ताह का आयोजन

अप्रैल से नवंबर, 2020 की अवधि में आरओबी के अंतर्गत एफओबी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद विरोधी दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, कारगिल विजय दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस समारोह, सद्भावना दिवस/सप्ताह, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, गांधी जयंती, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, संविधान दिवस मनाया और भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण संदेशों का प्रसार किया।

पोषण माह

बीओसी के एफओबी और आरओबी ने सितंबर, 2020 के दौरान पोषण माह मनाया। ब्यूरो ने सामाजिक दूरी सुनिश्चित करते हुए कोविड विजय रथ/ऑटोरिक्शा के माध्यम से पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) के महत्व पर जन जागरूकता अभियान संचालित किए। प्रचार गतिविधियों के जरिए कम वजन वाले नवजात शिशुओं, वृद्धि में रुकावट, कुपोषण और एनीमिया की संभाव्यता में कमी लाने के विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 वर्ष तक के शिशुओं, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार का संदेश दिया गया। इनमें स्वचालित उद्घोषणा, बैनर लगाना, स्लोगन लेखन और चित्रकला शामिल थी।

अप्रैल से नवंबर, 2020 में एफओबी/आरओबी ने 'पोषण माह और पोषण सप्ताह' और संबंधित विषयों पर कई वेबिनार आयोजित किए। विषयों में से कुछ थे– 'भारत में पोषण निगरानी प्रणाली की स्थापना', 'पोषण के पांच सूत्र', 'कोविड से रक्षा में पोषण का महत्व' और 'न्यूट्री गार्डन इन द बैकयार्ड'।

अल्पसंख्यक कल्याण पर कार्यक्रम

अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक बीओसी के सभी 148 एफओबी और 23 आरओबी ने कोविड–19 जन आंदोलन के

अलावा अनेक सरकारी योजनाओं और पहलों पर जागरूकता गतिविधियां संचालित कीं। चूंकि क्षेत्र में कार्यक्रम इस अवधि के दौरान नहीं हो सकते थे, एफओबी/आरओबी ने अल्पसंख्यकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग किया।

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में प्रचार गतिविधियां

किए गए टेलीफोन कॉल	भेज गए एसएमएस	फेसबुक पोस्ट	ट्वीट्स और रीट्वीट्स (इम्प्रेशन सहित)	व्हाट्सऐप पर भेजे गए पोस्टर/मैसेज/वीडियो	इंस्टाग्राम पोस्ट	वेबिनार
24,830	70,915	60,587	66,138 (8,06,985)	2,51,608	10,606	157

वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार गतिविधियां

आरओबी द्वारा किए गए टेलीफोन कॉल	भेज गए एसएमएस	फेसबुक पोस्ट	ट्वीट्स और रीट्वीट्स (इम्प्रेशन सहित)	व्हाट्सऐप पर भेजे गए पोस्टर्स/मैसेज/वीडियो	इंस्टाग्राम पोस्ट्स	वेबिनार
3,047	1,197	5,813	14,789 (67,430)	10,726	1,075	19

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय (आरएनआई) की स्थापना 1956 में प्रथम प्रेस आयोग (1953) की सिफारिश के आधार पर और प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में संशोधन के द्वारा की गई थी। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। आरएनआई सांविधिक और गैर–सांविधिक दायित्वों का निर्वहन करता है।

कार्य

आरएनआई देशभर में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों और प्रकाशनों का रजिस्टर रखता है, **समाचारपत्रों और प्रकाशनों के पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करता है** नए समाचारपत्रों के शीर्षक की स्वीकृति के बारे में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को जानकारी देता है तथा समाचारपत्रों और प्रकाशनों के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की जांच और विश्लेषण करता है। अपने गैर–सांविधिक कार्यों के अंतर्गत **यह कार्यालय आरएनआई से पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ताओं को अख़बारी काग़ज़ के आयात के लिए स्वघोषणा प्रमाणपत्र को प्रमाणित करता है**। यह कार्यालय प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोध या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर पीआईबी के निर्दिष्ट अधिकारियों के माध्यम से पंजीकृत प्रकाशनों के प्रसार का सत्यापन भी करता है।

शीर्षक सत्यापन

अप्रैल से अक्टूबर, 2020 के दौरान आरएनआई ने शीर्षकों के सत्यापन के **10,590 आवेदनों की जांच** की, जिनमें से **5,514 शीर्षकों को स्वीकृति दी** गई। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच **34 शीर्षक रोक–मुक्त** किए गए। इस संबंध में आरएनआई के रजिस्टर में एक प्रविष्टि भी की गई। 31 मार्च, 2021 तक **पंजीकृत 1,46,746 प्रकाशनों में से 20,223 समाचारपत्र हैं** और **1,26,523 आवधिक हैं**। 31 मार्च, 2021 तक **1,097 नए प्रकाशनों को पंजीकृत** किया गया।

ऑटोमेशन

वर्तमान में शीर्षक के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की कंप्यूटरीकृत प्रोसेसिंग के अतिरिक्त सभी सत्यापित शीर्षकों को आरएनआई की वेबसाइट पर डाला जाता है और इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। इस सुविधा के लागू होने से कोई भी व्यक्ति/संभावित प्रकाशक उपलब्ध शीर्षक डाटा बेस देख सकता है। डिजिटलीकरण के दूसरे चरण में, शीर्षक के लिए आवेदन और पंजीकरण सहित कार्यालय की विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस परियोजना का 35 प्रतिशत कार्य 3 मार्च, 2021 तक पूर्ण हो चुका है।

वार्षिक विवरण

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19डी के अनुसार, प्रकाशक के लिए यह आवश्यक है कि वह हर वर्ष मई के अंतिम दिन या उससे पूर्व तक फॉर्म–2 में वार्षिक विवरण, जोकि समाचारपत्र पंजीकरण (केंद्रीय) नियम, 1956 में निर्दिष्ट है, प्रेस पंजीयक को सौंपे। प्रकाशकों को अपने प्रकाशन के पहले अंक (फरवरी के अंतिम दिन के बाद आने वाला) में फॉर्म–4 में स्वामित्व और अन्य संबंधित विवरणों को इंगित करता एक वक्तव्य प्रकाशित करना होता है। प्रकाशकों द्वारा जमा कराए गए वार्षिक विवरणों के संकलन और विश्लेषण के आधार पर आरएनआई प्रिंट मीडिया की वृद्धि पर हर साल 'प्रेस इन इंडिया' रिपोर्ट जारी करता है। वर्ष 2019–20 के लिए लगभग 32,883 प्रकाशनों ने वार्षिक विवरण भरे हैं।

'प्रेस इन इंडिया' का प्रकाशन

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19 (जी) के अनुसार, प्रेस पंजीयक केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है, जिसमें भारत में समाचारपत्रों के बारे में पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त सूचनाओं का सारांश शामिल होता है। 'प्रेस इन इंडिया' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट हर साल दिसंबर में सौंपी जाती है। 2013–14 से 'प्रेस इन इंडिया' डिजिटल प्रारूप में भी लाई जा रही है और यह आरएनआई की वेबसाइट www.rni.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रसार सत्यापन

प्रकाशनों की नियमित प्रसार जांच/सत्यापन किया जाता है, ताकि प्रकाशनों द्वारा अपने वार्षिक रिटर्न/रिपोर्ट में जमा किए गए प्रसार डाटा/आंकड़ों की पुनर्पुष्टि हो। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति के अनुसार 1 अगस्त, 2020 से 25 हजार से ऊपर के प्रसार का दावा करने वाले प्रकाशनों के लिए **आरएनआई/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (एबीसी) द्वारा प्रसार सत्यापन अनिवार्य बना दिया गया है।**

अख़बारी कागज़

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की आयात–निर्यात नीति के अनुसार अख़बारी कागज के आयात के लिए वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त पर आरएनआई और पीआईबी के क्षेत्रीय शाखा कार्यालय आरएनआई में पंजीकृत प्रकाशनों के स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र को प्रमाणित करते हैं। **आरएनआई ई–संचित के माध्यम से अख़बारी कागज के आयात के लिए अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ समन्वय में काम कर रहा है।**

राजभाषा

आरएनआई के कार्यालय ने सितंबर, 2020 में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया, जिसमें कार्यालयी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

सत्यनिष्ठा की शपथ लेते आरएनआइ के अधिकारी।

जन शिकायत तथा आरटीआई

प्रकाशकों द्वारा भेजी जाने वाली शिकायतों और जिज्ञासाओं का सामाधान जन शिकायत प्रकोष्ठ करता है। एक उप प्रेस पंजीयक को इस कार्यालय की आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था का प्रमुख बनाया गया है। अप्रैल से अक्टूबर, 2020 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लगभग 309 आवेदन प्राप्त हुए और उनके उत्तर दिए गए।

सिटीजन चार्टर : सिटीजन चार्टर बनाया गया है और उसे कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.rni.nic.in) पर डाला गया है।

आरएनआई मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण

14वें वित्त आयोग की शेष अवधि यानी 2017–20 के दौरान आरएनआई को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अम्ब्रेला स्कीम 'मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम' के तहत 'आरएनआई मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण' योजना के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गई :

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अंतिम अनुदान	व्यय
2017–18	50.00	131.00	131.00	125.71
2018–19	90.00	90.00	90.00	82.00
2019–20	135.00	146.00	–	100.13

*31 अक्टूबर, 2019 तक

वित्तीय वर्ष 2020–21 के आरंभ से पूरी योजना को एक ऑटोमेशन परियोजना व्यय में मिला दिया गया, जो स्थापना व्यय से पूरी की जाएगी। फिलहाल आरएनआई के लिए कोई योजना नहीं है।

प्रकाशन विभाग

राष्ट्रीय महत्व और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं के भंडार प्रकाशन विभाग की स्थापना 1941 में की गई थी। यह सरकार के एक ऐसे प्रतिष्ठित प्रकाशन गृह के रूप में उभर कर सामने आया है जो भारत भूमि और यहां के लोगों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, कला और संस्कृति, जीव–जंतुओं और वनस्पतियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों तथा संस्कृति, दर्शन, विज्ञान और साहित्य आदि के क्षेत्र की महान हस्तियों के बारे में श्रेष्ठ पुस्तकें प्रकाशित करके भारत की विरासत को प्रदर्शित और संरक्षित करते हुए राष्ट्रीय ज्ञान संपदा को समृद्ध कर रहा है। डीपीडी भारतीय समाज और पठनीयता पर विशेष ध्यान के साथ राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के भाषणों, समकालीन विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य विषयों पर पुस्तकों के प्रकाशन से सामयिक कालक्रम को दर्ज करता है। इसके अलावा विभाग कथात्मक और गैर–कथात्मक बाल साहित्य भी प्रकाशित करता है।

प्रकाशन विभाग ने गांधीवादी दर्शन पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है जिनमें 100 खण्डों में अंग्रेजी में ***कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (सीडब्ल्यूएमजी)*** शामिल है। इसे गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। प्रकाशन विभाग ने गुजरात विद्यापीठ के साथ मिलकर प्रमुख गांधीवादी विद्वानों की निगरानी में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी का ई–संस्करण (ई–सीडब्ल्यूएमजी) भी तैयार किया है। सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन की गई डीवीडी के सेट के रूप में यह उपलब्ध है, इसमें विषयों को आसानी से खोजा जा सकता है। यह गांधी हैरिटेज पोर्टल पर भी उपलब्ध है। प्रकाशन विभाग और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय प्रामाणिक और सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन पुस्तकों की श्रृंखला प्रकाशित करने में सहयोग कर रहे हैं।

प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्र नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद तथा तिरुअनंतपुरम में हैं। *योजना* पत्रिका के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम तथा बंगलुरु में हैं।

प्रमुख गतिविधियां

- 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर महामहिम **राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने** 25 जनवरी, 2020 को प्रकाशन विभाग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से प्रकाशित एक पुस्तक **बिलीफ इन द बैलेट (वॉल्यूम–2) का विमोचन किया**। यह पुस्तक लोकतंत्र के लिए देश की दृढ़ता और निश्चय को दर्शाती भारतीय चुनावों की सौ से अधिक कहानियों पर आधारित है।

- माननीय **केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने** 11 अगस्त, 2020 को नई दिल्ली में उप राष्ट्रपति निवास में **माननीय उप राष्ट्रपति के कार्यकाल के तीन वर्षों को लिपिबद्ध करने वाली "कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग" शीर्षक से** प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित **एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया**। इस अवसर पर माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू की गरिमामयी उपस्थिति में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने बुक के ई–संस्करण को भी जारी किया।

- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 'योग एट होम' को प्रोत्साहन देने के लिए सोशल मीडिया पर कई गतिविधियां संचालित की गईं। 'घर में योग से तनाव प्रबंधन' के बारे में *योजना* और *कुरुक्षेत्र* में प्रकाशित सारगर्भित लेखों को सोशल मीडिया पर साझा किया गया। इसके अलावा पाठकों को घर पर योग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **डीपीडी द्वारा योग पर प्रकाशित एक सचित्र पुस्तक निःशुल्क ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई।**

- प्रकाशन विभाग को जीईएम (गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस) **पर 'विक्रेता'** (मूल उपकरण निर्माता) **के रूप में पंजीकृत किया गया है,** जो डीपीडी को सरकारी संस्थानों/सरकारी पुस्तकालयों/सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से बल्क ऑर्डर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। डीपीडी जीईएम पोर्टल के माध्यम से पहले ही ऑर्डर प्राप्त करना शुरू कर चुका है।

- शीर्षस्थ संस्थानों पर पुस्तकें लाने के अपने निरंतर प्रयासों की कड़ी में **डीपीडी ने हिंदी में भारत के न्यायालय**

नई दिल्ली में 11 अगस्त, 2020 को पुस्तक 'कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग' के लोकार्पण के अवसर पर उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू साथ में हैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह तथा सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर।

: **अतीत से वर्तमान तक नामक पुस्तक का प्रकाशन किया।** यह देश के न्यायिक संस्थानों और न्याय के इतिहास पर प्रकाश डालती है।

- प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 4 से 12 जनवरी, 2020 को आयोजित हुए **नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020** में डीपीडी ने भी हिस्सा लिया और 52 लाख रुपये की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। यह किसी भी पुस्तक मेले में डीपीडी के इतिहास की सर्वाधिक बिक्री थी। मेले के दौरान डीपीडी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रकाशित कुल 16 पुस्तकों का विमोचन किया गया।

- **प्रकाशन विभाग** ने 30 अक्टूबर से 1 दिसंबर, 2020 तक फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर द्वारा आयोजित **पहले वर्चुअल दिल्ली पुस्तक मेला में भाग लिया।** विभाग ने अपनी 120 पुस्तकों के प्रदर्शन के लिए तीन स्टॉल बुक किए थे।

- प्रकाशन विभाग ने अपनी इकाइयों के माध्यम से गांधी स्मारक निधि, कर्नाटक के सहयोग से एक **चार दिवसीय विशेष पुस्तक प्रदर्शनी का 2 से 5 अक्टूबर, 2020 तक आयोजन किया।**

- *कुरुक्षेत्र* ने अपने अंक कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, स्वच्छता और कौशल विकास आदि को समर्पित किए हैं, जिनमें संबंधित मंत्रालयों के सचिवों/मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों के लेख शामिल रहे हैं। रोजगार समाचार ने 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक 1680 से अधिक विज्ञापन प्रकाशित किए।

वर्ष 2020–21 में प्रकाशन विभाग ने जनवरी 2021 तक **92 पुस्तकें** प्रकाशित कीं। इनमें से **27 अंग्रेजी में, 23 हिंदी में** और **42 क्षेत्रीय भाषाओं में थीं**। इनमें *द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम III (अंग्रेजी)* और *लोकतंत्र के स्वर खंड 3, कॉफी टेबल बुक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग भारत के न्यायालय, अतीत से वर्तमान तक, बंगाली ऑफबीट सिनेमा– ऑफ्टर सत्यजित रे, मधुबनी पेंटिंग्स और लीजेंडरी सिटीज ऑफ इंडिया* शामिल हैं।

अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में *क्यों करते हैं लोग प्रतिरोध, गुरु नानक, गुरु नानक : जीवन और संदेश, जलियांवाला बाग* और *मत्स्य कुमारी* शामिल हैं।

प्रकाशनों का डिजिटलीकरण

प्रकाशन विभाग अपनी किताबों की डिजिटल संपदा को और समृद्ध करने के लिए काम कर रहा है। इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए हर नई पुस्तक को दोनों रूपों पी–बुक और ई–बुक में प्रकाशित किया जा रहा है। 2221 से अधिक पुस्तकों का डिजिटलीकरण किया गया। इनमें से 466 ई–पुस्तकों को अमेजन और गूगल प्ले जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से बिक्री के लिए रखा गया। नवंबर 2020 तक ई–पुस्तकों की लगभग 5,829 प्रतियां बेची गईं।

डीपीडी की ई–परियोजनाएं

- **पुनः डिजाइन हुई डायनमिक वेबसाइट** : नए सिरे से डिजाइन हुई डायनमिक वेबसाइट : (www.publicationsdivision.nic.in) एकीकृत भुगतान गेटवे के साथ वास्तविक समय में खरीद सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम है और साथ ही यह प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और पत्रिकाओं के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करती है। सभी पुस्तकें भारतकोष के भुगतान गेटवे के माध्यम से बिक्री के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

- **मोबाइल ऐप 'डिजिटल डीपीडी'** : यह गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है और विभाग की पुस्तकों की आसान खरीदारी की सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल ऐप को पायरेसी पर नियंत्रण के लिए डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है और भुगतान में आसानी के लिए भारतकोष भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत किया गया है।

- **रोज़गार समाचार का ई–संस्करण** : *एम्प्लॉयमेंट न्यूज़* (अंग्रेजी) के समरूप *रोज़गार समाचार* एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार–पत्र है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित केंद्र सरकार में नौकरी के अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है। यह विशेषज्ञों द्वारा करियर–उन्मुख लेखों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश और करियर के अवसरों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है। *ई–रोज़गार समाचार* इसे डिजिटल रूप में उपलब्ध कराता है और इसका वार्षिक सदस्यता शुल्क 400 रुपये है।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

विभाग कुल 18 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जिनमें चार मासिक पत्रिकाएं *योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती* और *आजकल* तथा साप्ताहिक *एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार* शामिल हैं। ये पत्रिकाएं सममामयिक विषयों जैसे आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, साहित्य, संस्कृति, बाल साहित्य को कवर करती हैं तथा रोज़गार और करियर के अवसरों की सूचना उपलब्ध कराती हैं।

क) योजना

1957 से प्रकाशित योजना आर्थिक विकास को समर्पित पत्रिका है। यह 13 भाषाओं–अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू में प्रकाशित होती है। पिछले वर्ष के दौरान, पत्रिका समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही और 'भारत का संविधान', 'नीतिशास्त्र और सत्यनिष्ठा' तथा 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य' पर उत्तम गुणवत्ता वाले अंकों सहित 'केंद्रीय बजट 2020–2021' और 'अंतरराष्ट्रीय संबंध' पर विशेषांक प्रकाशित किए।

योजना में प्रख्यात व्यक्तियों और सरकार के थिंक–टैंक सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों और राय को प्रकाशित किया जाता रहा है। जनवरी 2021 में पत्रिका का **'इंडिया@75'** पर विशेषांक निकाला गया। माननीय राष्ट्रपति,

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. कृष्ण रेड्डी अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर योजना (तेलुगू) के अक्टूबर अंक का विमोचन करते हुए।

मणिपुर के माननीय राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित गणमान्य व्यक्तियों के लेख और संदेश इस संग्रहणीय अंक का मुख्य आकर्षण हैं।

ख) कुरुक्षेत्र

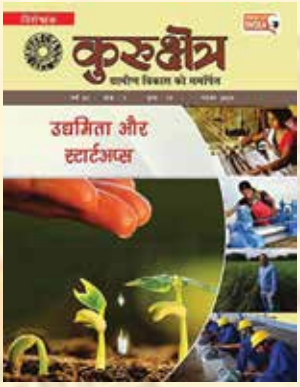

कुरुक्षेत्र एक मासिक पत्रिका है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 1952 से प्रकाशित हो रही यह पत्रिका विश्वसनीय और विश्लेषणात्मक लेखों के जरिए ग्रामीण विकास का संदेश सफलतापूर्वक जनता तक पहुंचा रही है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान *कुरुक्षेत्र* (हिंदी और अंग्रेजी) ने अपने अंकों में सरकार की पहलों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। पत्रिका के लेखों में कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, स्वच्छता और कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों को व्यापक रूप से कवर किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित पत्रिका में मंत्रियों, सचिवों, नीति आयोग के सलाहकारों और विषय से विशेषज्ञ एवं प्रमुख लेखक नियमित रूप से योगदान कर रहे हैं।

ग) आजकल (हिंदी और उर्दू)

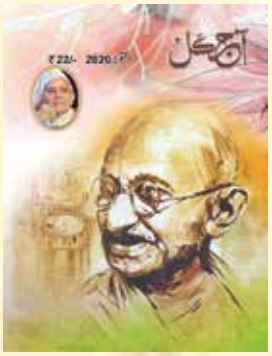

आजकल (हिंदी) ने वर्ष के दौरान अपने विभिन्न अंकों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं को कवर किया। इस वर्ष का फोकस फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म शताब्दी पर था। पत्रिका ने जनवरी–फरवरी 2020 में 75वीं वर्षगांठ पर केंद्रित समारोहों को समर्पित विशेषांक निकाला। मार्च 2020 का अंक महिलाओं के साहित्य और नवंबर 2020 बच्चों के साहित्य पर केंद्रित था। पत्रिका के सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 के अंकों में क्रमशः प्रमुख आलोचक नंदकिशोर नंदन और डिजिटल प्लेटफार्म पर हिंदी साहित्य पर विशेष लेख प्रकाशित किए गए। पत्रिका ने सालभर कविताओं, कहानियों, लेखों और पुस्तक समीक्षाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने का प्रयास जारी रखा।

आजकल (उर्दू) ने और कविताओं और ग़ज़लों के अलावा दिलचस्प लेखों का प्रकाशन नियमित रूप से जारी रखा। वर्ष 2020–21 के दौरान, पत्रिका में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस पर विशेषांक निकाले गए।

घ) बाल भारती (हिंदी)

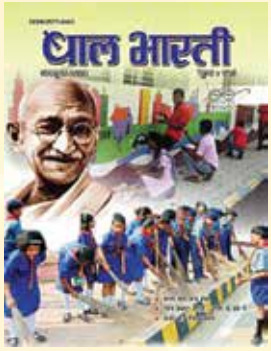

बच्चों पर केंद्रित विशेष मासिक पत्रिका *बाल भारती* 1948 से लगातार प्रकाशित की जा रही है। यह पत्रिका बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के अलावा, सूचनात्मक लेखों, साक्षात्कारों, लघु कथाओं, कविताओं, कॉमिक, प्रश्नोत्तरी और सचित्र कहानियों के माध्यम से उनमें सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने में मदद करती है। विशेष अवसरों/राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे– अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, शिक्षक दिवस, सड़क सुरक्षा सप्ताह, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नई शिक्षा नीति आदि पर विशेष लेख प्रकाशित किए गए। इसके अलावा "कहानी विशेषांक" (जुलाई 2020) प्रकाशित किए गए। पत्रिका ने पूरे साल विशेष लेखों, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, लोकप्रिय हस्तियों की जीवनी और यात्रा कहानियों के प्रकाशन के माध्यम से बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा देने का अपना प्रयास जारी रखा।

ङ) एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार

1976 में शुरू किया गया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रमुख रोज़गार साप्ताहिक पत्र है, जो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता है। यह विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं में रोज़गार की सूचना प्रदान करने वाली एकल खिड़की के रूप में कार्य करता है। यह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश सूचनाओं, परीक्षा सूचनाओं तथा यूपीएससी, एसएससी तथा अन्य सामान्य भर्ती संस्थाओं के परिणामों का भी प्रकाशन करता है। इसके अतिरिक्त *एम्प्लॉयमेंट न्यूज़* में एक संपादकीय कोना भी होता है जो युवाओं के व्यावसायिक तथा सॉफ्ट स्किल को उन्नत बनाने के अतिरिक्त बाज़ार में उपलब्ध विभिन्न रोज़गारों के लिए तैयारी में सहायता देता है। इसके ई–संस्करण तथा मुद्रित संस्करण की वेबसाइट www.e-employmentnews.co.in से ऑनलाइन सदस्यता ली जा सकती है।

कोविड–19 से लॉकडाउन तथा मुद्रण और वितरण सुविधाओं के बंद हो जाने के कारण अप्रैल–मई 2020 में *एम्प्लॉयमेंट न्यूज़* का प्रकाशन डेढ़ महीने के लिए रोक दिया गया था। हालांकि, पाठकों और नौकरी तलाशने वालों के हित को ध्यान में रखते हुए 16 मई, 2020 को इसकी डिजिटल कॉपी का प्रकाशन फिर शुरू किया गया। 18 जुलाई, 2020 से इसने मुद्रित और डिजिटल दोनों प्रतियों का पूर्ण प्रकाशन फिर से शुरू कर दिया।

एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ने 1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2020 के दौरान 1,688 से अधिक विज्ञापनों का प्रकाशन किया।

व्यापार और विपणन

प्रकाशन विभाग का व्यापार स्कंध अपनी पत्रिकाओं/पुस्तकों/प्रकाशनों के बहु–आयामी विपणन और प्रचार में लगा हुआ है। प्रकाशन विभाग महानगरों के नए युग के पाठकों के साथ–साथ कस्बों और गांवों के ज़मीनी–स्तर के पाठकों तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रहा है। व्यापार स्कंध प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों को अपने विक्रय केंद्रों, क्षेत्रीय बिक्री इकाइयों (अहमदाबाद और बंगलुरु में), पंजीकृत एजेंटों के जरिए, पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेकर और सार्वजनिक सूचना अभियानों तथा बिक्री संवर्धन गतिविधियों के माध्यम से बेचता है।

तेज़ी से डिजिटाइज होते भारत और दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, प्रकाशन विभाग ने भी ई–बुक्स और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपना स्थान बनाया है। वर्तमान में मुद्रित पुस्तकें ऑनलाइन बिक्री के लिए भारतकोष पोर्टल और प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म (अमेजन, गूगल प्ले) और ई–रिसोर्स एग्रीगेटर्स (जीआईएसटी) ई–पुस्तकों के विपणन और विक्रय में जुटे हैं।

प्रकाशन विभाग ने अपनी पत्रिकाओं को अमेजन किंडल, गूगल प्ले, गूगल बुक्स जैसे ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से सूचीबद्ध करने और बेचने की दिशा में एक नई पहल की है। अब इन पोर्टल पर पत्रिकाएं (योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती) डीआरएम सुरक्षा के साथ डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हैं। वर्तमान में डीपीडी की 14 पत्रिकाएं ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

ई–कॉमर्स

ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ई–पुस्तकों की बिक्री

- **475 ई–पुस्तक शीर्षक अमेजन किंडल और गूगल प्ले पर उपलब्ध हैं** (जनवरी 2021 तक)।
- **वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल ई–पुस्तकें बिकीं : 6,778** (31 दिसंबर, 2020 तक)

मुद्रित पुस्तकों की ऑनलाइन बिक्री

- प्रकाशन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से 1,750 से अधिक मुद्रित पुस्तकें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और 350 से अधिक मुद्रित पुस्तकें भारतकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं।
- भारतकोष पोर्टल पर बिकीं कुल मुद्रित पुस्तकें : 1,155
- डीपीडी वेबसाइट पर (अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक) बिकीं कुल पुस्तकें : 507

भारतकोष पोर्टल पर पत्रिकाओं (योजना और अन्य पत्रिकाएं) की सदस्यता

- अप्रैल–दिसंबर, 2020 में बेची गई पत्रिकाओं की कुल संख्या : 5,85,617

डिजिटल डीपीडी ऐप विकसित किया गया और ई–पुस्तकें बेचने के लिए शुरू किया गया

बिक्री राजस्व (31 जनवरी, 2021 तक)

डीपीडी : ₹ 748.37 लाख

एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ (प्राप्तियां) : ₹ 625.11 लाख

सरकार/संस्थानों से सीधे ऑर्डर

प्रकाशन विभाग सरकारी निकायों, स्वायत्त संस्थानों, राज्य सरकार के अधिकारियों, संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों तक सक्रिय रूप से पहुंच बना रहा है और उन्हें बिक्री ऑर्डर में बदला जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के तत्वावधान में उद्घाटित एक नए पुस्तकालय ने डीपीडी की पुस्तकों को शामिल किया है और उन पुस्तकों को पुस्तकालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है।
- डीपीडी ने भारत के कई राज्यों के पुस्तकालयों को पुस्तकों की आपूर्ति के लिए **समग्र शिक्षा अभियान** (शिक्षा मंत्रालय के तहत) के साथ करार किया है। डीपीडी को ओडिशा, त्रिपुरा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और दिल्ली से बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिले हैं। ऑर्डर की अनुमानित सकल राशि 18.33 करोड़ रुपये (लगभग) है। इसके अलावा, कई अन्य राज्यों के पुस्तकालय (उपरोक्त के अतिरिक्त) पुस्तकों की आपूर्ति के लिए डीपीडी से सम्पर्क कर रहे हैं और जिन राज्यों को डीपीडी पहले से पुस्तकों की आपूर्ति कर रहा है, वे दोबारा ऑर्डर भेज रहे हैं।

सूची कार्य प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण

सूची कार्य प्रबंधन और अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण (सीआईएम परियोजना), नई पीढ़ी के पाठकों तक पहुंचने, उन्हें उनकी पसंद के प्लेटफार्मों के माध्यम से सूचित तथा शिक्षित करने और बदलती तकनीकी तथा व्यावसायिक परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के डीपीडी के प्रयासों का केंद्र है। इस ईआरपी परियोजना के सभी मॉड्यूल शुरू किए गए थे, इनमें विभाग के सभी केंद्रों में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग का परीक्षण–प्रचालन भी शामिल था।

सोशल मीडिया

प्रकाशन विभाग ने अपने फॉलोअर्स और संभावित पाठकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। डीपीडी ने महीने के महत्वपूर्ण मामलों/घटनाओं पर ऑनलाइन पाक्षिक प्रश्नोत्तरी प्रारंभ की, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स के साथ इसकी संबद्धता में वृद्धि हुई। डीपीडी ने पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं में विषय सामग्री पोस्ट की। डीपीडी ने आकाशवाणी के साथ मिलकर 'एम्प्लॉयमेंट न्यूज़' और 'बुक रिव्यू' नाम से दो कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसे सोशल मीडिया पर विधिवत साझा किया गया। @DPD_India ट्विटर हैंडल पर 9,134 से अधिक फॉलोअर्स और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @Employ_News पर 24 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं।

भारतीय जनसंचार संस्थान

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। इसे मीडिया और जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के मूलभूत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु स्थापित किया गया था। संस्थान ने गत 55 वर्षों में अपनी स्थापना के मूल लक्ष्य 'सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों की सूचना एवं प्रचार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शोध और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना' के अनुरूप आधुनिक युग में तेज़ी से विस्तृत होते हुए तथा परिवर्तनशील मीडिया उद्योग की विविध एवं अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक विशेष पाठ्यक्रमों की शुरुआत और उनका सफल प्रबंधन किया है।

वर्ष 2020 में, *इंडिया टुडे* ने फिर से **आईआईएमसी को जनसंचार क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में प्रथम स्थान** दिया और *द वीक* ने इसे भारत में जनसंचार कॉलेजों के बीच प्रथम स्थान दिया।

संस्थान की सत्यापित फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज, एक सक्रिय ट्विटर अकाउंट और एक यूट्यूब चैनल सहित सोशल मीडिया पर सक्रिय मौजूदगी है।

4 जुलाई, 2020 को आईआईएमसी ने अपने नए महानिदेशक, वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रख्यात शिक्षाविद् प्रो. संजय द्विवेदी का स्वागत किया।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

आईआईएमसी प्रिंट पत्रकारिता (हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, उर्दू, मराठी और मलयालम भाषा), रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता तथा विज्ञापन एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। संस्थान के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में, कक्षा में शिक्षण, कड़े अभ्यासों के जरिए अभ्यास, लैब जर्नल्स, परियोजनाओं और फील्ड दौरों आदि का उचित सम्मिश्रण रहता है। 2020 के आरंभ में काविड–19 महामारी और लॉकडाउन के कारण संस्थान ने विद्यार्थियों को पढ़ाने/प्रशिक्षित करने के लिए ऑनलाइन माध्यम अपनाना शुरू किया, जो वर्तमान 2020–21 शैक्षिक सत्र में जारी है।

आईआईएमसी के प्लेसमेंट प्रकोष्ठ ने 2019–2020 के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्लेसमेंट में सहायता की और इस प्रक्रिया में 40 संस्थाओं ने भाग लिया। इनमें सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, कॉर्पोरेट घराने, मीडिया संस्थान तथा गैर–सरकारी संगठन शामिल हैं। आईआईएमसी प्लेसमेंट प्रक्रिया के माध्यम से कुल 151 नौकरियों की पेशकश की गई। इनमें से 121 पूर्णकालिक नौकरियां और 30 इंटर्नशिप थीं।

आईआईएमसी ने सभी स्नातकोत्तर डिप्लामा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के 2020–21 बैच का एक सप्ताह लंबे ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम में 23 से 27 नवंबर, 2020 तक स्वागत किया। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया। सप्ताह के दौरान आईआईएमसी के महानिदेशक और सभी संकाय सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग और शैक्षिक जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने नए बैच के साथ बातचीत की।

अल्पकालीन पाठ्यक्रम

आईआईएमसी सशस्त्र बलों, केंद्र तथा राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए संचार, जनसंपर्क और अनुसंधान में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन करता है। आईआईएमसी के अल्पकालीन पाठ्यक्रम विभाग द्वारा दिसंबर, 2020 में सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का मीडिया संचार कार्यक्रम आरंभ किया गया। माननीय रक्षा एवं आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीपद येसो नायक ने विदाई समारोह को संबोधित किया।

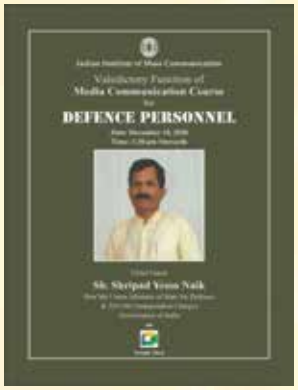

विकास पत्रकारिता पाठ्यक्रम

आईआईएमसी का विकास पत्रकारिता पाठ्यक्रम अनुभव, विशेषज्ञता और नवोन्मेषों के आदान–प्रदान के द्वारा विशेषकर विकासशील देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समझ को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटेक/एससीएएपी तथा कोलंबो योजनाओं के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले प्रमुख पाठ्यक्रमों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में, आईआईएमसी ने वर्णानुक्रम में अफगानिस्तान से जिम्बाब्वे तक 127 देशों के 1,600 से अधिक विदेशी पत्रकारों को प्रशिक्षित किया है।

भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) अधिकारियों का प्रशिक्षण

आईआईएमसी अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय सूचना सेवा की प्रशिक्षण अकादमी के रूप में कार्य कर रहा है। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने वाले आईआईएस समूह 'ए' अधिकारियों को प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह पूर्व पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर भर्ती किए गए आईआईएस ग्रुप 'बी' अधिकारियों को भी बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करता है। आईआईएस समूह के 22 अधिकारी प्रशिक्षु नवंबर, 2020 तक प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। 2018 बैच के 21 अधिकारी प्रशिक्षुओं ने चरण II का दो सप्ताह का प्रशिक्षण लिया और विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा किया। वित्त वर्ष 2020–21 में 66 समूह 'ख' अधिकारियों के लिए 6 माह का बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया गया।

संचार अनुसंधान और लोकसंपर्क गतिविधियां

आईआईएमसी एशिया का पहला ऐसा संस्थान है जिसमें एक समर्पित संचार अनुसंधान विभाग है, जो विविध मंत्रालयों और सरकारी विभागों के लिए अनुसंधान/विश्लेषण और प्रभाव का आकलन अध्ययन करता है। शोध में प्रमुख रूप से सरकार के अभियानों, प्रभाव विश्लेषणों, फीडबैक आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और सरकारी अभियानों तथा संचार कार्यक्रमों की रणनीति तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्रदान किया जाता है। इस विभाग ने मंत्रालयों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के लिए जनस्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से लेकर मीडिया की राजनीतिक अर्थव्यवस्था तक विभिन्न विषयों और थीमों पर 200 से अधिक शोध अध्ययनों के साथ पिछले 55 वर्षों में संचार में शोध के लिए एक मानदंड स्थापित किया है।

अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक इसके द्वारा की गई (और वर्तमान में जारी) प्रमुख शोध और प्रशिक्षण गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

1. **सुरक्षित और वैध प्रवासन पर मास मीडिया अभियान का मूल्यांकन और प्रभाव आकलन का अध्ययन** (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिकृत) : इस मूल्यांकन अध्ययन का उद्देश्य रोज़गार के लिए विदेश में जाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों सहित लक्षित आबादी तक संचार अभियान की पहुंच के प्रभाव का आकलन करना है। अध्ययन का लक्ष्य लक्षित आबादी के बीच सुरक्षित और वैध प्रवासन के बारे में चिंताओं का परीक्षण करना भी है।

2. **स्वास्थ्य साक्षरता** पर टीवी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रभावकारिता : **लोकसभा टीवी के *हेल्दी इंडिया***

कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिकृत) : यह अध्ययन स्वास्थ्य से संबंधित अत्यधिक सूचनाएं प्रदान करने वाले विविध प्रकार के मीडिया प्लेटफार्मा से भरे वातावरण में *लोकसभा टीवी* पर प्रसारित होने वाले *हेल्दी इंडिया* कार्यक्रम की प्रभावकारिता का पता लगाएगा। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों का दर्शकों की स्वास्थ्य साक्षरता पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, इस बात का पता लगाने की दृष्टि से यह अध्ययन महत्वपूर्ण है।

3. **संचार शोध के 50 वर्षों** पर स्मारक संस्करण : 1965 से आईआईएमसी शोध अध्ययनों का सारांश डिजिटल प्रारूप में तैयार करना।

सामुदायिक रेडियो

आईआईएमसी 2015 से अपना सामुदायिक रेडियो चला रहा है। इसे 'अपना रेडियो 96.9' कहा जाता है। विगत छह वर्षों के दौरान इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन में नई जान डालने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। 2020 में 'अपना रेडियो' ने विविध स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, दाखिले की प्रक्रिया और आईआईएमसी से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियों से भावी विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए **एडमिशन सीरीज 2020** नामक कार्यक्रम का संचालन किया। **सरदार वल्लभभाई पटेल की 145वीं जयंती** के अवसर पर आईआईएमसी ने नवंबर, 2020 में 'अपना रेडियो' पर **सबका साथ, सबका विकास** विषय पर वेबिनार भी आयोजित किया।

संचार पत्रिकाएं

आईआईएमसी का प्रकाशन विभाग दो समीक्षागत शोध जर्नल : ***कम्युनिकेटर*** (अंग्रेजी त्रैमासिक) और ***संचार माध्यम*** (हिंदी द्वि–वार्षिक) का प्रकाशन करता है। ये जर्नल भारत में प्रकाशित होने वाले सबसे पुराने संचार जर्नल हैं। ये प्रमुख जर्नल संचार से संबंधित मूल शोध प्रकाशित करते हैं और विद्वानों, पेशेवरों और नीति–निर्माताओं के अधिक से अधिक लाभ हेतु संचार और इससे संबंधित शाखाओं में उपलब्ध सर्वोत्तम साहित्य को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं।

स्मारक व्याख्यान

आईआईएमसी ढेंकनाल ने अगस्त 2020 में *टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग : इज़ दिस द न्यू नॉर्मल?* विषय पर पांचवां प्रो. के.एम. श्रीवास्तव स्मारक व्याख्यान आयोजित किया। इसमें ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. श्रीकांत महापात्र वक्ता थे।

सूचना संसाधन केंद्र

संस्थान के पास देश में जनसंचार साहित्य का सबसे बड़ा विशिष्ट पुस्तकालय है। जनसंचार के विविध पहलुओं और संबंधित विषयों की पुस्तकों और बाउंड जर्नल्स के लगभग 36,377 खंडों का संग्रह मौजूद है। पुस्तकालय के पास 84 से अधिक जर्नल/पत्रिकाओं तथा 32 प्रमुख समाचारपत्रों की सदस्यता है। पुस्तकालय ने एक अत्याधुनिक मल्टीमीडिया, संदर्भ और अनुसंधान अनुभाग भी विकसित किया है।

ग्रंथसूची सेवा

जनसंचार और संबंधित विषयों जैसे– प्रसारण, मीडिया, रेडियो और टेलीविजन पर विषय ग्रंथसूची की मांग किए जाने पर इसे ऑनलाइन तथा मुद्रित रूप में भी उपलब्ध कराया जाता है।

प्लान योजना एवं अवसंरचना विकास

'अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन' करने हेतु प्लान स्कीम को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया और इसके लिए कुल 62 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई। योजना के प्रस्तावों में भारतीय जनसंचार संस्थान का उन्नयन यानी आईआईएमसी परिसर, नई दिल्ली में अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण साथ ही साथ महाराष्ट्र, मिज़ोरम, केरल और जम्मू

में चार नए क्षेत्रीय परिसरों की शुरुआत करना शामिल है। कोट्टायम में स्थायी परिसर और आइजोल परिसर में एक नए भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जम्मू के स्थायी भवन का निर्माण कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

शिक्षण उपकरण/सुविधाएं

संस्थान अपने विद्यार्थियों को पर्याप्त और उपयुक्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है ताकि विद्यार्थी इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का पूरे आत्मविश्वास के साथ सामना करने में सक्षम बन सकें। इन सुविधाओं को निरंतर उन्नत बनाया जा रहा है और वर्ष के दौरान जारी कोविड–19 महामारी के कारण कक्षा में शिक्षण की सीमाओं को देखते हुए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गईं। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सभी शिक्षकों और शैक्षिक कर्मचारियों को जुलाई 2020 से गूगल मीट, जी–सूट, वेबेक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्ट्रीमयार्ड और गो टू वेबिनार जैसे विविध ऑनलाइन शिक्षण सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षित किया गया है।

नागरिक घोषणा–पत्र एवं शिकायत निवारण तंत्र

नये नागरिक घोषणा–पत्र को नए दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है और आईआईएमसी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। संस्थान के एक अधिकारी को लोक शिकायत निवारण अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। प्राप्त शिकायतों की जांच संस्थान द्वारा की जाती है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उनका निवारण किया जाता है।

एससी/एसटी श्रेणी के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और उनकी शिकायतों/समस्याओं के निवारण हेतु दिल्ली परिसर और क्षेत्रीय परिसरों, दोनों में एक पृथक एससी/एसटी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

अन्य प्रमुख गतिविधियां

1. आईआईएमसी ढेंकनाल ने कोलकाता प्रेस क्लब के साथ मिलकर *हाउ टू वेरिफाई फेक न्यूज़* पर दिशा–निर्देश तैयार किए। इसे छह भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, बंगाली, तेलुगू और तमिल) में अनुवाद कर देशभर में वितरित किया गया। कोलकाता प्रेस क्लब के सहयोग से कोविड–19 के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा पर भी दिशा–निर्देश तैयार किए गए। इन दिशा–निर्देशों का तमिल में अनुवाद यूनिसेफ चेन्नई द्वारा चेन्नई प्रेस क्लब के सहयोग से किया गया।

2. संस्थान द्वारा 27 जुलाई, 2020 से चार सप्ताह का **मॉड्यूल ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर कम्यूनिकेशन** शुरू किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आईआईएस अधिकारी प्रशिक्षुओं से संवाद किया। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियानों में से एक की सफलता में अबव–द–लाइन और बिलो–द–लाइन संचार के महत्व को रेखांकित किया।

3. आईआईएमसी ने 17 अगस्त, 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' पर ऑनलाइन स्थापना दिवस व्याख्यान दिया।

4. पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की द्विशती के अवसर पर, आईआईएमसी ढेंकनाल ने कोलकाता प्रेस क्लब के साथ मिलकर 11 सितंबर, 2020 को *विद्यासागरः द मैन एंड हिज मिशन का* ई–पैनल पर चर्चा का आयोजन किया।

5. आईआईएमसी ढेंकनाल ने 14 मई, 2020 को एक कॉफी टेबल बुक *फोटोग्राफिया.3* का विमोचन किया। 19 सितंबर, 2020 को *आईआईएमसी ढेंकनाल मोनोग्राफः मीडिया इन द टाइम ऑफ कोविड–19* भी लान्च किया।

6. आईआईएमसी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर, 2020 को *महात्मा गांधी एज़ ए कम्युनिकेटर* पर वेबिनार का आयोजन किया। संस्थान में गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर पौधरोपण अभियान का आयोजन किया गया।

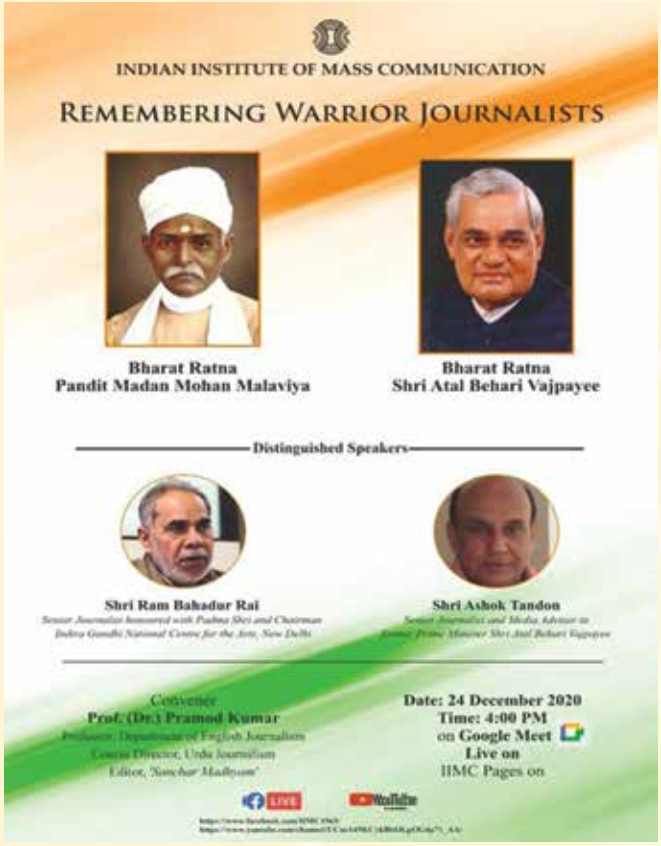

7. 16 अक्टूबर, 2020 को एनईआर परिसर में जनसंचार विभाग, मिज़ोरम विश्वविद्यालय के डॉ. रेमरुआती के साथ 'वैल्यूज़ एंड एथिक्स ऑफ़ जर्नलिज्म' पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया।

8. आईआईएमसी ने पत्रकारिता और मीडिया शिक्षा तथा अनुप्रयुक्त शोध को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

9. दिसंबर 2020 से संस्थान की ओर से एक नई पहल– **'फ्राइडे डायलॉग'** की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत प्रमुख मीडियाकर्मी, कलाकार, शिक्षाविद और उद्योग जगत के विशेषज्ञ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया से जुड़े समकालीन विषयों पर हर शुक्रवार छात्रों को संबोधित करते हैं।

10. आईआईएमसी ने दिसंबर में एक विशेष कार्यक्रम *रिमेम्बरिंग वॉरियर जर्नलिस्ट्सः पंडित मदन मोहन मालवीय एंड श्री अटल बिहारी वाजपेयी* का आयोजन उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर किया।

11. 12 जनवरी, 2021 को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आईआईएमसी मुख्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया।

12. आईआईएमसी ढेंकनाल ने 14 से 16 जनवरी, 2021 तक एक ऑनलाइन कार्यशाला, वेबिनार, फ़िल्म स्क्रीनिंग, प्रदर्शनी और *फ़िल्मी चक्कर* प्रतियोगिता का आयोजन किया।

13. 16 जनवरी, 2021 को स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत के अवसर पर आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी द्वारा संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)

भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत कार्य करती है। यह एक संवैधानिक, अर्द्धन्यायिक प्राधिकरण है जो प्रेस के एक प्रहरी के रूप में प्रेस के लिए और प्रेस के द्वारा कार्य करता है। यह आचार संहिता के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन की क्रमशः प्रेस के विरुद्ध और प्रेस द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करता है।

परिषद के समक्ष शिकायतें

1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2020 तक परिषद में कुल **2,266 शिकायतें** दायर हुईं। इनमें से **332** शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए सरकार के प्राधिकारियों के खिलाफ प्रेस द्वारा की गई थीं और **1,934** शिकायतें पत्रकारिता के आदर्शों के उल्लंघन के लिए प्रेस के खिलाफ की गई थीं। इनमें से इस दौरान **82** मामलों (पिछले साल के अग्रेषित किए गए मामलों सहित) का निपटान किया गया, जिन्हें या तो अधिनिर्णय के माध्यम से या अध्यक्ष की मध्यस्थता से हुए समझौते पर अध्यक्ष द्वारा संक्षिप्त निपटान के माध्यम से या पूछताछ के लिए पर्याप्त आधार न होने या गैर–अनुपालन के कारण; मामला वापस लेने

या विचाराधीन होने के कारण निपटाया गया।

स्व प्रेरणा से संज्ञान

परिषद ने मीडियाकर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और प्रेस की स्वतंत्रता के ख़तरे से संबंधित **32** मामलों में स्व प्रेरणा से संज्ञान लिया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2020

राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कोविड–19 महामारी के कारण राष्ट्रीय प्रेस दिवस नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में **'कोविड–19 महामारी के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर इसका प्रभाव'** विषय पर आयोजित वेबिनार के माध्यम से विचार–विमर्श करके मनाया गया।

इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने इस विषय पर संदेश/ऑडियो–वीडियो संबोधनों के माध्यम से अपने विचार साझा किए। इस वेबिनार की अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने की।

महामहिम राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कोविड–19 से संबंधित मुद्दों से निपटने में मीडिया के प्रयासों की सराहना की। चूंकि मीडिया ने लोगों को शिक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तरह से महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद मिली। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कोविड–19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाकर और 'वोकल फॉर लोकल' के संदेश को लोगों के बीच फैलाने में निरंतर असाधारण सेवा दे रहे मीडिया की सराहना की।

भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रमौली कुमार प्रसाद, महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री का लिखित संदेश पढ़ते हुए।

राजभाषा

परिषद के सचिवालय में 14–28 सितंबर, 2020 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान अन्य गतिविधियों के अलावा सचिवालय में हिंदी के महत्वपूर्ण उद्धरणों को दर्शाने के लिए पोस्टर तैयार किए गए। पीसीआई कर्मचारियों को कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में मूल्यवान योगदान देने के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत टिप्पण, प्रारूप लेखन और टंकण जैसी विविध श्रेणियों और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के लिए पुरस्कृत किया गया।

सतर्कता

भारतीय प्रेस परिषद का सचिव, कार्यालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है। परिषद के सतर्कता ढांचे में उप सचिव, अवर सचिव (प्रशासन) और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) होते हैं, जो परिषद के सचिव (सीवीओ) और अध्यक्ष की सीधी निगरानी में काम करते हैं। इन्होंने सचिवालय में भ्रष्टाचार को रोकने/निपटने के लिए औचक और नियमित रूप से जांच की।

न्यू मीडिया विंग

वर्ष 1945 में स्थापित अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, जिसका नाम 2013 में न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) रखा गया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सूचना प्रसार इकाई के साथ–साथ मंत्रालय के लिए सूचना सेवा इकाई के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय, उसकी मीडिया इकाइयों और जनसंचार में लगे अन्य लोगों के उपयोग के लिए पृष्ठभूमि, संदर्भ और शोध सामग्री प्रदान करता है।

न्यू मीडिया विंग मंत्रालय के न्यू मीडिया सेल (एनएमसी) अनुभाग को अपने सोशल और डिजिटल मीडिया प्रचार, सार्वजनिक सूचना और जनसंचार के लिए कार्यात्मक और परिचालनात्मक सहायता प्रदान करता है। विभाग भारतीय सूचना सेवा

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में ''कोविड–19 महामारी के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर इसका प्रभाव" विषय पर ऑडियो–वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार साझा करते हुए।

(आईआईएस) के अधिकारियों के प्रशिक्षण में भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) की सहायता करता है। यह संचार से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन भी करता है और सोशल मीडिया के विभिन्न पहलुओं पर अन्य मंत्रालयों/विभागों को सहयोग देता है।

अप्रैल 2020 से न्यू मीडिया विंग की गतिविधियां

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया की संवादमूलक प्रकृति के कारण, नागरिकों को जानकारी प्रदान करने और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने में नागरिकों के साथ सरकार का जुड़ाव अधिक प्रभावशाली हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का न्यू मीडिया विंग वर्चुअल दुनिया में सरकार और बड़े पैमाने पर जनता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करके इन अंतरसंवादों को सक्षम बना रहा है।

कोविड–19 प्रबंधन पर आधिकारिक अपडेट के लिए विशेष ट्विटर हैंडल की शुरुआत : IndiaFightsCorona @COVIDNewsByMIB

न्यू मीडिया विंग ने भारत सरकार द्वारा जारी कोविड–19 से संबंधित सभी आधिकारिक सूचनाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए 31 मार्च, 2020 को विशेष ट्विटर हैंडल शुरू किया। इस पहल को ट्विटर उपयोगकर्ताओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पीआईबी प्रेस विज्ञप्तियों, अधिसूचनाओं और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी परामर्शों के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा साझा किए गए अच्छे तौर–तरीकों और दिशानिर्देशों से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचनाओं के साथ ट्विटर हैंडल को पूरे दिन अद्यतन किया जाता है।

इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से पोस्ट की गई जानकारी में कोविड–19 के बारे में मिथक और तथ्य, तालिका तथा नक्शे के रूप में संक्रमित रोगियों और स्वस्थ होने वालों के दैनिक आंकड़े, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए निवारक उपायों, कार्यवाहियों और हेल्पलाइन नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

@COVIDNewsByMIB हैंडल आसानी से समझने योग्य इन्फोग्राफिक्स, वीडियो और समय पर सटीक जानकारी के माध्यम से कोविड–19 के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें शिक्षित करने में क्रियाशील है।

एनएमडब्ल्यू द्वारा एक समर्पित हैशटैग **#We4Vaccine** से सोशल मीडिया पर कोविड–19 टीकाकरण अभियान की व्यापक कवरेज करवाई जा रही है।

31 मार्च, 2021 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट से संबंधित आंकड़ें :

अकाउंट / हैंडल आईडी	प्लेटफार्म	सब्स्क्राइबर्स / फॉलोअर्स
@MIB_India	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए (अंग्रेजी) ट्विटर हैंडल	12 लाख
@MIB_Hindi	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए (हिंदी) ट्विटर हैंडल	66 हजार
@COVIDNewsByMIB	कोविड–संबंधी ताज़ा जानकारी के लिए समर्पित ट्विटर हैंडल	130 हजार
@inbministry	फेसबुक	13 लाख
@MIB_India	इन्स्टाग्राम	177 हजार
Ministry of I&B	यूट्यूब	171 हजार

मंत्रालय का ट्विटर हैंडल**@MIB_India** हर महीने औसतन 2.7 मिलियन इंप्रेशन जनरेट करता है और यूट्यूब चैनल को प्रतिमाह औसतन 537 हज़ार व्यू मिलते हैं। **@ CovidNewsByMIB** से पोस्ट की गई सामग्री पर औसतन प्रतिदिन 600 हज़ार इंप्रेशन मिलते हैं। मंत्रालय के फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई सामग्री हर महीने औसतन 295 हजार से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचती है।

आयोजनों और कार्यक्रमों की कवरेज

न्यू मीडिया विंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पोषण माह 2020, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, मेक इन इंडिया जैसे सरकार के विभिन्न अभियानों में सहायता दी है। सरकार जब भी विभिन्न प्रकार के अभियान शुरू करती है तो सोशल मीडिया के उपयुक्त सामग्री तैयार की जाती है और उसे विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रसारित किया जाता है। अधिकतम प्रभाव के लिए ऐसी सभी गतिविधियों का अन्य विभागों के साथ समन्वय किया जाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के और इसके द्वारा प्रचार के संबंध में विभिन्न सरकारी योजनाओं, पहलों और अभियानों जैसे आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, सुरक्षित दिवाली,

#SafeDiwali का प्रचार करने के लिए बनाए गए ग्राफिक पोस्टरों में से एक

राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रचारित किया गया। न्यू मीडिया विंग ने कोविड–19 के फैलाव को रोकने के लिए उचित आदतों के प्रचार, सार्वजनिक सूचना और जनसंचार अभियान को 'जन आंदोलन' के रूप में चलाने में योगदान देकर सोशल मीडिया पर प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाई।

न्यू मीडिया विंग ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित आयोजनों को सोशल मीडिया पर व्यापक कवरेज भी प्रदान की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंग्रेजी और हिंदी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किए गए, जबकि आयोजनों से संबंधित फोटो, वीडियो और प्रेस विज्ञप्तियां सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों पर साझा की गईं।

न्यू मीडिया विंग द्वारा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों, मन की बात का सोशल मीडिया पर प्रचार और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को नियमित आधार पर कवर किया जाता है। विंग, मंत्रिमंडल के फैसलों, स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग, संवाददाता सम्मेलनों और प्रेस विज्ञप्तियों का भी सोशल मीडिया पर प्रचार करता है।

भारत–वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

विंग, हर साल वार्षिक संदर्भ ग्रंथ–*इंडिया* का संकलन करता है। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों और सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों द्वारा किए गए विकास और प्रगति की जानकारी होती है। यह देश के विभिन्न पहलुओं– राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के बारे में जानकारियों का एक मूल्यवान स्रोत है। हिंदी में इसे *भारत* नाम से प्रकाशित किया जाता है।

प्रशिक्षण

विंग ने भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया प्रशिक्षण मॉड्यूल का आयोजन किया। प्रशिक्षण का नेतृत्व सोशल मीडिया विश्लेषण क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किया गया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, नई दिल्ली में 4 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 'डीडी असम 24X7' चैनल का उद्घाटन करते हुए।

5 प्रसारण क्षेत्र

एक अवलोकन

प्रसारण क्षेत्र केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय–समय पर जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के जरिए निजी उपग्रह चैनलों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को नियंत्रित करता है। केबल प्रसारण सेवाओं में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)/स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ), डायरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) ऑपरेटर, हेडेंड–इन–द–स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता शामिल हैं। यह डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को अपने संबंधित कार्यों के लिए लाइसेंस/अनुमति देता है। दूरदर्शन अपनी डीटीएच सेवाएं मुफ्त प्रदान कर रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने 6 नवंबर, 2020 के आदेश के जरिए भारत में हेडेंड–इन–द–स्काई (एचआईटीएस) प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए लागू 26.11.2009 के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। ये संशोधन एचआईटीएस ऑपरेटर को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/एचआईटीएस ऑपरेटर के साथ एचआईटीएस बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति देते हैं।

कोविड–19 महामारी के दौरान, इस मंत्रालय ने समूचे भारत में शिक्षार्थियों/विद्यार्थियों के हित में 7 अप्रैल, 2020 को सभी डीटीएच/एमएसओ/एलसीओ ऑपरेटरों को एक परामर्श जारी किया जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए आवंटित तीन फ्री–टू–एयर डीटीएच चैनलों का अनुसरण करते हुए अपने–अपने प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाए :

(i) पाणिनी चैनल #27 एनआईओएस को आवंटित

(ii) शारदा चैनल #28 एनआईओएस को आवंटित

(iii) किशोर मंच चैनल #31 एनसीईआरटी को आवंटित

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गैज़ेट अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4136 (ई) दिनांकित 15 नवंबर, 2019 के माध्यम से अधिसूचित किया कि डीडी यदागिरि को सभी वितरण कर्ता ऑपरेटर्स दूरदर्शन के साथ अनिवार्यतः चलने वाले चैनल के रूप में प्रसारित करेंगे यथा एमएसओ/एलसीओ/डीटीएच/एचआईटीएस/आईपीटीवी ऑपरेटर्स।

दिव्यांग कानून अधिनियम 2016 को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 11 सितंबर, 2019 को 'श्रवण बाधित लोगों हेतु टेलीविज़न कार्यक्रमों के अभिगम्यता मानक' जारी किया ताकि श्रवण बाधित लोगों की टीवी तक आसानी से पहुंच बन सके।

भारत में प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

भारत भूमि से पहले प्राइवेट टीवी चैनल को वर्ष 2000 में अपलिंक की अनुमति मिली थी। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में विस्तार के साथ ही, भारत में टीवी चैनलों को अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग की मांग कई गुना बढ़ गई जिससे अपलिंकिंग हेतु वर्ष 2002 में और डाउनलिंकिंग हेतु वर्ष 2005 में नितिगत दिशानिर्देशों की अवस्थापना हुई। इन दिशानिर्देशों को दिसंबर 2011 में संशोधित किया गया था। ये मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

टेलीविजन चैनलों का विकास

1. पहले निजी उपग्रह टीवी चैनल आजतक को वर्ष 2000 में अनुमति दी गई थी। इसके बाद से भारत में बड़ी संख्या में निजी उपग्रह टीवी चैनलों का तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। मंत्रालय ने **14 दिसंबर, 2020 तक भारत में 914** चैनलों को अनुमति दी है।

मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त टेलीविजन चैनलों की संख्या

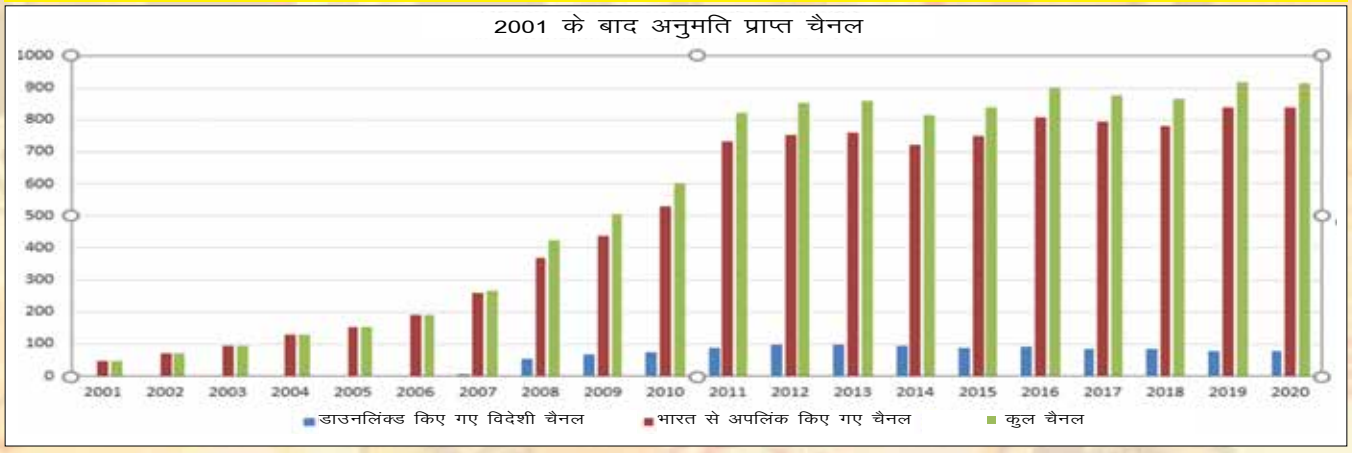

अनुमति प्राप्त समाचार चैनल बनाम गैर–समाचार चैनल

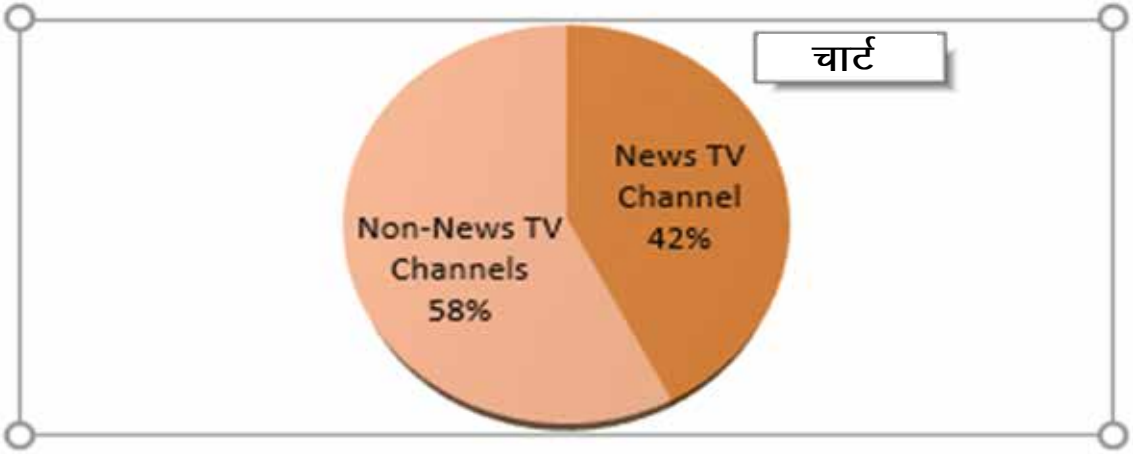

मंत्रालय ने प्रसारण क्षेत्र के विकास और प्रबंधन के लिए कुशल और पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करने हेतु सभी प्रसारण सेवाओं के लिए एक पोर्टल–**ब्रॉडकास्टसेवा** विकसित किया है। **ब्रॉडकास्टसेवा** के माध्यम से निम्नलिखित मॉड्यूल के तहत आवेदकों को व्यापक सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(i) टीवी चैनलों की आपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग हेतु नई अनुमति/पुरानी अनुमति का नवीकरण।

(ii) मौजूदा प्रसारकों द्वारा वार्षिक अनुमति शुल्क का भुगतान।

(iii) अस्थाई अपलिंक अनुमति के लिए आवेदन।

(iv) डीएसएनजी/एसएनजी उपकरणों हेतु अनुमति।

(v) न्यूज़ एजेंसी हेतु अनुमति।

(vi) चैनल में विभिन्न परिवर्तनों के लिए आवेदन अर्थात् नाम तथा लोगो का परिवर्तन, उपग्रह का परिवर्तन, टेलीपोर्ट और टेलीपोर्ट स्थान का परिवर्तन, चैनल की श्रेणी/भाषा का परिवर्तन, प्रसारण का तरीका।

आवेदक कंपनियां (प्रसारक/टेलीपोर्ट ऑपरेटर) अब वेब पोर्टल www.broadcastseva.gov.in. पर दाखिल किए गए ऑनलाइन आवेदनों की लाइव ट्रैकिंग/तत्कालीन स्थिति देख सकते हैं। इस संबंध में, प्रसारकों द्वारा उनके आवेदन को लाइव ट्रैक करने के लिए पालन की जाने वाली नियत प्रक्रिया की जानकारी दे दी गई है। इस प्रकार से, सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने की समयावधि घट गई है एवं प्रक्रिया में तेज़ी आ गई है।

टीवी चैनलों की सामग्री पर नियंत्रण

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और भारत से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग के लिए 2011 की नीति के अनुसार, प्रत्येक प्रसारक के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके तहत निर्धारित नियमों के अनुरूप कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करना अनिवार्य किया गया है। सैटेलाइट टीवी चैनलों की सामग्री के विनियमन हेतु एक अंतर–मंत्रालयी समिति अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में गठित की गई है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिध यथा गृह, विधि और न्याय, महिला एवं बाल विकास, विदेश, रक्षा, उपभोक्ता मामले और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया में उद्योग के एक प्रतिनिधि शामिल है। यह समिति इस बात पर अपने सुझाव देती है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं।

यह अंतर–मंत्रालयी समिति परामर्शदायी की क्षमता में कार्य करती है। जुर्माना और उसके परिमाण को लेकर अंतिम निर्णय इस अंतर–मंत्रालयी समिति के परामर्शों के आधार पर लिया जाता है।

वर्ष के दौरान, कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन पाए जाने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अनुसार मंत्रालय द्वारा उचित कार्रवाई की गई थी और आवश्यकतानुसार परामर्श, चेतावनी तथा माफी के लिए आदेश जारी किए गए थे।

वर्ष 2020 के दौरान, मंत्रालय चैनलों को 10 सामान्य परामर्श जारी किए:

क्र.सं.	विषय वस्तु	परामर्श की तिथि
1	सांकेतिक भाषा व्याख्या के साथ गणतंत्र दिवस समारोह/परेड का प्रसारण	24.1.2020
2	लिंचिंग और भीड़ हिंसा के मुद्दों पर चल रहे स्क्रॉल–तहसीन एस पूनावाला बनाम यूओआई और अन्य डब्ल्यूपी(सी) न. 754/2016 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 17.7.2018 और 24.9.2018 के आदेश का अनुपालन	27.1.2020
3	महिला सुरक्षा/संकट में व्यक्तियों के लिए आपातकालीन अनुक्रिया सहायता प्रणाली का प्रचार	30.1.2020
4	प्रोग्राम कोड के नियम 6 (1) (सी), (डी), (ई) का सख्ती से अनुपालन	25.2.2020
5	कोरोनावायरस से संबंधित संशोधित यात्रा सलाह के अनुपालन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श	3.3.2020
6	चैनलों को संसद की कार्यवाही के प्रसारण और रिपोर्टिंग के संबंध में सतर्क रहने और संसद की कार्यवाही के काट दिए गए भागों का पुनः प्रसारण से बचने की सलाह दी।	19.3.2020
7	सांकेतिक भाषा व्याख्या के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह/कमेंट्री का प्रसारण	14.8.2020
8	विज्ञापन कोड के नियम 7 (2) (8) (ए) के उल्लंघन में सरोगेट विज्ञापनों का प्रसारण	15.9.2020
9	डब्ल्यूपी (सी 6568/2020 – रकुल प्रीत सिंह बनाम यूओआई – अन्य के मामले में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए चैनलों को याचिकाकर्ता के संबंध में कोई भी रिपोर्टिंग करते हुए संयम बरतने का निर्देश दिया।	9.10.2020
10	टीवी चैनलों पर ऑनलाइन गेमिंग स्पोर्ट्स आदि के विज्ञापनों का प्रसारण	4.12.2020

राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियां

राज्य/जिला स्तर पर केबल टीवी अधिनियम और नियमों को लागू करने के लिए, मंत्रालय ने 6 सितंबर, 2005 को राज्य/जिला–स्तर पर 'केबल टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए निगरानी समिति' के लिए एक आदेश जारी किया। बाद में, इस मंत्रालय द्वारा 19 फरवरी, 2008 को जिला स्तरीय निगरानी समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए। बाद में, राज्य/जिला स्तर की निगरानी समितियों के गठन के बारे में उपर्युक्त सभी उल्लिखित आदेशों को सम्मिलित करके दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, राज्य सूचना सचिवों और सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। समितियों को निजी एफएम रेडियो चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों

की निगरानी के लिए भी अधिकृत किया गया है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश मंत्रालय की वेबसाइटः **www.mib.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

समाचार चैनलों के मामले में स्व–नियमन

केबल टीवी डिजिटीकरण की स्थिति

देश भर में केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2017 थी। 30 जून, 2020 तक मिशन डिजिटीकरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, देश अब केबल टीवी क्षेत्र में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम से युक्त है। अब देश के प्रत्येक केबल आपरेटर के लिए अनिवार्य है कि वह किसी भी चैनल के कार्यक्रमों को केवल एक डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से एन्क्रिप्टेड रूप में प्रसारित/पुनः प्रसारित करे। नवंबर 2020 तक, इस मंत्रालय ने 1702 एमएसओ के पंजीकरण की अनुमति दी है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र

वर्ष 2008 में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) को केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेजूलेशन) एक्ट, 1995 के द्वारा न्यासित किया गया है कि वह टीवी चैनलों द्वारा प्रभारित सामग्री की किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए निगरानी करे। ईएमएमसी भारतीय भू–भाग पर प्रसारित होने वाले 900 चैनलों की प्रसारण सामग्री की रिकॉर्डिंग और निगरानी हेतु तकनीकी सुविधा से लैस है।

सामुदायिक रेडियो

रेडियो प्रसारण में सामुदायिक रेडियो तीसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है, जो लोक सेवा रेडियो प्रसारण और वाणिज्यिक रेडियो से अलग है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन कम पावर वाले रेडियो स्टेशन हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए 2018 में दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया। सामुदायिक रेडियो के लिए दिशानिर्देश और वर्तमान में संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सूची को सूचना और प्रसारण की वेबसाइट www.mib.gov.in पर देखा जा सकता है।

सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि मुद्दों पर स्थानीय आवाज को स्थानीय समुदाय तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह समाज के सुविधाविहीन वर्गों के लिए अपनी समस्याएं उजागर करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके अलावा, चूंकि सामुदायिक रेडियो पर प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होता है, इसलिए लोग इससे तुरंत अपने को सम्बद्ध कर सकते हैं। सामुदायिक रेडियो भी अपने समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की क्षमता रखता है। भारत जैसे देश में, जहां हर राज्य की अपनी भाषा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, वहां सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत का भंडार भी हैं। कई सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय गीतों को रिकॉर्ड और संरक्षित करते हैं और स्थानीय कलाकारों को समुदाय में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अद्वितीय स्थिति इसे सामुदायिक सशक्तीकरण के लिए एक आदर्श उपकरण बनाती है।

दिसंबर 2020 तक **313 सामुदायिक रेडियो स्टेशन** चालू हैं। सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना–**भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन** लागू की जा रही है। इस योजना के तहत उपकरणों की खरीद/उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए मौजूदा और साथ ही नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय की पहल

कोविड–19 संबंधित संचार के लिए देश के सभी वर्गों तक पहुंचने के एक पुरजोर प्रयास में, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 22 मई, 2020 को जन समुदाय से बातचीत की और उनके विभिन्न सवालों के जवाब दिए। इस वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी और सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर किया गया। इस वार्ता का उद्देश्य भारत के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन का पर्ण उपयोग करना था।

वर्ष के दौरान, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को व्यापक जनहित में जन जागरूकता कार्यक्रमों को प्रसारित करने की सलाह दी गई। पोषण अभियान, कोविड से संबंधित उपयुक्त व्यवहार, फिट इंडिया आंदोलन और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लिए परामर्शिका जारी की गई।

वर्ष के दौरान सामुदायिक रेडियो द्वारा प्रसारित रेडियो कार्यक्रम

- लॉकडाउन के दौरान कोविड के बारे में जागरूकता, बच्चों के शिक्षा कार्यक्रम और गैर शिक्षण गतिविधियों पर कार्यक्रमों का प्रसारण ।
- कोविड–19 जागरूकता के बारे में विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों का प्रसारण।
- सभी को घर पर रहने के अनुरोध के साथ लॉकडाउन का पालन करने के बारे में प्रमुख हस्तियों के संदेशों का प्रसारण।
- काविड–19 संबंधी तथ्यों और स्वस्थ रहने संबंधी सुझावों के बारे में डॉक्टरों के संदेशों का प्रसारण।
- सामुदायिक रसोई और भोजन तथा खाद्य पदार्थों के वितरण के बारे में जानकारी।
- कोविड–19 रेडियो क्विज, नागरी मुद्दों से निपटने के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण।
- पुलिस, डॉक्टरों और स्वयंसेवकों द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी।
- लॉकडाउन के दौरान समस्याओं का सामना कर रहे विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिकों की सलाह। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने तनाव दूर करने/योग पर कार्यक्रमों का प्रसारण किया।
- मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण।

कोविड–19 के बारे में विभिन्न संगठनों द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से अन्य पहल

- अप्रैल 2020 से जून 2020 तक कोरोना सीआर डायरी पर वेबिनार की श्रृंखला। ये वेबिनार क्षेत्रवार (पूर्वोत्तर, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र) आयोजित किए गए थे। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से विषयवस्तु सृजन सूचना प्रसार और कोविड–19 से निपटने के लिए नए–नए तरीकों और अन्य मुद्दों पर विमर्श करते हुए।
- आयुष मंत्रालय ने प्रतिरक्षण के लिए आयुष नामक अपने सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के लिए सामुदायिक

रेडियो को शामिल करने हेतु एक परियोजना शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के बीच प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना है।

- कोविड से संबंधित मुद्दों पर, विभिन्न भाषाओं में स्क्रिप्ट तैयार की गईं और उनका प्रसार किया गया।
- कोविड–19 के प्रभाव पर विशेषज्ञों और संगठनों के प्रमुखों के साथ अंग्रेजी और हिंदी में साक्षात्कार की श्रृंखला प्रसारित की गई और उन्हें सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के साथ साझा किया गया।
- कोविड–सुरक्षित व्यवहार पर अभियानः मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की स्वच्छता के कोविड–सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 190 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के साथ तीन महीने चलने वाला देशव्यापी अभियान।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न संचार साधनों जैसे व्हाट्सऐप ग्रुप, ईमेल, एडवाइजरी, ऑनलाइन मीटिंग आदि के माध्यम से सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से कोविड से संबंधित जानकारी साझा की थी।

8वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के बीच नवाचार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की शुरुआत की थी जो हर साल प्रदान किए जाते थे। अब तक 7 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। वर्ष 2020–21 के लिए मंत्रालय ने 8वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार 4 श्रेणियों–विषय क्षेत्र संबंधी पुरस्कार, सर्वाधिक नवाचारी सामुदायिक समायोजन पुरस्कार, स्थानीय संस्कृति संवर्धन पुरस्कार और सस्टेनेबिलिटी मॉडल पुरस्कार; में पुरस्कारों की घोषणा की है।

नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए अनुमति और वित्तीय सहायता

वर्ष के दौरान, कुल **37 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन** चालू किए गए। 13 नए स्टेशनों को उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान के रूप में दिसंबर 2020 तक 83.98 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी।

एफएम रेडियो

एफएम रेडियो देश भर में युवाओं और वयस्कों के बीच मनोरंजन के पसंदीदा माध्यमों में से एक है। स्थानीय भाषाओं में विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विविधता का जनता द्वारा स्वीकृत किया जाना इसी से प्रदर्शित होता है कि हाल के वर्षों में चैनलों की संख्या में वृद्धि और एफएम रेडियो चैनल हासिल करने के लिए एफएम चरण–3 के तहत आयोजित दो ई–नीलामी में निजी एफएम प्रसारकों ने अच्छा खासा उत्साह दिखाया है। साथ ही, स्थानीय व्यवसायियों के लिए रेडियो विज्ञापनों के माध्यम से अपना ही विस्तार करने के एक सक्षम माध्यम के रूप में भी विकसित हुआ है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरकार के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए निजी एफएम रेडियो का एक मंच के रूप में उपयोग कर रहा है। कोविड–19 महामारी के दौरान, निजी एफएम रेडियो स्टेशनों ने कोविड के संदर्भ में दो गज दूरी और हाथों की स्वच्छता जैसी आदतों को अपनाने के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के प्रशंसनीय प्रयास किए हैं। विशेष रूप से चिह्नित उच्च जोखिम वाले जिलों में लोगों को जागरूक कर, कोविड–19 से निपटने के लिए एफएम रेडियो चैनलों द्वारा चलाए गए अभियान से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में काफी मदद मिली है।

मंत्रालय का एफएम सेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7 जुलाई, 2011 को अनुमोदित निजी एजेंसियों के माध्यम से चरण–3 एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार पर नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुरूप भारत में निजी एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित सभी मामलों से संबंधित है, जो अद्यतन जानकारी के साथ https://mib.gov.in/all_broadcasting_documents पर उपलब्ध है।

संलग्न मानचित्र उन शहरों को दिखाता है जहां निजी एफएम रेडियो चैनल चालू हैं। 12 जनवरी, 2021 तक, **385 एफएम रेडियो चैनल 26 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में** फैले देश के 111 शहरों में चालू थे।

15 दिसंबर, 2020 तक चालू निजी एफएम स्टेशन

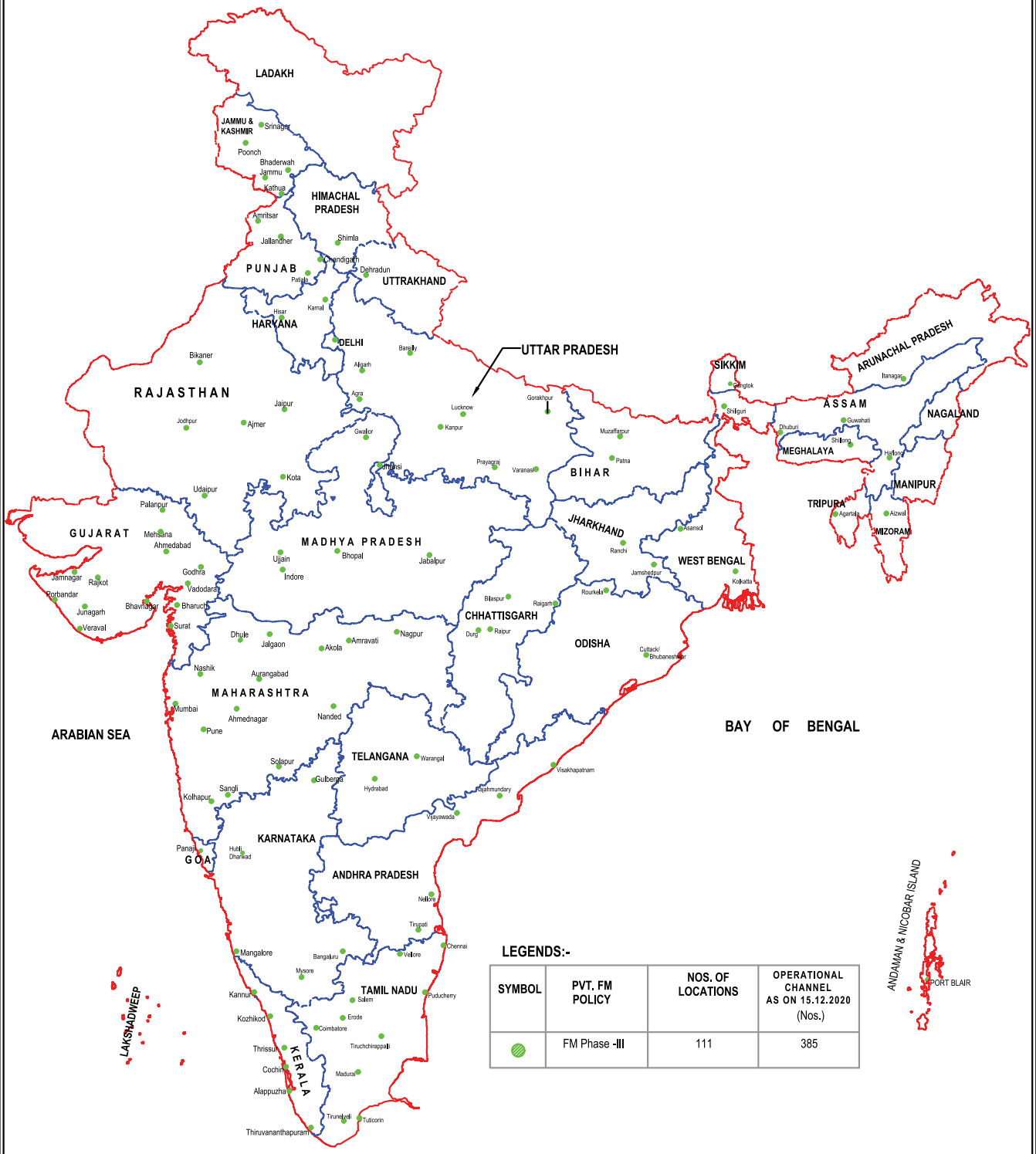

LEGENDS:-

SYMBOL	PVT. FM POLICY	NOS. OF LOCATIONS	OPERATIONAL CHANNEL AS ON 15.12.2020 (Nos.)
	FM Phase -III	111	385

THIS DRAWING IS COPYRIGHT AND THE PROPERTY OF "B E C I L" AND IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED HANDED OVER TO A THIRD PARTY OR USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT HAS BEEN ISSUED.

Map No. BECIL/FM/E&P/STATION/001/A

BECIL
BROADCAST ENGINEERING CONSULTANTS INDIA LIMITED
HEAD OFFICE:- 14-B, RING ROAD, I. P. ESTATE, NEW DELHI-110 002 (INDIA),
Tele:- 2337 8823, Fax No. 2337 9885

पारदर्शिता के उपाय और निरीक्षण

सरकार को राजस्व लाभः

- सरकार को गैर–वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क, प्रतिस्थापन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क, प्रक्रियागत शुल्क और टॉवर किराये के माध्यम से निजी प्रसारकों से राजस्व प्राप्त होता है।
- वर्ष 2000 में निजी एफएम रेडियो प्रसारण की स्थापना के बाद पिछले 20 सालों के दौरान देश में निजी एफएम रेडियो प्रसारण से गैर–वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क, प्रतिस्थापन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क, टॉवर किराये और प्रसंस्करण शुल्क के माध्यम से सरकार को अर्जित 6092.12 करोड़ रु. (अनुमानित) की कुल राजस्व राशि का विवरण निम्न प्रकार हैः

वार्षिक लाइसेंस शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क का विवरण	गैर–वापसी योग्य एकमुश्त प्रतिस्थापन शुल्क	गैर–वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क	निजी एफएम रेडियो आपरेटरों से टॉवर किराया	**कुल**
1,836.03 करोड़ रु.	0.10 करोड़ रु.	1,993.63 करोड़ रु.	2,252.74 करोड़ रु.	9.62 करोड़ रु.	**6,092.12 करोड़ रु.**

प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारत का लोक सेवा प्रसारक) देश का एकमात्र लोक सेवा प्रसारक है। इसके दो घटक–आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन हैं। यह जनता को सूचित करने, शिक्षित करने तथा मनोरंजन और सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को संचालित तथा व्यवस्थित करने एवं रेडियो तथा टेलीविजन पर प्रसारण के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के उत्तरदायित्व के साथ 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया। प्रसार भारती भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र निशुल्क डीटीएच प्लेटफॉर्म, डीडी फ्रीडिश डीटीएच भी संचालित करता है, जो पूरे भारत में 35 मिलियन से अधिक घरों में प्रसारित होता है।

नवीनतम तकनीकों के साथ तालमेल बनाते हुए प्रसार भारती ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म और अपने लोकप्रिय न्यूजऑनएआईआर ऐप के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सामग्री की लाइव स्ट्रीमिंग, नई वेबसाइटों और यूट्यूब, मोबाइल ऐप तथा एलेक्सा पर कार्यक्रमों की उपलब्धता ने इन प्लेटफॉर्मों पर प्रसार भारती की जीवंत उपस्थिति सुनिश्चित की है। ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया पर सक्रिय उपस्थिति बनाई जा रही है। मुख्य रूप से वाणिज्यिक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहे लगभग 900 चैनलों के मद्देनजर प्रसार भारती जैसे लोक सेवा प्रसारक की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण है। प्रसार भारती अत्यधिक व्यवसायिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश में एकमात्र प्रतिकार बल है। वास्तव में, प्रसार भारती द्वारा लंबे समय से विकसित किए गए नैतिक मानदंड और दिशानिर्देश उद्योग के लिए कीर्तिमान के रूप में काम कर रहे हैं।

उद्देश्य

- संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों एवं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना।
- 'राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
- नागरिकों के जनहित से जुड़े सभी मामलों में सूचित होने के अधिकार की रक्षा करना एवं एक निष्पक्ष व संतुलित सूचना प्रवाह प्रस्तुत करना।
- शिक्षा व साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।
- महिला–आधारित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और बच्चों बुजुर्गों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा हेतु विशेष कदम उठाना।
- भिन्न–भिन्न संस्कृतियों, खेलों और क्रीड़ाओं तथा युवा मुद्दों को विशेष कवरेज देना।
- सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना, कामगार समुदायों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा करना।
- अनुसंधान को बढ़ावा देना एवं प्रसारण क्षमताओं को बढ़ाना तथा प्रसारण तकनीकों का विकास करना।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में विश्व की सबसे लम्बी हाईवे सुरंग– अटल सुरंग, देश को समर्पित करते हुए।

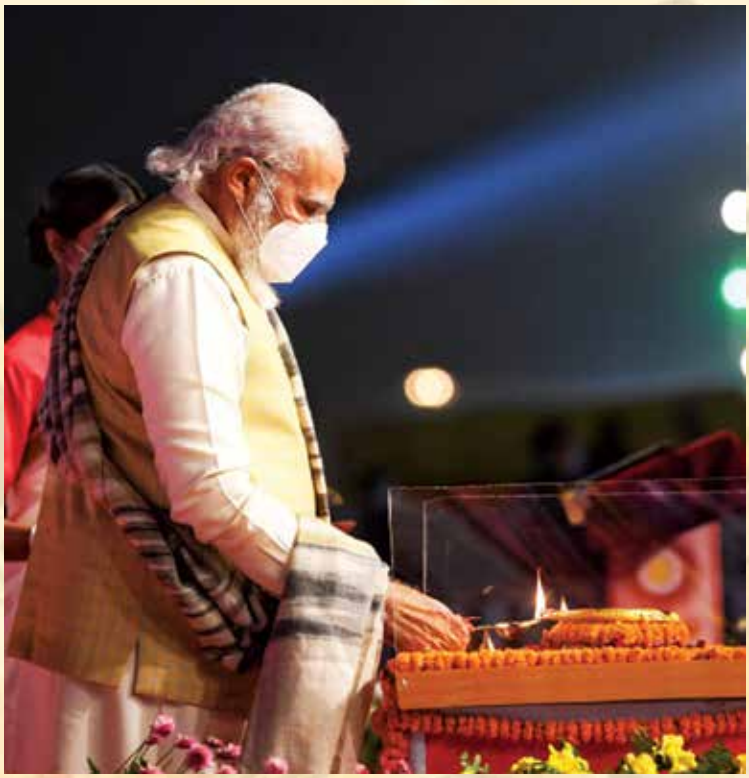

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में देव दीपावली के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।

INDIA

मौजूदा दूरदर्शन नेटवर्क
(1 दिसंबर, 2020 तक)

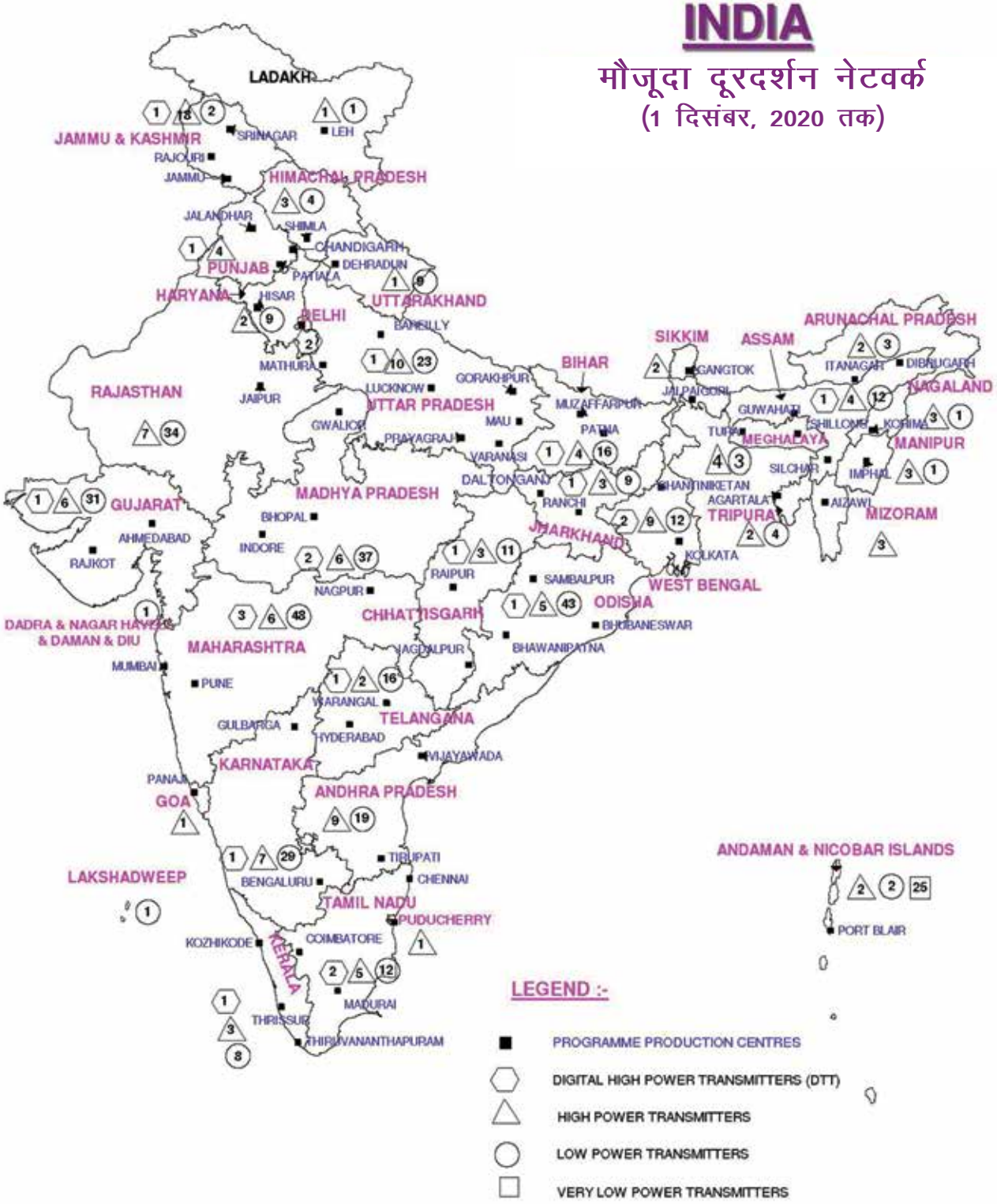

Kailash Kishore

महत्वपूर्ण गतिविधियां और उपलब्धियां

ऐसे समय में जब दुनिया वैश्विक महामारी से पीड़ित थी, मीडिया महत्वपूर्ण और सही जानकारी का अपरिहार्य स्रोत बन गया। इस विकट समय में प्रसार भारती की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि कोरोनो वायरस के बारे में प्रामाणिक समाचार और सूचना जनता को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाए। प्रसारण टीम ने डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित दूरदर्शन और आकाशवाणी के विशाल नेटवर्क के माध्यम से लोगों को महामारी के बारे में जानकारी देने और शिक्षित करने की दिशा में पूरे मनोयोग से प्रयास किया। जब नागरिकों को कई स्रोतों से असत्यापित सूचनाएं और फर्जी समाचार दिए जा रहे थे तब दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो का ध्यान कोविड–19 से संबंधित प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने पर रहा। **प्रसार भारती समाचार सेवा ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई के साथ समन्वय से वास्तविक समय में फर्जी ख़बरों का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया**। प्रसार भारती ने इस कठिन समय में सभी समाचारों को कवर करने के साथ–साथ और अपने शैक्षिक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता का मनोरंजन करने का भरपूर प्रयास किया।

लोक सेवा प्रसारक होने के नाते प्रसार भारती ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया। कोविड–19 पर विशेष कार्यक्रम, प्रोमो तथा संदेश और डॉक्टरों/विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा कार्यक्रम इस जागरूकता अभियान की प्रमुख रणनीति थे। इसके अलावा, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को स्थानीय भाषा में संबंधित स्थानीय क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर आमंत्रित किया गया। ये कार्यक्रम फोन–इन और स्टूडियो–आधारित दोनों माध्यमों में आयोजित किए गए थे।

कोविड–19 महामारी ने जब दुनिया भर में गतिविधियों को पंगु बना दिया, भारत के लोक प्रसारक, प्रसार भारती ने अपने 25,000 से अधिक कर्मियों और देश भर में 1000 से अधिक कार्यालयों/प्रसारण केंद्रों में संक्रमण को फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल की और प्रति दिन चौबीसों घंटे अपनी समाचार सेवाएं और शैक्षिक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखा।

दूरदर्शन की एक प्रमुख पहल थी पुराने कार्यक्रमों का पुनप्रसारण जनता के अनुरोध पर कोविड–19 के समय विशेषकर लॉकडाउन में ताकि वे स्वयं को व्यस्त रख सकें। 21 दिवसीय राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 28 मार्च से 'रामायण' का दूरदर्शन पर पुनः प्रसारण प्रारंभ हुआ। जैसे–जेसे इन पुराने व मशहूर कार्यक्रमों के पुर्न प्रसारण को जनता ने खुले दिल से स्वीकारा, प्रसार भारती ने भी एक नया चैनल प्रारंभ किया डीडी रेट्रो के नाम से जो विशेषतः पुराने लोकप्रिय कार्यक्रमों के प्रसारण को समर्पित था; ताकि जनता को दूरदर्शन के उन यादगार कार्यक्रमों की डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया के साथ अन्य 17 क्षेत्रीय चैनलों, प्रसार भारती न्यूज़ सर्विसेज (पीबीएनएस) और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूजऑनएआईआर ऐप ने पूरे देश में महामारी के बारे में सही और समय पर जानकारी प्रसारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी ने देश भर में अपने क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से वर्चुअल कक्षाओं और अन्य शैक्षिक सामग्री को टीवी, रेडियो और यूट्यूब पर प्रसारित किया। इस तरह की कक्षाओं से लाखों विद्यार्थियों को विशेष रूप से अपने बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिली। पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा शिक्षा को दिलचस्प बनाए रखने के लिए, कुछ राज्यों में वर्चुअल कक्षाओं में क्विज शो और प्रख्यात व्यक्तित्वों द्वारा कहानी सुनाना शामिल था। वर्चुअल कक्षाओं का प्रसारण करने वाले कुछ दूरदर्शन केंद्र थे–कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और जम्मू–कश्मीर। आकाशवाणी के विजयवाड़ा, हैदराबाद, बंगलुरू, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, पुद्दुचेरी, मदुरै, त्रिवेंद्रम, तिरुनेलवेली, पणजी, जलगांव, रत्नागिरी, सांगली, गंगटोक, गुवाहाटी, जोधपुर और जयपुर केंद्रों ने वर्चुअल कक्षाओं का प्रसारण किया।

दूरदर्शन असम के लिए 24 घंटे का समर्पित चैनल अगस्त, 2020 में शुरू किया गया था। असम का दूरदर्शन चैनल पूर्वोत्तर पर 'नेवर बिफोर फोकस' का अंग है। पूर्वोत्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र के लिए कई चैनलों को अप्रैल 2020 से चौबीसों घंटे का कर दिया गया– डीडी नगालैंड, डीडी त्रिपुरा, डीडी मणिपुर, डीडी मेघालय, डीडी

मिजोरम को डीडी न्यूज़/डीडी इंडिया का उपयोग करके सीमित घंटे के चैनलों से अस्थायी रूप से 24 X 7 चैनलों में परिवर्तित कर दिया गया। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी चैनल खाली न रहे और सभी डीडी चैनल सातों दिन चौबीसों घंटे राष्ट्रीय समाचार और सामग्री को स्थानीय समाचार/सामग्री के संयोजन से निर्दिष्ट घंटों एवं अन्य समय में प्रसारित करें।

2020 में, प्रसार भारती के डिजिटल चैनलों ने दूरदर्शन और आकाशवाणी पर, एक बिलियन से अधिक डिजिटल न्यूज़ और **6 बिलियन से अधिक डिजिटल वाच मिनट के साथ 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज** की है। 2020 के दौरान, 2.5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता न्यूज़ऑनएआईआर ऐप से जुड़े, जिससे लाइव रेडियो स्ट्रीमिंग के साथ **पंजीकृत व्यूज़ की संख्या 300 मिलियन से अधिक** हो गई जिसमें 200 से अधिक लोकप्रिय फीचर थे।

संस्कृत भाषा की समस्त सामग्री के लिए एक समर्पित प्रसार भारती यूट्यूब चैनल 2020 में शुरू किया गया था, जिसमें संस्कृत भाषा में तैयार सभी रेडियो और टीवी सामग्री को डीडी–एआईआर राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर अपलोड किया जा रहा है, ताकि यह आसानी से दर्शकों को सुलभ सके।

मन की बात के लिए विशेष यूट्यूब चैनल और ट्विटर हैंडल ने 2020 में तेज़ी से प्रगति की है, ट्विटर हैंडल के अब 67,000 से अधिक फॉलोअर हैं। मन की बात के विभिन्न एपिसोड के क्षेत्रीय भाषा संस्करण यूट्यूब पर उपलब्ध हैं।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में **लगभग 1,500 रेडियो नाटक** डीडी–एआईआर नेटवर्क पर उपलब्ध हैं, जिनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है और उनके यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध बनाया जा रहा है।

आल इंडिया रेडियो ने केंद्रीय बजट पर **एक 12 घंटे के द्विभाषी कार्यक्रम का अनवरत प्रसारण** किया। डीडी न्यूज़ ने एक तीन घंटे लम्बे विशेषज्ञ विमर्श कार्यक्रम का प्रसारण किया और बजट के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विमर्श आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला भी चलाई।

हजारों घंटे की शैक्षिक सामग्री और टेली–कक्षाएं अब यूट्यूब चैनलों पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 6 फरवरी, 2021 को यह घोषणा की कि सबसे **आकाशवाणी संगीत समारोह को भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन कहा जाएगा।**

दूरदर्शन–आकाशवाणी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक महत्व की दुर्लभ अभिलेखीय सामग्री, प्रसार भारती अभिलेखागार यूट्यूब चैनल पर डिजिटाइज और अपलोड की जा रही है। एक विशेष टीम देश भर में दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों में कई दशकों से रिकार्ड किए गए हजारों ऐसे टेप से ऐसी संगीतमय, सांस्कृतिक, राजनीतिक सामग्री को एकत्रित और संरक्षित करने का काम कर रही है, ताकि उसे शैक्षिक और शोध उद्देश्यों के लिए सर्वसुलभ कराया जा सके।

प्रसार भारती ने 2020 में प्रसारण के क्षेत्र में एक और वैश्विक उपलब्धि हासिल की जब इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति को विश्व के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (ईबीएस) का उपाध्यक्ष चुना गया। एशिया पैसिफिक प्रसारण संघ का गठन 1964 में प्रसारण संस्थानों के एक पेशेवर संगठन के रूप में हुआ जो 57 देशों और प्रदेशों में 286 से अधिक सदस्यों के माध्यम से तकरीबन 3 हजार करोड़ लोगों तक पहुंच रखता है।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष **2020 के लिए प्रदत्त राष्ट्रीय खेल दिवस पुरस्कारों का डीडी न्यूज़ द्वारा प्रसारण** किया गया। देशी खेलों को बड़े परिदृश्य पर बढ़ावा देने की आवश्यकता पर खेल मंत्री श्री किरेन रिजेजु के साथ एक विशेष साक्षात्कार का प्रसारण भी किया डीडी न्यूज़ ने। गंगन नारंग, पी.टी. ऊषा, पी.वी. सिंधु और युजवेंद्र चहल के साथ किए विशेष साक्षात्कार भी प्रसारित हुए। राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के विजेताओं पर भी एक आधे घंटे का विशेष कार्यक्रम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में किया गया था।

भारत सरकार की विभिन्न जनकल्याण योजनाओं की सफलता यथा आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना और

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ़्त खाद्यान्न वितरण आदि के **देशभर से 6,500 से भी ज़्यादा लाभार्थियों की कहानियों के बाइट्स डीडी न्यूज़ के नेटवर्क के माध्यम से पूरे दिन व्यापक रूप से प्रसारित** किए गए।

महत्वपूर्ण मुद्दों/घटनाओं पर कई **विशेष कार्यक्रम** डीडी न्यूज़ और आल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किए गए। इनमें मुख्य रूप से शामिल थे :

(i) 31 जुलाई, 2020 को कानून द्वारा खत्म किए गए ट्रिपल तलाक के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर **तेजस्विनी का एक विशेष संस्करण** डीडी न्यूज़ पर प्रसारित किया गया था जिसमें (वकील) फराह फैज़ और (याचिकाकर्ता) शायरा बानो के साक्षात्कार भी शामिल थे।

(ii) 5 अगस्त, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा **अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन** का विशेष कवरेज किया गया। इसके लिए ड्रोन्स के साथ–साथ मल्टी–कैमरा सेटअप बनाया गया था।

(iii) 5 अक्तूबर, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा **हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग** के लोकार्पण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और डीडी न्यूज़ ने किया।

(iv) **फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन की 75वीं वर्षगांठ** के उपलक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने 16 अक्तूबर, 2020 को 75 रुपये का सिक्का लोकार्पित किया। इस घटना को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर सीधा प्रसारण किया गया।

(v) **'सतर्कता एवं एंटी–करप्शन पर राष्ट्रीय सम्मेलन'** के प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ को विस्तृत कवरेज दी गई। यह सम्मेलन 27 अक्तूबर, 2020 को 'सर्तक भारत, समृद्ध भारत' विषय पर केंद्रित था।

(vi) **भारत–अमरीका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता,** जोकि 27 अक्तूबर, 2020 को हुई थी की विस्तृत कवरेज के अलावा आल इंडिया रेडिया ने **भारत–यूएन पार्टनशिप@75** पर एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण भी किया।

(vii) 13 नवंबर, 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा **'वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं'** के आभासी (वर्चुअल) लोकार्पण को डीडी न्यूज़ व ऑल इंडिया रेडियो ने कवरेज दी।

(viii) 22 दिसंबर, 2020 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2020 के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए जाने का सीधा प्रसारण किया डीडी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो ने।

(ix) डीडी न्यूज़ ने कुछ **विशेष कार्यक्रम** भी किए जैसेः *'खादी : वस्त्र नहीं एक विचारधारा, राजमाता से लोकमात (राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्म जयंती पर), गुड न्यूज़ – जज़्बा इंडिया का, संत कहिन – वोकल फॉर लोकर, वूमेन अपा रिक्लेम द साइबर वर्ल्ड और फायर एंड फ्यूरी।* डीडी न्यूज़ पर जल शासन पर एक विशेष कार्यक्रम *जल शक्ति समाचार* को जल पर सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

मई 2020 में आए बड़े **तूफान अम्फान** के दौरान जिसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा को क्षति पहुंचाई डीडी न्यूज़/डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो में मौसम विभाग के पूर्वानुमानों का लगातार प्रसारण किया जिससे प्रभावित इलाकों के लोग ज़रूरी सावधानियां बरतते हुए कदम उठा सकें। इसमें प्रतिदिन मौके पर की गई कवरेज में सामाजिक संपत्ति एवं जनहानि, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं राजकीय आपदा मोचन बल के माध्यम से केंद्र और राज्य के बचाव एवं राहत कार्यों, आपदा उपरांत मरम्मत कार्य एवं ओडिशा व पश्चिम बंगाल के प्रशासन द्वारा सीधी सूचना शामिल थी। भारतीय मौसम विभाग व राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा दी गई प्रेस जानकारियों का डीडी न्यूज़ पर विशेष प्रसारण किया गया।

प्रसार भारती ने रेडियो रिपब्लिक इंडोनेशिया (आरआरआई) के साथ मिलकर से **ए सॉन्ग फॉर वर्ल्ड पीसः प्रोमोटिंग हार्मनी अमंगस्ट नेशन्स** गीत को बनाया। इस गीत की मुख्य अवधारणा सद्भाव थी, जो मानव संबंधों और संगीत दोनों पर ही लागू होती है।

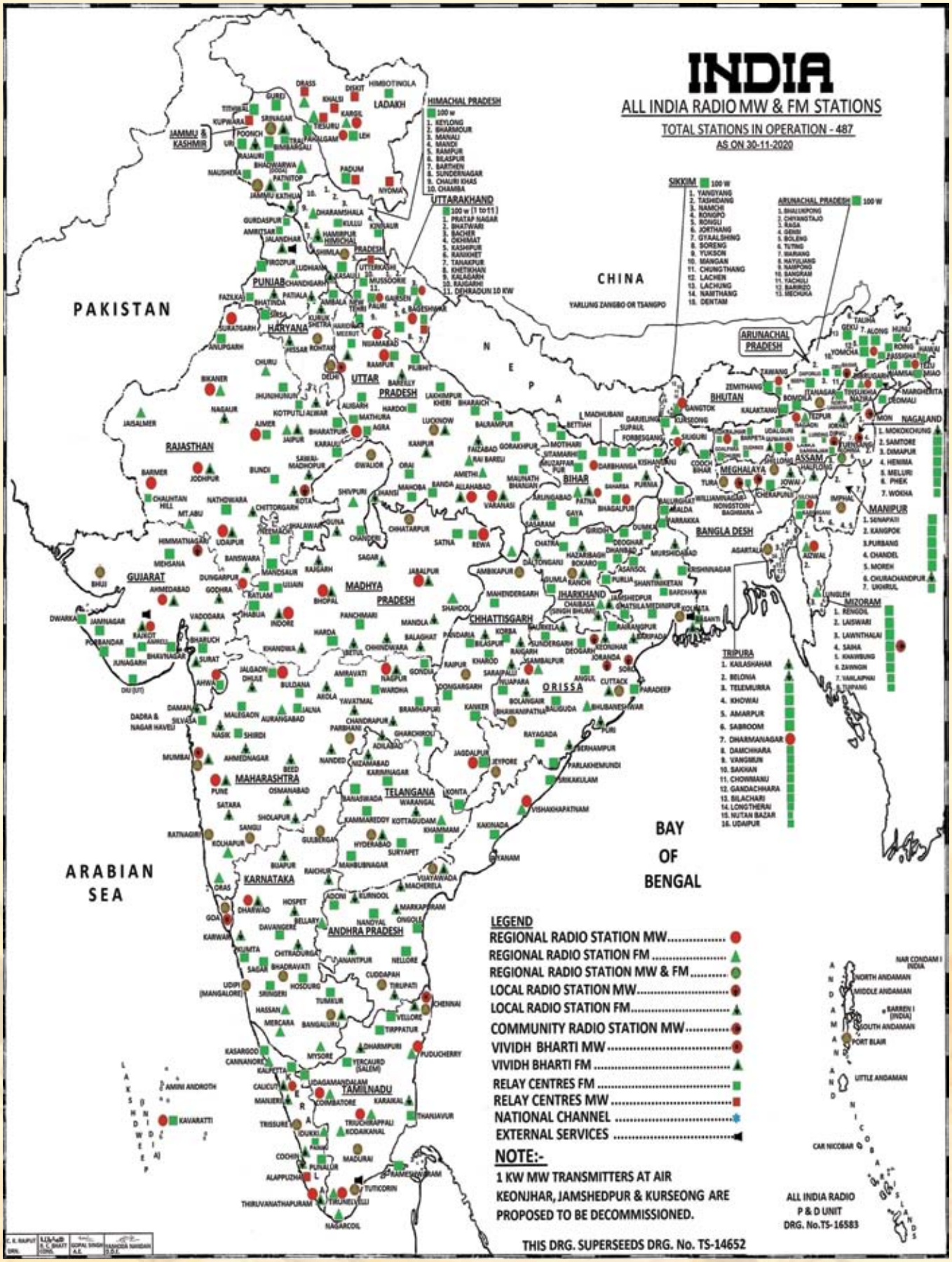
INDIA
ALL INDIA RADIO MW & FM STATIONS
TOTAL STATIONS IN OPERATION - 487
AS ON 30-11-2020
PAKISTAN
CHINA
NEPAL
BHUTAN
BANGLA DESH
ARABIAN SEA
BAY OF BENGAL
JAMMU & KASHMIR
LADAKH
HIMACHAL PRADESH
UTTARAKHAND
PUNJAB
HARYANA
UTTAR PRADESH
RAJASTHAN
GUJARAT
MADHYA PRADESH
MAHARASHTRA
KARNATAKA
ANDHRA PRADESH
TELANGANA
TAMILNADU
KERALA
ORISSA
CHHATTISGARH
JHARKHAND
BIHAR
ARUNACHAL PRADESH
NAGALAND
MANIPUR
MEGHALAYA
ASSAM
MIZORAM
TRIPURA
SIKKIM
LEGEND
REGIONAL RADIO STATION MW
REGIONAL RADIO STATION FM
REGIONAL RADIO STATION MW & FM
LOCAL RADIO STATION MW
LOCAL RADIO STATION FM
COMMUNITY RADIO STATION MW
VIVIDH BHARTI MW
VIVIDH BHARTI FM
RELAY CENTRES FM
RELAY CENTRES MW
NATIONAL CHANNEL
EXTERNAL SERVICES
NOTE:-
1 KW MW TRANSMITTERS AT AIR KEONJHAR, JAMSHEDPUR & KURSEONG ARE PROPOSED TO BE DECOMMISSIONED.
ALL INDIA RADIO
P & D UNIT
DRG. No.TS-16583
THIS DRG. SUPERSEEDS DRG. No. TS-14652

अंतरराष्ट्रीय संबंध

प्रसार भारती की वैश्विक आउटरीच इकाई अंतरराष्ट्रीय संबंधों की गतिविधियों जैसे कि विदेशों के लोक सेवा प्रसारकों/संगठनों के साथ समझौतों, समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर सामग्री आदान–प्रदान के प्रसारण से संबंधित धाराओं का कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह प्रसार भारती के सभी कार्यक्षेत्रों के लिए विदेशी प्रसारकों की आधिकारिक यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। इसके तहत समझौतों के विदेशी भागीदारों के लिए देश में उप–क्षेत्रीय कार्यशालाओं/सम्मेलनों के आयोजनों के साथ–साथ एबीयू और एआईबीडी जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रसारण यूनियनों के अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों/सम्मेलनों का आयोजन करती है।

इस वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के लिए प्रसार भारती द्वारा हस्ताक्षरित समझौते/समझौता ज्ञापनः

क्र. सं.	देश	प्रसारक/संगठन	हस्ता. की तिथि/टिप्पणियां
1	जर्मनी (समझौता ज्ञापन)	डच वैले	20.01.2021 को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और डच वैले के महानिदेशक ने अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए
2	अमरीका (समझौता ज्ञापन)	इंटरनेशनल ब्राडकास्टिंग टेलीविजन (आईटीवी)	08.01.2021 को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आईटीवी एलएलसी के चेयरमैन ने अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए
3.	भारत (समझौता)	नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रा.लि.	22.01.2021 को प्रसार भारती और नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रा.लि. ने अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए

इस वर्ष की प्रमुख सफलता यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के लिए हॉटस्टार के साथ और संयुक्त राज्य अमेरिका के 23 राज्यों के लिए प्रमुख ब्रॉडकास्टर इंटरनेशनल टेलीविजन (आईटीवी) के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। हॉटस्टार और आईटीवी यूएसए पर डीडी इंडिया चैनल का उद्घाटन क्रमशः 22 जनवरी, 2021 और 26 जनवरी, 2021 को हुआ।

BECIL
बेसिल

ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि.

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का मिनी रत्न उपक्रम है। इसकी स्थापना 1995 में ध्वनिकी तथा ऑडियो–वीडियो सिस्टम समेत टेरेस्ट्रिअल उपग्रह प्रसारण, केबल और आईटी से संबंधित विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में टर्नकी सोल्यूशन्स सहित संप्रेषण तथा निर्माण प्रौद्योगिकियों में प्रसारण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी।

बेसिल, सामग्री निर्माण सुविधाओं, टेरेस्ट्रिअल प्रसारण, संप्रेषण और भारत तथा विदेशों में उपग्रह तथा केबल प्रसारण जैसे रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों को परियोजना परामर्शी सेवाएं और टर्नकी सोल्यूशन्स प्रदान करता है। यह प्रसारण से संबंधित भवन निर्माण तथा डिजाइन जैसी संबंधित सेवाएं, मानव संसाधन से संबंधित गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण, मानव संसाधन भी प्रदान करता है। बेसिल रक्षा, पुलिस विभागों और विभिन्न अर्धसैन्य बलों को विशेष संचार, निगरानी, सुरक्षा और सतर्कता प्रणाली की आपूर्ति भी करता है। बेसिल का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में, कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा में और क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरू में हैं।

बेसिल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

परियोजनाओं की प्रमुखताएं – बड़ी परियोजनाएं निष्पादित

1. **सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया हेतु मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की स्थापना**

बेसिल ने सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सोशल मीडिया दृश्यता को बढ़ाया है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल

को सत्यापित कर दिया है। इसके इन्स्टाग्राम और गूगल प्लस पेज भी हैं। बेसिल ने सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक ब्लॉग भी शुरू किया और नई दिल्ली में एक निगरानी और विश्लेषण मंच स्थापित किया है।

एमओआरटीएच का सत्यापित फेसबुक पेज

2. सूचना तथा जनसंपर्क विभाग, लखनऊ के लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब (एसएमसीएच) की स्थापना और कामकाज, संचालन और रखरखाव से संबंधित सेवाएं प्रदान करना:

सूचना तथा जनसंपर्क विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सूचना प्राप्ति हेतु सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे के कामकाज, संचालन और रखरखाव से संबंधित सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब (एसएमसीएच) को मानिटरिंग और रिसपॉन्स सेवाएं प्रदान करना। कार्रवाई योग्य डेटा की पहचान करना, इन्फ्लूएंसर की पहचान, कार्रवाई योग्य डेटा वर्गीकरण, एंटरप्राइज रूटिंग का पालन, नवीनतम सेमेंटिक एनलिसिस का पालन करना, विश्लेषणात्मक और पहुंच रिपोर्टें बनाना इत्यादि ये सभी कार्य करता है।

सूचना तथा जनसंपर्क विभाग, लखनऊ के लिए सोशल मीडिया संचार हब का स्थापन संचालन और रखरखाव

3. **भारत के निर्वाचन आयोग के लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब और नीति, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली**

परियोजना में शामिल हैं सामग्री की रचनात्मक डिज़ाइनिंग और रीपैकेजिंग, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री की पहुंच बढ़ाना, सामग्री का समायोजन/प्रकाशन, सिस्टम की निगरानी हेतु सोशल रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रदान करना एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग।

4. **सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रसारण विंग के स्वचालन के लिए वेब–पोर्टल का निर्माण, विकास और रखरखाव**

परियोजना में शामिल हैं प्रसारण खंड के सूचना सिस्टम का सभी कार्यों के मद्देनजर एकल और समन्वित करना तथा सभी संसाधनों का ऑटोमेशन एवं उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना।

5. **नई दिल्ली में सूचना भवन में ईएमएमसी में स्थापित प्रणाली के लिए विभिन्न वस्तुओं, उपकरणों की खरीद, स्थापना और परीक्षण।**

बेसिल ने 900 टीवी चैनलों की निगरानी के लिए ईएमएमसी को अतिरिक्त मशीनरी, उपकरण, अन्य तकनीकी सेटअप उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीकृत निगरानी तंत्र की स्थापना की है। सेटअप के संवर्द्धन में शामिल हैं मौजूदा निगरानी क्षमता को बढ़ाना और कार्यकारी आवश्यकताओं को संवर्धित करने वाली अत्याधुनिक तकनीक वाली सिविल मोडीफिकेशन को लागू करना।

6. **देशभर में केंद्रीय भंडारण निगम के 254 भंडारण गृहों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के रखरखाव, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और शुरुआत**

सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के गोदामों में सीसीटीवी निगरानी तंग

7. **नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में लगाये गये ऑडियो–विजुअल तथा सीसीटीवी सिस्टम का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध और संचालन**

8. **भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए संचार विश्लेषिकी और सोशल मीडिया मार्केटिंग**

9. **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों संबंधी कामकाज संभालना**

10. **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (निमहान्स), बेंगलुरु में नए भवन में कई सुविधाओं की स्थापना के लिए व्यापक परामर्श और परियोजना प्रबंधन प्रदान करना। कार्ययोजना से लेकर उसे वास्तव में संचालित करने तक, बेसिल ने योजना प्रारूप, एवं आवश्यक आईटी सुविधायुक्त कक्षों की डिज़ाइनिंग तथा सारे सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य स्वयं किए।**

11. **इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में एमओओसी की तैयारी के लिए संबंधित ध्वनिकी और विद्युत कार्यों के साथ टीवी स्टूडियो की स्थापना**

12. **पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर में टीवी स्टूडियो, इंटरनेट रेडियो और सीआरएस की स्थापना**

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय में टीवी स्टूडियो सेटअप

13. भारतीय खाद्य निगम–एफसीआई, दक्षिण क्षेत्र के 76 डिपो में सीसीटीवी की आपूर्ति, स्थापना, जांच, चालू करने और रखरखाव के लिए निविदा कार्य का एएमसी भाग एफसीआई के दक्षिण क्षेत्र के लिए सीसीटीवी निगरानी तंत्र की आपूर्ति, स्थापना, जांच और संचालन के साथ–साथ एएमसी का भी ऑर्डर मिला है। जानकारियों का डीडी न्यूज़ पर विशेष प्रसारण किया गया।

14. जिपमेर, पांडिचेरी में टीवी, आईआर के एएमसी और डिजिटल सिग्नेज सहित तृतीय वर्ष का संचालन और रखरखाव

15. 16 टीवी चैनलों की ओ एंड एम तथा एएमसी निगरानी, लॉगिंग और विज्ञापन देखने की सुविधा और सहायक कार्य

16. थ्रेट एनालिसिस यूनिट वाले साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना बेसिल की इस परियोजना में शामिल हैं राष्ट्र की आसूचना एजेंसियों हेतु उत्कृष्ट समाधान प्रदान करने वाली तकनीक की व्यवस्था करना।

17. बजट प्रेस, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में निगरानी प्रणाली की एसआईटीसी

बेसिल ने वित्त मंत्रालय की बजट प्रेस में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जिसमें बहुत कम समय में बजट प्रेस की उच्च स्तर की सुरक्षा निगरानी शामिल है।

18. पर्यटन मंत्रालय की सोशल मीडिया अकाउंट निगरानी

बेसिल ने मंत्रालय के लक्ष्यों के आधार पर विपणन नीति बनाई है जिनमें सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप, ग्राफिक्स और टेक्स्ट को पोस्ट करना, सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की जाने वाली सभी घटनाओं को कवर करना, मंत्रालय के लिए वर्तमान रुझान और समाचार साझा करना, सोशल मीडिया पहुंच बढ़ाना, लक्षित उपयोगकर्ताओं के लिए सामुदायिक सुविधा और विपणन विश्लेषण शामिल है।

19. मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए उपकरणों/सहायकों की आपूर्ति

बेसिल ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किए हैं। बेसिल ने कॉलिपर, कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकिल, व्हील–चेयर, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, ब्लाइंड स्टिक, ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक शूज, हियरिंग एड, एमआर किट और टीएलएम किट, एजुकेशन किट, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए।

मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को व्हील चेयर प्रदान की गईं

आयकर भवन, वैशाली, यूपी में निगरानी प्रणाली की एसआईटीसी

बेसिल ने उत्तर प्रदेश के वैशाली के आयकर भवन को हाई–एंड एक्सेस कंट्रोल प्रणाली प्रदान की है। इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में सीसीटीवी कैमरा, एक्स–रे बैगेज स्कैनर सिस्टम, कार्मिक/आगंतुक अभिगम नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली, वाहन अभिगम नियंत्रण प्रणाली के आईपी आधारित व्यापक नेटवर्क के माध्यम से वीडियो निगरानी शामिल है।

21. मानव संसाधन सेवाओं के लिए परियोजना

बेसिल कई सरकारी कार्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी के साथ–साथ गैर–तकनीकी, अकुशल, अर्ध–कुशल और कुशल मानव संसाधन प्रदान करता रहा है और संभावित उम्मीदवारों का एक डेटाबेस रखता है। बेसिल राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, डीडीए, एआईसीटीई, एआईआर, एम्स, पीआईबी जैसे सरकारी विभागों और कई अन्य संगठनों को मानव संसाधन प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन

(रु. लाख में)

	विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19
क	**संचालन के परिणाम**		
	संचालन से आय	34,707.48	32,181.32
	अन्य आय लाभ/(हानि)	354.89	374.15
	पूर्व अवधि आय	9.06	7.05
	वर्ष के दौरान कुल कारोबार	**35,071.43**	**32,562.52**
	व्यय	34,576.89	31,372.02
	संचालन लाभ/(हानि)	**494.54**	**1,183.45**
	वित्तीय लागत	780.03	701.71
	अवमूल्यन और परिशोधन	159.02	199.60
	अवधि पूर्व समायोजन और अतिरिक्त सामान्य वस्तुएं	22.24	24.51
	लाभ/(हानि) कर व्यय से पहले	**(466.75)**	**199.09**
	कर व्यय	18.57	194.50
	लाभ/(हानि) कर व्यय के बाद	**(485.32)**	**4.60**
	कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए अंतरण	-	9,192
	आमदनी/(हानि) प्रति शेयर (रु.)	**(356)**	**3**
ख	**निधि के स्रोत**		
	इश्यू तथा सब्सक्राइब की गई और पूंजी रिजर्व तथा अतिरिक्त	136.50	136.50
	रिजर्व तथा अतिरिक्त	621.92	1,107.25
	गैर–चालू देनदारियां	819.39	2,674.90
	चालू देनदारियां	35,915.32	35,916.45
	कुल	**37,493.13**	**39,835.10**

	विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19
	निधियों का उपयोग		
	अचल संपत्तियां	1,094.66	1,184.69
	चालू संपत्ति	35,663.33	37,815.40
	विलंबित कर संपत्तियां (शुद्ध)	713.22	672.43
	दीर्घवधि ऋण और अग्रिम	-	-
	अन्य गैर–चालू संपत्तियां	21.91	162.58
	कुल	**37,493.13**	**39,835.10**
ग	**अन्य जानकारी**		
	अधिकृत पूंजी	**250.00**	**250.00**
	लगाई गई पूंजी	758.42	1,243.75
	शुद्ध मूल्य	45.19	571.32

शेयर पूंजी

बेसिल को 250 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ शुरू किया गया था। वर्ष 1995–96 में भुगतान की गई इक्विटी 25 लाख रुपये से बढ़कर 136.50 लाख हो गई। वर्तमान में केंद्र सरकार के पास 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी है। बेसिल को सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।

निष्पादन

इस वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी के परिचालन से राजस्व पिछले वर्ष के 321.81 करोड रुपये से बढ़कर 347.08 करोड रुपये हो गया है। यह कंपनी के निगमन के बाद सबसे अधिक कारोबार है। हालांकि, बेसिल ने वित्त वर्ष 2019–20 में 4.85 करोड़ रु. का शुद्ध घाटा उठाया है, जिसमें ओवरड्राफ्ट राशि पर 7.80 करोड़ रु. का ब्याज खर्च शामिल है।

भविष्य की व्यावसायिक गतिविधि

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2020–21 में परामर्श व्यवसाय में वृद्धि, विदेशी निविदाओं में भागीदारी, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, वार्षिक रखरखाव अनुबंधों में वृद्धि और नए क्षेत्रों में विविधीकरण द्वारा परिचालन लाभ में वृद्धि करने के लिए उत्सुक है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक से संबंधित उम्मीदवारों की नियुक्ति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में आरक्षण के मामलों और अल्पसंख्यकों की नियुक्ति के लिए कंपनी में भर्तियां और पदोन्नति करते समय पर सरकार के दिशानिर्देशों/निर्देशों का ध्यान रखा गया है।

सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और सूचनाओं के प्रसार और समय पर अनुपालन के लिए अत्यंत सावधानी बरती जा रही है।

सतर्कता गतिविधियां

सतर्कता अनुभाग, बेसिल में अनुपालन के लिए निवारक सतर्कता के सभी पहलुओं को मजबूत करने के उपायों के बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग, सार्वजनिक उद्यम विभाग और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से विनियम और दिशानिर्देश जारी कर रहा है। सीवीसी, सीबीआई और सूचना मंत्रालय को नियमित रूप से सावधिक विवरण भेजा जाता है और उचित तथा त्वरित रूप से जांच की जाती है तथा औचक निरीक्षण किया जाता है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, पणजी, गोवा में 16 जनवरी, 2021 को 51वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के उद्घाटन पर दीप प्रज्ज्वलित करते हुए। साथ में मुख्य अतिथि भारतीय फ़िल्म कलाकार श्री किच्चा सुदीप एवं गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

6 फ़िल्म क्षेत्र

फ़िल्म प्रभाग

फ़िल्म प्रभाग की स्थापना राष्ट्र का इतिहास, उसकी यात्रा एवं सर्वांगीण विकास की कहानी सिनेमा के माध्यम से व्यक्त करने के उद्देश्य से 1948 में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। फ़िल्म प्रभाग की कहानी आज़ादी के बाद के महत्वपूर्ण वर्षों के साथ ही चलती रही है और पिछले 73 वर्षों से फ़िल्म प्रभाग राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में आम जनता की सहभागिता दिखाकर उसे प्रेरित करता रहा है। फ़िल्म प्रभाग भारत में **गैर–फ़ीचर फ़िल्म निर्माण की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में सक्रिय** रहा है। प्रभाग की मीडिया इकाई में सेल्युलॉयड तथा डिजिटल प्रारूप में अमूल्य सामग्री का भंडार है तथा इसकी लाइब्रेरी में 9,000 से अधिक फ़िल्में हैं।

फ़िल्म प्रभाग ने अपने अभिलेखागार से भारतीय शास्त्रीय संगीत पर चुनिंदा फ़िल्मों का ऑनलाइन महोत्सव 'रागोत्सव... सेलिब्रेशन ऑफ मॉनसून' प्रस्तुत किया

प्रभाग का **लक्ष्य एवं उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शिक्षित तथा प्रेरित करना और इस देश की छवि तथा धरोहर को भारतीय एवं विदेशी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना** है। फ़िल्म प्रभाग का लक्ष्य वृत्तचित्र आंदोलन का विकास करना है, जिसका देश के लिए सूचना, संचार एवं सुदूर क्षेत्रों में बहुत महत्व है। यह सिनेमाघरों द्वारा प्रदर्शन के लिए सामग्री वितरित करता है, देश भर में फ़िल्म सोसायटियों, स्वैच्छिक संगठनों की मदद से फ़िल्म महोत्सवों में विशेष प्रदर्शन की व्यवस्था करता है, अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू फ़िल्म महोत्सवों में हिस्सा लेता है, टेलीविजन चैनलों तथा विदेश मंत्रालय को फ़िल्में देता है, डिजिटल प्रारूप में फ़िल्म सामग्री की ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मार्केटिंग करता है और भारत एवं विदेश में प्रोडक्शन हाउसों की अभिलेखीय अर्थात् पुराने फुटेज की आवश्यकता पूरी करता है।

फ़िल्म प्रभाग प्रत्येक वर्ष कला, संस्कृति, उद्योग, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कृषि, जीवनी,

इतिहास, खेल, महिला सशक्तीकरण समेत विभिन्न विषयों पर 100 से भी अधिक वृत्तचित्र, लघु एवं एनिमेशन फ़िल्मों और जन सेवा जागरूकता फ़िल्मों का निर्माण करता है। फ़िल्म प्रभाग के पास मौजूद रचनाकर्मियों एवं बुनियादी ढांचे का प्रयोग संस्था के उपयोग की (इन–हाउस) फ़िल्मों के निर्माण के लिए तथा स्वतंत्र फ़िल्म निर्माताओं एवं गैर–सरकारी संगठनों के वृत्तचित्र निर्माण में सहयोग के लिए किया जाता है।

2020–21 में उल्लेखनीय पहलें

1. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए **चाइल्डलाइन 1098** पर एक फ़िल्म बनाई गई है और उसे डिजिटल मंचों तथा दूरदर्शन पर प्रदर्शित एवं प्रसारित किया जा रहा है।
2. **देविका रानी, अरिबम श्याम शर्मा, वसीम बरेलवी, गुरु नानक देव, मास्टर तारा सिंह, पंढारी के रंग, महात्मा गांधी की उक्तियां, जलियांवाला बाग, स्वच्छता, जल संरक्षण, एंटी पाइरेसी, साइबर अपराध, बाल अत्याचार निवारण आदि पर फ़िल्में**।
3. संविधान दिवस के आयोजन एवं नागरिक कर्त्तव्य अभियान और उसके बाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती **(राष्ट्रीय समरसता दिवस)** पर वृत्तचित्र/पीएसए फ़िल्में निर्माणाधीन हैं। **अंतरराष्ट्रीय योग दिवस** पर वृत्तचित्र, पीएसए एवं एनिमेशन फ़िल्मों का निर्माण भी हो रहा है।
4. भारत में बंदरगाहों पर काम करने वालों के बीच सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए **बंदरगाहों में परिवहन सुरक्षा** पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित जागरूकता फ़िल्म का निर्माण प्रगति पर है।

वितरण प्रखंड

फ़िल्म प्रभाग के छह वितरण शाखा कार्यालय कोलकाता, विजयवाड़ा, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, चेन्नई और बेंगलुरु में हैं तथा मुंबई एवं नई दिल्ली में प्रदर्शन प्रकोष्ठ हैं। समारोह एवं लोकसंपर्क प्रकोष्ठ और मार्केटिंग प्रकोष्ठ भी वितरण प्रभाग के अधीन ही काम करते हैं।

आउटरीच गतिविधियां

पुरस्कृत फ़िल्में

क्रमांक	फ़िल्म पुरस्कार/फ़िल्म समारोह का नाम	पुरस्कारों की संख्या
1.	13वां मणिपुर राज्य फ़िल्म पुरस्कार 2020	6
2.	8वां लिबरेशन डॉकफेस्ट, बांग्लादेश 2020	1
3.	इमर्जिंग लेंस कल्चरल फ़िल्म फेस्टिवल – कनाडा	1
4.	10वां टैगोर अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (टिफ), पश्चिम बंगाल	1
5.	51वां भारत अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, गोवा (भारतीय पैनोरमा श्रेणी में चयन)	3

सोशल मीडिया

फ़िल्म प्रभाग अपने अधिकारिक ट्विटर एवं फेसबुक अकाउंट के माध्यम से कोविड–19 महामारी (#IndiaFightsCorona) पर सरकार के सार्वजनिक सेवा घोषणाओं व दृश्य–श्रव्य कार्यक्रमों को बनाने और उनके समर्थन में सक्रिय है। मार्च 2020, से अभी तक, फ़िल्म प्रभाग ने @narendramodi, @pmoindia और @prakashjavdekar के साथ कई अन्य के 5,792 ट्वीट्स को रीट्वीट किया है।

गतिविधियां

- 16वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव का आयोजन फ़िल्म प्रभाग द्वारा महाराष्ट्र सरकार के समर्थन से 28 जनवरी से 3 फरवरी, 2020 तक किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में **'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'** का भाव एवं मर्म अच्छे से व्यक्त हुआ।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर **70वें बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (बर्लिनाले)** जो 19 फरवरी से 1 मार्च, 2020 तक जर्मनी में आयोजित हुआ था, में हिस्सा लिया। समारोह में **'इंडिया पवेलियन'** का उद्घाटन माननीय विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने 19 फरवरी, 2020 को किया।

➢ कोविड–19 महामारी के कारण आए व्यवहारगत बदलावों से तालमेल रखते हुए, भारत ने कान फ़िल्म समारोह में (आभासी) वर्चुअल रूप से शिरकत करने के साथ ही मार्श डु फ़िल्म बाजार 'इंडिया पवेलियन' का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इस पवेलियन ने विश्वभर की विभिन्न फ़िल्मी हस्तियों की लगभग 1,050 से अधिक बीटूबी बैठकें, 20 से अधिक सेशन्स/वेब इंटरैक्शन्स/अधिकारिक बैठकें आदि सुविधापूर्वक सम्पन्न कराईं। दो राष्ट्रीय पुरस्कार–प्राप्त फ़िल्मों 'माई घाट' और 'हेल्लारो' का भी प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा इस पैवेलियन में एक 'रेट्रोस्पेटिव सेक्शन' भी था जहां सत्यजित राय के सौ वर्षों का जश्न मनाया गया।

कांस 2020 के वर्चुअल इंडिया पैवेलियन में 'रे रेट्रोस्पेटिव', सत्यजित रे पर और उनके द्वारा बनाई गई डाक्यूमेंट्रीज जिन्हें फ़िल्म प्रभाग ने क्यूरेट किया।

➢ नई दिल्ली के सीरी फोर्ट सभागार में 12 फरवरी से 2 मार्च, 2020 तक **'इंडियन पैनोरमा फ़िल्म फेस्टिवल'** का आयोजन **'फ़िल्म समारोह निदेशालय'** द्वारा किया गया।

जनवरी, 2021 तक आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम

फ़िल्म प्रभाग ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अवसरों पर कुल 16 फ़िल्म समारोहों का आयोजन किया।

फ़िल्म प्रभाग ने शास्त्रीय नृत्य पर ऑनलाइन फ़िल्म उत्सव "नृत्यांजलि" का आयोजन किया

फ़िल्म प्रभाग ने लोक कलाओं एवं चित्रों पर ऑनलाइन फ़िल्म उत्सव "लोक विरासत" का आयोजन किया

प्रशासन एवं वित्त प्रखंड

प्रशासन प्रखंड में वित्त, कार्मिक, भंडार, लेखा, निर्माण प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन आते हैं।

नागरिक घोषणापत्र

फ़िल्म प्रभाग ने नागरिक घोषणापत्र भी तैयार किया है, जो **http://www.filmsdivision.org** पर उपलब्ध है। घोषणापत्र के समुचित क्रियान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार लोक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। प्रशासन निदेशक को फ़िल्म प्रभाग का लोक शिकायत अधिकारी मनोनीत किया गया है। लोक शिकायतों के निपटारे का विवरण रखा जाता है। लोक एवं कार्मिक शिकायतों की पंजी रखी जाती है और लोक शिकायतों के निवारण की आवश्यक रिपोर्ट नियमित रूप से मंत्रालय को भेजी जाती है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के आधार पर फ़िल्म प्रभाग ने प्रशासन निदेशक को अपीलीय अधिकारी के रूप में और एक निदेशक को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में मनोनीत किया है। सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामले नोडल विभाग यानी मुख्यालय में एस्टेब्लिशमेंट–1 सेक्शन देखता है।

बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई)

बाल चित्र समिति की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के तत्काल बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा की गई थी। बाल चित्र समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में 1955 से कार्य प्रारंभ किया। बाल चित्र समिति बच्चों के लिए फीचर फ़िल्में, शाट्र्स, एनीमेशन से लेकर धारावाहिकों और डाक्यूमेंट्रीज का निर्माण, प्रदर्शन और वितरण करती है।

बाल चित्र समिति ने 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक **463 शोज़ सफलतापूर्वक आयोजित किए, जिनका लाभ 57,676 दर्शकों ने उठाया।**

इन शोज़ का आयोजन राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं सांस्कृति महत्व के अनेक अवसरों पर अनाथ बच्चों, रिमांड एवं ऑब्जर्वेशन होम के बच्चों, मानसिक तौर पर कमज़ोर बच्चों और एचआईवी सेवा केंद्रों के लिए किया गया। वृहन्मुंबई महानगरपालिका शोज़ का आयोजन किया गया। द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्रों के मनोरंजन हेतु, ऑनलाइन प्रदर्शन के लिए एमसीजीएम ऑनलाइन एजूकेशन ग्रुप के जरिये सीएफएसआई की फ़िल्म "तरु" का ऑनलाइन लिंक साझा किया गया।

बाल चित्र समिति की फ़िल्मों की मार्केटिंग

- सीएफएसआई की फ़िल्म "सेनानी साने गुरुजी" का प्रसारण सह्याद्रि चैनल, दूरदर्शन केंद्र पर किया गया।
- सीएफएसआई की विभिन्न फ़िल्मों की 4 डीवीडी बेची गईं।
- कुल 600 रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।
- सीएफएसआई की फ़िल्म "चिड़ियाखाना" को राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में प्रविष्टि के लिए भेजा गया।

मार्केटिंग/वितरण गतिवधियां

- राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम "चुलबुली फ़िल्में चटपटी गपशप" पर सीएफएसआई की फ़िल्मों के पुनः प्रसारण का प्रस्ताव।
- बाल दर्शकों तक सघन पहुंच के लिए पूरे भारत में 669 जिला बाल संरक्षण इकाइयों को अनुरोध पत्र भेजे जाने की योजना है ताकि गैर–सरकारी संगठनों, अनाथालयों, रिमांड होम्स एवं आश्रय गृहों में रहने वाले अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले।
- सीएफएसआई की सामग्री की सुरक्षा हेतु सीएफएसआई अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन व्यूइंग रूम तैयार कर रही है, जहां भुगतान सहित एवं मुफ्त प्रदर्शन किया जा सकेगा।

निर्माण गतिविधियां

फ़िल्मों का लिखित भाषांतर : महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उत्सव के दौरान प्रदर्शन के लिए महात्मा गांधी पर बाल चित्र समिति की दो फ़िल्मों "बापू ने कहा था" और "अभी कल ही की बात है" का भाषांतर किया गया।

ओटीटी प्लेटफार्म के लिए फ़िल्मों का रूपांतरण : बाल चित्र समिति की 129 फ़िल्मों को DCP/DVD/ .mov से .mov और MP4 प्रारूप में बदला गया ताकि उन्हें ओटीटी प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराया जा सके।

फ़िल्मों की डबिंग : 7 फ़िल्मों की 5 क्षेत्रीय भाषाओं में यानी कुल 34 फ़िल्मों की लिपसिंक डबिंग, 8 फ़िल्मों की 7 क्षेत्रीय भाषाओं में यानी कुल 40 फ़िल्मों के श्रव्य विवरण की डबिंग और उपरोक्त तैयार फ़िल्मों के डीसीपी और डीवीडी प्रारूपों में निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है।

सीएफएसआई फ़िल्मों का डिजिटल प्रारूप में रूपांतरण : सीएफएसआई की लगभग 35 फ़िल्मों को प्रदर्शन हेतु निम्नलिखित डिजिटल प्रारूपों में बदला जाएगा– DCP से .mov, .mov से MP4 (1920 x 1080), .mov से MP4 (1280 x 720), .mov से MP4 (720 x 576), DVD से MP4 (720 x 576)

अल्पसंख्यक कल्याण गतिविधियों पर कार्यक्रम : सीएफएसआई सीमित कर्मचारियों वाला छोटा संगठन है। यहां पूरे संगठन के लिए कल्याण गतिविधियां होती हैं, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

कैट के निर्णयों/आदेशों का क्रियान्वयन

सीएफएसआई के विषय में कोई भी निर्णय/आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

सीएजी अनुच्छेद

निरीक्षण रिपोर्ट में ऑडिट के सभी 24 अनुच्छेदों का उत्तर दे दिया गया है। इनमें से 1 ऑडिट अनुच्छेद का समाधान हो गया है और शेष के समाधान की प्रतीक्षा है।

दिव्यांगों के लाभ के लिए किए गए नीतिगत निर्णय एवं गतिविधियां

मंत्रालय द्वारा जारी जो भी निर्देश सीएफएसआई पर लागू होते हैं, उनका पालन किया गया है। भर्ती में आरक्षण लागू है।

आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटरीकरण

सीएफएसआई व्यक्तिगत विभागों की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर कंप्यूटरों का प्रयोग कर रहा है, जिन्हें समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

गतिविधियों में ई–कॉमर्स

फ़िल्म निर्माण के लिए प्रस्ताव जमा करने और आगंतुकों के पंजीकरण की सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है और भुगतान गेटवे से जोड़ दी गई है। सीएफएसआई द्वारा आयोजित फ़िल्म उत्सवों के लिए फ़िल्म प्रविष्टियां जमा करने की सुविधा ऑनलाइन है; सभी भुगतान एवं प्राप्तियां ऑनलाइन होती हैं। वस्तु एवं सेवाओं की खरीद के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के जरिये ई–निविदा निकाली जाती है तथा जीईएम पोर्टल की सेवाएं ली जाती हैं।

Film and Television Institute of India

भारतीय फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान

भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) की स्थापना पुणे के (तत्कालीन) प्रभात स्टूडियोज़ के परिसर में 1960 में भारत सरकार द्वारा हुई थी। एफटीआईआई दो वर्षीय और तीन वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों के साथ ही एक वर्षीय पीजी सर्टिफिकेट कार्यक्रम भी संचालित करता है।

वर्ष 2020–21 की खास बातें

- एफटीआईआई ने 15 जून से 11 जुलाई, 2020 तक **पहला ऑनलाइन फ़िल्म समालोचना पाठ्यक्रम आरंभ** किया। 24 दिन के इस पाठ्यक्रम में फ़िल्म सिद्धांत, फ़िल्म निर्माण प्रक्रिया, सिनेमा की विधाओं के जरिए फ़िल्म समालोचना सिखाई जाती है। इस पाठ्यक्रम को भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय, पुणे ने आयोजित किया।
- जनवरी 2021 तक एफटीआईआई ने **स्किफ्ट (स्किलिंग इंडिया इन फ़िल्म एंड टेलीविजन) के अंतर्गत फ़िल्म एवं टेलीविजन के लगभग 20 क्षेत्रों में 48 ऑनलाइन पाठ्यक्रम कराए** थे और 1,500 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया था। ये पाठ्यक्रम पटकथा लेखन, स्क्रीन अभिनय, डिजिटल सिनेमैटोग्राफी, वीडियो संपादन, स्मार्टफोन फ़िल्म निर्माण, फ़िल्म समालोचना, हिंदी सिनेमा में गीतों के छायांकन की समालोचना, सिनेमा में ध्वनि की समालोचना, विजुअल स्टोरीटेलिंग, संवाद लेखन, वृत्तचित्र समालोचना, में एडवांस पाठ्यक्रम आदि थे।
- एफटीआईआई ने 3 से 28 अगस्त, 2020 तक **ऑनलाइन पाठ्यक्रम 'आलोचना : सिनेमा एवं आलोचक की भूमिका'** संचालित किया। 20 दिनों के पाठ्यक्रम में फ़िल्म सिद्धांत, फ़िल्म समीक्षा, फ़िल्म वाचन के माध्यम से आलोचना शामिल थी। न्यूज़ीलैंड से एक और भारत से शेष प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया। पुरस्कृत फ़िल्मकार और एफटीआईआई की पूर्व छात्रा सुश्री राजुला शाह ने पाठ्यक्रम कराया।
- एफटीआईआई ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों, भारतीय सेना के अधिकारियों तथा भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए भी अलग से ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित किए।
- एआईसीटीई की अटल (एआईसीटीई ट्रेनिंग एंड लर्निंग) अकादमी के अंतर्गत एफटीआईआई ने एआईसीटीई से मान्यताप्राप्त संस्थाओं के संकाय सदस्यों, शोधार्थियों, पीजी स्कॉलर, सरकार, उद्योग के प्रतिभागियों (अफसरशाह/तकनीशियन/उद्योग से प्रतिभागी) एवं एफटीआईआई के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से एनिमेशन फ़िल्म निर्माण पर एक ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम चलाया। इसमें 75 प्रतिभागी थे।
- डिपार्टमेंट ऑफ स्क्रीन स्टडीज एंड रिसर्च ने एफटीआईआई के बारे में एक पुस्तक **'बीइंग एफटीआईआई'** पर काम आरंभ किया है, जिसे एफटीआईआई के हीरक जयंती वर्ष में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया। श्री अदूर गोपालकृष्णन, श्री शत्रुघ्न सिन्हा, श्री सुभाष घई, श्रीमती शबाना आजमी, श्री राजकुमार राव, श्री श्रीराम राघवन, श्री शाजी करुण जैसे प्रख्यात पूर्व छात्रों ने पुस्तक में लेख लिखे हैं।
- एफटीआईआई ने सामाजिक दूरी तथा घर में ही रहने पर जोर देने वाले **आठ जन सेवा विज्ञापन एवं पांच लघु फ़िल्में सोशल मीडिया पर प्रदर्शित कीं**। वे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी भाषाओं में थीं और उनमें राज कुमार हिरानी, श्रीराम राघवन, दिव्या दत्ता, गूफी पेंटल, डॉ. मोहन अगाशे एवं अन्य एफटीआईआई से जुड़ी रही हस्तियां थीं।
- एफटीआईआई ने 11 जनवरी से 12 फरवरी, 2021 तक **ऑनलाइन डिजिटल फ़िल्म निर्माण पाठ्यक्रम** की घोषणा की है। 25 दिन के इस पाठ्यक्रम में डिजिटल फ़िल्म निर्माण के कथानक लेखन, सिनेमैटोग्राफी, संपादन, ध्वनि डिजाइन एवं निर्देशन के तत्वों को शामिल किया जाएगा।
- एफटीआईआई ने डिजिटल फ़िल्म निर्माण के 1 से 26 फरवरी, 2021 तक हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम **"आलोचना : हिंदी सिनेमा के बहाने"** आयोजित करने की घोषणा की है। 20 दिन के इस पाठ्यक्रम में हिंदी सिनेमा के शुरुआती दिनों, गीत, संगीत, फ़िल्म सोसाइटी आंदोलन की भूमिका आदि पर बात होगी।

फ़िल्म महोत्सवों में एफटीआईआई की फ़िल्में

- उरुग्वे के मोंटेवीडियो में 19–22 अगस्त, 2020 तक आयोजित 20वां इंटरनेशनल फ़िल्म स्कूल फेस्टिवल
- सर्बिया में 24वां इंटरनेशन वीडियो फेस्टिवल (8–10 अक्टूबर, 2020)।
- रूस में 18वां व्लादीवोस्तोक इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल पैसिफिक मेरीडियन (10–16 अक्टूबर, 2020)।
- दक्षिण कोरिया में 25वां बुसान इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल (7–16 अक्टूबर, 2020)।
- 64वां लंदन फ़िल्म समारोह लंदन में बीएफआई (ब्रिटिश फ़िल्म इंस्टीट्यूट) (7–18 अक्टूबर, 2020)
- तोरन, पोलैंड में कैमरिमेज : 28वां इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ द आर्ट ऑफ द सिनेमैटोग्राफी (14–21 नवंबर, 2020)।
- पोइतिएज़ फ़िल्म फेस्टिवल, फ्रांस (27 नवंबर–4 दिसंबर, 2020)।
- 18वां कल्पनिर्झर अंतरराष्ट्रीय लघु फिक्शन फ़िल्म महोत्सव, 2019, कोलकाता (1–5 दिसंबर, 2020)।
- श्रीलंका में छठा जाफ्ना इंटरनेशनल सिनेमा फेस्टिवल

(26–31 दिसंबर, 2020)।

- चौथा ह्यूमन राइट्स शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल, बुसान, दक्षिण कोरिया (दिसंबर, 2020)।
- मानवाधिकार आयोग, महाराष्ट्र द्वारा आयोजित मानवाधिकार पर लघु फ़िल्मों की छठी वार्षिक स्पर्द्धा, 2020
- 20वां ढाका इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल (16–24 जनवरी, 2021)।
- इंडियन पैनोरमा ऑफ इफ्फी 2020–21 (16–24 जनवरी, 2021)।
- 71वां बर्लिन इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल (21–28 फरवरी, 2021)।
- फ्रांस में द क्लेरमोंट–फेरांड इंटरनेशनल शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल (29 जनवरी – 6 फरवरी, 2021)।
- 23वां क्योटो इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़िल्म एंड वीडियो फेस्टिवल, जापान (फरवरी, 2021)।
- बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल (25–30 मार्च, 2021)।
- अस्मिता गुहा द्वारा निर्देशित एफटीआईआई छात्र डिप्लोमा फ़िल्म 'कैट डॉग' द स्टूडेंट एकेडमी अवॉर्ड की नैरेटिव क्षेणी में भेजी गई।

एफटीआईआई की फ़िल्मों को पुरस्कार

भारतीय		
धीरज मेश्राम	स्वरक्षा से सर्व रक्षा को "विशेष उल्लेख" प्राप्त हुआ	मई 2020 में नागपुर शहर पुलिस का सामाजिक दूरी पर ऑनलाइन जागरूकता अभियान
प्रशांतनु महापात्र	'लाइट ऑफ काइंडनेस' को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड	मुंबई में जून 2020 में आयोजित लॉकडाउन फ़िल्म कंपटीशन एंड फेस्टिवल, 'इटर्नल रे'
विदेशी		
अस्मिता गुहा नियोगी	'कैट डॉग' को प्रथम पुरस्कार	अक्टूबर, 2020 में सिने फाउंडेशन फेस्टिवल (कान)

भारतीय फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान के हीरक जयंती वर्ष के समारोहों के हिस्से के रूप में 'प्रभात टू एफटीआईआई' नामक इंस्टालेशन का लोकार्पण 14 मार्च, 2020 को किया गया जिसमें प्रभात फ़िल्म कम्पनी से एफटीआईआई की ऐतिहासिक यात्रा का विवरण है। एक एफटीआईआई कालीन गैलरी का भी प्रदर्शन किया गया था जिसमें पिछले छः दशकों में संस्थान में हुए कार्यक्रमों और अकादमिक गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया था।

सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान

सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) की स्थापना 1995 में एक स्वायत्तशासी शिक्षण संस्था के रूप में की गई और यह पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत है। महान फ़िल्मकार सत्यजित रे के नाम पर स्थापित यह संस्थान सिने–शिक्षण का राष्ट्रीय केंद्र है, जो फ़िल्मों में छह विशेषज्ञताओं – (1) निर्देशन एवं पटकथा लेखन, (2) सिनेमैटोग्राफी, (3) संपादन, (4) साउंड रिकॉर्डिंग एवं डिजाइन, (5) फ़िल्म एवं टेलीविजन के लिए निर्माण और (6) एनिमेशन सिनेमा तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया प्रबंधन में अनेक कार्यक्रम चलाता है।

2020–21 की खास बातें

- साउंड रिकॉर्डिंग एवं डिजाइन (फ़िल्म) विभाग ने पूरे भारत से प्रतिभागियों के लिए ***'साउंड पॉसिबिलिटीज़'*** नाम का निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम आरंभ किया। यह सिनेमा में साउंड रिकॉर्डिंग एवं डिजाइन विषय पर साप्ताहिक कार्यक्रम था। यह सत्र हिंदी, अंग्रेजी एवं बंगाली भाषा में था।
- एनिमेशन सिनेमा विभाग (फ़िल्म प्रखंड) ने छात्रों के एनिमेशन एवं फ़िल्म निर्माण का ज्ञान बढ़ाने के लिए **आठ सप्ताह का ऑनलाइन एनिमेशन समालोचना पाठ्यक्रम आरंभ किया।**
- संपादन (फ़िल्म) विभाग ने प्रतिष्ठित फ़िल्म संस्थान के व्याख्याताओं एवं कामकाजी पेशेवरों जैसे– श्री शमार मार्कस, श्रीमती नजाकत इकिची और श्रीमती इसाबेल ग्लैनचैंट के साथ विशेष सत्र आयोजित किए।

सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान के फ़िल्म एवं टेलीविजन निर्माण विभाग द्वारा 30 जुलाई, 2020 को फेस्टिवल प्रोग्रामर, निर्माता एवं लेखक पाओलो बर्तोलिन के साथ दक्षिण एशियाई फ़िल्म प्रोग्रामिंग पर प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया।

- फ़िल्म एवं टेलीविजन निर्माण विभाग (फ़िल्म) से श्रीमती सेलीन लूप और श्रीमती बीना पॉल ने कई ऑनलाइन मास्टरक्लास संचालित कीं। श्री पाओलो बार्तोलिन ने फ़िल्म एवं टेलीविजन निर्माण विभाग के छात्रों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया।
- प्रोफेसर कौस्तुभ रॉय ने आर्ट ऑफ *स्टोरीटेलिंग फॉर एनिमेशन* पर मास्टरक्लास सह कार्यशाला का आयोजन किया। प्रसेनजित गांगुली ने **द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ मेकिंग एनिमेटेड शॉर्ट फ़िल्म** पर संक्षिप्त वेबिनार किया।
- श्रीमती तारा डगलस ने *टेल्स ऑफ द ट्राइब्सः स्टोरी टेलिंग फ्रॉम ट्राइबल इंडिया* का परिचय दिया और श्री विक्रम नायक ने अपने सजीव साक्षात्कार एवं कार्यशाला में *फनी, ऑर व्हाट?* पर बात की।
- श्री हाओबम पबन कुमार ने अपनी फ़िल्म *फुम शांग* की ऑनलाइन स्क्रीनिंग कराई, जिसके बाद उन्होंने निर्देशन एवं पटकथा लेखन (फ़िल्म) विभाग के छात्रों के साथ ऑनलाइन वार्तालाप किया।
- श्री तरुण भारतीय ने अपनी फ़िल्मों की स्क्रीनिंग के बाद रोचक ऑनलाइन प्रश्नोत्तर सत्र किया।
- श्रीमती अनुजा घोसलकर ने **इमेजिनरी लाइन्स, आइडिया ऑन फिक्शन एंड नॉन–फिक्शन** शीर्षक से ऑनलाइन सत्र आयोजित किया। अभिलेखों, व्यक्तिगत इतिहास एवं दस्तावेजों की भूमिका पर रोचक चर्चा आरंभ हुई, जिसमें छात्रों को दस्तावेजी थिएटर एवं लॉकडाउन के दौरान कला सृजन की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त हुई।
- **एसआरएफटीआई ने कोलकाता में इटली के महावाणिज्य दूत** और लघु फ़िल्मों पर केंद्रित इतालवी संस्था सेंत्रो नाजियोनेल दे कॉर्तोमेत्राजियो के सहयोग से 21 और 22 दिसंबर, 2020 को दो दिवसीय लघु फ़िल्म उत्सव आयोजित किया।
- सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान ने असामुदायिक रहते हुए छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस प्रकार संस्थान अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये घर से ही योग कर, सभी के साथ एकजुट खड़ा रहा। साथ ही संस्थान ने सामुदायिक योग प्रक्रिया पर आधारित आठ योग कैप्सूल वीडियो भी तैयार किए, जिन्हें आधिकारिक सोशल मीडिया मंचों पर अपलोड किया गया।
- सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान के छात्रों तथा संकाय सदस्यों ने सत्यजित रे की 99वीं जयंती मनाने के लिए पांच ऑडियो–विजुअल्स तैयार किए। ऑडियो–विजुअल्स को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।
- संस्थान ने 5 जून, 2020 को परिसर में विभिन्न पौध रोपकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। प्रभारी निदेशक, संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों ने कोविड–19 के लिए आवश्यक सावधानी बरतते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
- संस्थान ने 14–28 सितंबर, 2020 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया। गृह मंत्रालय के आधिकारिक भाषा विभाग के अधीन क्षेत्रीय आधिकारिक भाषा क्रियान्वयन कार्यालय से सलाह कर ऑनलाइन माध्यम द्वारा आधिकारिक भाषा पर प्रशासनिक शब्दावली, निबंध, लेखन एवं श्रुतिलेख जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

- संस्थान ने फिटनेस को बढ़ावा देने तथा मोटापे, आलस एवं बेचैनी से जुड़ी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए 15 अगस्त–2 अक्टूबर, 2020 तक **फिट इंडिया आंदोलन** मनाया। इसके लिए *फिट इंडिया फ्रीडम रन* वाले बैनर पूरे परिसर में लगाए गए।
- संस्थान ने **सतर्क भारत, समृद्ध भारत** विषय पर 27 अक्टूबर–2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। प्रभारी निदेशक ने ऑनलाइन माध्यम से निष्ठा की शपथ दिलाई।

छात्रों की उपलब्धि

फ़िल्म का शीर्षक	छात्र का नाम	पुरस्कार/समारोह का विवरण	समारोह की तिथि
भारतीय			
ओरु पाथिरा स्वप्नम पोल	शरण वेणुगोपाल	भारत अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव की भारतीय पैनोरमा श्रेणी में	16 से 24 जनवरी, 2021
सालाना जलसा	प्रतीक ठाकरे	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म उत्सव	8 से 15 जनवरी, 2021
सालाना जलसा	प्रतीक ठाकरे	धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म उत्सव, हिमाचल प्रदेश	29 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2021
भव नदीर पारे	निखिलेश मट्टू	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म उत्सव	8 से 15 जनवरी, 2021
भव नदीर पारे	निखिलेश मट्टू	धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म उत्सव, हिमाचल प्रदेश	29 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2021
अंतरराष्ट्रीय			
सालाना जलसा	प्रतीक ठाकरे	शांघाई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में गोल्डन गॉबलेट अवार्ड ऑफिशियल सेलेक्शन श्रेणी में	25 जुलाई से 2 अगस्त, 2020
सालाना जलसा	प्रतीक ठाकरे	म्यूनिख इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़िल्म स्कूल फेस्टिवल	14 से 20 नवंबर, 2020
नेइथल	अशोकन मूर्ति	तेल अवीव इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़िल्म स्कूल फेस्टिवल में इंटरनेशनल कंपटीशन श्रेणी में	20 से 26 सितंबर, 2020

भारत का राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय

1964 में स्थापित राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय, राष्ट्रीय सिनेमा की धरोहर को ढूंढकर, अधिकार प्राप्त कर उसे संरक्षित कर विश्व सिनेमा का प्रतिनिधि संग्रह तैयार करता है। इसमें फ़िल्मी व गैर–फ़िल्मी सामग्री का संरक्षण शामिल है जो मात्र सेल्यूलाइड, स्टिल्स, ग्लास स्लाइड्स, पोस्टर्स, लॉबी कार्डर्स, स्क्रिप्ट्स और सांग बुकलेट्स तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय देश में फ़िल्म संस्कृति के प्रसार के केंद्र के रूप में कार्य करता है तथा विदेश में भारतीय सिनेमा की संस्कृतिक उपस्थिति सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही वह सिनेमा पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है और प्रकाशित तथा वितरित भी करता है।

राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय का मुख्यालय पुणे में है एवं उसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु, कोलकाता और तिरुअनंतपुरम में हैं।

यहां अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म संरक्षण मानकों के अनुरूप डिजाइन किए गए 27 फ़िल्म वॉल्ट हैं, साधनसंपन्न संरक्षण विभाग है, पर्याप्त पुस्तकों एवं पत्रिकाओं वाला पुस्तकालय है और प्रसूचीकरण, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण केंद्र है, जिसमें सिनेमा पोस्टरों, छायाचित्रों तथा अन्य सहयोगी सामग्री का बहुमूल्य संग्रह मौजूद है। संग्रहालय में अपने संग्रह में से फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 3 सिनेमा ऑडिटोरियम भी हैं।

पुनःस्थापित जयकर बंगला और डिजिटल पुस्तकालय में फ़िल्म छात्रों एवं शोधकर्ताओं को शोध तथा संवाद के लिए सांस्कृतिक वातावरण मिलेगा। नए डिजिटल पुस्तकालय में एनएफएआई के संग्रह से डेटाबेस वाले कंप्यूटर टर्मिनल हैं। इनमें डिजिटल प्रारूप में पोस्टर, गीतों की पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं आदि हैं। फ़िल्म प्रेमी एवं शोधकर्ता इस डेटाबेस का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से देखने के स्थान बनाए गए हैं ताकि रुचि रखने वाले फ़िल्म शोधकर्ता एवं फ़िल्म प्रेमी एनएफएआई के संग्रह से फ़िल्म चुन सकें तथा उसे निजी तौर पर देखने के लिए समय तय कर सकें। मोबाइल एप्लिकेशन "एनएफएआई डिजिफ़िल्मलिब" भी तैयार की गई है, जिसके जरिये डिजिटल भुगतान सुविधा के साथ बुकिंग की जा सकती है।

महत्वपूर्ण प्राप्तियां

- वरिष्ठ अभिनेता, निर्देशक एवं निर्माता गजानन जागीरदार के छायाचित्रों का पुराना संग्रह अब एनएफएआई का हिस्सा बन चुका है। गजानन जागीरदार के पुत्र अशोक जागीरदार ने उनके निजी संग्रह में से 130 से अधिक चित्र तथा अन्य स्मृति चिह्न पुणे में एनएफएआई के निदेशक प्रकाश मगदूम को सौंपे।

संग्रह में सबसे पुराने छायाचित्रों में एक 1935 की फ़िल्म *असिरे हविस* तथा एक 1938 की फ़िल्म *मीठा जहर* से था, जिसमें जागीरदार नसीम बानू के साथ नजर आये हैं।

- संग्रह का बड़ा आकर्षण 1953 की फ़िल्म 'महात्मा' के नायक के तौर पर गजानन जागीरदार का असली स्केच है, जिसे वरिष्ठ कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे ने बनाया था।

एमसीसीआईए के महानिदेशक श्री प्रशांत गिरबाने ने एनएफएआई के निदेशक को ऐतिहासिक महत्व की 35 मिनट अवधि की करीब 1,200 फुट लंबी दुर्लभ फुटेज सौंपी। इसमें 1940 के दशक के अंतिम वर्षों से 1960 के दशक तक एमसीसीआईए के सांगठनिक इतिहास की प्रमुख घटनाएं दिखाई गई हैं। मुख्य रूप से श्वेत–श्याम फुटेज के कुछ अंश रंगीन भी हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी एवं नेता सी. राजगोपालाचारी भी एमसीसीआईए के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते दिख रहे हैं। फुटेज का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा पुणे डिविजन प्रोडक्टिविटी काउंसिल जैसे प्रमुख संस्थान दिख रहे हैं और पुणे क्षेत्र में औद्योगिक विकास तथा उसमें एमसीसीआईए के प्रयास भी शामिल हैं।

फ़िल्म महोत्सवों में प्रतिभागिता

- 18वें पुणे अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव का आयोजन 9–16 जनवरी, 2020 तक किया गया। एनएफएआई इस महोत्सव में कार्यक्रम साझेदार था। पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए एनएफएआई के मुख्य थिएटर तथा दूसरे फेज में रोज चार शो आयोजित किए गए।
- **एनएफएआई ने सिंबायोसिस (ईएलटीआईएस)** और **नॉर्थ–ईस्ट कल्चरल एसोसिएशन, पुणे** के साथ मिलकर 14 से 18 फरवरी, 2020 तक एनएफएआई मुख्य थिएटर में पूर्वोत्तर फ़िल्म महोत्सव – **फ्रैगरेंसेज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट** का आयोजन किया। पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से सिनेमाई प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले इस महोत्सव में पूर्वोत्तर की 16 समसामयिक फ़िल्में दिखाई गईं, जिनमें फीचर फ़िल्म, वृत्तचित्र तथा लघु फ़िल्में शामिल थीं। अरिबम श्याम शर्मा जैसे वरिष्ठ फ़िल्मकार और युवा फ़िल्मकारों के शानदार समूह से फ़िल्मों का चयन दर्शकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण था।
- एनएफएआई ने डीएमसीएस (जनसंचार अध्ययन विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय) के साथ मिलकर पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए 19 और 20 फरवरी, 2020 को **अंतरराष्ट्रीय लघु फ़िल्म उत्सव** आयोजित किया।
- एनएफएआई ने संशोधन पुणे एवं आशय फ़िल्म क्लब के साथ मिलकर 21 से 23 फरवरी, 2020 तक एनएफएआई के मुख्य थिएटर में **चौथा विज्ञान फ़िल्म उत्सव** आयोजित किया।

विशेष कार्यक्रम

- समपथिक ट्रस्ट ने पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए 8 जनवरी, 2020 को एनएफएआई के मुख्य थिएटर में क्वीर फ़िल्म उत्सव आयोजित किया।
- वीएंडवी एंटरटेनमेंट ने अपने कलाकारों एवं कर्मचारियों के लिए 9 जनवरी, 2020 को एनएफएआई के मुख्य थिएटर में **"कन्यादान"** फ़िल्म का प्रदर्शन किया। स्वनिर्मिती ने अपने कलाकारों एवं कर्मचारियों के लिए 9 जनवरी, 2020 को एनएफएआई के मुख्य थिएटर में **"जिंगर"** फ़िल्म का प्रदर्शन किया।
- आशय रोटरी का नियमित कार्यक्रम (फ़िल्म शो) 16 जनवरी, 2020 को एनएफएआई फेज 2 में आयोजित हुआ।
- 24 फ्रेम्स ने 18 जनवरी, 2020 को लघु फ़िल्म **"रोबोट"** प्रदर्शित की।
- एनएफएआई ने बियॉण्ड एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर 20 जनवरी, 2020 को श्रव्य दृश्य कार्यक्रम आयोजित किया।
- महिलाओं के समूह 'स्पेक्ट्रम अहेड' ने 27 जनवरी, 2020

को फ़िल्म शो "शंकरभरणम" (एनएफएआई की फ़िल्म) का प्रदर्शन आयोजित किया।

- निजी संस्था आरती फ़िल्मस ने 31 जनवरी, 2020 को **तकनीकी समीक्षा के लिए "पतंग" फ़िल्म का प्रदर्शन** आयोजित किया।
- अरभाट फ़िल्म क्लब ने 24 जनवरी, 2020 को लघु फ़िल्मों का प्रदर्शन किया और 30 जनवरी से 2 फरवरी, 2020 तक **"शूट अ शॉट" कार्यशाला** आयोजित की।
- **एनएफएआई वार्षिकोत्सव के अंतर्गत** 1 फरवरी, 2020 को बच्चों के लिए **"चिल्लर पार्टी"** फ़िल्म का प्रदर्शन किया गया।
- आशय फ़िल्म क्लब ने निम्न आयोजन किए: 2 फरवरी, 2020 को अशोक राणे द्वारा वृत्तचित्र **"बीइंग अपू"** और उसके बाद चर्चा; **प्रदीप दीक्षित द्वारा वृत्तचित्र "माई एसे ऑन माई मदर एंड अदर्स"**; तथा 13 फरवरी, 2020 को **लघु फ़िल्म "माई एसे ऑन माई मदर एंड अदर्स"**।
- एनएफएआई ने 10 और 11 फरवरी को **धीरज अकोलकर के वृत्तचित्र "वॉर्स डॉण्ट एंड"** और **"लिव एंड इंगमार"** का प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुआ।
- लोकशक्ति उत्सव समिति ने फ़िल्म शो **"तुरुप"** का आयोजन किया।
- एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, पणजी ने विमल रॉय पर एक प्रदर्शनी आयोजित की। हिंदी और अंग्रेजी में उचित कैप्शन के साथ 15 वस्तुएं एवं विमल रॉय पर एक लेख वहां प्रदर्शित किए गए।
- बियॉण्ड फाउंडेशन ने 13 फरवरी को आमंत्रित दर्शकों के लिए **"नदीवहते"** फ़िल्म का प्रदर्शन किया, जिसके बाद चर्चा/व्याख्यान/पुरस्कार वितरण हुए।
- **श्रीविद्या एंटरप्राइजेज एवं शंकर जय किशन फाउंडेशन** ने बीते जमाने के अभिनेता/अभिनेत्रियों की संगीत यात्रा पर 28 फरवरी, 2020 को श्रव्य दृश्य कार्यक्रम आयोजित किया।

महान फ़िल्मकार सत्यजित रे की जन्मशती का आरंभ करते हुए एनएफएआई ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे एनएफएआई सोशल मीडिया मंचों पर 'आवर फेस ऑफ द वीक' में उन्हें जगह दी। 2 मई को उनके जन्मदिन पर पोस्ट के साथ ही 4 से 10 मई तक विशेष सप्ताह मनाया गया, जिसमें *पाथेर पांचाली* (1955), *अपूर संसार* (1959), *चारुलता* (1964), *नायक* (1966), *गोपी गायने बाघा बायने* (1968), *अरण्येर दिन रात्रि* (1970) और *शतरंज के खिलाड़ी* (1971) जैसी विभिन्न फ़िल्मों से उनका उत्कृष्ट कार्य दिखाया गया। फ़िल्मकार को श्रद्धांजलि स्वरूप देते हुए एनएफएआई के 2020 के कैलेंडर में मई के महीने में बेगम अख़्तर की तस्वीर भी डाली गई, जो रे की फ़िल्म *जलसाघर* (1958) के गीत "भर भर आई मोरी अंखियां" से ली गई थी।

एनएफएआई महान कलाकार पंडित रविशंकर की जन्मशती भी मना रहा है। इसके लिए वह इनके कार्यों को प्रदर्शित करने हेतु पोस्ट डाल रहा है।

विभिन्न कार्यक्रमों एवं एनएफएआई द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए फ़िल्मों की आपूर्ति

देश भर में आयोजित विभिन्न फ़िल्म समारोहों एवं स्क्रीनिंग कार्यक्रमों हेतु एनएफएआई फ़िल्मों की आपूर्ति करता है। एनएफएआई द्वारा एनएफडीसी मुंबई को 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर ऑनलाइन स्क्रीनिंग हेतु 7 फ़िल्में प्रदान की गईं। यह समारोह एनएफएआई द्वारा सह–संयोजित था। इसी प्रकार एनएफएआई ने औरंगाबाद फ़िल्म समारोह के लिए **'एक दिन प्रतिदिन'** (बीआरडी स्वरूप) में उपलब्ध कराई। बिमल रॉय फ़िल्म समारोह हेतु एनएफएआई ने **बंदिनी, सुजाता, यहूदी और परिणीता** (सभी बीआरडी स्वरूप में) प्रदान की। **भुवन शोमे, संस्कार और शंतता कोर्ट चालू आहे** (सभी बीआरडी स्वरूप में) 'थर्ड आई एशियन फ़िल्म समारोह', मुंबई हेतु दी गईं। एफटीआईआई के फ़िल्म एप्रीसिएशन कोर्स के आईओआरए के प्रतिभागियों हेतु **एलिपट्टायम, भवानी भवाई, जैत रे जैत,** (डीवीडी) प्रदान की गईं। इसके साथ ही एनएफएआई ने **अवीयार, मीरा, संत तुकाराम, संध्या राग** (सभी बीआरडी) और **शंकराभरणम** (डीसीपी) से सभी बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के लिए उपलब्ध कराई। कलामहर्षि बाबूराव पेंटर फ़िल्म सोसाइटी कोल्हापुर के लिए **'रेट्रोस्पेटिव ऑफ जी. अरविंदन'** के साथ–साथ **'वस्तुहारा चिंदबरम, थम्पू और पोकुवेल'** ये सभी उपलब्ध कराई गईं।

भारत में फ़िल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एनएफएआई कई प्रकार की गतिविधियां चलाता है। इसके वितरण पुस्तकालय में देश भर से लगभग 25 सक्रिय क्लब/सदस्य हैं। देश भर में फ़िल्म प्रदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों तथा फ़िल्म उत्सवों के लिए अभिलेखागार से फ़िल्में भेजी जाती हैं। इस वर्ष में एनएफएआई ने अन्य संगठनों के साथ समन्वय कर फ़िल्में भेजीं और विभिन्न फ़िल्म उत्सवों का आयोजन किया।

एनएफएआई, अरभाट फ़िल्म क्लब और राजू सुतार ने साथ मिलकर वृत्तचित्रों पर केंद्रित फ़िल्म क्लब आरंभ किया। फ़िल्म क्लब हर महीने वृत्तचित्र दिखाएगा और फ़िल्मकारों तथा फ़िल्म विद्वानों के साथ बातचीत के सत्र कराएगा।

फ़िल्म समालोचना पाठ्यक्रम

- एफटीआईआई और एनएफएआई ने 15 जून से 11 जुलाई, 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से **45वां फ़िल्म समालोचना पाठ्यक्रम** कराया। इसमें 49 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- **मराठी में 15वां फ़िल्म समालोचना पाठ्यक्रम** 1 से 7 नवंबर, 2020 तक हुआ, जिसे एनएफएआई ने एफएफएसआई के साथ मिलकर आयोजित किया। यह पाठ्यक्रम पहली बार ऑनलाइन कराया गया और फ़िल्म तथा थिएटर कलाकार डॉ. मोहन अगाशे ने इसका उद्घाटन किया। इसमें कुल 82 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पाठ्यक्रम के दौरान एनएफएआई के संग्रह से 8 फ़िल्में दिखाई गईं।

चौथा शीतकालीन फ़िल्म समालोचना पाठ्यक्रम 2020 एफटीआईआई के साथ मिलकर 23 नवंबर से 19 दिसंबर, 2020 तक आयोजित किया गया। पूरे भारत से 41 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। यह पाठ्यक्रम ऑनलाइन हुआ।

एफआईएएफ

एनएफएआई मई, 1969 से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फ़िल्म आर्काइव्स का सदस्य है। एफआईएएफ की सदस्यता के कारण एनएफएआई को संरक्षण की तकनीकों, दस्तावेजीकरण, संदर्भ ग्रंथ सूची आदि पर विशेषज्ञों की सलाह, जानकारी एवं सामग्री प्राप्त होती है। इससे अभिलेखीय आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत अन्य अभिलेखागारों से दुर्लभ फ़िल्मों का आदान–प्रदान भी हो जाता है।

योजनागत एवं गैर योजनागत कार्यक्रम

एनएफएआई के पास योजनागत कार्यों जैसे अभिलेखीय फ़िल्मों एवं फ़िल्म सामग्री की प्राप्ति के लिए 2020–21 में 3.10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है। राष्ट्रीय फ़िल्म धरोहर मिशन (एनएफएचएम) के लिए 2020–21 में कुल 24.04 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

योजनागत एवं गैर योजनागत कार्यों के लिए बजट का विवरण नीचे दिया गया है:

2020–21 के लिए बजट अनुमान

मुख्य मद "2220" – सूचना एवं प्रचार	प्रतिष्ठान	केंद्रीय योजनाएं
राजस्व	9.50	10.48
पूंजी	0.00	13.56
कुल	9.50	24.04

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के कर्मचारियों को समय–समय पर संशोधित होने वाले नियमों के अनुसार लाभ प्रदान करने एवं कल्याण पर उचित ध्यान दिया जाता है।

आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग

भारत के राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय में 21 और 22 सितंबर, 2020 को हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। समारोह के दौरान हिंदी अनुवाद, आधिकारिक भाषा नीति का ज्ञान जैसी कुछ प्रतियोगिताएं भी कराई गईं। एनएफएआई के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इन स्पर्द्धाओं में हिस्सा लिया और हिंदी के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया।

22 सितंबर, 2020 को इस मौके पर हिंदी ऑनलाइन कार्यशाला भी आयोजित की गई। हिंदी आधिकारिक भाषा विभाग के सह–निदेशक श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने आधिकारिक भाषा एवं तकनीक के बारे में बात की।

विभागीकृत खाते

एनएफएआई 1976 में आरंभ की गई विभागीय लेखा प्रणाली पर चलता है। इस व्यवस्था में एनएफएआई के वेतन एवं खातों पर पीएओ, एफडी और मुंबई का नियंत्रण रहता है। विभागाध्यक्ष के रूप में एनएफएआई के निदेशक को डीडीओ नियुक्त किया गया है और उन्होंने ये शक्तियां प्रशासनिक अधिकारी, एनएफएआई को सौंप दी हैं।

सूचना का अधिकार – 2005

एनएफएआई भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना का अधिकार, 2005 को लागू कर दिया है। जनवरी से दिसंबर, 2020 के बीच एनएफएआई को 15 आवेदन प्राप्त हुए और आवेदकों को नियमानुसार आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई गई। इस कानून से संगठन के कामकाज में पारदर्शिता आ गई है।

शिकायत प्रकोष्ठ

विभागाध्यक्ष होने के कारण एनएफएआई के निदेशक को

शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी शिकायतों का सरकार के नियमों के अनुसार निपटारा किया गया है।

नागरिक घोषणापत्र

नागरिक घोषणापत्र एनएफएआई की वेबसाइट पर दिया गया है। नागरिक हमारी वेबसाइट (www.nfaipune.gov.in) पर जा सकते हैं और जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक घोषणापत्र पर जानकारी समय–समय पर अद्यतन की जाती है।

कार्य योजना का क्रियान्वयन

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नई योजना "जयकर बंगला समेत एनएफएआई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन एवं डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना" को एसएफसी की मंजूरी 14 जून, 2013 को प्राप्त हुई और योजना का क्रियान्वयन हो रहा है।

आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण एवं ई–प्रशासन/ई–कॉमर्स

एनएफएआई सांस्कृतिक एवं अनुसंधान संगठन भी है और भारतीय सिनेमा की धरोहर प्राप्त एवं संरक्षित करने के प्राथमिक कार्य में लगा हुआ है। यह देश में फ़िल्म संस्कृति के प्रसार का केंद्र भी है। देश और दुनिया के विभिन्न भागों से आम जनता, सिनेमा के गंभीर छात्र तथा शोधकर्ता अभिलेखागार की वेबसाइट के जरिये उसके संग्रह एवं सेवाओं का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं।

सतर्कता गतिविधियां

इस कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद नहीं है और विभागाध्यक्ष होने के नाते निदेशक को ही सतर्कता अधिकारी बना दिया गया है।

अवधि के दौरान एहतियातन सतर्कता की गतिवधियां :

अ) अवधि में किए गए नियमित निरीक्षणों की संख्या : बारह

आ) अवधि में किए गए औचक निरीक्षणों की संख्या : बारह

अवधि के दौरान निगरानी एवं तलाशी की गतिवधियां :

अ) निगरानी रखने के लिए चुने गए क्षेत्रों का विवरण : फ़िल्मों की सुरक्षा एवं प्रति निर्माण

आ) निगरानी के लिए चिह्नित व्यक्तियों की संख्या : शून्य

दंडात्मक गतिविधियां : शून्य

राष्ट्रीय फ़िल्म धरोहर मिशन

भारत की फ़िल्म धरोहर के पुनरुद्धार एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नवंबर, 2014 में वित्त मंत्रालय के जरिये 597.41 करोड़ रुपये की परियोजना "राष्ट्रीय फ़िल्म धरोहर मिशन" मंजूर कर दी। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, जो योजना परिव्यय के वर्षवार आवंटन के अनुसार 13वीं पंचवर्षीय योजना तक चलेगा। इस पहल को फ़िल्म उद्योग से बहुत सराहना मिलेगी। इस नई योजना में एनएफएआई तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फ़िल्म प्रकोष्ठ के अधीन अन्य मीडिया इकाइयों के पास उपलब्ध फ़िल्मों के डिजिटलीकरण/पुनर्नवीकरण का काम हुआ है। योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा भारत के राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय, पुणे को सौंपा गया है।

थिएटर सुविधाएं

एनएफएआई के पास तीन बहु–उद्देश्यीय थिएटर हैं। मुख्य परिसर में 35 सीटों वाला पूर्व–प्रदर्शन (प्रीव्यू) थिएटर और 300 सीटों वाला मुख्य थिएटर है तथा कोथरुड में 200 सीटों वाला सुविधासंपन्न थिएटर है। एनएफएआई के अपने कार्यक्रमों तथा एफटीआईआई के शैक्षिक प्रदर्शनों (स्क्रीनिंग) के अलावा अन्य संस्थान भी अपने प्रदर्शन कार्यक्रमों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों आदि के लिए सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

पुणे में मैक्समूलर भवन, अलायंस फ्रंस्वा और ब्रिटिश काउंसिल ने भी अपने सदस्यों तथा एनएफएआई फ़िल्म सर्कल के सदस्यों के लाभ के लिए नियमित रूप से प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए। रिपोर्ट में दी गई अवधि के दौरान मुख्य थिएटर तथा प्रीव्यू थिएटर 168 कार्यक्रमों के लिए किराये पर दिए गए।

निर्माताओं/कॉपीराइट मालिकों के लिए सुविधाएं

एनएफएआई निर्माताओं तथा कॉपीराइट मालिकों को फ़िल्मों की आपूर्ति कर रहा है ताकि उनके असली नेगेटिवों की मरम्मत हो सके, दूसरी प्रतियां बन सकें और प्रसारण के उद्देश्य से वीडियो प्रतियां बन सकें। राष्ट्रीय टेलीविजन तथा सैटेलाइट नेटवर्कों पर प्रसारित हो रही कई पुरानी फ़िल्में इसी के संग्रह से ली गई हैं।

समीक्षाधीन समय के दौरान 17 नए शीर्षक संग्रहालय में जोड़े गए। 31 दिसंबर, 2020 तक 21,788 फ़िल्में, 3,714 वीडियो कैसेट्स 3,787 डीवीडी 30,615 किताबें, 45,040 स्क्रिप्ट्स, 1,369 प्री–रिकार्डडेट ऑडियो टेप (मौखिक इतिहास) भी अधिग्रहित किए गए और 3,83,849 सहायक फ़िल्म सामग्री का डिजटीकरण हुआ।

एनएफएआई के संदर्भ में महत्वपूर्ण गतिविधियां

रील्स/फ़िल्मों की संख्या	16मिमी.	35मिमी.
फ़िल्मों की पूर्ण जांच	--	6,266

फ़िल्म संस्कृति का विस्तारण

विशेष अवसरों हेतु उपलब्ध कराई गई फ़िल्में	25
संयुक्त प्रदर्शन (स्क्रीनिंग)	2
फ़िल्म एप्रीसिएशन कोर्सेस के लिए प्रदान की गई फ़िल्में	42
अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध दर्शक सुविधाएं	21
एफटीआईआई की अकादमिक स्क्रीनिंग हेतु उपलब्ध कराई गई फ़िल्में	18
पुस्तकालय सुविधा का उपयोग करने वाले पाठकों की संख्या	409
दस्तावेज़ीकरण की सुविधा लेने वाले अनुसंधानकर्ताओं की संख्या	38

Directorate of Film Festivals

फ़िल्म महोत्सव निदेशालय (डीएफएफ)

भारतीय फ़िल्मों और सांस्कृतिक आदान–प्रदान के उद्देश्य से सन 1973 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फ़िल्म समारोह निदेशालय की स्थापना की गई थी। डीएफएफ प्रत्येक साल राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार एवं दादासाहेब फाल्के पुरस्कार समारोह का आयोजन करता है। प्रति साल भारत का अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (इफ्फी) और विभिन्न थीम आधारित विविध फ़िल्म समारोह के संचालन की जिम्मेदारी भी डीएफएफ की ही है। इसके अलावा डीएफएफ गैर व्यावसायिक स्क्रीनिंग के लिए इंडियन पैनोरमा के प्रिंट का संरक्षण भी करता है।

भारत के 51वां अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह 2020

कोविड–19 महमारी के बीच सरकार के सभी निर्देशों का पालन करते हुए डीएफएफ ने भारत के 51वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया। हालांकि प्रत्येक साल नवंबर में होने वाले इस आयोजन को इस बार 16–24 जनवरी 2021 को करना पड़ा।

16 जनवरी, 2021 को पणजी, गोवा में भारत के 51वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के उद्घाटन पर प्रस्तुतियां देते कलाकर

यह आयोजन गोवा राज्य सरकार और भारतीय फ़िल्म उद्योग के सहयोग से किया जाता है। अपनी सफलता के कारण इफ्फी आज एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फ़िल्म समारोहों में से एक बन गया है। फ़िल्म कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हुए इफ्फी विश्व सिनेमा के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। इफ्फी विभिन्न देशों की फ़िल्म संस्कृतियों को, उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकाचार के संदर्भ को समझने और उनके मूल्यवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

इस बार समारोह का आयोजन हाईब्रिड प्रारूप में आभासी और प्रत्यक्ष किया गया जिसमें दोनों रूपों में प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी। विभिन्न श्रेणियों में दोनों प्रारूपों में 224 फ़िल्मों में से 50 फ़िल्मों को प्रदर्शित किया गया। हालिया अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में इस तरह का यह पहला हाईब्रिड प्रारूप था। इसे

कई भागों में बांटा गया था। जिनमें इंटरनेशनल रेट्रोस्पेक्टिव फेस्टिवल कैलिडियोस्कोप, वर्ल्ड पैनोरमा और स्पेशल स्क्रीनिंग शामिल थे। रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन के तहत दादा साहेब फाल्के की 150वीं जयंती को मनाने के लिए चार फ़िल्मों की स्क्रीनिंग की गई। इसी श्रेणी में पांच फ़िल्मों के एक पैकेज को सत्यजित रे की 100वीं जयंती पर दिखाया गया। समारोह में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए उनके जीवन पर आधारित नेताजी सुभाषचंद्र बोस फोटो फ़िल्म की स्क्रीनिंग की गई।

इस बार समारोह में बांग्लादेश को फोकस देश का दर्जा दिया गया था। समारोह में बांग्लादेश की कई फ़िल्में दिखाई गईं। समारोह में तनवीर मोकम्मिल निर्देशित रुपसा नोदिर बांके और जीवनधूलि, जहीदुर रहमान अंजान की मेघमलार, रूबाइयत हुसैन की अंडर कंस्ट्रक्शन और सिंसियरली योर्स, ढाका सहित 11 अलग–अलग निर्देशकों जिनमें नुहाश हुमायूं एवं सैयद अहमद शावकी भी थे की फ़िल्में दिखाई गईं। पूरे समारोह के दौरान वर्चुअल मास्टर क्लास और इन कनवर्सेशन सेशन्स आयोजित किए गए। इस दौरान इंटरनेशनल कंपीटिशन ज़्यूरी के चेयरमैन पाब्लो सीज़र (अर्जेंटीना), शेखर कपूर, सुभाष घई, प्रियदर्शन, राहुल रवैल सिद्धार्थ राय कपूर और प्रसन्ना विथानेज (श्रीलंका) जैसी मशहूर फ़िल्मी हस्तियों ने अपने–अपने विचार रखे।

24 जनवरी, 2021 को गोवा में 51वें आईएफएफआई के समापन समारोह में वयोवृद्ध अभिनेता बिस्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे भी उपस्थित रहे।

माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्री अमिताभ बच्चन को सिनेमा जगत को पांच से अधिक दशकों के विशिष्ट एवं अमूल्य योगदान के लिए 29 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में सम्मानित दादा साहब फ़ाल्के पुरस्कार प्रदान करते हुए।

कांस 2020 में इंडिया वर्चुअल पवैलियन

22–26 जून 2020 के बीच कांस फ़िल्म समारोह ने वर्चुअल फ़िल्म मार्केट का आयोजन किया था। इस मौके पर भारत की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कांस फ़िल्म फ़िल्म मार्केट 2020 में **वर्चुअल इंडिया पवेलियन** का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फ़िल्में भारत की सॉफ्ट पावर हैं और फ़िल्म सुविधा कार्यालय सभी राज्यों और केंद्र सरकार से अनुमति के लिए सिंगल विंडो का काम करेगा।

इस मार्केट में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फ़िल्मों माईघाट : क्राइम नंबर 103/200 और हेल्लारो की स्क्रीनिंग की गई। इसके साथ ही 2021 में महान फ़िल्मकार सत्यजित रे के

शताब्दी वर्ष को यादगार बनाने के लिए भारतीय पवेलियन की वेबसाइट पर उनकी फ़िल्में, उनके संगीत और डॉक्यूमेंटरी को प्रदर्शित किया गया। इस वेबसाइट पर भारत में फ़िल्मों की शूटिंग से संबंधित आंकड़े, सह–निर्माण का अनुभव रखने वाले निर्माताओं और अंतरराष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग के साथ सहयोग में रुचि रखने वाले निर्माताओं की एक सूची भी उपलब्ध है।

67वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार

प्रसिद्ध फ़िल्मकारों के पैनल की अध्यक्षता में डीएफएफ ने 67वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों की घोषणा की। विभिन्न भाषाओं में 441 प्रविष्टियों की समीक्षा करते हुए 31 श्रेणियों में परिणामों की घोषणा की गई।

24 जनवरी, 2021 को इफ्फी के 51वें संस्करण के समापन समारोह के अवसर पर वरिष्ठ एवं अनुभवी कलाकार श्री बिस्वजीत चैटर्जी 'इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर' सम्मान प्राप्त करते हुए। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत और सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय श्री अमित खरे भी उपस्थित रहे।

पुरस्कार को तीन श्रेणियों में बांटा गया– फीचर फ़िल्म गैर–फीचर फ़िल्म और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर फ़िल्म और गैर–फीचर फ़िल्म का उद्देश्य तकनीकी उत्कृष्टता, सौंदर्य तथा सामाजिक प्रासंगिकता से संबंधित फ़िल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना है। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक समझ और उत्कृष्टता को सिनेमाई रूप से पहचान मिलती है जिससे अंततः देश की एकता और अखंडता को प्रोत्साहन मिलता है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का उद्देश्य सूचनाओं के प्रसार और सिनेमा को कला के रूप में स्थापित करना है जिसमें किताब, लेख और समीक्षा के माध्यम से आलोचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहन मिल सके।

एन इंजीनियर्ड ड्रीम को सर्वश्रेष्ठ गैर–फीचर फ़िल्म का पुरस्कार मिला; जबकि मारक्कड़ अरबिकांदालिन्ते सिंहम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। कस्तूरी को सर्वश्रेष्ठ बाल फ़िल्म पुरस्कार मिला। श्रीक्षेत्र रू साहिजात को सर्वक्षेष्ठ कला और संस्कृति फ़िल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। फ़िल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य सिक्किम को मोस्ट फ़िल्म फ्रेंडली अवार्ड दिया गया। मराठी फ़िल्म के लिए रानपेटला गाना गाने वाली सवानी रविद्रा को सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का अवार्ड मिला जबकि मलायालम फ़िल्म जल्लीकट्टू के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार गिरेश गंगाधरण को मिला।

केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड
CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)

परिचय

केंद्र सरकार ने फ़िल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के उद्देश्य से मंजूरी देने के लिए सिनेमैटोग्राफी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधनिक निकाय है। बोर्ड में गैर–आधिकारिक सदस्य और एक अध्यक्ष (सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है) होते हैं तथा मुंबई मुख्यालय से कामकाज होता है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता पुरस्कार से सम्मानित लेखक, प्रसिद्ध गीतकार, कवि, कथानक लेखक एवं विज्ञापन तथा संचार जगत की प्रमुख हस्ती श्री प्रसून जोशी कर रहे हैं। बोर्ड मुंबई स्थित अपने मुख्यालय तथा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, दिल्ली, कटक एवं गुवाहाटी स्थित नौ क्षेत्रीय कार्यालयों से काम करता है।

फ़िल्म प्रमाणन

फ़िल्म प्रमाणन का कार्य 1952 अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) अधिनियम, 1983 और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत होता है। [u/ 5 (B)]

भारत फ़िल्म निर्माण करने वाले दुनिया के प्रमुख देशों में आता है। लेकिन सार्स कोव–2 बीमारी फैलने के कारण पिछले वर्षों की तुलना में फ़िल्मों का निर्माण बहुत कम हो गया, जिस कारण कम फ़िल्मों का प्रमाणन हुआ। देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण अधिकतर क्षेत्रीय कार्यालय बंद रखे गए।

अप्रैल, 2020 से नवंबर, 2020 के बीच बोर्ड ने कुल **4,060** प्रमाणपत्र जारी किए, जिनमें सेल्युलॉयड फ़िल्मों को शून्य, वीडियो फ़िल्मों को **2,856** प्रमाणपत्र और डिजिटल फ़िल्मों को **1,204** प्रमाणपत्र जारी किए गए। उनमें से **423** प्रमाणपत्र भारतीय फीचर फ़िल्मों, **60** विदेशी फीचर फ़िल्मों, **657** भारतीय लघु फ़िल्मों और **64** विदेशी लघु फ़िल्मों को जारी किए। इसी प्रकार **2856** वीडियो फ़िल्म प्रमाणपत्रों में से **667** प्रमाणपत्र भारतीय फीचर फ़िल्मों, **498** विदेशी फीचर फ़िल्मों, **1675** भारतीय लघु फ़िल्मों और **16** विदेशी लघु फ़िल्मों को जारी किए गए।

सेल्युलॉयड प्रारूप में कोई प्रमाणपत्र नहीं जारी किए गए।

बोर्ड द्वारा 1–4–2020 से 30–11–2020 तक प्रमाणित की गई फ़िल्मों का सकल विवरण

वीडियो									
	यू	यू *	यूए	यूए *	ए	ए *	एस	एस *	कुल
भारतीय फीचर फ़िल्में	120	41	266	232	4	4	-	-	667
विदेशी फीचर फ़िल्में	63	8	317	99	3	8	-	-	498
भारतीय लघु फ़िल्में	1299	13	325	27	10	1	-	-	1675
विदेशी लघु फ़िल्में	4	-	11	-	1	-	-	-	16
कुल (बी)	**1486**	**62**	**919**	**358**	**18**	**13**	-	-	**2856**
डिजिटल									
	यू	यू *	यूए	यूए *	ए	ए *	एस	एस *	कुल
भारतीय फीचर फ़िल्में	71	70	62	181	13	26	-	-	423
विदेशी फीचर फ़िल्में	9	4	22	6	11	8	-	-	60
भारतीय लघु फ़िल्में	466	8	157	13	11	2	-	-	657
विदेशी लघु फ़िल्में	14	-	49	-	1	-	-	-	64
कुल (सी)	**560**	**82**	**290**	**200**	**36**	**36**	-	-	**1204**
कुल योग (ए+बी+सी)	**2046**	**144**	**1209**	**558**	**54**	**49**	-	-	**4060**

*कट्स के साथ

बोर्ड द्वारा 1–4–2020 से 30–11–2020 तक प्रमाणित भारतीय फीचर फ़िल्मों का सकल विवरण

क्षेत्रवार – भाषावार वर्गीकरण (डिजिटल)

क्रमांक	भाषा	मुंबई	चे	कोल	बेंग	हैद	तिरु	दि	कट	गुवा	कुल योग
1	तेलुगु	-	4	-	89	5	-	-	-	-	98
2	तमिल	-	63	-	7	1	-	-	-	-	71
3	कन्नड़	-	-	-	3	61	-	-	-	-	64
4	हिंदी	46	-	1	-	-	-	3	-	-	50
5	भोजपुरी	44	-	1	-	-	-	1	-	-	46
6	बांग्ला	-	-	26	-	-	-	-	-	-	26
7	मराठी	14	-	1	-	-	-	-	-	-	15
8	मलयालम	-	2	-	4	1	3	-	-	-	10
9	गुजराती	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	असमिया	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
11	हिंदी में डब	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
12	उड़िया	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
13	छत्तीसगढ़ी	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
14	पंजाबी	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
15	तुलु	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
16	बोडो, आंशिक जोंखा	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
17	डोगरी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	अंग्रेजी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
19	गढ़वाली	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
20	गूजरी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
21	मैथिली	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	नागपुरी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	नेपाली	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
24	सदरी, आंशिक असमिया	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
25	वारली	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कुल योग	**123**	**69**	**30**	**103**	**70**	**3**	**8**	**8**	**9**	**423**

*चे – चेन्नई, कोल– कोलकाता, बेंग – बेंगलुरु, हैद – हैदराबाद, दि – दिल्ली, तिरु – तिरुअनंतपुरम, कट – कटक, गुवा – गुवाहाटी

बोर्ड द्वारा 1–4–2020 से 30–11–2020 तक प्रमाणित भारतीय फीचर फ़िल्मों का सकल विवरण

विषयवार वर्गीकरण (डिजिटल)

क्रमांक	विषयवार वर्गीकरण	मुंबई	चे	कोल	बेंग	हैद	तिरु	दि	कट	गुवा	कुल योग
1	फीचर	123	69	30	103	55	3	8	8	9	408
2	सामाजिक	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11
3	एक्शन/थ्रिलर	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
4	बाल फ़िल्म	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	कुल योग	**123**	**69**	**30**	**103**	**70**	**3**	**8**	**8**	**9**	**423**

बोर्ड द्वारा 1–4–2020 से 30–11–2020 तक प्रमाणित भारतीय फीचर फ़िल्मों का सकल विवरण

क्षेत्रवार – भाषावार वर्गीकरण (वीडियो)

क्रमांक	विषयवार वर्गीकरण	मुंबई	चे	कोल	बेंग	हैद	तिरु	दि	कट	गुवा	कुल योग
1	हिंदी	139	1	8	-	9	-	9	27	-	193
2	कन्नड़	-	21	-	69	7	-	-	-	-	97
3	मलयालम	-	43	-	17	1	27	-	-	-	88
4	तमिल	9	8	-	65	-	4	-	-	-	86
5	तेलुगु	1	39	-	31	1	2	-	-	-	74
6	भोजपुरी	47	-	-	-	-	-	3	11	-	61
7	बांग्ला	4	2	2	-	-	-	-	8	-	16
8	मराठी	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
9	पंजाबी	3	-	-	-	-	-	9	-	-	12
10	गुजराती	8	-	-	-	-	-	3	-	-	11
11	हिंदी डब	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
12	उड़िया	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
13	राजस्थानी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
14	हिंदी, आंशिक राजस्थानी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	अंग्रेजी, आंशिक हिंदी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	तुलु	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	कुल योग	**232**	**114**	**10**	**182**	**19**	**33**	**25**	**52**	**-**	**667**

बोर्ड का वित्त

प्रशासनिक उद्देश्य से बोर्ड को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय माना जाता है।

बोर्ड का राजस्व सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 में प्रदान किए गए मानकों के अनुसार प्रमाण शुल्क के संग्रह से आता है। बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालयों में फ़िल्मों के प्रदर्शन पर प्रोजेक्शन शुल्क भी वसूलता है। **1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2020 के बीच बोर्ड को कुल 4,46,36,944 रुपये की आय हुई।** प्राप्त राजस्व भारत की समेकित निधि में जाता है। बोर्ड का कोई बैंक खाता नहीं है।

बोर्ड को गैर–योजना व्यय एवं इन उप–मदों के अंतर्गत **1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2020** तक हुए खर्चों के बदले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुदान प्राप्त हुए, जिनका विवरण नीचे दिया है:

बजट आवंटन एवं व्यय

(लाख रुपये में)

	गैर योजनागत बजट अनुमान (2020–21)	30 नवंबर, 2020 तक व्यय
वेतन	500.00	333.69
चिकित्सा	11.00	4.11
डीटीई	22.00	6.96
ओई	355.00	89.98
पीपीएसएस	300.00	116.01
किराये की दरें एवं कर	20.00	2.72
अन्य प्रशासनिक खर्च	33.00	2.33
सूचना प्रौद्योगिकी	05.00	0.74
एसएपी	02.00	1.07
कुल	**1248.00**	**557.61**

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी)

परिचय

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय आर्थिक नीति एवं केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर तय किए गए उद्देश्यों के अनुसार **भारतीय फ़िल्म उद्योग के एकीकृत एवं सक्षम विकास की योजना बनाने, उसे बढ़ावा देने एवं क्रियान्वित करने के प्राथमिक उद्देश्य** के साथ भारत सरकार द्वारा 1975 में की गई। 1980 में फ़िल्म वित्त निगम (एफएफसी) और इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (इम्पेक) का विलय कर एनएफडीसी की पुनः स्थापना की गई। स्थापना के बाद से एनएफडीसी 21 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में 300 से अधिक फ़िल्मों का निर्माण कर चुका है अथवा उनके निर्माण के लिए वित्त उपलब्ध करा चुका है। इनमें से कई फ़िल्मों को व्यापक सराहना मिली है और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं।

इनमें *सिनेमाज़ ऑफ इंडिया* ब्रांड के अंतर्गत फ़िल्मों का निर्माण एवं वितरण, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए विज्ञापन, लघु एवं कार्पोरेट फ़िल्मों का निर्माण, फ़िल्म प्रदर्शन, पुनर्नवीकरण, **फ़िल्म बाजार**, डिजिटल नॉन–लीनियर संपादन, सिनेमैटोग्राफी, सबटाइटल लेखन आदि में प्रशिक्षण समेत कौशल विकास शामिल हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय बात यह है कि वितरण गतिविधि में फ़िल्म के वितरण एवं प्रदर्शन के लिए पारंपरिक थिएटर प्रदर्शन से लेकर वीओडी जैसे डिजिटल

प्रारूप तक विभिन्न स्थापित एवं नए उभरते प्रारूप शामिल होते हैं, जिनसे भारतीय दर्शकों को वाजिब कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला सिनेमा उपलब्ध हो जाता है।

कान 2020 में एनएफडीसी फ़िल्म बाजार

वर्ष 2020 में पहली बार एनएफडीसी ने *मार्श डु फ़िल्म ऑनलाइन* के साथ अपने जुड़ाव का फायदा उठाया और उनके गोज टु कान सेक्शन के लिए हाथ मिलाया। कान फ़िल्म महोत्सव तथा मार्श डु फ़िल्म दुनिया में सबसे बड़ा फ़िल्म महोत्सव तथा फ़िल्म बाजार है, जो हर वर्ष मई में फ्रांस के कान में होता है। कोविड–19 महामारी के कारण कान फ़िल्म महोत्सव रद्द कर दिया गया और मार्श डु फ़िल्म (कान फ़िल्म बाजार) को 22 – 26 जून, 2020 तक ऑनलाइन आयोजित किया गया। ऑनलाइन बाजार ने बाहरी लोगों के लिए बंद उद्योग कार्यक्रम का रूप ले लिया, जिसमें वर्चुअल बूथ एवं पवेलियन, वीडियो कॉल के जरिये बैठकें, फ़िल्मों का ऑनलाइन प्रदर्शन एवं ऑनलाइन प्रस्तुतियां देखी गईं।

निर्माण

एनएफडीसी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की *"प्रोडक्शन ऑफ फ़िल्म्स इन वैरियस इंडियन लैंग्वेजेस"* योजना के अंतर्गत भारतीय सिनेमा की विविधता दर्शाने वाली फीचर फ़िल्मों का निर्माण एवं सह–निर्माण करता है। उपरोक्त योजना के अंतर्गत एनएफडीसी नवोदित फ़िल्मकारों की पहली फीचर फ़िल्म के निर्माण की 100 प्रतिशत जिम्मेदारी लेता है और भारत एवं विदेश से निजी पक्षों के साथ साझेदारी में अच्छी गुणवत्ता वाली फ़िल्मों का सह–निर्माण भी करता है।

अंतरराष्ट्रीय सह–निर्माण

भारत तथा बांग्लादेश के बीच हुए श्रव्य–दृश्य सह–निर्माण समझौते के अंतर्गत प्रख्यात फ़िल्मकार श्री श्याम बेनेगल भारत–बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किए जा रहे सिनेमा फीचर **बंगबंधु (शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर फ़िल्म)** का निर्देशन करेंगे, जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एनएफडीसी तथा बीएफडीसी को कार्यकारी निर्माता नियुक्त किया है।

स्वतः निर्माण

श्री के. जयदेव द्वारा निर्देशित होने वाली तेलुगु फीचर फ़िल्म *कोरंगी नुंची (थॉमस से शादी कौन करेगा)* और बांग्ला फ़िल्म छाड़ की शूटिंग जनवरी, 2021 में पूरी हुई।

सह–निर्माण

श्री हाओबम पबन कुमार के निर्देशन में बनने वाली मणिपुरी फीचर फ़िल्म *जोसेफ की माचा (जोसेफ का बेटा)* निर्माण–पूर्व चरण में है। सह–निर्माता के साथ सह–निर्माण का समझौता किया जा चुका है।

श्री अमित दत्ता के निर्देशन में डोगरी/कांगड़ी फीचर फ़िल्म *पेड़ पे कमरा (अदृश्य)* अभी रूकी हुई है। इसके सह–निर्माता ने पेपरबोट स्टूडियोज के साथ मिलकर सजीव एक्शन फ़िल्म को एनिमेशन फ़िल्म में बदलने का अनुरोध किया है, जिस पर विचार हो रहा है।

वितरण, सिंडीकेट प्रबंधन एवं ओटीटी

वितरण विभाग को सात प्रमुख अंगों थिएटर वितरण, सिंडीकेशन, भारतीय ओटीटी के सिनेमा, निर्यात, संगीत वितरण तथा अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव एवं मार्केटिंग में बांटा गया है।

एनएफडीसी की सामग्री को समुचित उपयोग, राजस्व एवं पहुंच के लिए टीवी, डिजिटल, वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफार्म तथा होम वीडियो पर साथ–साथ दिया जाता है। फ़िल्म महोत्सवों तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों को पहचानकर एवं उनमें हिस्सा लेकर इस सामग्री का दुनिया भर में फायदा उठाया जाता है ताकि **सिनेमाज़ ऑफ इंडिया** ब्रांड भारत से स्वतंत्र सिनेमा की पहचान बना रह सके।

थिएटर वितरण

कोविड–19 महामारी के कारण देश भर में थिएटर पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर सके। वह परिस्थिति थिएटर में प्रदर्शन की योजना के अनुकूल नहीं थी। इसलिए एनएफडीसी की सामग्री से अधिक से अधिक दर्शकों को जोड़ने के लिए डिजिटल सिंडीकेशन के रास्तों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया गया।

सिंडीकेशन

टेलीविजन

- वितरण विभाग ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए डीडी–भारती पर रिचर्ड एटनबरो निर्देशित फीचर फ़िल्म *गांधी*, अंग्रेजी और हिंदी में *द मेकिंग ऑफ द महात्मा* तथा *गांधी से महात्मा तक* का प्रसारण सुगम प्रारूप में कराने में सहायता की।

डिजिटल

- एनएफडीसी की फ़िल्में साझेदार प्लेटफार्म एमेजॉन प्राइम वीडियो, मूबी, हॉटस्टार तथा नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रही हैं। एनएफडीसी की फ़िल्में अब आईएन10 मीडिया द्वारा आरंभ किए गए नए स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म इपिक ऑन पर भी देखी जा सकती हैं। वहां कुल 60 फ़िल्में 18 महीने तक बिना बाधा देखी जा सकेंगी।

- एनएफडीसी ने अपने पुस्तकालय में मौजूद फ़िल्मों को अग्रणी डीटीएच कंपनी टाटा स्काई के साथ साझा किया है। एनएफडीसी ने 1 वर्ष के लिए कुल 60 फ़िल्में सबस्क्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड श्रेणी में और 25 फ़िल्में डायरेक्ट टू होम श्रेणी में उपलब्ध कराई हैं।

विमान के भीतर (इन–फ्लाइट)

- दुनिया भर में महामारी की मौजूदा स्थिति देखते हुए विमान के भीतर मनोरंजन के लिए एनएफडीसी की फ़िल्मों के लाइसेंस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। विमान के भीतर मनोरंजन के लिए एनएफडीसी के साथ लंबे समय से साझेदारी कर रही कंटेंटिनो मीडिया एलएलपी विमानन कंपनियों की सामग्री की संभावित जरूरत का पता लगाने में मदद करेगी।

सिनेमाज़ ऑफ इंडिया का वीडियो ऑन डिमांड–www.cinemasofindia.com पूरी तरह चालू ओटीटी प्लेटफार्म है, जो भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय यूजर्स के अनुकूल टिकाऊ तकनीक से सशक्त है।

वरिष्ठ फ़िल्मकारों तथा नई प्रतिभाओं द्वारा बनाई गई **102 से अधिक फीचर फ़िल्मों** को इस प्लेटफार्म के आरंभ से ही डिजिटल रूप में शामिल कर दिया गया। इननमें 65 फ़िल्में ऐसी भी हैं, जिन्हें डिजिटल प्रारूप में नया बनाया गया है।

वितरण विभाग सिनेमा ऑफ इंडिया के स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म का रूप, अनुभव, विषय तथा उपयोगकर्ताओं का अनुभव बेहतर बनाने के लिए साइट के पूरे उन्नयन पर काम कर रहा है। साथ ही मोबाइल एवं स्मार्ट टीवी एप्लिकेशन तैयार करने पर भी काम चल रहा है।

इंडिपेंडेंस डे फ़िल्म फेस्टिवल एनएफडीसी के ओटीटी प्लेटफार्म www.cinemasofindia.com पर 7–21 अगस्त, 2020 के बीच निशुल्क आयोजित किया गया।

प्रीव्यू थिएटर

एनएफडीसी मुंबई में अपना 81 सीटों का प्रीव्यू थिएटर और चेन्नई में 100 सीटों का प्रीव्यू थिएटर फ़िल्मों के प्रदर्शन के लिए विभिन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी ग्राहकों को किराये पर देता है।

विदेश में प्रचार तथा मार्केटिंग

विदेश विभाग अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सवों तथा बाजारों में भारतीय सिनेमा की उपस्थिति के लिए काम करता है। भारतीय सिनेमा में अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समुदाय की लगातार बढ़ती दिलचस्पी के कारण यह प्रखंड मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सवों तथा बाजारों में भारतीय सिनेमा एवं भारतीय प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा उसका प्रदर्शन करने पर ध्यान देता है। प्रखंड ने दुनिया भर के निजी तथा सरकारी फ़िल्म संस्थानों के साथ साझेदारी भी की है।

कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण

एनएफडीसी ने राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) एवं अर्हता पैक (क्यूपी) के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकारों के विभिन्न विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनएफडीसी का देशभक्ति की फ़िल्मों का पहला ऑनलाइन महोत्सव स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 के अंग के रूप में 7–21 अगस्त, 2020 तक आयोजित किया गया।

चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय का प्रशिक्षण विभाग दक्षिणी राज्यों के बेरोजगार युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत मीडिया से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जहां वह 16,000 से अधिक युवाओं को एनिमेशन, कैमरा, संपादन, मल्टीमीडिया, फोटोग्राफी एवं ऑडियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम करा चुका है। तमिलनाडु कौशल विकास कॉर्पोरेशन के सह–संयोजन में भी स्किल डेवेलपमेंट ट्रेनिंग चलाई जा रही है।

दिव्यांगजन कल्याण विभाग के जरिये लगभग 250 दिव्यांगजनों को संपादन, एनिमेशन, मल्टीमीडया, ऑडियो इंजीनियरिंग तथा डिजिटल स्टिल फोटोग्राफी में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मीडिया निर्माण

एनएफडीसी ने विभिन्न मंचों पर विज्ञापन संचार के सृजन एवं प्रसार के लिए विश्वसनीय एकीकृत मीडिया सेवा प्रदाता के रूप में विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रतिष्ठा अर्जित की है। अपनी व्यवस्थित एवं कुशल कार्य प्रक्रिया के कारण एनएफडीसी मौजूदा एवं नए मंत्रालयों से एक जैसा और अच्छा खासा काम हासिल करता रहता है तथा सरकार के लिए संचार के नए चलनों की पूरी जानकारी रखता है। एनएफडीसी का प्राथमिक लक्ष्य सरकार की उत्कृष्ट तथा प्रमुख योजनाओं के संचार की रणनीति बनाने एवं उसे लागू करने का काम हासिल करना है ताकि विज्ञापन में एकरूपता बनी रहे और जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचा जा सके। लॉकडाउन के दौरान संवेदनशील कोविड–19 संबंधी फ़िल्मों के उत्पादन और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को समयबद्ध विवरण का संचालन किया।

360 डिग्री बुके : वन स्टॉप शॉप इफेक्ट– एनएफडीसी ने कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न हुए नए माहौल में अपनी सेवाओं को विविधतापूर्ण बना लिया

है तथा वर्चुअल कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी, इंटरैक्टिव/इमर्सिव वीडियो जैसे विज्ञापन के अपारंपरिक प्रारूप आरंभ कर दिया है। एनएफडीसी ने अपना पहला वर्चुअल कार्यक्रम, (सीएसआईआर–निस्टैड्स से प्राप्त) भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 सफलता से पूरा किया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया और यह भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम था। कार्यक्रम की मुख्य बात 5 नए गिनीज विश्व रिकॉर्ड थे, जो निम्न श्रेणियों में बने थे:

- 22 दिसंबर, 2020 को सर्वाधिक लोगों ने एक साथ सनडायल किट को ऑनलाइन असेंबल किया।
- 23 दिसंबर, 2020 को सर्वाधिक लोगों ने एक साथ हाथ धोए।
- 24 दिसंबर, 2020 को सर्वाधिक लोगों ने एक साथ ऑनलाइन मास्क लगाए।
- 25 दिसंबर, 2020 को किसी प्लेटफार्म पर पोषण संबंधी पाठ के सजीव प्रसारण को सर्वाधिक लोगों ने देखा।
- 20–25 दिसंबर, 2020 के दौरान एक सप्ताह में वर्चुअल विज्ञान सम्मेलन में सबसे अधिक लोग उपस्थित रहे।

FILM IN INDIA
फिल्म सुविधाकरण कार्यालय
FILM FACILITATION OFFICE

फ़िल्म सुविधा कार्यालय

फ़िल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना दिसंबर, 2015 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम में हुई थी, जिसका दीर्घकालिक उद्देश्य दुनिया भर के फ़िल्मकारों के बीच भारत को तरजीही स्थान के रूप में प्रदर्शित करना तथा बढ़ाना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा एनएफडीसी के बीच हुए सहमति पत्र के अनुसार एनएफडीसी को साथ लेने का मकसद एफएफओ को संचालन योग्य बनाने में उसकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना, घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मकारों के लिए समय पर अनुमति एवं फ़िल्म बनाने में सुगमता सुनिश्चित करना है।

गतिविधियां

4 अंतरराष्ट्रीय आवेदन – *मिया ऐंड मी – द हीरो ऑफ सेंटोपिया (एनिमेटेड फीचर फ़िल्म), 90 डेज फीआन्से (2021) (टीवी रियलिटी शो तथा सीरीज), द बैटल फॉर बंगाल (फीचर फ़िल्म) एवं व्हाट्स लव गॉट टु डू विद इट (फीचर फ़िल्म)* प्राप्त हुए, जिनमें से पहले तीन के लिए मंजूरी दिलाई जा चुकी है और अंतिम पर काम चल रहा है। *मिया ऐंड मी – द हीरो ऑफ सेंटोपिया* को पहले एनिमेटेड भारत–जर्मन सह–निर्माण का दर्जा भी प्राप्त हो गया। अप्रैल 2020 से आरंभ एफएफओ पोर्टल पर **28 घरेलू आवेदन** प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुछ उल्लेखनीय नाम हिंदी फीचर फ़िल्म जर्सी, बधाई दो, तेजस, रॉय कपूर प्रोडक्शन का टीवी शो/सीरीज, बालाजी टेलीफ़िल्म की पंच बीट 2 और अस्थायी शीर्षक एमएमआर वाली तेलुगु फीचर फ़िल्म हैं।

एफएफओ ने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और राजस्थान को **कोविड–19 के बाद शूटिंग के लिए दिशानिर्देश बनाने में मदद की** है। शूटिंग के लिए कोविड–19 संबंधी दिशानिर्देश आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने भी बनाए हैं। ये सभी एफएफओ वेब पोर्टल के होम पेज www.ffo.gov.in तथा उन राज्यों के पेजों में उपलब्ध हैं।

एफएफओ ने एफएफओ वेब पोर्टल के साथ जुड़ने के संबंध में राज्यों के नोडल अधिकारियों की एक ऑनलाइन कार्यशाला/सत्र 26 अगस्त, 2020 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में कराई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में शूटिंग आसान बनाने तथा वैश्विक बाजार में आदर्श शूटिंग स्थल के तौर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एफएफओ की एकल खिड़की सेवा प्रणाली का अधिकाधिक लाभ उठाया जाए तथा राज्यों के पोर्टल विकसित कर उन्हें एफएफओ के साथ जोड़ा जाए।

एफएफओ ने जून, 2016 से भारत में फ़िल्माई गई अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के जरिये बढ़े आर्थिक मूल्य पर जानकारी इकट्ठा की। यह जानकारी अनौपचारिक रूप से उन लाइन प्रोड्यूसरों से ली गई, जिन्होंने भारत में इन परियोजनाओं की शूटिंग की है। **111 अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं** (फीचर फ़िल्मों, टीवी/वेब शो तथा सीरीज) **को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मंजूरी मिली**। इन 111 परियोजनाओं में से 80 ने भारत में शूटिंग पूरी कर ली है। एकत्र हुई जानकारी से पता चलता है कि **निर्माण के लिए भारत में लगभग 396.35 करोड़ रुपये खर्च किए गए** और 28,000 से अधिक लोगों को कलाकार (अतिरिक्त कलाकार/सह कलाकार तथा निर्माण दल के सदस्य) के रूप में रोज़गार मिला।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, 16 जनवरी, 2021 को 51वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फ़िल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर पणजी, गोवा में।

7 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत और यूनेस्को

भारत, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के संस्थापक सदस्यों में से है। यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और जनसंचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विकासशील देशों की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, 1981 में यूनेस्को के महासम्मेलन के 21वें सत्र में संचार के विकास के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) की स्थापना को मंजूरी दी गई। भारत ने इसकी अवधारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आईपीडीसी और इसकी अंतर–सरकारी परिषद (आईजीसी) का सदस्य भी रहा है। इसके महासम्मेलन के 35वें सत्र में भारत को मौखिक मतदान के जरिए 2009–2013 की अवधि के लिए आईजीसी का सदस्य चुना गया था।

शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मामलों में यूनेस्को के साथ कार्य करने में दिलचस्पी रखने वाली संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा 1949 में भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहकारिता आयोग (आईएनसीसीयू) की स्थापना की गई थी। चार वर्ष बाद इस आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात 2019 में इसका पुनर्गठन किया गया। इसके पुनर्गठन के बाद, जनवरी 2020 में संचार से संबंधित पुनर्गठित उप–आयोग की प्रथम बैठक 27 जनवरी, 2020 को सचिव (सूचना एवं प्रसारण) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें आईएनसीसीयू के अंतर्गत उप–आयोग के ढांचे, अधिदेश और उद्देश्य के बारे में चर्चा की गई।

इसके बाद, कोविड–19 की ताजा स्थिति पर चर्चा करने के लिए 13 जुलाई, 2020 को सचिव (सूचना एवं प्रसारण) की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित की गई थी।

साथ ही, भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) 'मीडिया में महिलाओं की भूमिका' पर भारत, नेपाल, भूटान, म्यामां, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित नौ देशों की यूनेस्को परियोजना के लिए प्रमुख सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है। आईआईएमसी ने साउथ एशिया वूमन्स नेटवर्क और यूनेस्को के सहयोग से संयुक्त रूप से 'वूमन फॉर चेंज : बिल्डिंग अ जेन्डर्ड मीडिया इन साउथ एशिया' पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया था।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में मीडिया आदान–प्रदान कार्यक्रम, सूचना तथा फ़िल्म क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय मीडिया सेमिनार/कार्यशालाओं के क्षेत्र में संयुक्त कार्यसमूह तथा सहयोग समझौते शामिल हैं। कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- मीडियाकर्मियों के बीच संवाद के माध्यम से देशों के बीच बेहतर समझ को बढ़ाने, क्षेत्रीय सहयोग को व्यापक बनाने तथा एक–दूसरे के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना।
- समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना।
- इस योजना का व्यापक उद्देश्य सूचना और जनसंचार के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ निकट संबंध स्थापित और विकसित करने की समान इच्छा से प्रेरित होकर सूचना और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में बेहतर समझ को बढ़ावा देकर विभिन्न देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना है।
- भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना।
- मास मीडिया, प्रसारण और फ़िल्मों के क्षेत्र में भारत तथा अन्य देशों के बीच विचारों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना।
- उच्च श्रेणी का मीडिया प्रशिक्षण
- संकट के समय संचार
- सोशल और मल्टीमीडिया प्रशिक्षण

शंघाई सहयोग संगठन

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने 2025 तक एससीओ के विकास की रणनीति के कार्यान्वयन पर 2021–2025 के लिए कार्ययोजना का मसौदा साझा किया, जिसका मंत्रालय ने समर्थन किया।

ब्रिक्स

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जनवरी, 2021 में आरंभ हुई। भारत 2021 के दौरान ब्रिक्स के नेताओं के शिखर सम्मेलन और मंत्रीस्तरीय बैठकों सहित उसके एजेंडा, बैठकों और समग्र निष्कर्षों का संचालन करेगा। इसलिए विदेश मंत्रालय भारत की अध्यक्षता से संबंधित प्राथमिकताओं और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची सहित ब्रिक्स 2021 के कार्यक्रमों के कैलेंडर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग के संभावित क्षेत्रों के बारे में विदेश मंत्रालय को अवगत करा दिया है।

विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)

सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम/समझौतों पर भारत सरकार की ओर से संस्कृति मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों/समझौतों का उद्देश्य संबंधों को मजबूत बनाना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ में ये कार्यक्रम/समझौते जनसंचार, प्रसारण और फ़िल्मों के क्षेत्र में, भारत और अन्य देशों के बीच विचारों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देते हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान भारत और अन्य देशों के बीच सीईपी पर हस्ताक्षर किए गए हैं जैसे कि **आइसलैंड** तथा **सिएरा लोन** जैसे देशों से हुए समझौते कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय को संस्कृति मंत्रालय की ओर से प्राप्त हुए।

विदेशी शिष्टमंडल का दौरा

फ्रांस के संस्कृति मंत्री, श्री फ्रैंक रीस्टर के नेतृत्व में आए फ्रांसीसी शिष्टमंडल ने अन्य प्रतिनिधियों के साथ 28 जनवरी, 2020 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मुलाकात की। **भारत और फ्रांस** ने फ़िल्मों के सह–निर्माण और श्रव्य दृश्य आदान–प्रदान में सहयोग से संबंधित तौर–तरीकों और साधनों के बारे में विचार–विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति प्रकट की।

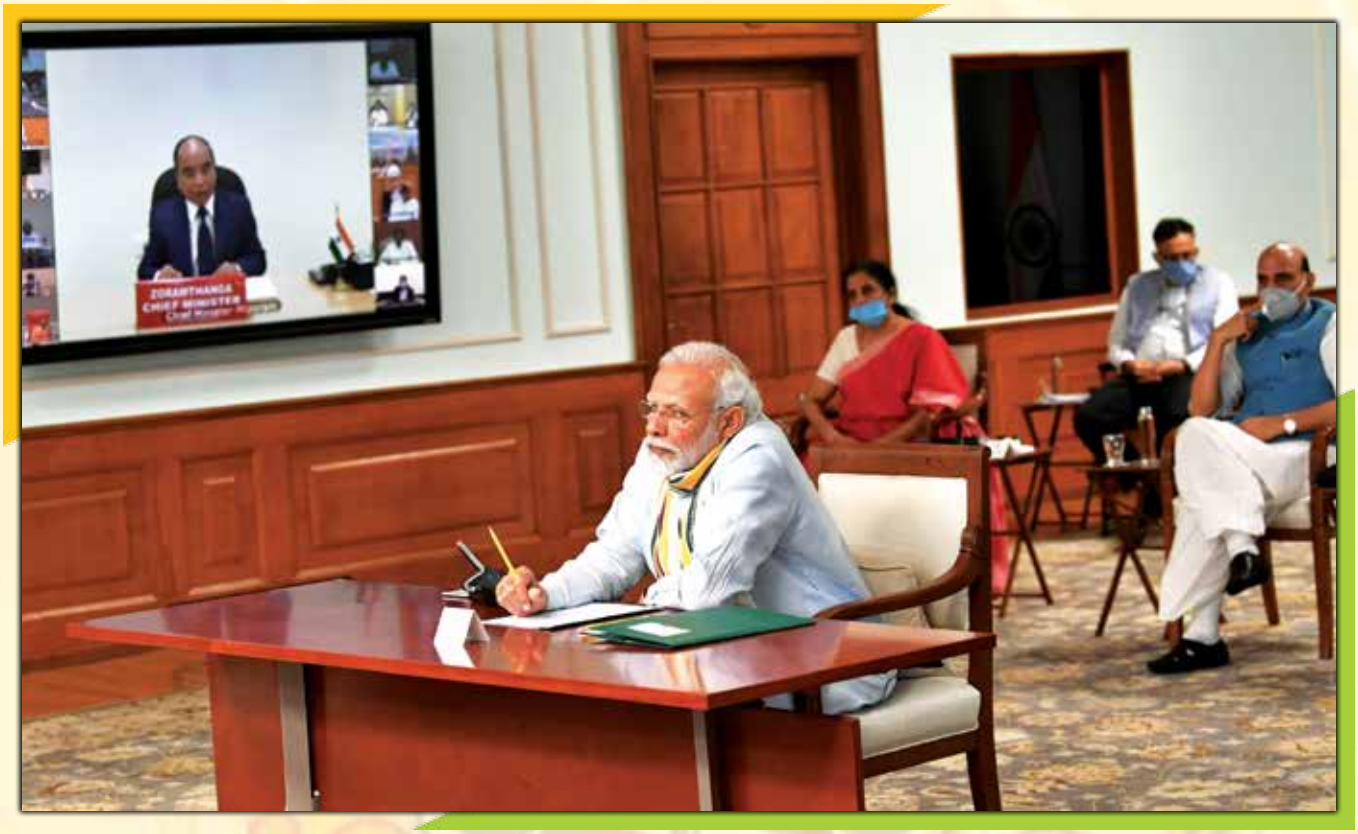

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 मई, 2020 को कोविड–19 के विरुद्ध भारत की लड़ाई में आगे की रणनीति पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विमर्श करते हुए।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, 16 दिसंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीआईआई पार्टनरशिप समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए।

8 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में जारी किए गए आदेशों/निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रयास किए गए हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों द्वारा पद आधारित सूचियां बनाई जाती हैं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण और अन्य लाभों के बारे में दिशानिर्देशों और निर्देशों का, सख्ती से अनुपालन करने के लिए सभी मीडिया इकाइयों को भेजा जाता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत और कर्मचारियों की कुल संख्या 1 जनवरी, 2021 तक निम्नानुसार है:

श्रेणी	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति (प्रतिनिधित्व %)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिनिधित्व %)	अन्य पिछड़ा वर्ग (प्रतिनिधित्व %)	अन्य (प्रतिनिधित्व %)
'क'	1,534	289 (18.83)	86 (5.61)	96 (6.26)	1,054 (68.71)
'ख'	7,955	960 (12.07)	641 (8.06)	792 (9.96)	5,556 (69.84)
'ग'	8,005	1,607 (20.07)	958 (11.97)	788 (9.84)	4,652 (58.11)
'घ'	141	55 (39)	12 (8.51)	36 (25.53)	38 (26.95)
कुल	**17,631**	**2,911 (16.51)**	**1,697 (9.63)**	**1,712 (9.71)**	**10,984 (62.3)**

श्रेणी	कार्यालय	कुल कर्मचारी	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या	आर्थिक रूप से कमजोर की संख्या	अन्य
		स्वीकृत	वास्तविक					
A	मुख्य सचिवालय (भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों सहित)	639	501	63	35	46	0	354
	फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण	0	0	0	0	0	0	0
	प्रकाशन विभाग	3	0	0	0	0	0	0
	केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	13	3	0	0	0	0	0
	फोटो प्रभाग	3	1	0	0	0	0	1
	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन	25	8	2	2	0	0	4
	बेसिल	114	50	11	2	6	0	31
	पत्र सूचना कार्यालय	53	42	8	2	8	0	24
	भारतीय प्रेस परिषद	9	5	1	1	0	0	3
	भारतीय फ़िल्म विकास निगम	35	12	3	0	1	0	8
	सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	35	29	0	0	0	0	29
	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर	5	4	1	0	0	0	0
	न्यू मीडिया विंग	5	3	0	0	0	0	3
	भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय	4	1	0	0	0	0	1
	भारतीय दूरसंचार संस्थान	34	17	2	1	1	0	13
	फ़िल्म समारोह निदेशालय	8	5	1	0	1	0	3
	भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक	10	8	1	1	0	0	6
	भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	66	30	5	2	2	0	21
	फ़िल्म प्रभाग	31	15	3	1	4	0	7
	डीजी : ऑल इंडिया रेडियो	2,002	800	188	39	27	0	546
	भारतीय बाल फ़िल्म समिति	3	0	0	0	0	0	0
	कुल	**3,097**	**1,534**	**289**	**86**	**96**	**0**	**1,054**

श्रेणी	कार्यालय	कुल कर्मचारी	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या	आर्थिक रूप से कमजोर की संख्या	अन्य
		स्वीकृत	वास्तविक					
B	मुख्य सचिवालय	589	393	49	22	93	0	224
	फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण	0	0	0	0	0	0	0
	प्रकाशन विभाग	17	5	1	1	1	0	2
	केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	24	12	2	1	2	0	7
	फोटो प्रभाग	7	3	0	1	0	0	2
	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन	142	73	13	4	14	0	42
	बेसिल	15	6	2	0	1	0	3
	पत्र सूचना कार्यालय	94	62	10	2	15	0	35
	भारतीय प्रेस परिषद	27	19	5	0	2	0	12
	भारतीय फ़िल्म विकास निगम	20	11	4	0	3	0	4
	सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	29	17	0	0	0	0	17
	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर	0	1	0	0	0	0	0
	न्यू मीडिया विंग	14	3	2	0	0	0	1
	भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय	3	2	1	0	1	0	0
	भारतीय दूरसंचार संस्थान	36	14	5	1	1	0	7
	फ़िल्म समारोह निदेशालय	10	4	2	0	0	0	2
	भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक	41	26	3	3	1	0	19
	भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	51	26	6	2	1	0	17
	फ़िल्म प्रभाग	192	144	34	8	33	0	69
	डीजी : ऑल इंडिया रेडियो	12,056	7,128	819	596	622	0	5,091
	भारतीय बाल फ़िल्म समिति	12	6	2	0	2	0	2
	कुल	**13,379**	**7,955**	**960**	**641**	**792**	**0**	**5,556**

श्रेणी	कार्यालय	कुल कर्मचारी	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या	आर्थिक रूप से कमजोर की संख्या	अन्य
		स्वीकृत	वास्तविक					
C	मुख्य सचिवालय	135	104	30	6	11	0	57
	फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण	0	0	0	0	0	0	0
	प्रकाशन विभाग	224	80	21	5	7	0	47
	केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	60	32	3	3	8	0	18
	फोटो प्रभाग	66	31	7	3	6	0	15
	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन	1,465	903	181	141	172	4	405
	बेसिल	41	5	1	0	0	0	4
	पत्र सूचना कार्यालय	478	256	74	16	50		116
	भारतीय प्रेस परिषद	51	47	7	5	4	0	31
	भारतीय फ़िल्म विकास निगम	56	38	10	0	10	1	17
	सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	42	34	3	0	2	0	29
	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर	0	0	0	0	0	0	0
	न्यू मीडिया विंग	24	8	3	0	0	0	5
	भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय	20	9	2	0	1	0	6
	भारतीय दूरसंचार संस्थान	89	53	13	2	9	0	29
	फ़िल्म समारोह निदेशालय	25	11	5	1	0	0	5
	भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक	30	18	5	0	1	0	12
	भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	196	74	18	16	8	0	32
	फ़िल्म प्रभाग	243	164	33	12	48	0	71
	डीजी : ऑल इंडिया रेडियो	12,071	6,115	1,184	746	442	0	3,743
	भारतीय बाल फ़िल्म समिति	30	23	7	2	9	0	5
	कुल	**15,346**	**8,005**	**1,607**	**958**	**788**	**5**	**4,647**

श्रेणी	कार्यालय	कुल कर्मचारी	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या	आर्थिक रूप से कमजोर की संख्या	अन्य
		स्वीकृत	वास्तविक					
D	केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	1	1	0	0	0	0	1
	बेसिल	16	5	4	0	0	0	1
	भारतीय फ़िल्म विकास निगम	6	0	0	0	0	0	0
	भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय	22	14	2	2	3	0	7
	फ़िल्म प्रभाग	143	108	45	10	29	0	24
	पत्र सूचना कार्यालय	21	13	4	0	4	0	5
	कुल	**209**	**141**	**55**	**12**	**36**	**0**	**38**
कुल		**32,031**	**17,635**	**2,911**	**1,697**	**1,712**	**5**	**10,979**

एनएफडीसी में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण

9 सेवाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के संबंध में समय–समय पर सभी मीडिया इकाइयों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालयों को कड़े तौर पर अमल में लाने के आदेश तथा दिशानिर्देश जारी किए जाते रहे हैं। मुख्य सचिवालय में दिव्यांगजनों के हितों की देखभाल के लिए एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है।

डीओपीटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मंत्रालय में दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों को भरने की विशेष भर्ती प्रक्रिया जारी है। मंत्रालय में वार्षिक आधार पर दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व का लेखा–जोखा तैयार कर डीओपीटी को प्रेषित किया जाता है। इस दिशा में 01/01/2021 को मंत्रालय में दिव्यांगजनों का समग्र प्रतिनिधित्व और सीधी भर्तियों एवं तरक्की कोटा नीचे दिया गया है–

पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट–I

कार्यक्षेत्र में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व दर्शाती वार्षिक तालिका
वर्ष 2020 के लिए (01/01/2021 तक)

समूह	कर्मचारियों की संख्या						
	कुल पद	पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित पद	A	B	C	D	E
समूह क	3,982	25*	05	03	03	00	00
समूह ख	17,358	23*	15	21	64	17	04
समूह ग और घ	30,821	101*	23	11	56	02	05
कुल	54,199#	149	43	35	123	19	09

**पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित पदों में प्रसार भारती शामिल नहीं है।*

#एडीआरपी 2002 से एडीआरपी 2008–2009 में खत्म किए गए 2,038 पदों को मिलाकर।

ध्यातव्य :

(i) A (नेत्रहीन अथवा कमजोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति)

(ii) B (बधिर व्यक्ति)

(iii) C (मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, एसिड अटैक पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास अथवा अन्य किसी भी प्रकार की चलन अंगों की दुर्बलता या विकार)

(iv) D (ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी)

(v) E (ए से डी तक के अंर्तगत आने वाले व्यक्तियों में अनेक दिव्यांगताएं शामिल हैं। जिनमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए निर्धारित पदों में बधिरता और नेत्रहीनता भी शामिल है)

पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट–II

कैलेंडर वर्ष के दौरान नियुक्त दिव्यांगजनों की संख्या दर्शाने वाली सूची

वर्ष 2020 के लिए (01/01/2021 तक)

समूह	पीडब्ल्यूडी के लिए सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आरक्षित पदों की संख्या					सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत नियुक्तियों की संख्या							पीडब्ल्यूडी के लिए प्रमोशन कोटा के अंतर्गत आरक्षित रिक्त पदों की संख्या					प्रमोशन कोटा के अंतर्गत नियुक्तियों की संख्या						
	A	B	C	D	E	कुल नियुक्तियां	पीडब्ल्यूडी के पदों पर कुल नियुक्तियां	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	कुल नियुक्तियां	पीडब्ल्यूडी के पदों पर कुल नियुक्तियां	A	B	C	D	E
समूह क	02	00	03	04	02	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00
समूह ख	14	08	67	39	01	06	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
समूह ग और घ	19	26	68	14	13	05	03	01	00	01	00	01	03	02	03	01	01	21	00	00	00	00	00	00
कुल	35	34	138	57	16	12	03	01	00	01	00	01	04	02	03	01	01	22	00	00	00	00	00	00

नोट :

(i) A (नेत्रहीन अथवा कमजोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति)

(ii) B (बधिर व्यक्ति)

(iii) C (मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, एसिड अटैक पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास अथवा अन्य किसी भी प्रकार की चलन अंगों की दुर्बलता या विकार)

(iv) D (ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी)

(v) E (ए से डी तक के अंर्तगत आने वाले व्यक्तियों में अनेक दिव्यांगताएं शामिल हैं। जिनमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए निर्धारित पदों में बधिरता और नेत्रहीनता भी शामिल है।)

नोट : समूह क और ख के पदों में तरक्की के लिए दिव्यांगजनों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है।

डीडी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित विशेष कार्यक्रम

'हिन्दी दिवस–2020' पर फ़िल्म प्रभाग द्वारा ऑनलाइन फ़िल्म समारोह का उद्घाटन

10 राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग

भारत के संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी, भारतीय संघ की राजभाषा है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए, सरकार की एक सुविचारित नीति है जिसके तहत प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग में तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिया गया है।

उपर्युक्त दायित्व के मद्देनज़र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप अपने दिन–प्रतिदिन के आधिकारिक कार्यों में मूल रूप से हिंदी का उपयोग करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है, जो मुख्य सचिवालय के साथ–साथ इससे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की निगरानी करती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिनमें मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों/संगठनों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की जाती है और सदस्यों द्वारा आधिकारिक कार्यों में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इससे राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

मंत्रालय के विभिन्न नियमित और महत्वपूर्ण समयबद्ध दस्तावेजों जैसे– कैबिनेट नोट, संसदयीय प्रश्न और स्थायी समिति के मामलों आदि के अनुवाद की जरूरतों को पूरा करने और राजभाषा को लागू करने के लिए, मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के लिए जिन पदों की स्वीकृति दी गई है, वे हैं– एक निदेशक (राजभाषा), एक उप निदेशक (राजभाषा), दो सहायक निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और दो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत सभी कागज़ातों/दस्तावेज़ों का द्विभाषी रूप में जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों के स्तर पर चेक–पॉइंट बनाए गए हैं और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त या हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों के केवल हिंदी में ही उत्तर दिए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है ताकि राजभाषा नीति का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इस संबंध में, मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन 14–28 सितंबर, 2020 के दौरान किया गया था। इस दौरान, छह प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गय। : ये हैं–(1) राजभाषा पर स्लोगन के साथ स्वयं बनाया गया रंगीन पोस्टर (2) स्व–रचित कविता (3) निबंध लेखन (4) केवल एमटीएस के लिए हिंदी श्रुतलेख (5) हिंदी टंकण और (6) हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता। इनमें लगभग 120 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों के सभी अनुभागों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना लागू है जिसमें उन्हें उनके आधिकारिक कार्य में हिंदी के इस्तेमाल से संबंधित वार्षिक कार्य निष्पादन के आधार पर नकद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग में अधिकारियों की सुविधा के लिए, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों ने अपने संगठनों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी पखवाड़ा और अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया।

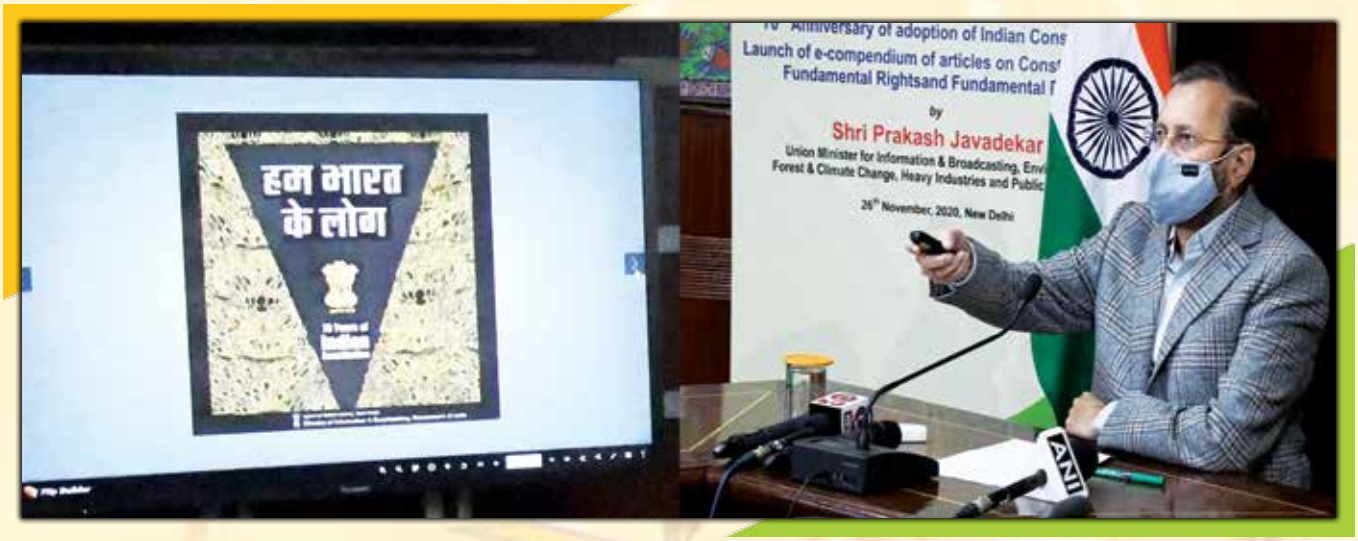

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, नई दिल्ली में 26 नवंबर, 2020 को भारतीय संविधान को अंगीकार करने की 70वीं जयंती पर मूल अधिकारों और मूल कर्त्तव्यों पर, संविधान पर लेखों के डिजिटल संग्रह का अनावरण करते हुए।

11 सतर्कता संबंधी मामले

मंत्रालय का सतर्कता विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की समग्र देखरेख में काम करता है। मंत्रालय के सतर्कता विभाग की कमान संयुक्त सचिव/अपर सचिव स्तर के एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पास होती है जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुमोदन से मंत्रालय के एक संभाग प्रमुखों में से की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सीवीओ के अधीन एक उप सचिव (सतर्कता), एक अपर सचिव (सतर्कता) एवं सतर्कता अनुभाग होता है। मंत्रालय का सीवीओ मंत्रालय एवं उसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा सीवीसी के साथ-साथ सीबीआई के बीच कड़ी का कार्य करता है। मंत्रालय के अधीनस्थ/संबद्ध और स्वायत्त कार्यालयों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पंजीकृत सोसाइटियों में भी, पृथक सतर्कता इकाइयां होती हैं। मंत्रालय का सीवीओ संबंधित एवं अधीनस्थ कार्यालयों, मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सतर्कता गतिविधियों का समन्वय करता है।

भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम करने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए हैं। प्रक्रियाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित एवं औचक निरीक्षण किया जाता है। संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों की अदला–बदली के प्रयास भी किए जाते हैं। 1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक, 23 नियमित एवं 10 औचक निरीक्षण किए गए। इसके अलावा विभिन्न मीडिया इकाइयों एवं मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में निगरानी के अधीन रखे जाने के लिए 20 क्षेत्रों एवं 82 व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं उसकी मीडिया इकाइयों द्वारा एक सप्ताह तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक मंत्रालय एवं उसकी मीडिया इकाइयों को विभिन्न स्रोतों से 173 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों की जांच हुई और इनमें से 15 मामलों में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा, इस दौरान 35 मामलों (नए एवं पुराने) से जुड़ी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी प्राप्त की गई। निर्धारित विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत 04 मामलों में बड़े जुर्माने एवं 06 मामलों में छोटे जुर्माने की शुरुआत की गई। इस अवधि में 11 मामलों में छोटा जुर्माना लगाया गया और 60 मामलों में नियमों के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यवाही की गई। दो अधिकारियों को नियमों के उपयुक्त प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया।

17 जनवरी, 2021 को पणजी, गोवा में 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में भारतीय फ़िल्म निर्देशक हाओबम पबन कुमार अपर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्रीमती नीरजा शेखर से स्मृतिचिह्न और प्रशस्ति–पत्र प्राप्त करते हुए। इस अवसर पर संयुक्त सचिव श्रीमती अंजू निगम भी उपस्थित रहीं।

12 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण

नागरिक चार्टर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का वर्ष 2020–21 के लिए नागरिक/उपभोक्ता घोषणा-पत्र मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mib.gov.in पर मौजूद है। मंत्रालय द्वारा अपने साझीदारों को प्रत्यक्ष दी जाने वाली निम्न 12 प्रमुख सेवाएं घोषणा-पत्र में शामिल की गई हैं :

(i) भावी लाइसेंसधारक को डीटीएच सेवाओं के लिए लाइसेंस निर्गत करना;

(ii) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को लाइसेंस निर्गत करना;

(iii) भावी लाइसेंसधारक को एचआईटीएस सेवाओं के लिए लाइसेंस निर्गत करना;

(iv) भारत में कार्य के लिए टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का पंजीकरण;

(v) अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलिपोर्ट्स की स्थापना;

(vi) भारत से अपलिंक्ड किए गए टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए मंजूरी प्रदान करना;

(vii) विदेश से अपलिंक्ड टीवी चैनलों को डाउनलिंकिंग के लिए मंजूरी प्रदान करना;

(viii) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए अनुमति देना;

(ix) विदेशी पत्रिकाओं/जर्नलों/नियतकालिक पत्रों/नई पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों को विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रकाशन के लिए स्वीकृति-पत्र निर्गत करना;

(x) समाचार और समसामयिक घटनाओं से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों के भारतीय संस्करण को विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त संस्था/विदेशी निवेश प्राप्त/अप्राप्त संस्था द्वारा विदेशी समाचार–पत्र के प्रतिलिपि संस्करण के प्रकाशन के लिए स्वीकृति–पत्र निर्गत करना;

(xi) शिकायत निवारण तंत्र और

(xii) टीवी के लिए फीचर फ़िल्मों/सिनेमा और रियलिटी शो/कमर्शियल टीवी धारावाहिकों की शूटिंग के लिए विदेशी निर्माताओं को स्वीकृति-पत्र प्रदान करना।

शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय को प्राप्त होने वाली शिकायत याचिकाओं को कंप्यूटरीकृत केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में पंजीकृत कर संसाधित किया जाता है। प्राप्त सभी याचिकाओं को नियमों के अनुसार स्वीकार किया जाता है और पावती सूचना में शिकायत संख्या, उसके निपटान का अनुमानित समय और संपर्क सूत्र का ब्योरा लिखा होता है। शिकायत याचिकाएं संबंधित मीडिया इकाइयों/दफ्तरों/विभागों को शिकायत के निस्तारण हेतु भेजी जाती हैं, नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता को उचित उत्तर भेजने के निर्देश के साथ इन याचिकाओं की निरंतर निगरानी होती है जिसके अंतर्गत संबंधित विभागों/प्रखंडों को अनुस्मारक-पत्र भेजना और समीक्षात्मक बैठकें आदि करना शामिल होता है। मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी मीडिया इकाइयों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सामान्यतः एक कनिष्ठ प्रशासनिक दर्जे के अधिकारी को उस इकाई का लोक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में, संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी मामले के शीघ्र निपटान के संबंध में बात करते हैं। याचिकाओं के अंतिम निस्तारण के संबंध में स्थिति की सूचना याचिकाकर्ताओं को डाक या सीपीजीआरएएमएस के जरिए भेजी जाती है।

जन शिकायतों के निपटान/जन शिकायतों के निस्तारण के लिए तंत्र को सक्रिय करने संबंधी दिशानिर्देश प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग आदि से प्राप्त होते हैं जिन्हें सभी मीडिया इकाइयों/स्वायत्त निकायों आदि को समय–समय पर वितरित किया जाता है। शिकायतों के निस्तारण की मंत्रालय में सबसे शीर्ष स्तर पर और मासिक 'प्रगति' बैठकों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी निगरानी की जाती है।

शिकायत निवारण के लिए प्रस्तावित समय सीमा :

क्रम संख्या	विषय	समय
1	शिकायतकर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर जारी करना	3 दिन
2	संबंधित प्रशासनिक खंड/उत्तरदायी केंद्र तक शिकायत याचिका के स्थानांतरण में लगने वाला समय	7 दिन
3	शिकायतकर्ता से शिकायत या स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति जो भी बाद में प्राप्त हो, की तिथि से उसको दिये जाने वाले अंतिम उत्तर में लगने वाला समय	2 माह

01.04.2020 से 03.12.2020 तक मंत्रालय में शिकायत की स्थिति

03.12.2020 तक आगे लाई गईं	प्राप्त शिकायतें (01.04.2020 से 03.12.2020 तक)	कुल शिकायतें	शिकायत निपटान (01.04.2020 से 03.12.2020 तक)	लंबित शिकायतें (03.12.2020 तक)
683	6,385	7,068	6,401	667

मंत्रालय को प्राप्त अधिकांश शिकायतें निम्न श्रेणियों की होती हैं :

क्र. सं.	शिकायत श्रेणी	01.04.2020 से 03.12.2020 तक प्राप्त शिकायतों की दर
1	अन्य मंत्रालयों के विषय में याचिकाएं	34%
2	विविध	13%
3	डीटीएच ऑपरेटरों एलसीओ/एमएसओ के खिलाफ शिकायतें	12%
4	कोविड–19 संबंधित मुद्दे	10%
5	प्रसारण विषयवस्तु : समाचार एवं गैर–समाचार कार्यक्रम	8.3%
6	सलाह एवं प्रश्न	7.5%
7	पेंशन मामले : पेंशन एवं अन्य देय भत्तों के निर्गमन में विलंब	4.0%
8	अनिर्दिष्ट श्रेणी	1.8%
9	प्रसारण विषयवस्तु विज्ञापन	1.2%
10	भ्रष्टाचार एवं कदाचार	1.2%
11	फ़िल्म विषयवस्तु के मामले	1.1%
12	प्रेस पत्रकारों के मामले	1.1%
13	प्रेस विषयवस्तु के मामले	0.8%
14	सेवा मामले : अस्थायी कर्मचारी	0.9%
15	प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं की सदस्यता	0.8%
16	पंजीकरण और शीर्षक सत्यापन	0.7%
17	सेवा मामले : स्थायी कर्मचारी	0.6%
18	पेंशन मामले : पेंशन का पुनर्निर्धारण	0.4%
19	पेंशन मामले : पेंशन का गलत निर्धारण	0.4%
20	सदाशयी नियुक्तियां	0.2%
21	शोषण और दुर्व्यवहार	0.1%
22	विज्ञापन और प्रचार मामले	0%
23	यौन शोषण	0%

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए कोविड–19 जागरूकता संबंधी 'जन आंदोलन' का प्रचार–प्रसार करती पीआईबी के सांगली (महाराष्ट्र) कार्यालय की कोविड–19 मोबाइल वैन।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय राज्य मंत्री आवास और शहरी कार्य (स्वतंत्र प्रभार), नागर विमानन तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ''प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड गवर्नमेंट्स रिलेशन्स विद सिख कम्यूनिटी'' पुस्तिका का 30 नवंबर, 2020 को गुरु नानकदेवजी के प्रकाश पर्व के अवसर पर नई दिल्ली में विमोचन करते हुए। इस अवसर पर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्री अमित खरे भी उपस्थित रहे।

13 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों के संबंध में सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सके। सूचना का अधिकार का मतलब इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना के अधिकार से है, जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में या उसके पास है। इसमें निम्न अधिकार शामिल हैं–

1. कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
2. दस्तावेजों या रिकॉर्ड की टिप्पणी, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना;
3. सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना;
4. सीडी के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी प्राप्त करना या यदि ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण में संग्रहित होती है तो उसका प्रिंटआउट लेना।

मुख्य सचिवालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

प्रशासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के सरकार के निर्णय के अनुसरण में मंत्रालय के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना 4 जुलाई, 1997 को की गई थी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मंत्रालय तथा इससे संबंधित कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी आवेदन, अपीलें और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्णय, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (आरटीआई सेल) में प्राप्त होते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 25 केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों और 16 अपीलीय प्राधिकारियों को जानकारी प्रदान करने और दायर अपीलों पर निर्णय लेने के लिए नामित किया है। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mib.gov.in पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार संबंधी वर्षवार प्राप्त आवेदन तथा अपीलें और उन पर की गई कार्रवाई :

वर्ष	प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों की संख्या जिन पर कार्रवाई की गई
2017	1,733
2018	1,580
2019	1,424

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ में 1 जनवरी, 2020 से 7 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान **1,385 आवेदन** और **166 अपीलें** प्राप्त हुईं और **सभी आवेदकों को उपयुक्त तरीके से जवाब दिया गया।** अप्रैल, 2013 में एक वेब पोर्टल https://rtionline.gov.in शुरू किया गया। मंत्रालय को 1,037 ऑनलाइन आवेदन और 122 अपीलें प्राप्त हुईं। 1 जनवरी, 2020 से 7 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क/निरीक्षण शुल्क के रूप में 7,534 रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ आगंतुकों से प्राप्त आरटीआई संबंधी सभी सवालों के जवाब भी देता है।

मंत्रालय का 'सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ' निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है :

(क) ब्रोशर, फोल्डर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी देना;

(ख) समय पर कुशलतापूर्वक तथा पारदर्शी तरीके से जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता करना और सार्वजनिक उपयोग के प्रपत्र आदि उपलब्ध कराना;

(ग) सेवाओं/योजनाओं के संदर्भ में सेवा की गुणवत्ता, समय, मानदंडों आदि के मानकों के बारे में जानकारी देना;

(घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना नियमावली को समय–समय पर संशोधित/अद्यतन किया जा रहा है।

आरटीआई आवेदनों के लिए निस्तारण तंत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाती है और जो आवेदन इस मंत्रालय से संबंधित नहीं होते, उन्हें संबंधित मंत्रालय के

केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। शेष आवेदन मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों को भेज दिए जाते हैं।

लंबित आवेदनों पर कार्रवाई के लिए अनुस्मारक–पत्र के लिए रंगीन कागज़ के इस्तेमाल की व्यवस्था के तहत नीले और गुलाबी कागज़ पर अनुस्मारक क्रमशः 15 और 25 दिनों के बाद केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों को भेजे जाते हैं, ताकि 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक को जानकारी प्रदान करने में कोई चूक न हो।

आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन और अपीलें मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों को ऑनलाइन भेजी जाती हैं। सभी केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों को आवेदनों/अपीलों की स्थिति की जांच करने और उनका ऑनलाइन उत्तर भेजने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सभी सूचनाएं स्वतः उपलब्ध कराने से संबंधित धारा 4 (b) (i) और 4 (b) (ii) के तहत दायित्वों को पहले ही पूरा कर लिया है। प्राप्त, अस्वीकृत तथा हस्तांतरित किए गए आवेदनों/अपीलों के आंकड़ों की त्रैमासिक रिपोर्ट, नियमित रूप से केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ/सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों द्वारा केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वे इस संबंध में समय–समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का उत्सव मनाने के लिए फ़िल्म प्रभाग और बाल चित्र समिति, भारत ने डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन और बाल फ़िल्मों की एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग 'गांधी फ़िल्मोत्सव' का आयोजन किया।

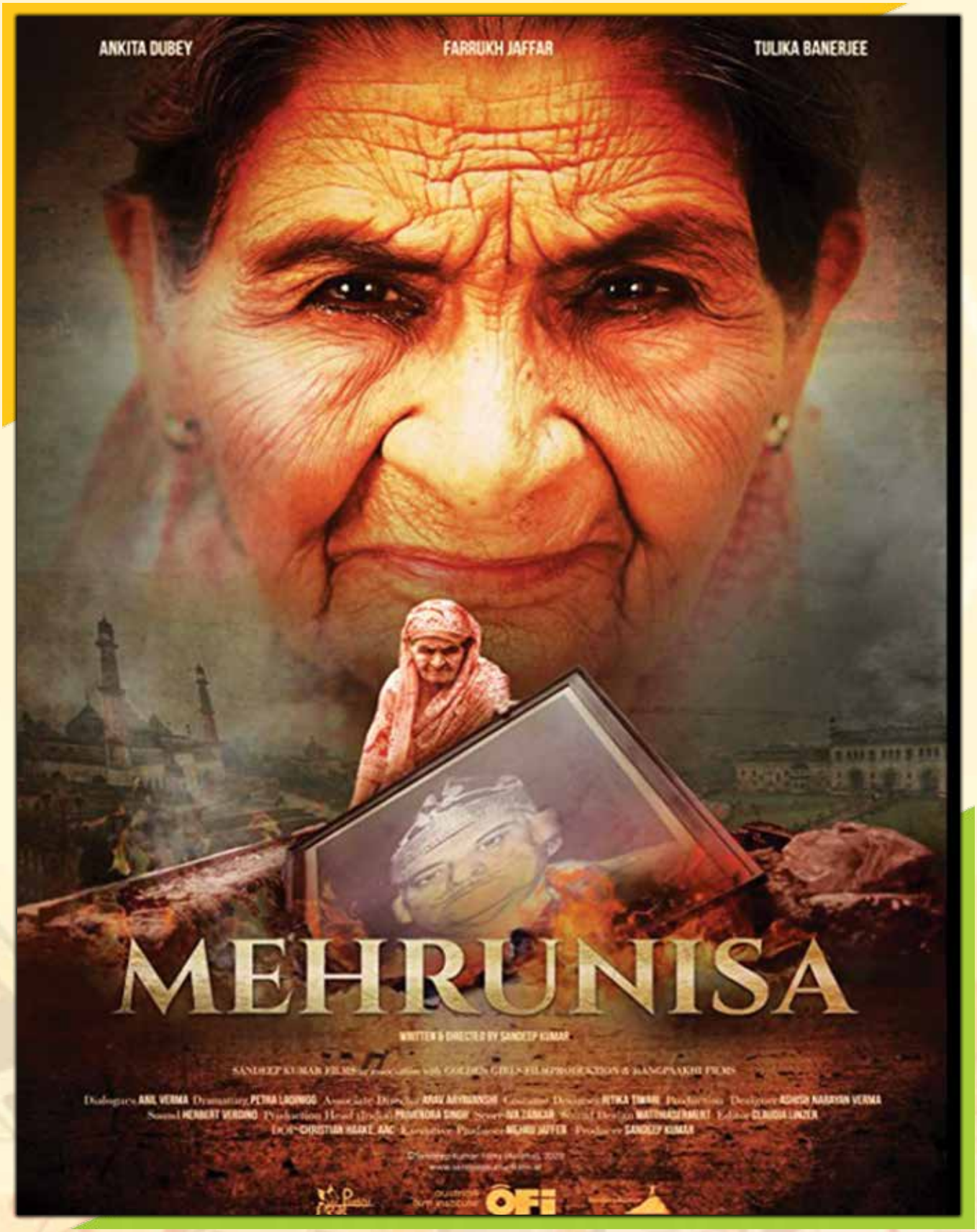

51वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फ़िल्म समारोह में भारतीय भाषा की आस्ट्रियन फ़िल्म 'मेहरुनिसा' और 'मिड–फेस्ट' फ़िल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ।

14 महिला कल्याण

राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार महिलाओं के लिए चल रही विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख/कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय ने 1992 में एक महिला सेल का गठन किया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार 16 मई, 2002 को इस सेल को पुनर्गठित किया गया जिसके अंतर्गत इसे कार्यस्थल पर यौन शोषण से जुड़े मामलों की शिकायत समिति के अधिकार दिए गए। 13 जनवरी, 2006 को वाईडब्ल्यूसीए से एक बाह्य विशेषज्ञ को महिला सेल के गैर-आधिकारिक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया।

बाद में; सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के आधार पर 25 अक्टूबर, 2013 को महिला सेल का नाम बदलकर 'आंतरिक शिकायत समिति' कर दिया गया था।

अंतिम बार 13 जून, 2019 को सर्कुलर नं. बी-11020/17/2011-एडमिन-III (खंड-II) के आधार पर समिति का पुनर्गठन किया गया था। सुश्री अंजु निगम, संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आईसीसी का अध्यक्ष नामित किया गया था। इसके अलावा, सुश्री कल्पना डेविड, राष्ट्रीय सचिव प्रशासन को भारत की वाईडब्ल्यूसीए की ओर से समिति की गैर-आधिकारिक सदस्य के तौर पर नामित किया गया। मंत्रालय की तीन अन्य महिला सदस्य एवं एक पुरुष सदस्य समिति के आधिकारिक सदस्य हैं।

आंतरिक शिकायत समितियां मंत्रालय की संबद्ध/अधीनस्थ एवं स्वायत्त इकाइयों में भी कार्यरत हैं। समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम के संबंध में केंद्रीय लोक सेवा (आचार) नियम, 1964 के संबंध में जारी दिशानिर्देशों को मंत्रालय द्वारा अनुपालन हेतु सभी मीडिया इकाइयों को प्रेषित किया जाता है।

■ ■ ■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, 23 अप्रैल, 2020 को नई दिल्ली में कोविड–19 की रोकथाम हेतु राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कोरोना वॉरियर्स को अपने आवास पर प्रशस्ति–पत्र देने के उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए।

15 लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का लेखा संगठन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, मुख्य लेखा प्राधिकारी के तौर पर मुख्य लेखा नियंत्रक और वित्तीय सलाहकार की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन लेखा नियंत्रक/उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक, मुख्यालय स्थित तीन प्रधान लेखा अधिकारियों और चौदह वेतन व लेखा कार्यालयों, जिसमें केवल जीपीएफ तथा पेंशन के प्रयोजन से प्रसार भारती और उसकी क्षेत्र संरचना से जुड़े छह वेतन व लेखा कार्यालय शामिल हैं, की सहायता से करते हैं। क्षेत्रीय आतंरिक लेखा परीक्षा दल चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में तैनात हैं, जिनके कार्यों की निगरानी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा मुख्यालय में की जाती है।

दायित्व

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन की समग्र जिम्मेदारियां हैं :

- मंत्रालय के मासिक खातों का एकीकरण और इसे लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग खाते।
- केंद्रीय लेन–देन का विवरण।
- "एक नज़र में लेखा" तैयार करना।
- केंद्रीय वित्त खाते जो लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय और लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं।
- अनुदानग्राही संस्थाओं और स्वायत्त निकायों को अनुदान सहायता प्रदान करना।
- सभी पीएओ और मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना; यदि आवश्यक हो तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक आदि जैसे अन्य संगठनों के साथ परामर्श करके।
- प्राप्ति बजट की तैयारी।
- पेंशन बजट की तैयारी।
- पीएओ/चेक आहरण डीडीओ के लिए/की ओर से चेक बुक प्राप्त करना और आपूर्ति करना।
- लेखा महानियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और मान्यताप्राप्त बैंक में समग्र समन्वय और नियंत्रण को प्रभावी करना।
- मान्यताप्राप्त बैंक, जैसे भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से की गई सभी प्राप्तियों और भुगतानों का सत्यापन और मिलान करना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खातों को संभालना और शेष नकद राशि का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा इसके अनुदानग्राही संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि का आंतरिक लेखा परीक्षण।
- सभी संबंधित प्राधिकरणों/प्रभागों को लेखांकन की जानकारी उपलब्ध कराना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट समन्वय कार्य।
- नई पेंशन योजना की निगरानी और समय–समय पर पेंशन मामलों का पुनरीक्षण।
- खातों और ई–भुगतान का कम्प्यूटरीकरण।
- लेखा संगठन के प्रशासनिक और समन्वय कार्य।
- अनुदानग्राही संस्थानों/स्वायत्त निकायों में केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत पीएफएमएस को पेश करना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय में गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी)।

प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकारी को लेखांकन जानकारी और डेटा भी प्रदान किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदान के विभिन्न सब–हेड/ऑब्जेक्ट–हेड के तहत मासिक और क्रमिक व्यय के आंकड़े मीडिया प्रभाग के संयुक्त सचिव सहित मंत्रालय की बजट शाखा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के निमित्त व्यय की प्रगति को साप्ताहिक रूप से सचिव तथा अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार के साथ–साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की बेहतर निगरानी के प्रयोजनों से अनुदान को नियंत्रित करते हैं।

लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भवन निर्माण अग्रिम, मोटरकार अग्रिम और सामान्य भविष्य निधि खातों जैसे लंबी अवधि के अग्रिमों के खातों का भी रखरखाव करता है।

अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन के अधिकार का सत्यापन और प्रमाणीकरण वेतन व लेखा कार्यालयों द्वारा सेवा विवरणों और कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा पेश किए गए पेंशन कागजातों के आधार पर किया जाता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभ और भुगतान जैसे– ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन के बराबर नकद राशि के साथ–साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना के तहत भुगतान; सामान्य भविष्य निधि आदि डीडीओ द्वारा उपयुक्त जानकारी/बिल प्राप्त होने पर वेतन व लेखा कार्यालयों द्वारा जारी किए जाते हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ

आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों का लेखा–परीक्षण करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। मुख्य लेखा प्राधिकारी और वित्तीय सलाहकार के अधीन समग्र मार्गदर्शन में काम करने वाले आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ ने एक कुशल और प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षण परंपरा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तरीके से शासन संरचनाओं को मजबूत करने, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया है। देशभर में फैली मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के तहत पूरे भारत में 620 इकाइयां (प्रसार भारती– 552 और गैर–प्रसार भारती– 68) हैं, जो आंतरिक लेखा परीक्षण के पूर्वावलोकन में आती हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती में 31.03.2020 तक और 31.10.2020 तक बकाया आंतरिक लेखा परीक्षण पैरा की स्थिति निम्नलिखित है :

I. प्रसार भारती					
क्षेत्र	**31.03.2020 तक बकाया पारा**	**01.04.2020 से 31.10.2020 तक एकत्र किए गए पारा**	**31.10.2020 तक कुल बकाया पारा**	**01.04.2020 से 31.10.2020 तक ड्रॉप किए गए पारा**	**31.10.2020 तक कुल बकाया पारा**
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)	697	92	789	82	707
पश्चिम क्षेत्र (मुंबई)	123	9	132	0	132
उत्तर क्षेत्र (दिल्ली)	124	67	191	10	181
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	425	31	456	8	448
योग (I)	**1,369**	**199**	**1,568**	**100**	**1,468**
II. गैर–प्रसार भारती					
क्षेत्र	**31.03.2020 तक बकाया पारा**	**01.04.2020 से 31.10.2020 तक एकत्र किए गए पारा**	**31.10.2020 तक कुल बकाया पारा**	**01.04.2020 से 31.10.2020 तक ड्रॉप किए गए पारा**	**31.10.2020 तक कुल बकाया पारा**
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)	447	21	468	46	422
पश्चिम क्षेत्र (मुंबई)	553	60	613	27	586
उत्तर क्षेत्र (दिल्ली)	381	48	429	31	398
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	334	0	334	0	334
योग (II)	**1,715**	**129**	**1,844**	**104**	**1,740**
कुल योग (I + II)	**3,084**	**328**	**3,412**	**204**	**3,208**

व्यक्तिगत क्रियाशील खाता बही लेखा प्रणाली (आईआरएलए)

वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) दूसरे मंत्रालयों के अन्य विभागीय पीएओ के साथ अस्तित्व में आया। आईआरएलए प्रणाली (ग्रुप–ए अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत क्रियाशील खाताबही लेखा प्रणाली) का विचार एक केंद्रीय प्रणाली में सभी सेवा और भुगतान विवरण रखने से उत्पन्न हुआ ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती के अधिकारियों, जिनका भारत में कहीं भी स्थानांतरण हो सकता है, अपना वेतन सुविधापूर्वक प्राप्त कर सकें। वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) देश भर के विभिन्न शहरों में स्थित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती (दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो) के कार्यालयों के सेवा और वेतन रिकॉर्ड का रखरखाव कर रहा है। पीएओ (आईआरएलए) को एक नई वेबसाइट (https://iis.mib.gov.in/irla/) की शुरुआत के साथ डिजिटल प्लेटफार्म पर लाया गया है, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एनआईसी प्रकोष्ठ के परामर्श से विकसित किया गया है। यह समूह–ए के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन सेवाओं, जैसे कि सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स फॉर्म–16 और जीपीएफ स्टेटमेंट आदि को प्राप्त करना सुगम बनाता है।

बैंकिंग व्यवस्था

भारतीय स्टेट बैंक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पीएओ और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मान्यताप्राप्त बैंक है। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा संसाधित (प्रोसेस्ड) ई–भुगतान विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंकखाते के पक्ष में सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से किए जाते हैं। कुछ मामलों में, पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के लिए मान्यताप्राप्त बैंक की नामित शाखा को प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर–कर रसीद पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा, रसीदें संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा मान्यताप्राप्त बैंकों को भी भेजी जाती हैं। मान्यताप्राप्त बैंक में किसी भी बदलाव के लिए लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय में प्रसार भारती से जुड़े 6 पीएओ सहित 14 वेतन और लेखा कार्यालय हैं। पांच पीएओ नई दिल्ली में स्थित हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में दो–दो और नागपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में एक–एक पीएओ स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से जुड़े सभी भुगतान संबंधित पीएओ के साथ संलग्न पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अपनी मांगों/बिलों को नामित पीएओ/सीडीडीओ के पास प्रस्तुत करते हैं, जो सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सिविल लेखा नियमावली, प्राप्ति और भुगतान नियमों तथा अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने के बाद चेक/ई–भुगतान जारी करते हैं।

खातों का कम्प्यूटरीकरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन में खातों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा लेखा कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के साथ शुरू हुई। प्रधान लेखा कार्यालयों में मासिक खातों के समेकन के लिए कॉन्टैक्ट (CONTACT) नाम के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था। इस मंत्रालय में सभी पीएओ ने वाउचर स्तर के कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर इम्प्रूव (IMPROVE) का उपयोग किया। नवंबर, 2018 और उसके बाद से मासिक खातों को लेखा महानियंत्रक के कार्यालय में प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति के साथ पूरे किए गए विवरणों के पीएओ–वार समायोजन के बाद प्रस्तुत किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे विंडो आधारित एप्लिकेशनों का उपयोग मंत्रालय में जमा करने और अन्य एमआईएस प्रयोजनों हेतु शीर्ष–वार विनियोग खातों, केंद्र सरकार के वित्त खाते (सिविल) की सामग्री और मासिक व्यय व प्राप्ति विवरणों को तैयार करने के लिए भी किया जाता है।

ई–भुगतान पर पहल

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में ई–भुगतान प्रणाली 2011 से सफलतापूर्वक लागू की गई थी।

ई–भुगतान प्रणाली

चूंकि, आईटी अधिनियम, 2000 डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को या अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को मान्यता प्रदान करता है, तो लेखा महानियंत्रक ने डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ई–भुगतान) के लिए कॉम्पैक्ट (COMPACT) में एक सुविधा विकसित की थी। इसने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में सभी वेतन व लेखा कार्यालयों में चल रहे कॉम्पैक्ट एप्लिकेशन का लाभ उठाते हुए चेक के माध्यम से भुगतान की मौजूदा प्रणाली को बदल दिया था।

विकसित की गई ई–भुगतान प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं की एक पूरी तरह से सुरक्षित वेब आधारित प्रणाली थी, जिसने सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत सरकार से बकाये का भुगतान एक सुरक्षित संचार चैनल पर "सरकारी ई–भुगतान गेटवे" (GePG) के माध्यम से कॉम्पैक्ट से जनरेट किए गए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई–अनुदेश के जरिए सीधे प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में धन जमा कर किया जाता था। इसका प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्यात्मक और सुरक्षा प्रमाणीकरण एसटीक्यूसी निदेशालय से प्राप्त किए गए थे। इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों में लागू किया गया था।

जीईपीजी को आगे पीएफएमएस प्रणाली में अपग्रेड किया गया है, जो स्वीकृति की तैयारी, बिल संसाधन (प्रोसेसिंग), भुगतान, प्राप्ति प्रबंधन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, निधि प्रवाह प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए लेखा महानियंत्रक की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है।

डिजिटल हस्ताक्षर का पंजीकरण

वेतन और लेखा अधिकारी एनआईसी प्रमाणन प्राधिकरण से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करता है। एनआईसी प्रमाणन प्राधिकरण से प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षर एक यूएसबी टोकन में स्टोर किए जाते हैं जिन्हें आई–की कहा जाता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से पीएओ पीएफएमएस पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत करता है। संबंधित बैंक पीएफएमएस पोर्टल से पीएओ के डिजिटल हस्ताक्षर डाउनलोड करते हैं। बैंकों द्वारा पीएओ को प्रदान किए गए ई–भुगतान स्क्रॉल के प्रमाणीकरण के लिए संबंधित बैंकों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर भी पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

बिल जमा करना

आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) ई–भुगतान के लिए बिल के साथ प्राप्तकर्ता का मैंडेट फॉर्म और बैंक शाखा का आईएफएससी कोड, खाता संख्या, नाम, पता आदि विवरण वेतन व लेखा अधिकारी के पास जमा कराते हैं। कॉम्पैक्ट (COMPACT) से एक टोकन नंबर जनरेट किया जाता है और डीडीओ को सूचित किया जाता है।

बिल पर कार्यवाही

वेतन और लेखा कार्यालय में बिलों पर कार्यवाही कॉम्पैक्ट सिस्टम में की जाती है।

डिजिटल हस्ताक्षर

पीएओ द्वारा बिल पास होने के बाद सुरक्षित आई–की का उपयोग करके यह हस्ताक्षरित होता है और सिस्टम द्वारा ई–भुगतान स्वीकृति जनरेट की जाती है।

पीएफएमएस पर अधिकार–पत्र अपलोड करना

ई–भुगतान स्वीकृति फाइल (ई–परामर्श) पीएफएमएस पर सुरक्षित व्यवस्था से अपलोड की जाती है। संबंधित बैंक पीएफएमएस से ई–परामर्श डाउनलोड करते हैं और डिजिटल हस्ताक्षर आदि के आवश्यक सत्यापन के बाद, बैंक सीबीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस का उपयोग करते हुए लाभार्थियों के खाते में राशि जमा कर देते हैं।

ई–स्क्रॉल

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॉल सभी सफल ई–भुगतानों के लिए पीएफएमएस पर बैंक द्वारा जनरेट और अपलोड किया जाता है। ई–स्क्रॉल पीएओ द्वारा डाउनलोड किए जाते हैं और मिलान तथा अन्य एमआईएस उद्देश्यों के लिए कॉम्पैक्ट सिस्टम में शामिल किए जाते हैं।

ई–भुगतान के लाभ

- डिजिटल हस्ताक्षरित विशिष्ट ई–स्वीकृति आईडी के उपयोग से ऑनलाइन राशि हस्तांतरण की वजह से समय और प्रयास में बचत।
- भुगतान का सुरक्षित तरीका।
- भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता।
- भौतिक चेकों और उनकी हस्तचालित कार्यविधि (मैनुअल प्रोसेसिंग) की समाप्ति।
- प्राप्तकर्ता द्वारा चेक को अपने बैंक खाते में हाथ से जमा कराने में आने वाली बाधाओं की समाप्ति।
- समग्र भुगतान कार्यविधि की कार्यक्षमता में वृद्धि।
- भुगतानों का ऑनलाइन स्व–मिलान।
- खातों का कुशल संकलन।
- सभी स्तरों पर लेन–देन का पूर्ण लेखा सत्यापन।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की योजना है, जो देशभर में लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

पीएफएमएस व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो भुगतान संसाधन (प्रोसेसिंग), ट्रैकिंग, निगरानी, लेखा, समन्वय और रिपोर्टिंग के लिए एक आद्योपांत समाधान है। यह स्कीम प्रबंधकों को जारी राशियों की ट्रैकिंग और उनके अंतिम चरण तक के उपयोग की निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।

वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी चौदह वेतन व लेखा कार्यालय (जीपीएफ और पेंशन के लिए प्रसार भारती से जुड़े छह पीएओ सहित) पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से भेजे जाते हैं और ई–भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं।

I. **पीएफएमएस का कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल** : यह मॉड्यूल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में लागू किया गया है।

II. **पीएफएमएस का सीडीडीओ मॉड्यूल** : पीएफएमएस के सीडीडीओ मॉड्यूल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी बीस चेक आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में विस्तारित किया गया है।

III. **मंत्रालय में गैर–कर राजस्व के संग्रह के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारतकोश)**

- गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य भारत सरकार को देय गैर–कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नागरिकों/कॉर्पोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं को एक वन–स्टॉप विंडो प्रदान करना है।
- भारत सरकार के गैर–कर राजस्व में अलग–अलग विभागों/मंत्रालयों द्वारा एकत्रित प्राप्तियों का एक बड़ा समूह शामिल है। मुख्य रूप से ये प्राप्तियां लाभांश, ब्याज प्राप्तियां, स्पेक्ट्रम शुल्क, आरटीआई आवेदन शुल्क, छात्रों द्वारा प्रपत्र/पत्रिकाओं की खरीद और नागरिकों/कॉर्पोरेट/ अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐसे कई अन्य भुगतानों के रूप में आती हैं।
- पूरी तरह से सुरक्षित आईटी व्यवस्था में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आम उपयोगकर्ताओं/नागरिकों को सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंकों में जाकर ड्राफ्ट बनवाने और फिर सरकारी कार्यालयों में जाकर इन साधनों को जमा कराने के झंझट से बचाने में मददगार होते हैं। यह इन साधनों के सरकारी खाते में प्रेषण में देरी से बचने में मदद करता है और यह इन साधनों के बैंक खातों में देरी से जमा होने की अवांछनीय प्रथाओं को समाप्त करता है।
- एनटीआरपी ऑनलाइन भुगतान तकनीकों जैसे– इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके पारदर्शी वातावरण में तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- एनटीआर पोर्टल 1 नवंबर, 2016 से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में क्रियाशील है।

IV. **पीएफएमएस का व्यय, अग्रिम और अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल** : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी छह स्वायत्त निकायों को पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम, अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल पर लाया गया है।

मंत्रालय में नई गतिविधियां

राजकोष एकल खाते (टीएसए)

सरकारी उधारी की लागत को कम करने, स्वायत्त निकायों को निधि प्रवाह में दक्षता बढ़ाने, बेहतर नकदी प्रबंधन के लिए और सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों को उनके बैंक खातों में जारी की गई निधियों की पार्किंग से बचने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने दिनांक 12 मई, 2020 के अपने ओ.एम. संख्या एफ. संख्या 1(18)–बी(एसी)/2017 के जरिये राजकोषी एकल खाते (टीएसए) की शुरुआत की। उपर्युक्त के अनुपालन हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी 1 अक्टूबर, 2020 से प्रसार भारती में, अनुदान प्राप्त वेतन के घटक को छोड़कर, टीएसए का संचालन किया है। प्रसार भारती की विभिन्न इकाइयों/उप–इकाइयों से संबंधित चार सौ उनसठ असाइनमेंट खाते भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में खोले गए हैं।

हिन्दी पखवाड़ा

हिंदी पखवाड़ा का आयोजन मुख्य लेखा नियंत्रक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्यालय में सितंबर, 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें दैनंदिन कार्य में हिंदी भाषा के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया था। हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न गतिविधियों जैसे– हिंदी प्रश्नोत्तरी, हिंदी निबंध

लेखन, हिंदी वाद–विवाद आदि का आयोजन किया गया।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया में बढ़ी हुई सुरक्षा परतों का प्रवर्तन

पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु, कोष संचालन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं लागू की जा रही हैं :

(क) वेतन व लेखा कार्यालयों (पीएओ) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने से पहले बिना कभी चूके, भौतिक बिल के साथ प्रत्येक भुगतान अनुरोध का सत्यापन।

(ख) पीएफएमएस के पीएओ और डीडीओ मॉड्यूल से व्यवहार करने वाले अधिकारियों द्वारा उपयोगकर्ता पंजीकरण के लिए एनआईसी/जीओवी डोमेन ई–मेल आईडी का उपयोग।

(ग) जो उपयोगकर्ता सक्रिय नहीं हैं, उनका तत्काल निष्क्रियकरण।

(घ) स्थायी स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के समय पीएओ/एएओ प्रकार के उपयोगकर्ता की यूजर आईडी/डिजिटल की का निष्क्रियकरण।

(ङ) चरणबद्ध तरीके से पीएफएमएस पर ओटीपी आधारित लॉग इन प्रक्रिया का क्रियान्वयन।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में लेखा संगठन का ढांचा

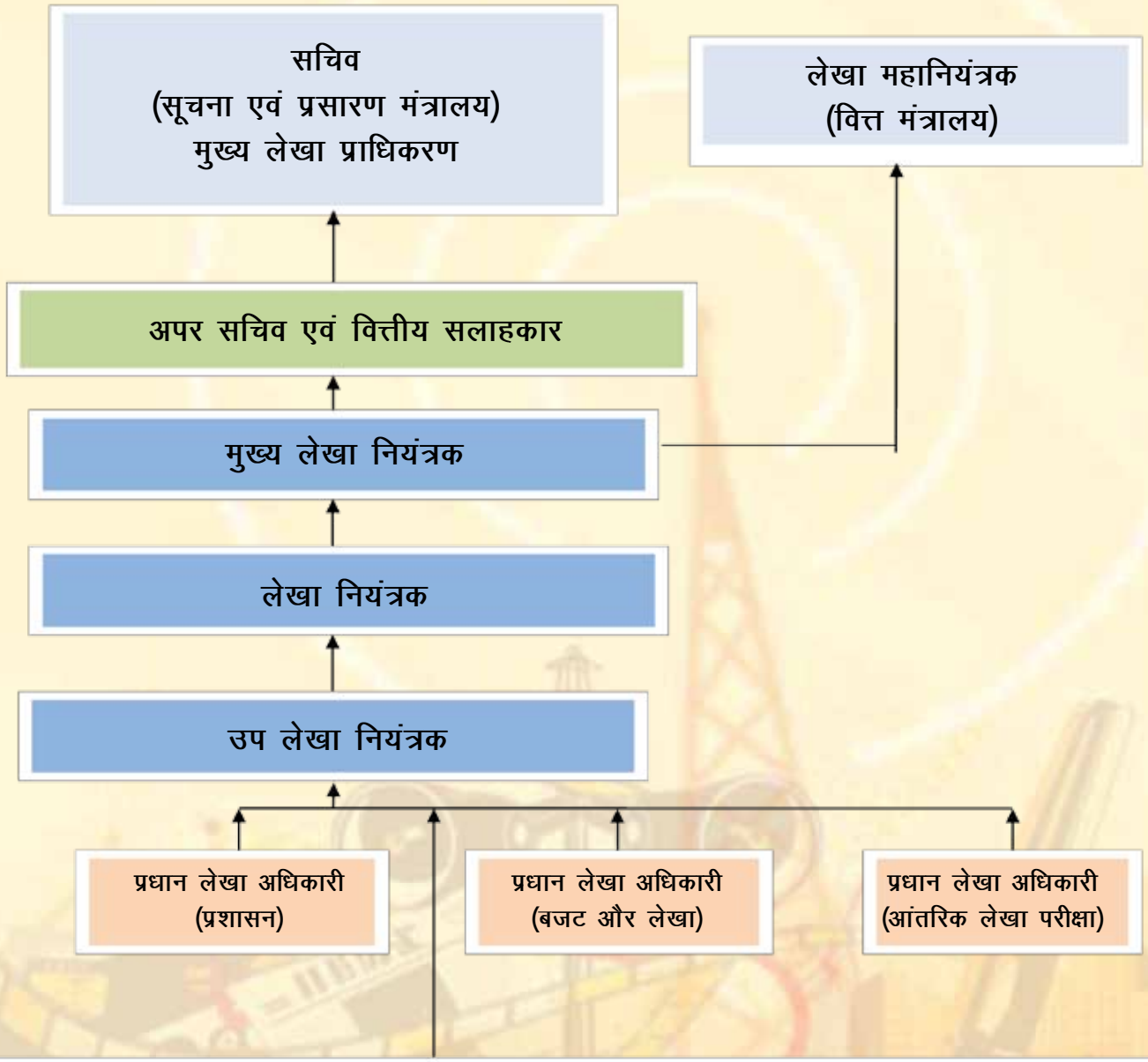

1. वेतन और लेखा कार्यालय (एमएस) नई दिल्ली
2. वेतन और लेखा कार्यालय (बीओसी आदि) नई दिल्ली पूर्व में पीएओ (डीएवीपी आदि)
3. वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) नई दिल्ली
4. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) नागपुर
5. वेतन और लेखा कार्यालय (एफडी) मुंबई
6. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) चेन्नई
7. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) लखनऊ
8. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) कोलकाता
9. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) नई दिल्ली
10. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) गुवाहाटी
11. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) चेन्नई
12. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) कोलकाता
13. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) मुंबई
14. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) नई दिल्ली
15. 21 वरिष्ठ लेखा अधिकारी विभिन्न क्षेत्रीय लोकसंपर्क विभाग (आरओबी) में अपर महानिदेशक (क्षेत्रीय) के एनसीडीडीओ/सीडीडीओ और आईएफए के रूप में कार्यरत हैं।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, 16 दिसंबर, 2020 को 9वें सीआईआई बिग पिक्चर समिट 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए।

16 लेखा पैरा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान कोई सी एंड एगी एंड पीएसी पैरा प्राप्त नहीं किया।

...

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, 6 अक्टूबर, 2020 को नई दिल्ली में फ़िल्म प्रदर्शनी हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसओपी) के विमोचन पर मीडिया को संबोधित करते हुए। इस अवसर पर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय श्री अमित खरे भी उपस्थित रहे।

17 कैट के फैसलों/आदेशों पर अमल

वर्ष 2019–20 के लिए मंत्रालय के मुख्य सचिवालय और विभिन्न मीडिया इकाइयों के कैट मामलों से संबंधित निर्णयों/आदेशों के कार्यान्वयन की सूचना निम्न है :

क्रम संख्या	मीडिया इकाइयां	वर्ष 2019–20 के लिए कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित फैसलों/आदेशों की संख्या
1	मुख्य सचिवालय	5	3
2	लोक संपर्क और संचार ब्यूरो	2	0
3	पत्र सूचना कार्यालय	2	2
4	भारतीय जनसंचार संस्थान	1	1
5	महानिदेशक : आकाशवाणी	126	44
6	महानिदेशक : दूरदर्शन	35	16
7	सत्यजित रे फ़िल्म एंड टेलिविज़न इंस्टीट्यूट	2	2
8	फ़िल्म प्रभाग	2	2
	कुल	**175**	**70**

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर नई दिल्ली में 13 अगस्त, 2020 को विद्यापीठ विकास मंच, एनवाईसीएस और सावित्रीबाई फुले, पुणे विश्वविद्यालय द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए।

18 मीडिया इकाई-वार बजट

मांग सं. 60–सूचना और प्रसारण मंत्रालय

			(रु. हजार में)
मीडिया इकाई / गतिविधि का नाम	**बजट अनुमान 2020-21**	**संशोधित अनुमान 2020-21**	**बजट अनुमान 2021-22**
राजस्व अनुभाग			
श्रेणी–1 केंद्र का स्थापना व्यय (गैर–योजना व्यय)			
मुख्य शीर्ष– '2251'– सचिवालय सामाजिक सेवाएं			
मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**8,88,300**	**7,19,600**	**8,91,800**
मुख्य शीर्ष– '2205'– कला और संस्कृति			
सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमैटोग्राफिक फ़िल्मों का प्रमाणन			
फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण	4,900	3,500	4,900
केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	1,24,800	85,000	1,33,300
कुल मुख्य शीर्ष '2205'	**1,29,700**	**88,500**	**1,38,200**
मुख्य शीर्ष– '2220'– सूचना और प्रचार			
फ़िल्म प्रभाग	5,35,800	4,43,900	5,24,000
भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय	94,800	59,600	1,05,800
फ़िल्म समारोह निदेशालय	1,40,400	84,400	1,41,000
न्यू मीडिया विंग (पूर्व में अनुसंधान, संदर्भ एवं प्रशिक्षण विभाग)	17,200	16,200	16,700
लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)	18,64,731	15,48,200	18,85,300
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	9,96,100	7,97,200	10,29,900
भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक	78,100	54,300	85,200
प्रकाशन विभाग	4,43,000	3,18,400	4,15,000
रोज़गार समाचार	1,51,650	49,400	1,41,800
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)	1,82,500	1,27,675	2,31,100
संचार के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान (आईपीडीसी)	2,100	2,100	2,100
एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) को योगदान	2,869	3,000	3,000
एसोसिएशन ऑफ मूविंग इमेजिस आर्काइविस्ट्स (एएमआईए) को वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान	40	0	40
एनएफएआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए योगदान	210	225	260
निजी एफएम रेडियो स्टेशन	20,500	5,500	26,500
कुल : मुख्य शीर्ष '2220'	**45,30,000**	**35,10,100**	**46,07,700**
कुल : केंद्र का स्थापना व्यय	**55,48,000**	**43,18,200**	**56,37,700**

			(रु. हजार में)
मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	**बजट अनुमान 2020-21**	**संशोधित अनुमान 2020-21**	**बजट अनुमान 2021-22**
श्रेणी II केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (योजना व्यय)			
सूचना क्षेत्र			
विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)	22,00,000	10,34,000	18,80,000
कुल (सूचना क्षेत्र)	**22,00,000**	**10,34,000**	**18,80,000**
फ़िल्म क्षेत्र			
विकास संचार और फ़िल्म सामग्री का प्रसार	11,55,000	6,35,100	12,26,200
चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	3,00,000	38,000	15,900
कुल (फ़िल्म क्षेत्र)	**14,55,000**	**6,73,100**	**12,42,100**
प्रसारण क्षेत्र			
भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता	45,000	21,200	38,400
ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट	37,00,000	17,39,000	31,60,000
कुल (प्रसारण क्षेत्र)	**37,45,000**	**17,60,200**	**31,98,400**
कुल–केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं	**74,00,000**	**34,67,300**	**63,20,500**
इनमें से पूर्वोत्तर आवंटन	**7,40,000**	**4,52,900**	**6,32,400**
पूंजी के तहत आवंटन	**1,35,600**	**64,000**	**1,26,200**
श्रेणी III अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त संस्थाएं) (गैर–योजना व्यय)			
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) को सहायता अनुदान	6,13,000	4,14,100	6,50,000
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को सहायता अनुदान	89,000	82,000	2,00,000
बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) को सहायता अनुदान	39,000	36,700	39,000
भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई) को सहायता अनुदान	4,94,000	3,79,700	5,84,800
सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई) को सहायता अनुदान	6,75,500	4,45,500	8,79,200
प्रसार भारती को अनुदान	2,88,93,600	2,73,59,000	2,64,01,100
कुल – अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त संस्थाएं)	**3,08,04,100**	**2,87,17,000**	**2,87,54,100**
कुल – मांग सं. 60	**4,37,52,100**	**3,65,02,500**	**4,07,12,300**

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, नई दिल्ली में 21 अक्टूबर, 2020 को कैबिनेट ब्रीफिंग पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे, स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान नई दिल्ली में 17 अगस्त, 2020 को आईआईएमसी, डीडी न्यूज़ और पीआईबी को स्वच्छता पुरस्कार देते हुए।

19 योजना परिव्यय

बजट अनुमान (2020–21)

1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में 2020–21 के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय 740.00 करोड़ रुपये है।

(रु. करोड़ में)

क्र. सं	क्षेत्र	जीबीएस*
1.	सूचना क्षेत्र	220.00
2.	फ़िल्म क्षेत्र	145.50
3.	प्रसारण क्षेत्र	374.50
	कुल	**740.00**

2. केंद्रीय क्षेत्र योजना 2020–21 का योजनावार अलग–अलग विवरण संलग्न है।

3. 74.00 करोड़ रुपये का पूर्वोत्तर अवयव 740.00 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय (जीबीएस) का 10 प्रतिशत दर्शाता है। पूर्वोत्तर अवयव के अलग–अलग आंकड़े इस प्रकार हैं :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	जीबीएस*
1.	सूचना क्षेत्र	22.00
2.	फ़िल्म क्षेत्र	11.00
3.	प्रसारण क्षेत्र	41.00
	कुल	**74.00**

*सकल बजट सहायता (ग्रॉस बजटरी सपोर्ट)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
बजट अनुमान 2020–21 का विवरण (योजनावार)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	केंद्रीय क्षेत्र योजना का नाम	बजट अनुमान 2020–21 (मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित)	वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई औपचारिक उच्चतम सीमा के अनुसार निर्धारित बजट अनुमान 2020–21	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित बजट अनुमान 2020–21
सूचना क्षेत्र				
1.	**अंतरराष्ट्रीय मानक पर आईआईएमसी का उन्नयन (आईआईएमसी)**	1.50	युक्तीकरण के बाद, क्र.सं. 1 और 2 (ब) में विनिर्दिष्ट (कुल राशि 11.50 करोड़ रुपये) योजनाओं के आवंटन को आईआईएमसी के अन्य केंद्रीय खर्च मद में परिवर्तित कर दिया गया है। जबकि क्र.सं. 2 (अ) {कुल राशि 26.00 करोड़ रुपये} में विनिर्दिष्ट योजना के बजट को बीओसी, पीआईबी, डीपीडी और आरएनआई के स्थापना व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है। (गैर–वैतनिक भाग के तहत संबंधित ऑब्जेक्ट हेड)	
2.	**मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम**			
(अ)	मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) आईआईएमसी को छोड़कर	30.99		

क्र. सं.	केंद्रीय क्षेत्र योजना का नाम	बजट अनुमान 2020–21 (मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित)	वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई औपचारिक उच्चतम सीमा के अनुसार निर्धारित बजट अनुमान 2020–21	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित बजट अनुमान 2020–21
(ब)	आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों को खोलना (आईआईएमसी)	13.50		
	कुल–एमआईडीपी (अ+ब)	**44.49**		
3.	***विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)**	**230.19**	**220.00**	**22.00**
4.	**मानव संसाधन विकास**			
4.1	मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण (प्रसार भारती को छोड़कर) **(मुख्य सचिवालय)**	4.50	युक्तीकरण के बाद, क्र.सं. 4.1 से 4.3 और 4.5 (कुल राशि 6.26 करोड़ रुपये) में दर्शायी गई योजनाओं के तहत आवंटन को संबंधित ऑब्जेक्ट हेड के तहत मुख्य सचिवालय के स्थापना व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है। जबकि 'फ़िल्म्स मीडिया के लिए मानव संसाधन विकास' के बजट (0.60 करोड़ रुपये) को 'ओएई' ऑब्जेक्ट हेड के तहत सीबीएफसी (0.19 करोड़ रुपये) के स्थापना व्यय और एसआरएफटीआई (0. 21 करोड़ रुपये) के अन्य केंद्रीय व्यय तथा गैर–वैतनिक भाग के तहत सहायता अनुदान के ऑब्जेक्ट हेड के अंतर्गत एफटीआईआई (0.20 करोड़ रुपये) को स्थानांतरित कर दिया गया है।	
4.2	अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम **(मुख्य सचिवालय)**	0.15		
4.3	मीडिया इकाइयों सहित सभी तीनों क्षेत्रों के लिए नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) **(मुख्य सचिवालय)**	1.50		
4.4	फ़िल्म्स मीडिया का मानव संसाधन विकास (एफटीआईआई, एसआरएफटीआई, सीबीएफसी) **(मुख्य सचिवालय)**	0.80		
4.5	व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान **(मुख्य सचिवालय)**	2.31		
	कुल	**9.26**		
	कुल योग (सूचना क्षेत्र) (1+2+3+4)	**285.44**	**220.00**	**22.00**

क्र. सं.	केंद्रीय क्षेत्र योजना का नाम	बजट अनुमान 2020–21 (मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित)	वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई औपचारिक उच्चतम सीमा के अनुसार निर्धारित बजट अनुमान 2020–21	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित बजट अनुमान 2020–21
फ़िल्म क्षेत्र				
5.				
5.1	सीबीएफसी और प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार	1.30	युक्तीकरण के बाद, क्र.सं. 5.1 से 5.4 (कुल राशि 4.00 करोड़ रुपये) में विनिर्दिष्ट योजनाओं के तहत आवंटन को सीबीएफसी, डीएफएफ, फ़िल्म प्रभाग और एनएफएआई से संबंधित ऑब्जेक्ट हेड के अधीन स्थापना व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि क्र.सं. 5.5 से 5.6 (कुल राशि 81.95 करोड़ रुपये) में विनिर्दिष्ट योजना के बजट को गैर–वैतनिक भाग के तहत संबंधित ऑब्जेक्ट हेड के अधीन क्रमशः एफटीआईआई और एसआरएफटीआई के अन्य केंद्रीय व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है।	
5.2	सीरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स का उन्नयन (डीएफएफ)	0.02		
5.3	फ़िल्म प्रभाग (एफडी) की भवन अवसंरचना का उन्नयन	0.02		
5.4	जयकर बंगले सहित एनएफएआई की आधारभूत संरचना का उन्नयन और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना (एनएफएआई)	3.00		
5.5	एफटीआईआई को सहायता अनुदान एफटीआईआई का आधुनिकीकरण और उन्नयन	19.00		
5.6	एसआरएफटीआई में आधारभूत संरचना का विकास	70.00		
	कुल	**93.34**	**0.00**	**0.00**
6.	****विकास संचार एवं फ़िल्मी सामग्री का प्रसार (डीसीडीएफसी)**	63.87	115.50	11.00
7.	राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन **(मुख्य सचिवालय)**	15.48	युक्तीकरण के बाद, एनएफएचएम योजना के तहत आवंटन को 'डीसीडीएफसी' योजना के आवंटन में राजस्व (10.48 करोड़ रुपये) और पूंजी (5.00 करोड़ रुपये) भाग के तहत मिला दिया गया है।	

क्र. सं.	केंद्रीय क्षेत्र योजना का नाम	बजट अनुमान 2020–21 (मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित)	वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई औपचारिक उच्चतम सीमा के अनुसार निर्धारित बजट अनुमान 2020–21	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित बजट अनुमान 2020–21
8.	एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना **(मुख्य सचिवालय)**	15.50	युक्तीकरण के बाद, एनसीओई योजना के तहत आवंटन को गैर–वैतनिक भाग के तहत संबंधित ऑब्जेक्ट हेड के अंतर्गत आईआईएमसी के अन्य केंद्रीय व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है।	
9.	चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस)	30.00	30.00	0.00
	कुल योग (फ़िल्म क्षेत्र) (5+6+7+8+9)	**218.19**	**145.50**	**11.00**
प्रसारण क्षेत्र (प्रसार भारती के अतिरिक्त)				
10.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर का सुदृढ़ीकरण (ईएमएमसी)	20.46	युक्तीकरण के बाद, 'ईएमएमसी का सुदृढ़ीकरण' योजना के तहत आवंटन को स्थापना व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है।	
11.	भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन **(मुख्य सचिवालय)**	4.50	4.50	0.20
12.	डिजिटलीकरण मिशन **(मुख्य सचिवालय)**	0.01	युक्तीकरण के बाद, 'प्रसारण शाखा का स्वचालन और मिशन डिजिटलीकरण' योजना के तहत आवंटन को गैर–वैतनिक भाग के तहत 'पेशेवर सेवाएं' ऑब्जेक्ट हेड के अंतर्गत मुख्य सचिवालय के स्थापना व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है।	
13.	प्रसारण एकांश का स्वचालन **(मुख्य सचिवालय)**	1.50		
	कुल (प्रसारण क्षेत्र– प्रसार भारती के अतिरिक्त) (10+11+12+13)	**26.47**	**4.50**	**0.20**
14.	**प्रसार भारती**			
	ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट (बीआईएनडी)	473.00	370.00	40.80
	कुल (प्रसार भारती)	**473.00**	**370.00**	**40.80**
	कुल – प्रसारण क्षेत्र (10+11+12+13+14)	**499.47**	**374.50**	**41.00**
	कुल केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं	**1003.10**	**740.00**	**74.00**

20 सांगठनिक ढांचा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संगठन चार्ट

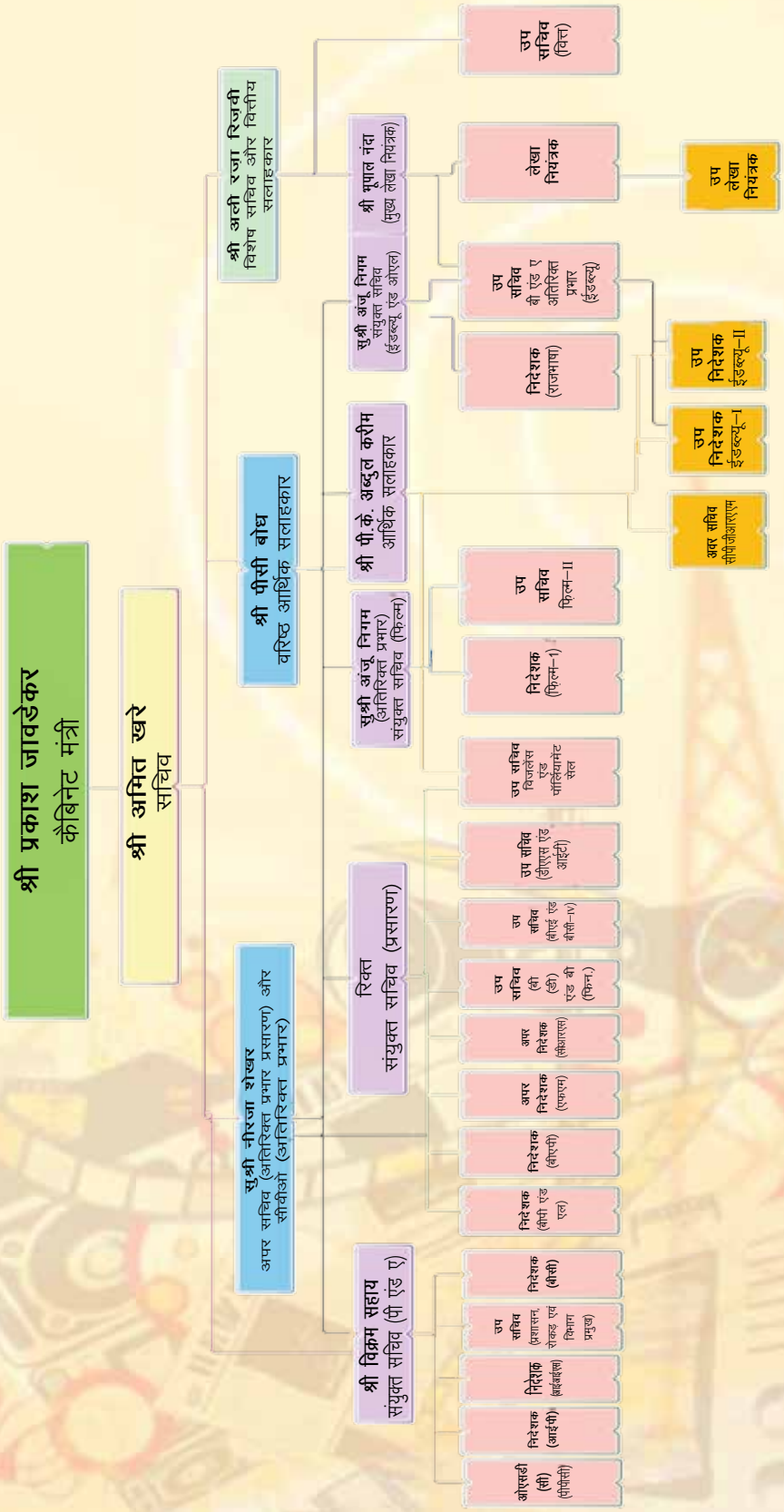

आईसी	स्वतंत्र प्रभार
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
ओएल	राजभाषा

बी (डी)	प्रसारण (विकास)
बी (फिन.)	प्रसारण (वित्त)
बीए (ई)	प्रसारण प्रशासन (अभियांत्रिकी)
बीए (पी)	प्रसारण प्रशासन (कार्यक्रम)
बीसी	प्रसारण सामग्री
बीपी एंड एल	प्रसारण नीति और विधान
सीआरएस	सामुदायिक रेडियो स्टेशन
डीएएस	डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम
एफएम	फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन

संक्षिप्त रूप :

एडमिन	प्रशासन
बीसी	प्रसारण सामग्री
ईएमसी	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर
एचओडी	विभाग प्रमुख
आईआईएस	भारतीय सूचना सेवा
आईपी	सूचना नीति
आईपी एंड एमसी	सूचना नीति और मीडिया समन्वय
एमएचडब्ल्यू	न्यू मीडिया विंग
ओएमडी (सी)	विशेष कार्याधिकारी (समन्वय)
पीपीसी	पॉलिसी प्लानिंग सेल
टीवी (आई)	टीवी (इन्सेट)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–2 का प्रकाशन रोका जाना

लोकसभा सचिवालय के ओ.एम. संख्या 61/2/ईसी/2009 दिनांक 18.12.2009 द्वारा सूचित संसदीय प्राक्कलन समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–2 का प्रकाशन वर्ष 2009–10 से बंद कर दिया गया है।

हालांकि यह मंत्रालय की वेबसाइट **www.mib.gov.in** या **www.mib.nic.in** पर उसी प्रारूप में उपलब्ध है, जैसे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–2 में पहले प्रकाशित किया जाता था।

Printed by JK Offset Graphics Pvt. Ltd., New Delhi